

सामाजिक क्रांति

और

भूदान

जे बी. कृपालानी



१९५४

अ. भा. सर्व-सेवा-संघ. वर्धा का प्रकाशन

प्रकाशक

अ भा सर्व-सेवा-सघ वर्धा के लिए

मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

द्वारा प्रकाशित

पहली बार १९५४

मूल्य

चार आना

मुद्रक
नेशनल प्रिंटिंग वर्कर्स,
दिल्ली

अल्प परिचय

दादा कृपालानी भारत की एक तगड़ी जर्मियन हैं। उनके विचार तगड़े होते हैं और कृति भी मनमनी पैदा करनेवाली होती है। लोगो ने निर्फ उग्र आन्दोलनकारी कृपालानी को ही देखा है। उन्होंने उनका वह रूप नहीं देखा, जिसने गान और गभीर तपस्या में खादी का विक्राम किया और उसे मफल बनाया। लोगो को उनकी लोक-मग्रह-कुशलता का पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब भूदानयज्ञ आन्दोलन के मिलसिले में विनोबा ने यात्रा की तब मालूम हुआ कि कृपालानीजी के सपर्क और जीवन में देश के कितने धुरधुर कार्यकर्ताओ और निपुण कर्णधारो को प्रेरणा मिली।

१९२६ या २७ में उन्हें पहले-पहल देखने का सुयोग मिला। हम लोगो ने एक 'हेमन्त व्याख्यान माला' का आयोजन नागपुर तिलक विद्यालय की ओर से किया था। देश के प्रसिद्ध विद्वान् और लोकाग्रणियो के व्याख्यान हुए। 'खादी और 'राष्ट्रीय शिक्षण' पर बुद्धिवाद की भूमिका पर से युक्तिमगत भाषण करने के लिए वक्ता मिलना बहुत ही कठिन था। राष्ट्रीय शिक्षा पर भाषण करने के लिए पूना के अब सुप्रसिद्ध लेकिन उन समय के विल्कुल अप्रसिद्ध आचार्य भागवत आये। उनका भाषण सुन कर श्रोता दग रह गये। खादी पर व्याख्यान देने के लिए कृपालानीजी आये। वे भी अत्यन्त अल्प प्रसिद्ध थे। जब वे हमारे विद्यालय में आये और हम लोगो को उन्होंने अपना परिचय दिया तो सबको कुछ अदेशा हुआ कि खादी जैसे विषय पर न जाने कैसा भाषण होगा। लेकिन जब भाषण हुआ तो सब अवाक रह गये। बड़े-बड़े बुद्धिवादियो की तवियत खुश हो गई। उनके वर्षो बाद उनका एक छोटा-सा भाषण १९३५ में बनारस के हिन्दू-विश्वविद्यालय में सुना। उसमें जोश था और विवेचन भी। जलते हुए अगारो की तरह एक-से-एक बढ कर जो दहकते हुए शब्द विजली की रफ्तार में बाहर निकले थे वे खून को खौला देते थे। कहना न होगा कि ये दोनो भाषण अंग्रेजी में हुए थे।

कृपालानीजी की शैली की यह विशेषता है कि उनके शब्दों में नोक होती है, लेकिन डक नहीं होता। वे वार करते हैं, लेकिन धाव नहीं करते। उनकी विदारक भीमामा और तर्क-कर्कश विश्लेषण में आप तिलमिला उठने हैं, लेकिन धायल नहीं होते। कभी-कभी उनके लेख पट कर और विशेषकर भाषण सुनने के बाद वाल्टेयर की याद आती है। उनके प्रतिपादन में आवेग और तीव्रता के साथ-साथ बुद्धि को नतोप देने वाली तर्क-पटुता होती है। कृपालानीजी एक अध्ययनशील और तत्त्वान्देषी पंडित हैं। वे जो कुछ कहते हैं उनके पीछे गहरा अध्ययन और वैज्ञानिक प्रज्ञा होती है।

उनकी 'लेट्टेस्ट फैंट' नामक पुस्तिका जियने पढ़ी होगी वह उनकी शैली की अन्यतम विशेषताओं में मग्न हुए बिना नहीं रह सकती।

स्पष्टता का गुण इतना होता है कि लोगों को वे मुहफ्त आदमी मालूम होते हैं। लेकिन स्पष्टता में उनकी भावना की उग्रता होती है, अविनय की वृत्ति नहीं।

'चुनौती' और 'आन्दोलन' कृपालानीजी की प्रकृति के गुण-विशेष हैं। पुरुषार्थ और प्रतिकार के अवसर पाकर उनकी प्रतिभा खिल उठती है।

मीमामा और विवेचन में वे पते की बात बहुत साफ तौर में रख देते हैं। अहिंसावादियों और शांतिवादियों को उन्होंने बार-बार जतलाया कि अप्रतिकार में सज्जनता नहीं है और अन्याय मह लेने में क्षमाशीलता नहीं है। जो मत्याग्रही है वह प्रतिकार-परायण अवश्य होगा। मत्याग्रही पराक्रमशील योद्धा होता है। दबे हुए और बेजान लोगों को वे लगातार ममझाते हैं कि कायरता में हिंसक प्रतिकार कहीं अधिक श्रेयस्कर है। मत्र में बड़ा पाप अन्याय के सामने सिंग झुकाना है, सब से बड़ा गुनाह कायरता है। उनके इस विश्लेषण का जागतिक शान्तिवादी परिपद और गांधी-परिषद्-मम्मेलन (Gandhian Seminar) में एकत्रित मनीषियों पर बहुत प्रभाव पड़ा।

कृपालानीजी गांधी-दर्शन के प्रतिभाशाली और प्रगल्भ प्रवक्ता हैं, वैज्ञानिक सर्वोदय के वे नित्य जागरूक और दक्ष पुरस्कर्ता हैं। गांधी-तत्व-ज्ञान और सर्वोदय-विज्ञान कहीं लीक में पडकर मकीर्ण न हो जाय या जड कर्म-कांड में परिमिमित न हो जाय, इसके विषय में वे निरन्तर सावधानता में प्रयत्न करते रहते हैं।

ऐसे व्यक्ति के शान्ति मीमामात्मक लेखों का यह छोटा-मा संग्रह है।

नेशनल ट्राउ, पटना

—दादा धर्माधिकारी

१ - ९ १०५ /

विषय-सूची

१ भूदान-यज्ञ की पार्व्व-भूमि	५	५	क्रान्ति की प्रेरणा-शक्ति और	
२ भूदान-यज्ञ शान्ति या			भूदान-आन्दोलन	२०
इन्द्रानि ?	१	६	क्रान्ति और क्रान्तिकारी	३६
३ भूदान-आदायन और सामा-		३	सर्वोदय और विशिष्ट	
जिज्ञ शान्ति	१५		क्रान्तिया	१४
४ भूदान-यज्ञ क्या सफल होगा?	२२	८	राजनैतिक मत्ता या म्यान	१२

सामाजिक क्रांति और भूदान

: १ :

भूदान-यज्ञ की पार्श्व-भूमि

माकलवादी समाजवाद के मित्रात के अनुसार "मानवीय दुःख-निवारण के लिये उपायों का नतीजा प्रतिगोष और क्रांति का दिन टालने में होता है। सन्तान पर अविच्छिन्न शोषणहीन समाज की स्थापना केवल क्रांति-कारी वर्ग-सङ्घर्ष में ही हो सकती है। इसलिए मनुष्य के दुःख-निवारण के लिये उपाय प्रतिगामी है।'

क्रांति का मूल क्या ?

इसमें यह अर्थ गन्तित है कि क्रांतियाँ नितात दरिद्रता और कर्गालियत में नै ही पैदा होती हैं। यह ऐतिहासिक नल्प नही है। लोगो नै निरन्तर दुःख और दरिद्रता को दूर दगावत किये सदियों तक नहन किया है। केवल दुःख की मात्रा में क्रांति नही होती। लोगो की उनके विषय में जो धारणा होती है उन् धारणा में नै क्रांति होती है। जबतक उनका यह विश्वास होता है कि यह दुःख उनके भाग में लिखा है, इसलिए वह अनिवार्य है और जिन्नी मानवीय पुस्त्याय में वह दूर नही हो सकता, तबतक वे उने चुपचाप नह लेने हैं। परन्तु यदि लोगो को यह विश्वास हो जाय कि दुःख चाहे वह बडा हो या छोटा, उनकी किल्लत में नही लिखा है या अनिवार्य नही है, बल्कि मनुष्यकृत और निराकरणीय है, तो वे परिस्थिति में परिवर्तन करन का प्रयत्न करते हैं।

परिचन में मजदूरो को आज जितना आराम मिलता है, उतना पहले सुहल वर्गों को भी नही मिलता था। फिर भी नव तरफ मजदूरो का

रुख बगावत का है। कारण यह है कि एक शताब्दी में अधिक काल तक उनको यह सिखाया गया है कि उनकी गरीबी, यद्यपि वह पहले से कम हो गई है, फिर भी वह अनुपयुक्त है। वह न तो उनके भाग्य में बदी है और न अनिवार्य ही है। वह अन्यायपूर्ण समाज-व्यवस्था का परिणाम है और उस समाज-व्यवस्था में उनके अपने प्रयत्नों से परिवर्तन हो सकता है।

आधुनिक परिभाषा में, जिसमें आजका शिक्षित वर्ग समझ सकता है, भूदान-यज्ञ समझाने से पहले लोगों के मन में जो भ्रम है, उनका निवारण करना चाहिए। श्री विनोबा दान के रूप में जमीन मांगते हैं। इसलिए एसा मान लिया जाता है कि वे जमीन की भीख चाहते हैं। और जो लोग जमीन देते हैं, वे उदारता का काम करते हैं। अतः वे कुछ विशेष पुण्य के और लोकादर के पात्र हैं। पर विनोबा जमीन न देने-वालों से देनेवालों को जब श्रेष्ठ समझते हैं तो उसी अर्थ में, जिस अर्थ में कि हम एक ईमानदार कार्यकर्ता को लापरवाह कार्यकर्ता से श्रेष्ठ नमजते हैं। ऐसी दुनिया में, जहाँ कि बहुत-से लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में भी आनाकानी करते हैं, वहाँ ईमानदार कार्यकर्ता दाम लेकर अपना काम पूरा करता है।

सार्वजनिक संपत्ति

श्री विनोबा का बुनियादी सिद्धांत यह है कि हवा और पानी की तरह जमीन भी भगवान् की है। यह सिद्धांत वे हिम्मत के साथ अपने श्रोताओं के सामने और दानाओं के सामने रखते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए।

समाजशास्त्रीय परिभाषा

समाजशास्त्र की परिभाषा में इसका अनुवाद यह होगा कि भूमि का सामाजिक मूल्य है और इसलिए वह व्यक्तियों की निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस पर समाज की मालिकियत होनी चाहिए, और उसका उपयोग समाज के हित के लिए होना चाहिए, जिसमें जोतने वाले का हित भी शामिल है।

आरम्भ में जमीन समुदाय या गाव की ही होती थी। सामाजिक आवश्यकताओं में परिवर्तन होने पर समय-समय पर उसका पुनर्वितरण किया जाता था। इसलिए जमीन का आज का मालिक जब जमीन का दान करता है तो वह ऐसी चीज समाज को लौटा देता है, जिस पर उसका स्वाभाविक अधिकार नहीं है।

आज उसको जो मालिकियत मिली है, वह राजनैतिक और वैधानिक सस्थाओं की दिलाई हुई है। ये सस्थाएँ दुनिया भर में राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभुत्व और शोषण के परिणाम-स्वरूप स्थापित हुई हैं। सफल हिंसा और युद्ध ने अक्सर इनकी स्थापना में मदद पहुँचाई है। जनतन्त्र में भी निजी सम्पत्ति की व्यवस्था हमेशा न्यायसगत और नैतिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती। उसका आधार गतकालीन कानूनी, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक कल्पनाएँ, भ्रात धारणाएँ, दूषित ग्रह और धार्मिक भ्रम इत्यादि होते हैं।

बटवारे का अर्थ

विनोबाजी जमीन पर सारे पुराने अधिकारों को मानने से इन्कार करते हैं। इसमें वे उतने ही क्रांतिकारी हैं, जितना कि कोई भी मार्क्सवादी हो सकता है। अन्तर इतना ही है कि विनोबा नैतिक मत-परिवर्तन से और अहिंसात्मक उपायों से समाज को जमीन वापस दिलाना चाहते हैं। मार्क्सवादी परिभाषा के अनुसार विनोबा यह मानते हैं कि उत्पादन का मुख्य साधन होने के कारण जमीन समाज की है और इसलिए उस पर समाज की ही मालिकियत होनी चाहिए। यह बात इस पर से स्पष्ट हो जाती है कि भूदान में जो जमीन मिलती है, उसका प्रत्यक्ष बटवारा गाव करता है। खुद गाववाले बतलाते हैं कि कौन-सा परिवार सबसे अधिक जरूरतमंद और सत्पात्र है।

फिर यह सवाल होता है कि औद्योगिक उत्पादन के औजारों के बारे में क्या नीति होगी? विनोबा अपने भाषणों में कई तरह के धन को समाज की सम्पत्ति बतलाते हैं। फिर भी फिलहाल उन्होंने अपना ध्यान भूमि

की मालकियत तक ही मर्यादित किया है। प्रायः वे धनवानों से अपनी दूसरी सम्पत्ति का कम-से-कम छठा हिस्सा मार्वाजनिक कामों के लिए खर्च करने को कहते हैं, चाहे फिर वह सम्पत्ति किसी तरह प्राप्त क्यों न की गई हो। किन्तु आज उनका पूरा जोर भूमि पर ही है। गांधीजी और अन्य नीति-प्रवर्तकों की तरह वे भी पर्याप्त व्यवहार-निष्ठ हैं। इसलिए कहते हैं, "मेरे लिए अभी एक पग बस है।"

: २ :

भूदान-यज्ञ : क्रान्ति या उत्क्रान्ति

नया जीवन-दर्शन

भूदान-यज्ञ-आन्दोलन से अनेक फायदे हैं, इसमें शक नहीं। लेकिन क्या इतने में वह क्रान्तिकारी हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर तभी दिया जा सकता है, जब हम यह जानते हों कि क्रान्ति में कौन-कौनसी बातें आती हैं। समाज के पुराने मूल्यों की भावना और बुद्धि की दृष्टि से पुनर्मूल्यन क्रान्ति का मूळभूत लक्षण है। इतिहास की सभी बड़ी क्रान्तियाँ, चाहे वे श्राव्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक या कलात्मक, किसी भी प्रकार की गृही हो मूल्य-परिवर्तन के परिणामस्वरूप ही हुई थीं। मही क्या है, गलन क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कौनसी चीज महत्व की है, कौनसी तुच्छ है, कौनसी डष्ट है, कौनसी अनिष्ट है, कौनसी सुन्दर है, कौनसी कुस्प है, इत्यादि प्रश्नों के विषय में लोगों की कल्पनाएँ बदल गई हैं। नये जीवन-दर्शन का और नये मूल्यों का विनियोग प्रत्यक्ष राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं तथा कला-मदधतियों में बरने में पहले नया जीवन-दर्शन तो होना चाहिए।

बुद्ध-ईसा-मुहम्मद

अति प्राचीन काळ में आज तक मम्यता की प्रगति का हरेक कदम ग्रीक-रॉमी प्रकार के क्रान्तिकारी आन्दोलन के द्वारा ही उठाया गया

है। उदारहण के लिए धर्म का इतिहास ले ले। हिमा मे डूबी हुई दुनिया को बुद्ध ने अहिंसा का सिद्धांत दिखाया। उन दिनों के सामाजिक तदर्थ में सत्य और न्याय की स्थापना के लिए हिंसा करने की न केवल अनुमति ही थी, बल्कि वही सदाचार था। इन मूलभूत मूल्य को बुद्ध ने पलट दिया। बुद्ध ने यह घोषित किया कि नभी प्रकार की हिंसा पाप है, चाहे वह किसी भी उद्देश्य से क्यों न की गई हो। इसके कुछ सदियों के बाद पश्चिम की ओर हज़रत ईसा ने घोषित किया कि अहिंसा और शारीरिक अप्रतिकार ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ मूल्य है। उसने कहा, “वुराई का प्रतिकार मत करो। जो तुम्हारे साथ वुराई करे, उसके साथ तुम भलाई करो। मूसा की नीति के अनुसार, आख के लिए आख और दात के लिए दात का न्याय मत अपनाओ। किन्तु अपने दुश्मनों को सात बार ही नहीं, बल्कि नात गुने सत्तर बार धमा करो।” यह ईसा का नया नीति-धर्म था। हज़रत मुहम्मद से पहले मूर्ति-पूजा उत्कृष्ट उपासना समझी जाती थी। मुहम्मद ने उसे एक, और एकमेव ईश्वर के खिलाफ पाप करार दिया। मूर्तियों को भ्रष्ट करना और उनका विध्वन करना, उस अल्लाह को मज़ूर था, जो कि सर्वशक्तिमान है, क्रोधी है और ईर्ष्यालु है।

क्रान्ति की सकुचित दृष्टियाँ

हमने धार्मिक क्रान्तिकारी-आन्दोलन की बात कही है। लेकिन मार्क्स के दाद ‘क्रान्ति’ शब्द का अर्थ बहुत नकीर्ण और सीमित हो गया। अब वह निर्फ हिंसात्मक, आर्थिक और राजनैतिक विप्लवों के लिए ही लागू किया जाता है। जिनमें यह लक्षण न हो, वह क्रान्ति नहीं समझी जाती। फिर भी इन नकीर्ण और सीमित अर्थों में भी क्रान्ति का मार क्या है, यह हम समझने की कोशिश करें। मार्क्सवादी मानते हैं कि अठारहवीं सदी के अंत में फ्रान्स में जो विप्लव हुआ, वह उनकी दृष्टि में भी क्रान्ति थी। रूस में १९१८ की जो बोलशेविक क्रान्ति हुई, वह अधिक बड़ी क्रान्ति थी, यह मानी हुई बात है। अठारहवीं सदी के फ्रान्स में रूसी, बाल्टेयर और विश्वकोप के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, नम्रता और दधुता की कल्पनाओं का सब

तरफ प्रचार तथा प्रतिपादन किया। इन नये विचारों में आवश्यक वातावरण पैदा हुआ, जिसमें समाज में इन मूल्यों की स्थापना के लिए क्रान्ति करना सम्भव हुआ। इसमें पहले मुप्रतिष्ठित सत्ता के विरुद्ध बगावत करना अपराध और अधर्म समझा जाता था। परन्तु इन तत्ववेत्ताओं ने जो क्रान्तिकारी विचार लोगों को सिखाये, उनके कारण बगावत न केवल उचित ही मानी गई, अपितु न्याययुक्त और नीतियुक्त भी। विद्रोह कर्त्तव्य हो गया। बगैर प्रतिकार में सहन करना कायरता का और नागरिक कर्त्तव्य में प्रमाद का लक्षण समझा गया। वह राजा, जो कि दैवी सत्ता का प्रतीक था, अब शैतान का प्रतिनिधि माना जाने लगा। जो पुरोहित ईमामसीह के प्रतिनिधि थे, वे अब शैतान के प्रतिहस्तक समझे जाने लगे। उच्चवर्गीय लोगों का उनकी कुलीनता, संपत्ति और सत्ता के लिए आदर होने के बदले, वे अब अकुलीन, निरकुश, लुटेरे, शोषक तथा लोकद्रोही माने जाने लगे। प्राचीन निष्ठाएँ और श्रद्धाएँ चूर-चूर हो गईं। उनका स्थान पुराने स्नेह-सम्बन्धों ने और निष्ठाओं ने लिया। हजारों वर्षों की पुरानी, आध्यात्मिक तथा भौतिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह इसी विचार-परिवर्तन और मृत्युपरिवर्तन की वदौलत हो सका। नये मूल्यों ने मनुष्यों के मन में से पुराना आदर, डर और भ्रम दूर कर दिया।

कैंट को प्रकाश-दर्शन

इसी मृत्यु-परिवर्तन के कारण महान जर्मन मीमामक तत्त्वज्ञ कैंट ने दृष्टि-व्याग्रागृह के विध्वंस का समाचार सुन कर एक पुरान पैगंबर के शब्दों में पृथक्त्रित हो कर कहा था, "प्रभो, अब तू अपने इस दाम को शान्ति-पूर्वक समाप्त में विदा होने दे। तेरे मोक्ष को अब मेरी आँखों ने देखा लिया।" इस मद्दाप्र और विचार-प्रेरित विद्रोह में उस बृद्धे दार्शनिक ने कौनसा प्रकाश, देखा? वह प्रकाश स्वतन्त्रता, न्याय और मानवीय बंधुत्व के नये विचारों का प्रकाश था। प्रारम्भ में यह नया प्रकाश जितना उज्ज्वल मालूम पड़ा, उतना शायद अन्त में भेड़े ही न रहा हो, परन्तु कुछ समय के लिए लोगों की विवेक-शक्ति, भावनाएँ और निष्ठाएँ उसके साथ गईं।

मार्क्सवाद द्वारा मूल्य-परिवर्तन

उनके पश्चात् उतनी ही अत्युक्तिपूर्ण भाषा में बुद्धिमान् तथा सीमानक लोगो ने रूस की क्रान्ति का भी गौरवपूर्वक स्वागत किया। इस का भी मूल कारण यही था कि जीवन के आर्थिक क्षेत्र में नये मूल्य दाखिल हुए। अर्थ-व्यवस्था ही जीवन का प्रधान अंग माना जाता था, इसलिए आर्थिक परिवर्तन, जीवन-परिवर्तन ही मान लिया गया। उदाहरण के लिए मार्क्स और एंगेल्स ने यह सिद्ध कर दिया कि नपत्ति समाज-निर्मित है और निजी नपत्ति अपहरण तथा गोपण का परिणाम है। उन्होंने यह बुद्धिवाद में ही नहीं सिद्ध किया बल्कि उनका भावावेश से भी प्रतिपादन किया। यह बात अद्विक महत्व रखती है। जो नपत्तिमान् व्यक्ति पहले एक भला आदमी एक स्वतन्त्र क्रियाशील व्यक्ति नाहती, मितव्ययी तथा लोगो का उपकारकर्ता माना जाता था, वह अब मार्क्सवादी नीति के अनुसार गोपक खून चूमनेवाला, परोपजीवी और समाजद्रोही माना जाने लगा। इसलिए उसका और उनके वर्ग का विध्वंस करना आवश्यक हो गया और आवश्यकता पडने पर उनको तलवार के घाट उतारना या आग में जला देना भी उपयुक्त माना गया। बेचारा पूजीवादी वास्तव में ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में पैदा हुआ था, जिनपर उनका कोई काबू नहीं था। फिर भी उनके लिए कोई नदभाव बतलाना गुनाह माना गया। मार्क्सवाद ने मानवीय मूल्यों को जड़-मूल में बदल दिया।

गांधीकृत क्रान्ति

हाल ही में हमने गांधी-प्रणीत मूल्य-परिवर्तन की क्रान्ति देखी। उन क्रान्ति का उद्देश्य राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना और समत्व युक्त समाज रचना की नींव डालना था। आज तक मानवीय इतिहास में मत्कार्य के लिए और ज्ञान वर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए हिंसा करना न्याय युक्त तथा नीतिविहित माना गया है। वह नागरिक का कर्तव्य माना गया है, यहा तक कि आतंकवादी हिंसा भी स्वतन्त्रता के लिए अंग प्रशस्त नहीं, तो क्षम्य मानी गई है।

तरफ प्रचार तथा प्रतिपादन किया। इन नये विचारों से आवश्यक वातावरण पैदा हुआ, जिससे समाज में इन मूल्यों की स्थापना के लिए क्रान्ति करना सम्भव हुआ। इससे पहले मुप्रतिष्ठित सत्ता के विरुद्ध बगावत करना अपराध और अघर्म समझा जाता था। परन्तु इन तत्त्ववेत्ताओं ने जो क्रान्तिकारी विचार लोगों को सिखाये, उनके कारण बगावत न केवल उचित ही मानी गई, अपितु न्याययुक्त और नीतियुक्त भी। विद्रोह कर्त्तव्य हो गया। वगैर प्रतिकार में सहन करना कायरता का और नागरिक कर्त्तव्य में प्रमाद का लक्षण समझा गया। वह राजा, जो कि दैवी सत्ता का प्रतीक था, अब शैतान का प्रतिनिधि माना जाने लगा। जो पुरोहित ईसामसीह के प्रतिनिधि थे, वे अब शैतान के प्रतिहस्तक समझे जाने लगे। उच्चवर्गीय लोगों का उनकी कुलीनता, सपत्ति और सत्ता के लिए आदर होने के बदले, वे अब अकुलीन, निरकुश, लुटेरे, शोषक तथा लोकद्रोही माने जाने लगे। प्राचीन निष्ठाएँ और श्रद्धाएँ चूर-चूर हो गईं। उनका स्थान पुराने स्नेह-सम्बन्धों ने और निष्ठाओं ने लिया। हजारों वर्षों की पुरानी, आव्यात्मिक तथा भौतिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह इसी विचारपरिवर्तन और मूल्यपरिवर्तन की वदौलत हो सका। नये मूल्यों ने मनुष्यों के मन में मे पुराना आदर, डर और भ्रम दूर कर दिया।

कंट को प्रकाश-दर्शन

इसी मूल्य-परिवर्तन के कारण महान जर्मन मीमांसक तत्त्वज्ञ कंट ने वस्तु-कारागृह के विध्वंस का समाचार सुन कर एक पुरान पैगवर के शब्दों में पुलकित हो कर कहा था, "प्रभो, अब तू अपने इस दाम को शातिपूर्वक समार में विदा होने दे। तेरे मोक्ष को अब मेरी आखों ने देख लिया।" इस मदाघ और विकार-प्रेरित विद्रोह में उम बूढ़े दार्शनिक ने कौनसा प्रकाश, देखा? वह प्रकाश स्वतन्त्रता, न्याय और मानवीय बचुत्व के नये विचारों का प्रकाश था। प्रारम्भ में यह नया प्रकाश जितना उज्ज्वल मालूम पटा, उनना शायद अन्त में भले ही न रहा हो, परन्तु कुछ समय के लिए लोगों की विवेक-शुद्धि, भावनाएँ और निष्ठाएँ उसके साथ गईं।

मार्क्सवाद द्वारा मूल्य-परिवर्तन

उसके पश्चात् उतनी ही अत्युक्तिपूर्ण भाषा में बुद्धिमान् तथा मीमांसक लोगो ने रूस की क्रान्ति का भी गौरवपूर्वक स्वागत किया। इस का भी मूल कारण यही था कि जीवन के आर्थिक क्षेत्र में नये मूल्य दाखिल हुए। अर्थ-व्यवस्था ही जीवन का प्रधान अंग माना जाता था, इसलिए आर्थिक परिवर्तन, जीवन-परिवर्तन ही मान लिया गया। उदाहरण के लिए मार्क्स और एंगेल्स ने यह सिद्ध कर दिया कि सपत्ति समाज-निर्मित है और निजी सपत्ति अपहरण तथा शोषण का परिणाम है। उन्होंने यह बुद्धिवाद ने ही नहीं सिद्ध किया, बल्कि उसका भावावेश से भी प्रतिपादन किया। यह बात अधिक महत्व रखती है। जो सपत्तिमान् व्यक्ति पहले एक भला आदमी, एक स्वतन्त्र क्रियाशील व्यक्ति, साहसी, मितव्ययी तथा लोगो का उपकारकर्ता माना जाता था, वह अब मार्क्सवादी नीति के अनुसार शोषक खून चूनेवाला, परोपजीवी और समाजद्रोही माना जाने लगा। इसलिए उसका और उसके वर्ग का विध्वंस करना आवश्यक हो गया और आवश्यकता पडने पर उसको तलवार के घाट उतारना या आग से जला देना भी उपयुक्त माना गया। बेचारा पूजीवादी वास्तव में ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में पैदा हुआ था, जिनपर उनका कोई काबू नहीं था। फिर भी उनके लिए कोई नद्विभाव बतलाना गुनाह माना गया। मार्क्सवाद ने मानवीय मूल्यों को जड़-मूल में बदल दिया।

गांधीकृत क्रान्ति

हाल ही में हमने गांधी-प्रणीत मूल्य-परिवर्तन की क्रान्ति देखी। उस क्रान्ति का उद्देश्य राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना और समत्व युक्त समाज रचना की नींव डालना था। आज तक मानवीय इतिहास में सत्कार्य के लिए और खाम कर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए हिंसा करना न्याय युक्त तथा नीतिविहित माना गया है। वह नागरिक का कर्तव्य माना गया है, यहा तक कि आतंकवादी हिंसा भी स्वतन्त्रता के लिए अगर प्रशस्त नहीं, तो क्षम्य मानी गई है।

गांधीजी ने इन मूल्यों को उलट दिया। न्याय की स्थापना के लिए युद्ध या हिंसा करना उत्कृष्ट नीति नहीं है। अत्याचारी मत्ता के विरोध का सबसे उत्कृष्ट और नीतियुक्त मार्ग अहिंसात्मक प्रतिकार है। भले काम के लिए हिंसा या युद्ध केवल निपट कायरता से ही श्रेयस्कर है। गांधीजी की यह निष्ठा है कि गजनीति में भी साध्य की अपेक्षा साधन गौण नहीं माने जाने चाहिए।

दूसरी भी कई बातों में गांधीजी ने चिरप्रतिष्ठित मूल्यों का परिवर्तन कर दिया। गांधीजी के राष्ट्रीय विभूति बनने के पहले जेल में जाना शान के खिलाफ समझा जाता था। बाद में यह गौरव का विषय बन गया। कुटुम्ब-निष्ठा सबसे बड़ा सद्गुण समझा जाता था, उसकी जगह राष्ट्र-निष्ठा सबसे बड़ा सद्गुण समझा जाने लगा। जाति-निष्ठा का सार्वजनिक मामलों में कोई स्थान नहीं रह गया। अस्पृश्यता हिन्दू-धर्म विरोधी करार दी गई, अराष्ट्रीय और अमानुष मानी गई। सपत्ति सार्वजनिक धरोहर समझी गई। उसका निर्माण समाज द्वारा होता है, इसलिये उपयोग भी सामाजिक प्रयोजनों के लिए होना चाहिए। सब प्रकार का आर्थिक-शोषण पापमय माना गया। गरीब देहाती की पोशाक मोटी गादी देश-भक्ति का और प्रतिष्ठा का लक्षण माना गया। इतना ही नहीं, बल्कि पोशाक फैशनवेबल मानी गई। ग्रामीण और धरेलू उद्योग-धंधों को उत्तेजन देना पुरानी व्यवस्था के पुनर्जीवन का द्योतक नहीं, बल्कि क्रान्ति का द्योतक हो गया। स्त्रियों को परदे में रखना, उनको सार्वजनिक तथा राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने में रोकना अपराध और क्रूरता का व्यवहार हो गया। सभी तरह का भोग-विलास सामाजिक पाप समझा गया। एक नहीं हजार तरह में गांधीजी ने केवल परंपरागत मूल्यों का ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता के नैतिक दर्शन का ही परिवर्तन किया। हमारी स्वतन्त्रता का आन्दोलन इन नये मूल्यों पर आधारित रहता था। इसलिए गांधीजी की कल्पना का स्वराज्य इन्हीं मूल्यों पर रचा जा सकता है।

विनोबा का प्रयत्न

क्या विनोबा अपने भूदान-आन्दोलन से प्रचलित मूल्यों में परिवर्तन कर रहे हैं ? जिन्होंने उनके काम को देखा है और जिन वृत्ति से वह काम होता है, उस वृत्ति को समझा है, उनके मन में विनोबा के आन्दोलन की आत्तिकारिता के विषय में कोई सदेह नहीं रह सकता। हर जगह वे इस विचार का प्रतिपादन करते हैं कि जमीन की मालकियत पाप है और जमीन हवा तथा पानी की तरह सबको मुफ्त में मिलनी चाहिए। परन्तु जिस प्रकार पानी का नियंत्रण सामाजिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है, उसी तरह भूमि का उपयोग भी नमाज के लिए होना चाहिए। साथ-साथ वे यह भी आग्रहपूर्वक कहते हैं कि नमी संपत्ति समाज की घाती नमस्ती जानी चाहिए और उसका उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए ही होना चाहिए। इसके जलावा वे उन गांधी-प्रणीत मूल्यों का सजीवन कर रहे हैं जिनके आधुनिक सत्ता, लालसा और द्रव्य-लोभ के उन्माद में खो जाने का डर था। उन्होंने यह भी दिखला दिया है कि व्यक्तिगत उदाहरण से, राज्य-चारित्र्य से और प्रयत्न से कितना बड़ा समाज-हित हो सकता है, चाहे सत्ता कितनी ही उदासीन क्यों न हो ? वे जिन तरीके से भूमि-नमस्या हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे यह साबित होता है कि दूसरी समस्याएं भी उसी पद्धति से शांतिपूर्वक नैतिक मत-परिवर्तन और हृदय-परिवर्तन के द्वारा हल की जा सकती हैं। वे जमींदारी के विरोध में ऐसा प्रबल लोकमत बना रहे हैं कि उनके कारण किनी भी प्रगतिशील सरकार के लिए राजनैतिक और कानूनी कदम उठाना आसान हो जायगा। मुझे विश्वास है कि पूलिन के द्वारा दमनकारी उपायों में काम लेने के बदले—जिनमें न तो ईमानदारी होती है, न सत्य—अगर शराबखोरी का इलाज नैतिक मत-प्रचार और मत-परिवर्तन से किया जाय, तो अधिक चिरस्थायी और दूरगामी परिणाम निकलेंगे। श्री विनोबा देहानो हलकों में एक ऐसी सेना खड़ी कर रहे हैं जिनका प्रचलित समाज-रचना के प्रति अन्तर्दोष एक प्रचंड श्रांति करके रहेगा।

तेलगाना जैसे एक छोटे-से और नपे-तुले दायरे में कम्यूनिस्टो ने जमींदारों से जमीन छीन ली और किसानों को उस पर कब्जा करने दिया। इसके लिए कितने क्लेश और रक्तपात की कीमत देनी पड़ी? कम्यूनिस्ट हलकों में इसे महान् क्रान्ति के नाम से गौरवान्वित किया गया। विनोवा ने भूमिहीन मजदूरों को, जो कि देहाती समाज में सबसे अधिक चरिद्र हैं, किसी भी बाह्य हिंसक-कृति से द्वेष तथा मन-मुटाव पैदा किये बिना इससे कहीं अधिक भूमि दिला दी है।

हम अपने मामले जो देख रहे हैं, वह एक नैतिक और भौतिक क्रान्ति है। जो लोग विनोवा के आन्दोलन का मजाक करते थे—और इनमें मंत्री तथा सयोजन-समिति के सदस्य भी थे—अब उसकी परिणामकारकता के कायल हो गये हैं। हमारे प्रधान-मंत्री, अलग-अलग राज्यों के मंत्री और कांग्रेस ने अब इस आन्दोलन को शुभाशीर्वाद दिये हैं।

मूक क्रान्ति

देहाती भारत में एक मूक-क्रान्ति हो रही है। भविष्य के लिए उसमें जो सभावनाएँ छिपी हुई हैं, उनको देखने के लिए कई बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन पूछा जाता है कि क्या इससे जमीन का मसला हल हो जायगा? जिन समस्याओं के कारण क्रान्ति होती है, उन समस्याओं को एक ही छलाग में कोई क्रान्ति हल नहीं करती। नये मूल्यों के चरितार्थ होने में जो मानसिक और भौतिक बाधाएँ होती हैं, उनका निराकरण क्रान्ति सबसे पहले करती है। विघनों को दूर करने के बाद फिर उपयुक्त वैधानिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में उन मूल्यों की प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है।

विनोवा के भूदान आन्दोलन का समीक्षण इन बातों के प्रकाश में करना चाहिए।

: ३ :

भूदान-आन्दोलन और सामाजिक क्रान्ति

जहा तक प्रत्यक्ष रूप से भूस्वपत्ति और अप्रत्यक्ष रूप से धारण स्वपत्ति के पति हमारे खयालो और मान्यताओ को बदलने में भूदान-आन्दोलन सहायता कर रहा है. यह आन्दोलन निस्सदेह क्रान्तिकारी है । उत्तर-प्रदेश और बिहार में जमीन के बाजार पर इसका असर पड चुका है, जमीन की कीमत गिर गई है और जहा-कही थोडी खरीद-बिक्री होती है ।

किन्तु किसी आन्दोलन को क्रान्तिकारी होने के लिए सिर्फ उतना ही जरूरी नहीं है कि उसके किमी सामाजिक व्यवस्था के प्रति स्थिति, खयालो और मान्यताओ में परिवर्तन हो, और न यही कि परिवर्तित विचारो और मान्यताओ और दृष्टिकोण को कुछ लोग या एक छोटी जमात जनल में लावे ।

नये विचारो को चाहिए कि मानवता की किसी जमात में सर्वसाधारण के मनोभावो का प्रतिनिधित्व करे और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करे, जो वास्तव में पुरानी व्यवस्था से भिन्न हो । इतिहास के प्रारम्भ से ही बहुत सुधारको और पैगम्बरो ने धन की निंदा की है और सामाजिक तथा आर्थिक समानता की वकालत की है । गौतमबुद्ध ने ऐसा किया था । समाज का निर्माण पूर्ण आर्थिक समता के आधार पर होता था और सभी चीजो पर सभी का अधिकार था । सन्न्यता के एक विशेष प्रगति-सोपान पर साम्यवादी समाज स्थापित था । आधुनिकतम्यवादी आधुनिकता "हरेक से उनकी क्षमता के अनुसार काम और हरेक को उसकी आवश्यकतानुसार उपयोग की सामग्री मिले" की पूर्ति उन समाज ने बाज के कम्युनिस्ट हल की अपेक्षा अधिक पूर्णता से की थी । किन्तु वह समानता समाज की सभी जमातों में लागू नहीं थी, बल्कि खासतौर से बौद्ध भिक्षुओ और सन्न्यासियो तक ही सीमित थी ।

ईसाननीह ने कहा था, "अनीर के लिए स्वर्ग में प्रवेश करने की

अपेक्षा सुई के छेद से ऊट का निकलना आसान है ।” ईसाई मत के प्रारम्भ में माम्यरूपी समाज निर्मित होते थे, जहाँ मपत्ति सार्वजनिक स्वामित्व में रखी जाती थी, और ईसामसीह ने मनुष्य की सामाजिक समानता का प्रचार किया । वह स्वयं बड़े के बेटे थे, उनके साथी मछुए थे और वह पापियो, कर वमूलनेवालो और बेग्याओ के साथ भी रहा करते थे, फिर भी जो परिवर्तित मान्यताएँ ईसा ने चलाई, उन्हें एक छोटी जमात के लोगो ने अमल में लाया । मानवजाति के किमी भाग में भी सर्वमाधारण की चीज वह नहीं बन सकी । स्पष्टतः, उनके लिए समय नहीं आया था, यानी, नई आर्थिक मान्यताओ ने समय के तकाजो का प्रतिनिधित्व नहीं किया । इसलिए विग्वव्यापी होने में वे अमफल रही ।

समय का तकाजा

बुद्ध के समय से ही अस्पृश्यता को भारत में बुरा माना जाता रहा है । बुद्ध तो और आगे गये थे और उन्हें जाति-प्रथा में भी विश्वास नहीं था । कवीर और नानक जैसे मध्यकालीन मतों ने अस्पृश्यता और जाति-प्रथा की निन्दा की । एक छोटे दायरे में इन मुखारो ने अच्छी सफलता पाई किन्तु सर्वमाधारण द्वारा अमल में वे नहीं लाये जा सके, पर अस्पृश्यता के खिलाफ गांधीजी के आन्दोलन को सराहनीय सफलता मिली, क्योंकि वर्तमान काल में भारत और सारे ससार की सामाजिक, आर्थिक समानता के समय के तकाजे की पूर्ति की । नये आन्दोलन तभी सफल होते हैं, जब वे समय के तकाजे का प्रतिनिधित्व करते हैं । मैं समझता हूँ कि विनोबा भावे का भूदान-आन्दोलन भारत में भूमि के पुनर्वितरण के समय के तकाजे की नुमाइन्दगी करता है । यही कारण है कि भूदान आन्दोलन को आशातीत सफलता मिली है ।

जमींदारी प्रथा

स्वतन्त्रता के पहले भी जमींदारी-प्रथा के खात्मे की माग थी । जमींदार, जो पहले मालगुजारी वमूल करनेवाले होते थे, अब जमीन के मालिक बन गये थे, जिसे वे रैयतों से जोतवाने लगे । जमीन की हकीकत की

अनिश्चितता से किसानों को बड़ी कठिनाइया झेलनी पड़ी। इसके अलावा समय-समय पर किसानों को गैरकानूनी रकमे देनी पड़ती थी। किसानों को जमींदार की जमीन पर भी काम करना पड़ता था। इसके लिए उन्हें नाम-मात्र की मजदूरी मिलती थी। किसान को जमींदार का घरेलू काम-काज भी करना पड़ता था। उसकी बैलगाड़ी और बैलो को जमींदार, बिना कुछ दिये या नाम-मात्र की मजदूरी देकर इस्तेमाल करता था।

जन्म, शादी और पर्वों के अवसर पर किसानों को सामग्री या रुपये से जमींदार की मदद करनी पड़ती थी। जब जमींदार घोडा या हाथी खरीदता था, अपना घर बनवाता था, उस समय भी किसानों को उसकी मदद करनी पड़ती थी। जब किसान को बीज और कृषि-उपकरणों को खरीदने या फसल की मरती के साल में जान बचाने के लिए अन्न की आवश्यकता होती थी, अथवा जन्म, शादी और परिवार में किसी के मौत के समय खर्च के लिए रुपये की आवश्यकता होती थी तो जमींदार सूद की बहुत ऊंची दर से उने रुपया देता था। कर्ज और सूद फसल की कटनी के समय वापस करना होता था, जब कि कृषि-उत्पादको की कीमते निम्नतम होती थी। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक किसान जमींदार के कर्ज में डूबा रहता था। उनका सपूर्ण जीवन गरीबी के खूनी चगुल में जकडा हुआ बीतता था।

इस बीसवीं सदी में हिन्दुस्तान में किसानों से इन्ही गैरकानूनी वन्लियों और जमीन में उनको बेदखलियों के खिलाफ चलाया जाता था। उन समय जमींदारी उन्मूलन का कोई सवाल नहीं था। बीसियों के आन्दोलन से कुछ कानून बनाये गए, जिनसे किसानों को कुछ राहत मिली। किसानों को अपनी जोत हस्तांतरित करने का हक मिला। जमींदार की गैर-वानूनी वन्लियों से किसानों को थोड़ी राहत मिली। फिर भी कानून और नये प्राप्त अधिकारों के बावजूद किसानों को धनी और शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ जबर्दस्त लडाइया लडनी पड़ी। पुलिस और मजिस्ट्रेट भी जमींदारों की मदद करते रहे। कानूनी या गैरकानूनी बेदखलिया

धामतौर से की जाती रही । नाजायज वसूली किसी-न-किसी रूप में बरकरार ही रही । शीघ्र ही महमूस किया गया कि जबतक जमींदारी-प्रथा को नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाता, जमींदारों के दमन और आतंक से किसानों को मुक्ति नहीं मिल सकती । सभी राजनैतिक पार्टियों, कांग्रेस, मोशललिस्ट, कम्यूनिस्ट ने अपने कार्यक्रम और घोषणा-पत्रों में जमींदारी-उन्मूलन को प्रधानता दी । कांग्रेस भी भूमिसुधार का वादा कर चुकी थी, इसलिए सत्ता सपन्न होते ही उसने जमींदारी-उन्मूलन के प्रश्न को अपने हाथ में लिया । किन्तु मन्थरगति में काम करना कांग्रेस-सरकार की एक खूबी है । जमींदारी-उन्मूलन-कानून के बनाने में अनावश्यक रूप में इतना अधिक समय लगाया गया कि जो उससे अच्छा परिणाम निकलता, नहीं निकला ।

कुछ जगहों में, जैसे बंगाल में, कांग्रेसी शासन के छ वर्षों के बाद भी इस दिशा में कुछ नहीं किया गया । जहाँ पर छ वर्षों के बाद भी, जैसे उत्तर-प्रदेश में, जमींदारी-प्रथा खत्म की गई, वहाँ पर जमींदारों ने विलम्ब का इस्तेमाल मुनाफा कमाने में किया और किसानों तथा संपूर्ण राष्ट्र को क्षति पहुँचाई, लगातार वेदखलिया होती रही और उनका क्रम आज भी कुछ जारी है । अपना अधिकार जमाने के लिए बहुत-सी जमीन नामके लिए जमींदारों ने जोत ली है । जमींदार ने अधिकार से वंचित हो जाने के डर में किसानों को जोतने के लिए जमीन नहीं दी, इससे पैदावार गिर गई । सर्वत्र जमींदारों ने पेड़ काट डाले । इससे जंगल बर्बाद हो गए हैं । अभी भी यह क्रम जारी है ।

भूमि के पुनर्वितरण की माग

जमींदारी-प्रथा की समाप्ति के बाद आज सारे देश में यह महसूस किया जा रहा है कि सिर्फ जमींदारी के खत्म हो जाने से देश की कृषि-समस्या का हल नहीं हो जायगा । जमीन का फिर से बँटवारा हो और वह भी जमींदारों के पक्ष में । जमीन के बँटवारे का प्रश्न सबसे पहले सोशलिस्टों ने उठाया था । उन्होंने नारा दिया "धन और धरती बँट के

रहेगी।" किसान-मोर्चों और सम्मेलनों द्वारा इन नारे को लोक-प्रिय बनाया। सारे देश में, हर गाव में उन्होंने इस नारे को पहुँचा दिया।

भूदान-आन्दोलन ने इस नारे को अपना लिया। ऐसा जबर्दस्त वातावरण जमीन के बटवारे के पक्ष में तैयार हुआ कि पञ्चवर्षीय योजना के अन्तिम और दोहराए हुए स्वरूप की रिपोर्ट में योजना बनानेवालों को जमीन के मामूली तौर पर फिर से बटवारे की बात जोड़नी पड़ी। कम्यूनिस्टों ने कट्टरता का रास्ता अपनाया। तैलगाना में किसानों से उन्होंने कहा कि जमींदारों की जमीन छीन लो। जितना हिंसात्मक ढंग से यह किया गया उतने ही हिंसात्मक ढंग से सरकार ने उसे दबा भी दिया।

जमीन का बटवारा निहायत जरूरी

गावों के देश भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण जमीन का बटवारा समय की एक जोरदार मांग बन गया है। पचास वर्ष पूर्व गावों में कुछ ही लोग बिना जमीन के थे। कुछ-न-कुछ जमीन उनके पास भी थी। उस समय से किसानों ने जमीन छीनने का काम तेजी से आगे बढ़ा है। बड़े जमींदारों ने इस काम को शुरू किया था। किन्तु जिस काम को बड़े जमींदार करने में अनमर्त्य रहे, उन काम को शहरों में रहनेवाले व्यवसायियों ने अपने नवोपाजित धन से किया। इसका नतीजा यह हुआ है कि आज गावों में भूमिहीन मजदूरों की संख्या उन लोगों की अपेक्षा अधिक है, जिनके पास जमीन है, और भूमिहीन लोग माल के बहूत से महीनों में देकार रहते हैं।

इन प्रकार जमींदार और शहरी अमीरों द्वारा जमीन हड़प ली गई है और गावों में बेरोजगारी के सन्तानें निकुड़ते जा रहे हैं। पश्चिम में मशीनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के कारण हमारे छोटे-छोटे उद्योगों का ह्रास होता गया है। इनके विध्वंस के बाद जब हमारे देश में अपनी सरकार कायम हो गई, हानि का वान तेजी में चलना रहा। हमारे देश के करघा-उद्योगों को देगी और विदेशी कारखानों के बने उत्पादनों की प्रतियोगिता

का सामना पड़ रहा है। आज तो स्थिति ऐसी है कि हमारे पिछड़े और वर्वादि अर्थतंत्र के पुनर्निर्माण के लिए, यदि सत्तारूढ़ दल अपने विचारों में मौलिक परिवर्तन नहीं करता तो करघा-उद्योग का पुनरुद्धार नहीं हो सकता।

पंचवर्षीय योजना में पूजीवादी उत्पादन पर ज्यादा जोर है। इसलिए जिस सुधार के पास कोई राजनैतिक सत्ता नहीं हो या सरकारी मशीनरी पर नियंत्रण न हो, उसे जमीन की ओर मुड़ना पड़ेगा। यह श्री-विनोबा का श्रेय है कि उन्होंने एक तरीका निकाला है, जिसके जरिये बिना सरकारी या कानूनी कार्यवाही के भूमिहीनों को भूमि मिल सकती है। रजिन्को देखने के लिए आखे हैं, वे स्पष्टतः देख सकते हैं कि देश को किस रास्ते से लिये जा रहे हैं वह। यही भूदान-आन्दोलन की पृष्ठभूमि है। यह भूमि के पुनर्वितरण की दिशा में चलनेवाला आन्दोलन है। यह देश की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और आर्थिक-समता की दिशा में एक कदम है। इसका रास्ता अहिंसा का है। इस प्रकार विनोबाजी गांधीजी के उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। इस प्रकार भूदान-आन्दोलन युग की भावना के साथ है और युग की पुकार है 'समता'।

शासन और सम्पत्ति का अधिकार

पिछली तीन सदियों से पश्चिम राष्ट्रीय-सुदृढता, राजनीतिक-स्वतन्त्रता और जनतंत्र के साथ व्यस्त रहा। छोटे-छोटे राज्य, कभी-कभी शांतिपूर्ण तरीके से, कभी युद्ध के जरिये राष्ट्रीय राज्यों में सूत्रबद्ध हो गये। जहाँ वहाँ विदेशी दबाव था, उसे स्वतन्त्रता-आन्दोलन द्वारा सत्तम किया गया। सम्राटों, राजाओं, राजकुमारों के उत्तराधिकारी शासन को जन-तांत्रिक शासन द्वारा हटाया गया। पूरव के औपनिवेशिक देशों में १९-वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय-स्वतन्त्रता और जनतंत्र का आन्दोलन शुरू हुआ। ऐसे राज्यों में कुछ में यह काम वर्तमान सदी में पूरा हुआ। कुछ राज्यों में अभी यह क्रम जारी है। पिछली सदी के मध्य में मारे मसारा में एक नई माग जोर पकटनी जा रही है। यह माग सामाजिक और आर्थिक समानता की है।

सामाजिक आर्थिक-समानता की मांग फ्रांस की क्रान्ति में शुरू हुई। क्रान्तिकारी लोग सभी सामाजिक और आर्थिक-असमानता को खत्म करना चाहते थे। कम्यूनिस्टों ने पहले ही उन लोगों ने वर्गविहीन समाज का स्वप्न देखा था। फिर भी फ्रांस की क्रान्ति ने राजनैतिक जनतंत्र का काम पूरा किया। सामाजिक और आर्थिक-समानता की स्थापना करने में वह असफल रही। सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट आन्दोलनों द्वारा १९-वीं सदी में आर्थिक और सामाजिक-समानता का प्रश्न उठाया गया। आज दुनिया के सभी देशों के दलित और उत्पीड़ित सदस्यों पुराने अत्याचार और असमानता के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। जिन असमानता को कई सदियों तक स्वाभाविक अव्यक्तता की और विधि के विधान के रूप में माना जाता रहा, आज उन्हें मनुष्यकृत 'लालच' बहाने के खिलाफ कुछ की कमजोर और अमगठित के खिलाफ बलवान और मगठित की लूट-खनोट, शोषण और हिंसा का परिणाम माना जाता है।

श सन और दैवी अधिकार

जनतंत्र के प्रारम्भ के पूर्व बगानुगत शासन को पृथ्वी पर खुदा का नुमाइदा माना जाता था। उसे शासन करने का दैवी अधिकार था। चाहे उम्मा शासन या चरित्र जैसा भी हो, प्रजा उनके नाय प्रेम और गजनीति के बदन में द्रवी होती थी। राजनैतिक जनतंत्र ने इन सभी दैवी अधिकारों को मनुष्यकृत और क्रूर कह कर उनकी भर्त्सना की और राजनैतिक समानता की स्थापना की। किन्तु सामाजिक और आर्थिक समानता के अभाव में राजनैतिक समानता निरर्थक साबित हुई है। इसलिए आज वन सामाजिक, और आर्थिक विषमताओं को खत्म करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सामाजिक आर्थिक-असमानताओं को आज मनुष्यकृत माना जाता है। न तो वे स्वाभाविक हैं और न विधि के विधान ही। वे मनुष्य पर उत्पाद और कठिनाई टापी हैं। इसलिए, यदि नस्ल की सम्यता की प्रगति करनी है तो ऐसी असमानताओं का अन्त करना होगा।

: ४ :

भूदान-यज्ञ क्यों सफल होगा ?

जातीयता

सामाजिक दृष्टि में जाति-प्रथा को, चाहे वह पश्चिम की तरह बदलने वाली हो या भारत की तरह जड़, खत्म करना जरूरी है। आज जनता यह मानने को तैयार नहीं कि जन्म में कुछ को स्यायीतीर पर कुछ मुविद्याए मिले और बहुतों को अमुविद्याए। किसी खास परिवार या जाति में जन्म लेने के कारण ही कोई अच्छा होता है, ऐसा भी आज कोई मानने को तैयार नहीं।

समाज-शास्त्र, जीव-विज्ञान या जाति-विज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं, जिसमें मनुष्य और उसके समाज के बारे में उपर्युक्त मत की पुष्टि हो सके। हिन्दुस्तान के अस्पृश्य आज नहीं सोचते कि यदि कोई सवर्ण हिन्दु उनके हाथ में साध-पदार्थ या पानी स्वीकार कर ले तो वे पाप करेंगे। वे आज सवर्ण हिन्दुओं के साथ अपनी समता की घोषणा कर रहे हैं। नीची जातिवाले ऊंची जातिवाले खास कर ब्राह्मणों के अहंकारपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बदलने को तैयार नहीं। दक्षिण में एक ऐसी जबरदस्त हवा बह रही है कि राजनैतिक और प्रशासन एवं शिक्षा के क्षेत्रों में ब्राह्मणों का एक अभिशाप और गैर-ब्राह्मण होना एक बरदान हो गया है।

आज ऊंची और नीची जातियों में विश्वास को तलवार और धमकाने द्वारा पोसा जाता है। वर्ण धम, जाति, वर्ग, योनि के खयाल के सामाजिक दृष्टि में सभी मनुष्य बराबर हैं और उन्हें बराबर मानना चाहिये। इस बराबरी की स्थापना के लिए सर्वत्र आन्दोलन चल रहे हैं। अफ्रीका या अमेरिका में लोगों, जहाँ भी हो, स्वतन्त्रता और समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूरोपीय या अमेरिकी लोगों की प्रभुता को मानने या उसे बदलने करने को एशियाई तैयार नहीं।

जाति-धर्म में मजदूरी का वाजिब मजदूरी मिटनी चाहिए, जिसका

निर्धारण वे अपने सामूहिक-सीदा द्वारा करेंगे। मजदूर आज यह माग करते हैं कि उनके काम के घंटे सीमित हो। समय-समय पर उन्हें मवैतनिक छुट्टी मिलनी चाहिए। बीमारी, वृद्धावस्था, जल्म के सकटमय दिनों के लिए खाने कपड़े की व्यवस्था रहे। महिला कर्मचारियों के लिए प्रसव के पूर्व और बाद मवैतनिक छुट्टी होना चाहिए।

बदलता हुआ समय

मजदूर मुनाफे में हिस्सा मागते हैं और उद्योग का प्रवध सहयोग-आन्दोलन के जरिये करना चाहते हैं। हर जगह बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण की माग है, जो जोते, जमीन उसीकी हो या समाज की हो या उसका राष्ट्रीयकरण हो, यह ऐसी माग आज की जा रही है। स्त्रियाँ निम्नस्तर में रहने को तैयार नहीं। रामायण के युग में एक आदर्श-वादी राजा अपनी स्त्री को निकाल देने की धमकी देता था, यदि वह अग्नि-परीक्षा में सरी नहीं उतरती। महाभारत में धर्मत्मा राजा युधिष्ठिर पाचो पाडवों की सयुक्त पत्नी को जुए में हार गया। मनु ने बताया है कि स्त्री को अपने पिता या पति के अभिभावकत्व में या इन दोनों की अनुपस्थिति में अपने भाई या बेटे के अभिभावकत्व में रहना चाहिए, और हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है, जहाँ स्त्रियों को देवी समझा जाता था। बिना देवी के कोई देव नहीं था, और न स्त्रियों के बिना हिन्दुओं का कोई प्रमुख उत्सव मनाया जा सकता था। फिर भी अपने पति के प्रति प्रेम और वफादारी स्त्री का सर्वोच्च धर्म है और उनकी मुक्ति इन्हीं जरिये हो सकती थी।

स्वामि-भक्ति की परीक्षा

स्त्री को अपने क्रूर और दुश्चरित्र पति के प्रति भी वफादार रहना पड़ता था। यही उनकी स्वामि-भक्ति थी, परीक्षा का विषय था। और नाज्जुब तो यह है कि ऐसी विपन्न-स्थिति में भी वह अपने मालिक को प्रेम करती थी, जिसे उनके मा-बाप उसपर लाद देते थे, किन्तु वह प्रेम आज अपने मन में चुने गए पति के प्रति किये जानेवाले प्रेम में अधिक था। सदियों तक स्त्रियों को निम्न सामाजिक-स्थिति का बना रहना इसलिए नभव रहा

कि उसे उचित मानने को प्रशिक्षित किया जाता था। उस स्थिति को मानना उसका धर्म था। आज वह सब कुछ बदल गया है, या बदलना जा रहा है। वह परदे में बाहर आ गई है। मर्द की तरह वह शिक्षा की मांग करती है। मन के जरिये उसने राजनैतिक-समता प्राप्त कर ली है और वह आर्थिक और सामाजिक समता एवं स्वतन्त्रता को मांग कर रही है। काम और सेवा के सभी मार्ग उसके लिए खुले होने चाहिए।

बच्चे भी अपने हक को पहचानने लगे हैं। माता-पिता की अब वे मपत्ति नहीं हैं। वे प्रेम और स्वतन्त्रता के वातावरण में ही विकसित हो सकते हैं। उन्हें खेलने-कूदने का काफी मौका मिलना चाहिए।

सभी विद्रोह की राह पर

दुनिया में हर जगह गोपित और पीड़ित—कुली, कारखाने के मजदूर, खेतीहर, मडक बनानेवाले, पत्थर तोड़नेवाले सभी हिंसात्मक या अहिंसात्मक, सक्रिय या अकर्मण्य रूप से विद्रोह कर रहे हैं। वे पुराने मीकचो में जकटे नहीं हैं और अपनी स्थिति के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते। वे आज यह विश्वास नहीं करते कि जिस दर्दनाक स्थिति में वे हैं, उसमें छुटकारा नहीं पा सकते।

आज वे संगठन, सहयोग, विरोध और योजनावद्ध सामाजिक आर्थिक-नवनिर्माण में विश्वास करते हैं। वे न्यायोचित और समतावादी कानून चाहते हैं, जिसमें असमानता खत्म हो और मानव-जाति को स्वस्थ तथा सुख की गारंटी मिल सके। आज सामाजिक, आर्थिक-न्याय की मांग विश्वव्यापी है, क्योंकि राजनैतिक समता को आज समग्र भ्रम में जल्छा और वाञ्छनीय माना जाने लगा है, और अधिनायकवाद का भी सामियों के दावजूद बहुत हद तक सफलता मिली है।

युग-भावना

यह युग की भावना है। यदि युग की मांग की पूर्ति शांतिमय तरीके से नहीं होती, तो हिंसा और लड़ाई के जरिये होगी और वे नयी-नयी युगों को जन्म देगी। जहां तक भू-समस्या का संबंध है, अपने शांतिपूर्ण

और अहिंसात्मक आन्दोलन के जरिये विनोबा इस नमता और निकट नमता को स्थापना की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार हिन्दुस्तान और समार में युग की पुकार के अनुसार वह काम कर रहे हैं। इसलिए उनका आन्दोलन विद्युत् गति से आगे बढ़ रहा है, और उसे मराहनीय सफलता मिल रही है। हिन्दुस्तान में जहाँ पर कुछ कट्टे जमीन के लिए अपने भाइयों के बीच खूनी झगड़े हो जाया करते थे वहाँ आज सैकड़ों एकड़ जमीन बिना किमी यूकम-फजीहत के विनोबाजी को और उनके नाम पर जो लोग जाते हैं, मिल रही है। विनोबा के अलावा जो लोग जमीन माग रहे हैं, उनमें सब-के-सब नृप्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हैं, उनमें से अधिकांश नम्र रचनात्मक कार्यकर्ता हैं।

किमी क्रांतिकारी आन्दोलन के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है कि वह समय और देश को माग का प्रतिनिधित्व करे। आन्दोलन को जनता की भावनाओं के अनुकूल बनाना चाहिए यदि इसे तात्कालिक सफलता प्राप्त करनी है और जनसाधारण के बीच जाना है। व्यक्ति की तरह ही राष्ट्र का एक स्वभाव होता है। यही स्वभाव उसका स्वधर्म निर्धारित करता है। व्यक्ति या राष्ट्र के इस स्वभाव को देवाना नभव है और उसके स्वाभाविक इकाव ने उसे विमुख करना नभव है। किन्तु व्यक्ति और राष्ट्र दोनों की प्रगति और विकास के लिए सबसे अच्छा और सहूल रास्ता यह है कि वह स्वधर्म के अनुसार काम करे।

जनभाषा में

जिन राह ने विनोबा अपने आन्दोलन को गठित कर रहे हैं, वह हमारी जनता की मानसिक दशावस्था के अनुकूल है। वह जनता ने कहते हैं कि सूर्य, हवा और पानी की तरह जमीन भी ईश्वर की है। व्यक्तियों को अपने और अपने परिवार के लिए जितना आवश्यक है, उमने ज्यादा अपने पान नहीं रखना चाहिए। जरूरत ने अधिक जितनी जमीन है, ईश्वर के नाम में दान कर देना चाहिए। यदि वह अपने आन्दोलन को कम्यूनिस्टों के रान्ने पर ले चले तो वह जनता को राय देने है कि मानूहिक हिंसा द्वारा

जमीन छीन लो, जैसा तैलगाना में किया गया, या जबतक तुम्हारे हाथ में राजनैतिक मत्ता न आ जाय, जिसमें कानून बनाकर जमीन का समान रूप में फिर से बटवारा किया जा सकता। किन्तु विनोबाजी ईश्वर के नाम पर जनता में अपील करते हैं। यह ईश्वर हमारा कोई नहीं, वे-जमीन दरिद्रनारायण ही हैं।

हालांकि भारतीय जनता एक धर्म निरपेक्ष राज्य में रहती है, वह धर्म की भाषा समझती है। कांग्रेस सरकार भारत की आत्मा को धर्मनिरपेक्ष नहीं बना सकी, और न मविधान की एक धारा में यह काम होगा।

किन्तु ईश्वर के नाम में प्रभावशाली ढंग में कौन अपील कर सकता है? सिर्फ वही, जिसके जीवन और विश्व में ईश्वर की मौजूदगी कुछ वास्तविक है। यह एक सत्य है, जिसे वह महसूस कर सकता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कल्पना भी की जाय या जिसे ऊपर से पहन लिया जाय।

किन्तु हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं—विनोबाजी आध्यात्मिक दृष्टिकोण में और मैं सामाजिक दृष्टिकोण में। गांधीजी ने हमेशा कहा कि आध्यात्मिक और नैतिकता की दृष्टि में जो अच्छा है, वही अच्छी राजनीति है और अच्छा अर्थशास्त्र भी है। हमारा दृष्टिकोण यदि नेकनीयती में भरा है, तो वह हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने को बाध्य करता है कि जमीन जोननेवाले की हो। यह सिद्धान्त नैतिकता, विवेक, राजनीति और अर्थशास्त्र तथा सामाजिक समता की दृष्टि में सच्चा है। जमींदारी और सामनवाद ऐसी समस्याएँ पैदा करते हैं कि जीवन के उन सभी क्षेत्रों में उनका जनता पर प्रभाव पड़ता है। पर गांधीजी के अनुसार जीवन एक नृचित पूर्णता है। इसे अलग-अलग विभागों में नहीं बाँटा जा सकता।

मध्यस्थित स्वार्थों को हटाना आवश्यक

दृष्टि में, मध्यस्थित व्यक्तियों की मौजूदगी, जो कोई उपयोगी काम नहीं करती, नैतिकता की दृष्टि में अनुचित है, जिसमें वर्गीय वैमनस्य और घृणा की उत्पत्ति होती है। राजनैतिक दृष्टि में जमींदारी-प्रथा गलत

है क्योंकि जैना कि विनोबाजी भी कहते हैं, रह खनी क्रांति के लिए स्थिति पैदा करनी हैं। आर्थिक-दृष्टि ने यह तोषण, विपमता और मजदूरी को गुलामी की ओर ले जाती है। सामाजिक दृष्टि से, यह जनता को वर्गों और जातियों में विभाजित करने के लिए उत्तरदायी है।

उन मध्यस्थित व्यक्तियों की मीजदगी जो कोई उपयोगी काम नहीं करते बृद्धिमानी के विरुद्ध हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि ने भी यह पद्धति खराब है। इनमें जमींदार और किसान दोनों के बीच अवाञ्छनीय उल्लंघन पैदा होती है। नवने पहली बार विनोबाजी जमीन के मवाल को हल कर रहे हैं किन्तु वह इन बातों में अपरिचित नहीं हैं कि उनकी भाषा से नव धन भगवान् का है, और समाजशास्त्र की भाषा में, धन एक सामाजिक-उपज है। नपूर्ण मनाज के सहयोग के बिना कोई धन ही नहीं सकता। किसी निर्जन इलाके में राँविन्स क्रूमो कोई धन पैदा नहीं कर सकता।

निर्णय जमीन का दान प्राप्त करने में ही नहीं, बल्कि दान देनेवालों और दान लेनेवालों तथा सर्वसाधारण के मामलों में विनोबाजी का तरीका जनता की भावनाओं के अनुकूल है। वे नहीं विनोबाजी को समझते और उनकी बात मानते हैं। नव कुछ यज्ञ की भावना में प्रेरित होकर किया जाता है। तब विनोबाजी भूमिहीनों को प्राप्त-भूमि पर पुनर्वासित करने के लिए कहते हैं। वह साधारणतः नगद दान नहीं मांगते। वह बैल, हल आदि मांगते हैं। वह यह भी चाहते हैं कि गरीब किसानों के लिए कुछ खोदे जाय। जो धनी-दानी व्यक्ति ऐसी चीजों का प्रवच नहीं कर सकते उनमें रुपये की मांग की जाती है। विनोबाजी का कोई साधारण मन्त्रानुधि निर्माण करने का उद्देश्य नहीं।

जनता की दानशीलता का उपयोग

यदि गावों में आप नकद रुपये की माग करें तो नहीं मिलेगा। किन्तु, यदि आप गल्ला मागे, तो जितना आप मागते हैं, उममें अधिक मूल्य का गल्ला मिल जायगा। यदि आप मजान के लिए नकद रुपये मागेंगे तो शायद न मिले, किन्तु यदि आप ईंट, मिमेट आदि बनानेवालों से ये चीजे मागे तो मिल जायगी। यदि किसी कपडा पैदा करनेवाले से गरीबों के लिए दो सौ रुपया मागे तो हो सकता है, नहीं मिले, किन्तु उनके लिए थोडा कपडा मागे तो जितना मागेंगे, उममें ज्यादा भी मिल सकता है। रुपये की अपेक्षा चीजे ही मागने का विनोवाजी का विचार मनें देखा। स्वर्गीय श्रीजमनालाल वजाज की पत्नी श्रीमती जानकीदेवी वजाज को मनें देखा कि अमीरी को वह कुआ खोदवा देने या कुआ खोदने के लिए दान देने के लिए आमंत्रित करती रहती है। सामाजिक दान की यह बहुत ही पुरानी पद्धति है। भूतकाल में, हर दानशील राजा-राजकुमार और अमीर आदमी कुआ खोदवाने और रास्ते के किनारे पेड लगवाने की ओर झुकता था। जो लोग माल के आठ महीनों के लिए मूखी और तप्त-भूमि में पानी और छाह की व्यवस्था करते थे, सचमुच में उनकी उपादेयता महान् है। जानकी-देवी का उद्देश्य बहुत मफल हो रहा है। थोडे ही समय में तीन सौ कुओं के लिए उन्होंने रुपये जमा कर लिये हैं। लोग उन्हें बैल या रुपये भी देते हैं। हिन्दुस्तान में गाय और बैल मदा में दान में दिये जाते रहे हैं। यह दान कुछ णमी चीज है, जिसे लोग जानते और ममझते हैं। जनता की भावनाओं और परम्परा के अनुसार काम करने की इस पद्धति के कारण ही भूदान आन्दोलन की सफलता अवश्यम्भावी है।

: ५ :

क्रान्ति की प्रेरणा-शक्ति और भूदान-आन्दोलन

विनोबा की यात्रा

जो रास्ता हमे गांधीजी ने दिखाया, उमी पर उनके शिष्य विनोबा चल रहे हैं। गांधीजी की तरह विनोबा भी यह मानते हैं कि इन्सान केवल गरीर का पुतला नहीं है, उसमे आत्मा भी है। कोई इन्सान इतना पतित नहीं होता, जिसके दिल पर सही अपील का असर न पड़े। कई जमीदारो ने, जो बड़े पत्थर- दिल समझे जाते थे, विनोबा को बड़ी उदारता के साथ अपनी जमीन का दान दिया है। प्रही नहीं, बल्कि विनोबा के साथ वे खुद भी जमीन मागने निकल पड़े हैं। अपनी यात्रा मे विनोबा केवल भूमि के मामले तक ही सीमित नहीं रहते हैं। वे आम जायदाद या संपत्ति की बात करते हैं और कहते हैं कि यह दृष्ट है, जिसे समाज की खातिर एहतियात मे बरतना चाहिए। अपनी प्रार्थना-सभाओ मे वह सत् और अहिंसा का गांधीजी का दर्शनशास्त्र भी समझाते हैं। इसके अलावा देश की नई रचना करने के लिए अपनी व्यावहारिक योजनाए भी पेश करते हैं—जैमे खादी, देहाती घघे, गाव सफाई, खाद बनाना, स्वदेशी, नई तालीम इत्यादि।

विनोबा गांधीजी के सच्चे वारिस

आज हमारे देश मे ऐश-आराम, दिखावट और मत्ता-मोह का वातावरण छाया हुआ है। ऊंचे और बड़े कहे जानेवाले लोग गांधीजी के विचारो को ठुकरा रहे हैं और घूमखोरी और चोरवाजारी जोर-शोर मे चल रही है। इन हवा के अन्दर विनोबा अपने गुरु का चिराग दुबारा जलाकर नादगी, नेवा और बुर्बानी का विचार फैला रहे हैं। लोग जानते हो या न जानते हो, गांधीजी के विचारो या आदर्शों के सच्चे वारिस विनोबा ही हैं। उन्हीके तरीके मे विनोबा काम कर रहे हैं और देश की नई रचना के लिए गांधीजी की योजनाओ को अमल मे उतार रहे हैं।

गुण और बल के आदोलन की प्रगति

यहा अब हमारी निगाह एक दूसरे पहलू पर पडती है, जो हर क्रान्ति में दिखाई देता है, चाहे वह क्रान्ति आध्यात्मिक हो या भीतिक। पैगवर, गुरु, सुधारक या नेता लोग अपना मदेश दे-देकर एक आदोलन शुरू कर देते हैं। फिर अपने औमत और मामूली माथियों के हाथों में गुण और बल पैदा कर देते हैं। नगे विचारों के असर में और गुरु के नाम के बल पर वे लोग ऐसे-ऐसे काम कर डालते हैं, जो मामूली तौर में उनकी अकल, मूझ और ताकत के बाहर होते हैं।

शीतम बुद्ध के चेले न बहुत ऊचे खानदानवाले थे, न बड़े विद्वान् या दिलेर थे। लेकिन उन्होंने हिमालय की चोटिया पार कर डाली और दूर-दूर के समुद्र लाघ दिये। उनमें से बहुत से तो फिर उम देश में वापिस लौटे ही नहीं। मगहर किस्मा है कि जब ईसा ने अपना नया मदेश मुनाया तो उनके वे चेले, जो मछलिया पकडते थे, आदमी पकडनेवाले बन गए। उन्होंने रोगियों को स्वस्थ कर दिया, भूत-प्रेत को निकाल दिया। भूखों को खाना खिलाया और जेब में पैसा या बदल पर फालतू कपडा लिये बिना सारी दुनिया उन्होंने घम डाली। फिर भी उन्हें खाना-कपडा, और मकान की कोई तकलीफ नहीं रही। मुहम्मद ने भी जगल के अजात रहनेवालों के दिल में ऐसी चिन्गारी पैदा कर दी कि इस्लाम के नाम पर या "एकमात्र सच्चे धर्म" के नाम पर ये नीमजगली लोग दुनिया को जीतने निकल पडे।

आर पैगम्वर के मरने के पचीस साल के अन्दर ही उन्होंने रोम में कहीं ज्यादा बटा-चढा साम्राज्य खडा कर दिया। एक नये विचार और जानदार नेतृत्व के प्रभाव में आकर अरब के उन गिच्छे कबीलेवाले लोगों ने बहुत तेजी के साथ जान-बला शामिल कर ली। देगन-देगने वे दुनिया के नाम में ज्यादा बटे-चटे मुत्कों के मानसिक, खलात्मक और साम्प्रतिक-जीवन पर असर डारने लगे। गीते ही समय के भीतर गम्भिरता और सम्प्रति के मामों में वे अपने पटामियों में कहीं जाग बढ गए। उस तरह जान और विज्ञान के दायों में एक नई प्रगति हा गई।

इस्लाम ने जिन देशों पर विजय प्राप्त की वहा नये धर्म के प्रचार के साथ-साथ वहा के लोगो को एक नई और बढी-चढी सभ्यता मे भी साक्षी-दार बनाया। यह सब काम असाधारण योग्यता और शक्तिवाले लोगो न नही किया। इसमे मे ज्यादातर काम ऐसे लोगो ने किया, जिनकी अक्ल और सूझबूझ मामूली थी। फ्रांस मे इन्कलाबी जमाने मे मामूली फ्रेंच लोगो ने बडे-बडे काम कर डाले, और फ्रांस की इस उभरती हुई ताकत का सामना सारा योरोप भी नही कर सका। नेपोलियन की निगरानी मे फ्रेंच-सेना का मामूली सिपाही भी मानो एक वीर-बहादुर बन गया था।

यही चीज हमारी आँखो के सामने रूस और चीन मे हुई है, जहा पर बहुत ही पिछडे लोग आगे आ गए है। जो चीज पश्चिम के देश सदियों मे नही कर सके, वही काम रूस ने तीस वरस मे कर डाला। पिछले तीन या चार वरस मे चीन ने जो कमाल हासिल किया है, उसकी हर निष्पक्ष ने तारीफ की।

यह सब काम चुनिंदा लोगो ने नही किया। यह जरूर है कि उत्साह चद आदमियों से और उनके विचारो मे मिला। लेकिन आम जनता ने इसमें जो हिस्सा लिया, वह बहुत ही बडा है। लेकिन यह आम जनता कौन है? वही लोग, जो सदियों ने मताये जा रहे है और हमेशा से दुखी है। रूस और चीन की यह जनता वही है, जिने न भरपेट भोजन मिलता था, न कोई ज्ञान दिया जाता था, सदा नीची निगाह ने देखी जाती थी और जिसका बुरी तरह पतन हो चुका था। उनके बारे में कहा जाता था कि उसके खून मे ही कुछ ऐसी चीज है, जो उसे उठने मे मजबूर करती है, वरना यह नामुमकिन था कि सदियों ने वह राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जुलम और अन्याय, बिना निर उठाए बर्दाश्त करती रहे। लेकिन इसी चीन ने अपने औद्योगिक और फौजी माधनो द्वारा अमेरिका की महात्त्र शक्ति का काम-यादी मे सामना किया ह और उसके छक्के छुडा दिये है।

गांधीजी के नेतृत्व मे प्राति

लेकिन उदाहरणो के लिए हम हिन्दुस्तान के बाहर क्यों जाय? हमारी

वात पूरेतीर पर उस राष्ट्रीय-क्रान्ति से भी माफ-माफ जाहिर हो जाती है, जो गाधीजी के प्रेरणात्मक और जानदार नेतृत्व में हमारे देश में हुई। जो काम बहादुर और निडर लोग भी पहले नहीं कर सकते थे, वह एक क्रान्तिकारी विचार और मही नेतृत्व की प्रेरणा में हिन्दुस्तान के मामूली मर्द-औरतों ने कर दिखाया। जबतक गाधीजी ने हमारे राष्ट्र को अपनी जानदार अहिंसा का पाठ नहीं पढाया था, तबतक हमारे देश के एक-से-एक बहादुर और बड़े लोग अंग्रेजी राज के जुल्म और अन्यायों पर कानाफूसी करके रह जाते थे।

गाधीजी के बाद विदेशी सरकार के खिलाफ बगावत का प्रचार करना एक राष्ट्रीय-धर्म ही बन गया। जेल जाना, जो बुरा काम समझा जाता था, वह इज्जत और देश-भक्ति का निशान बन गया। जिन लोगों ने शरीर का दुख-दर्द कभी जाना भी न था, वे जेलों में शान के साथ चले गए और उन्होंने खुशी के गाय बिना किसी शिकायत के, जेल-जीवन की मर्गियों को बर्दाश्त किया। राजसी-घराने की नौजवान औरतें, जो भोग-विलास में पली थीं, ऐसी औरतें जिनकी गोद में दूध पीते बच्चे थे और गर्भवती औरतें तक आनन्द में जेल गईं और खूनी-से-खूनी कैदियों के बीच जिन्दगी बिताई।

इसी तरह १९१७ में गाधीजी जब चंपारन गये, तब वहाँ चमत्कार ही हो गया। वहाँ पर गोरों लोग किसानों में नील की खेती जबरदस्ती कराने थे और बीमियों वरम में उनको सजा रहे थे। इन किसानों की पुकार पर जब गाधीजी वहाँ पहुँचे और गोरों के अत्याचार के खिलाफ मत्थाग्रह करने का इरादा जाहिर किया तो मानों दुनिया ही नदल गई। ज्योती गाधीजी ने अधिकांशियों का सामना किया, किसानों के जी-से-जी आ गया और फिर उन्हें न नीच वाले गोरों का डर रहा, न पुलिस का ही कोई डर रहा, जो हमेशा गोरों का साथ देती थी। चंद्र महीनों के अन्दर ही बिना किसी मारकाट के वहाँ की बाज़ा पण्ट गई।

उन मन्त्रों में पता चढ़ता है कि एक नय विचार की ओर उम विचार

को साक्षात् करनेवाली विभूति की प्रेरणा ने मामूली आदमी भी गभीर-ने-गभीर और बुलद-ने-बुलद उचाई तक उठ सकते हैं। आज हमें भले ही इस बात पर ताज्जुब हो कि जो लोग आज केवल सत्ता, पदवी और आराम की ही सोच सकते हैं वे किस तरह थोड़े पैसों पर गुजारा कर लेते थे। जेल-जीवन की मुसीबतें और सरिस्तिया सह लेते थे और लाठी या गोली का सहज नामना कर लेते थे। कारण निर्फ यह है कि जहां उन विचार की प्रेरणा और उसको साक्षात् करनेवाली विभूति की प्रेरणा आखी से ओझल हुई, वहां कल के वीर जो मामूली मिट्टी के ही बने होते हैं, अपनी पुरानी हालत पर आ जाते हैं। यह बात हमारे हाल के इतिहास से साफ-साफ चमकती है।

नेताजी की फौज

कौन नहीं जानता कि नेताजी नुभापचन्द्र बोस ने एक ही रात के अन्दर कैसे बहादुर रहनुमाओं और सिपाहियों की फौज खड़ी कर दी, जो मौत के मैदान में हनतै-खेलते लड़ने चली गई। वे सिपाही बहुत मामूली मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन उन सिपाहियों के दिल में देश का प्यार था और ओठों पर मुनकान। मार आज इन जान पर खेलनेवालों की और अपना सर्वस्व लुटा देनेवालों की हालत पर किसे दुख नहीं होगा? लेकिन इन तरह का उल्ट-फेर कोई असाधारण बात नहीं है। यह जीवन में हमें आना होता है। खतरे के समय अपने बच्चे की हिफाजत के लिए हर मा, चाहे वह कितनी ही कमजोर और डरपोक हो, ऐसी बहादुरी के काम करती है, जिन पर विश्वास भी नहीं होता। लेकिन बहादुरी दिखाने का मौका जब निकल जाता है तब वह फिर अपनी डरपोक और कमजोर हालत पर आ जाती है। इतिहास के अन्दर वीरियों ऐसी मिनाले मिलती हैं, जब एक योग्य नेता योग्य काम के लिए पुकार करता है तो क्या मर्द, क्या औरने खतरे को झेल जाते हैं तक्लीफें दर्दाइन करने हैं, गोलियों का सामना करने हैं या फासी के तगने पर भी चट जाते हैं।

प्रेरणा की ऊचाई के बाद

ऐसे आदमी तो थोड़े ही हो सकते हैं, जिनकी रग-रग में और प्रकृति में बहादुरी कूट-कूट कर भरी हो। मामूली आदमी तो बुल्द ऊचाइयों तक तभी उठता है, जब कोई भारी मीना या विभूति उसके लिए उममे माग करती है। जहा इस प्रयास और बहादुरी के लिए प्रेरणा खत्म हुई, वहा वह अपने माधारण और औमत इन्सानवाले पुराने या कुदरती दर्जे पर आ जाते हैं। कभी-कभी तो वह पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा गिरे हुए और नीरस भी मालूम पड़ते हैं। एक विचार या एक हस्ती की जोरदार लहर में आकर जो बहादुरी का काम वे किये रहते हैं, उसमें और उनकी मामूली जिन्दगी में जमीन-आस्मान का फर्क रहता है।

भूदान की प्रेरणा

विनोबा के आन्दोलन में इस तरह की बहादुरी दिखा कर मीत का मामना करने या ल्ठी खाने या जेल जाने की कोई बात नहीं है। इसमें तो रोजाना के काम और कोशिश की अथक बहादुरी की जरूरत है। लेकिन यह काम कौन कर रहे हैं ? वे लोग, जो बहुत मामूली हैं और जिनका कोई नाम भी नहीं जानता। विनोबा की पुकार पर वे जाते हैं और नये विचार की प्रेरणा से कमाल के नतीजे हासिल करते हैं। मैंने नवजवान लड़के-लड़कियों को गाव-गाव, खेत-खेत घूमते हुए देखा है, जो जमीन मागते हैं और दिन भर में १०-२० या ३० एकड़ जमीन जमा कर लाते हैं। जगर दिन भर में वह दस एकड़ भी लाये, तब भी उमका दाम एक हजार रुपये में कम नहीं होगा।

ये नवजवान ऐसा काम कैसे कर डालते हैं ? जरूर ही इनकी प्रेरणा मिल रही है एक क्रान्तिकारी आंदोलन में, जिसके पीछे जोरदार नेतृत्व है, जिसमें बुद्धि की गहराई के साथ मूझ-बूझ है और जो माजूदा जमाने की चभती हुई माग को पूरा कर रहा है।

उत्तर-प्रदेश में एक जमींदार कजुमी और जुल्म के लिए बदनाम था। उसमें थोड़े भी जमीन मागने की हिम्मत नहीं करता था। जब एक बीस

बरस की लड़की ने यह मुना तो उनमें उसके पास जाने की ठानी। अपनी मीठी बोली में उनमें इस मन्त्रीचूम जमींदार में तो जमीन ले ही ली, उसको इन बात पर भी राजी कर लिया कि वह उनके नाथ जाकर दमरो में भी जमीन दिलायेगा।

विनोबा की पढ़ा लेकर ये मामूली कार्यकर्ता जमींदारों के पाम जाते हैं। उनको अपने दिल में यकीन है कि अगर मही काम के लिए और सही तरीकों में किन्नी के पाम जाया जाया तो वह इनाफ और पडोस-प्रेम की भाग के जागे क्यों नहीं झुकेगा? इन मामूली कार्यकर्ताओं का रोज का जो अनुभव है, उनमें इतनी न्दभाव की इन प्रकृति में यकीन ज्यादा बढता ही जाता है।

हाल ही में मेरठ में गांधी आश्रम के कार्यकर्ताओं की और भूदान से हमदर्दी रखनेवाले लोगों की एक सभा हुई। जब यह सवाल पूछा गया कि आठ-चार साल तक कौन-कौन लोग भूदान में पूरा समय देने को राजी हैं तब इतने ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया, जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। दो नौ आदमियों की सभा में कम-से-कम बीस आदमियों ने नाम दिये— ऐसी हालत में जब कि चारों तरफ निराशा और कड़वाहट फैली हुई है और नार्बजनिक् काम या नार्बजनिक् लोगों पर श्रद्धा जमती ही नहीं है। ये नाम जिन सभा में दिये गए उनमें विनोबा मौजूद भी नहीं थे। इन सभा का कोई प्रचार भी नहीं किया गया था एक बहुत मामूली सभा थी।

खालियर का अनुभव

घोड़े दिन की बात है अपनी पार्टी के काम में मैं खालियर गया हुआ था। मैंने देखा कि क्या महज मानने में ही जमीन मिल जाती है? प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं में मैं दानवीन कर रहा था। हम गौ एल छोटे में कनरे में जना थे, जिनमें मुस्लिम ने तीन आदमी आ सकने थे। मैंने उनमें खनात्मक काम की चर्चा की और फिर घोड़े में ही, दस मिनट में सम्झाया कि भूदान आंदोलन क्या है। इसके बाद मैं जट में बह बह बैठा कि आपने में जिनके पाम जमीन हो, दे ली और यही पर कुछ जमीन देकर

भूदान आंदोलन क्यों न शुरू कर दें ? मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जमीन मिलेगी। लेकिन मैं यह देखकर दंग रह गया कि उस छोटी-सी बैठक में ५५० बीघे जमीन के दान के वचन मिले और शाम को जब मैं ग्वालियर में चलने लगा तो ६०० का वचन पूरा हो चुका था। इसमें मेरा उत्साह बढ़ा और मैंने लोगों से कहा कि एक कमेटी बना लीजिए, जो यहाँ इस काम को सभाल ले।

: ६ :

क्रान्ति और क्रान्तिकारी

क्रान्तिकारी आन्दोलन की खूबी

क्रान्तिकारी आंदोलन की एक खूबी यह भी होती है कि उसका नेतृत्व किम तरह की तेजी या गिद्दत में आगे बढ़ता है। उसका यह विचार जादू की तरह काम करता है कि अगर फौरन या अमुक मुद्दत के अन्दर यह काम या यह मुद्धार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होने वाला है, और इसका नतीजा अपने राष्ट्र के लिए ही नहीं, बल्कि सारे मानव-समाज के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। इस विचार को सूई का फावड़ा भले ही बना दिया जाय, लेकिन आंदोलन के नेताओं को यह दरअमल महसूस होना चाहिए कि गेमी बात मच्छी है। कौन नहीं जानता कि पतन होने पर भी सदियों तक देश किसी तरह जिंदा रहते हैं और न दुनिया अचानक खतम होनेवाली है, और न वह स्वर्ग ही हाथ लगनेवाला है, जिसके लिए हम जी-जान में काम करते हैं। लेकिन अगर वह मचमुच सफलता चाहता है तो पैगवर हो या मुद्धारक या क्रान्तिकारी, उसको रह-रह कर यह महसूस होना चाहिए कि अगर निश्चित बाल के अंदर मेरा काम पूरा नहीं होता है तो नवाही मच जायगी। प्रायः गेमा देखने में आता है कि बताये हुए समय के अंदर काम पूरा नहीं होता। लेकिन क्रान्तिकारी के ऊपर इसका असर उद्द पर सफ़ेदी जैसा भी नहीं होता। हार मानने के बजाय वह नया कार्य-क्रम बनाना और नया जोर रगाना है। लेकिन हार वह कभी नहीं कबूल

करेगा। उसे महसूस होता है कि मेरी उम्मीदें गलत नहीं थी, बल्कि मेरे ही अंदर कोई दोष था या मेरे साधनों में कुछ गड़बड़ थी या कुछ अनदेखी चीजें और कारण बीच में आ गए। कम्यूनिज्म या साम्यवाद, उसके अधिष्ठाता मार्क्स की जिदगी में कही भी कायम न हो सका। और न उस तरीके से हुआ, जैसा उसने बताया था और न उन देशों में हुआ, जहां वह चाहता था। बल्कि एक बड़े लंबे अरसेके बाद एक पिछड़े हुए देशमें कम्यूनिज्म आया, जिसकी वास्तुतः किसी को ध्यान भी नहीं था। लेकिन इतने पर भी शिकार हो लेनिन यह कहने से कभी वाज नहीं आया कि जर्मनी भी जल्दी ही इसका जायगा। जब यह नहीं ही हो सका, तब यह वजह बताई गई कि कुछ विशेष कारणों से आरजीतौर पर रुकावट आ गई है। वहां नाजीवाद कायम हो गया। लेकिन बताया यही गया कि यह चद-रोजा है और पूजीवाद का आखिरी चिराग है। यह भी कहा गया कि वस जहां एक जोर और लगा कि विश्व-क्रान्ति हुई। बुखार के जैसी वह तेजी होती है, जिसके अंदर कोई क्रान्तिकारी रहता या काम करता है।

गांधीजी के स्वराज्य-आन्दोलन

सन् १९२१ में गांधीजी ने एक साल में स्वराज्य की बात कही। वह बोले कि एक साल के अंदर एक करोड़ रुपया जमा होना चाहिए, एक ही माल के अंदर खादी और दूसरे रचनात्मक काम चल जाने चाहिए और फिर देखते-देखते अंग्रेजी राज उसी तरह गायब हो जायगा, जैसे मुरज निकलने पर ओस गायब हो जाती है। मारा विचार अव्यावहारिक और बेतुषा था। लेकिन गांधीजी दिल से इनमें विश्वास करते थे और इनके लिए जुट गए थे। यही नहीं, उनका यह विश्वास छूट की तरह फैल गया था। उन्नी तरह बहूनों ने नोचा कि एक ही माल की तो बात है। इन उम्मीदों में बहूनों ने बहून् कुछ त्याग दिया। स्पष्ट था कि एक माल में कुछ होनेवाला नहीं था, लेकिन फिर वह पैगवर या क्रान्तिकारी कैसा, जिसको यह श्रद्धा न हो कि इमान के अंदर असंभव काम करने की सभावना भरी पड़ी है ?

उस एक साल के अन्दर स्वराज्य तो नहीं ही आया। आदोलन छितर गया। एक तरह की मायूसी फैली और थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया भी हुई। लेकिन गांधीजी टस-से-मस न हुए और अपना काम करते रहे। उन्होंने मोचा कि मुझे अपनेको और भी ज्यादा शुद्ध बनाना चाहिए और मुल्क को ज्यादा बेहतर तौर पर तैयार करना चाहिए। जब सन् ३० आया तब उन्होंने मोचा कि साम्राज्यवादो के खिलाफ सीट लेने के लिए मुनासिब मौका आ गया है और लोग भी तैयार हैं। इसलिए उन्होंने नमक-मत्याग्रह छेड दिया। इस मर्तबा भी ऐसा लगा कि या तो अब अग्रेज गया या फिर कमी नहीं जायगा। उन्होंने ऐलान किया कि अगर नमक-मत्याग्रह में देश को स्वराज्य नहीं मिलता है, तो मैं सावरमती आश्रम नहीं लौटूंगा। स्वराज्य मिलने पर ही वहा जाऊंगा। गरमी या नरमी के साथ आदोलन चार वरम चला और सन् ३४ में पूरी तरह उठा दिया गया। स्वराज्य-प्राप्ति में अमफल होने के कारण सावरमती आश्रम न लौटने की प्रतिज्ञा तो उन्होंने निभाई, लेकिन उनके माथे पर कोई शिकन नहीं आई। वह और भी ज्यादा तैयारी करने में और विदेशी साम्राज्यवादी सरकार से नई टक्कर लेने के लिए पिल पडे। सन् ४२ में विश्वव्यापी युद्ध के दौरान में यह मौका आया। उन्होंने "भारत छोड़ो" आदोलन का श्रीगणेश किया और 'करो या मरो' का नारा उगाया। हिमा या अहिमा में जितना ज्यादा किया जा सकता था, उतना बहुत में लोगो ने किया और बहुत में मरे भी। लेकिन बहुत से ऐसे थे, जो न कुछ कर सके, न मर सके। हम लोग जब जेलखानो से १९४५ में छूटे, तो स्वराज्य-प्राप्ति की नई स्कीमो पर विचार करने लगे। राष्ट्र के नेता जब भी जमा होने थे, महात्माजी कहा करते थे कि अग्रेजी साम्राज्य में टक्कर लेने की मेरी एक दृच्छा और है। इसकी जरूरत नहीं पडी। लेकिन कहने का मगा यह है कि अपना तुरत का मक़मद पाने में हर आदोलन अमफल होता था, लेकिन देश को मजबूत बनाने में और पूर्ण-स्वराज्य के लक्ष्य तक के निदर्रो की पक्का करने में सफल होता था।

एकतरफा क्रान्ति और धर्म

इस तरह हम देखते हैं कि किसी भी सामाजिक क्रान्ति में जो काम किया जाता है, उनके पीछे बहुत तेजी, ध्वराहट या बेचैनी और भयानक एकतरफा जड़ोजहद या भगदड़ रहती है। ये खूबियाँ एक सामाजिक क्रान्ति-की ही नहीं, एक व्यक्तिगत जीवन में होनेवाली क्रान्ति की भी खूबियाँ हैं। किसी भी इंसान का धार्मिक या नैतिक कायापलट इसी तरह हुआ करता है। वह यह महसूस करता है कि अगर उसने अपनी मुक्ति के लिए तेजी में कदम न बढ़ाये तो हमेशा के लिए उसका काम तमाम हो जायगा। इसलिए उसे ध्वराहट रहती है और वह बहुत बेचैनी के साथ काम करता है। बड़े-बड़े मतो, नाघुओं और महात्माओं या सुधरी हुई आत्माओं के जीवन में हमें ये बातें मिलती हैं। वे अपने मकसद को पूरा करने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं—मा-बाप, बाल-बच्चे, धन-दौलत, पद और मान—तथा एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। यही कारण है कि दुख के नाग का रास्ता डूटने के लिए गौतम बुद्ध ने अपनी स्त्री, बच्चे और सारे राजपाट को छोड़ दिया। यही कारण है कि ईसा मसीह ने कहा, “कौन मेरा बाप ? कौन मेरी मा ?” वह तो सिर्फ एक ही पिता को पहचानता था। वह केवल परम-पिता परमेश्वर को जानता था, जिसके काम के लिए वह मर चुका था। उनमें अपने चेलों ने साफ-साफ कह दिया, “सब कुछ छोड़ कर मेरे साथ आ जाओ।” उसने उनमें यह भी कहा “मुर्दों की बात मुर्दें जानें।” हिंदु लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, फिर जब भी कोई आदमी अपना जीवन बदलता है और मोक्ष पाने का वातावरण पहनता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि इनकी आत्मा ने दूसरा जन्म ले लिया। वह बहुत ही फिकर और तेजी में काम करता है। मानो जो मौका उसे अपने जीवन में मिला है, वह फिर नहीं मिलनेवाला है। श्रीरामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि एक भक्ता भक्त उसी तरह ध्यानावस्थित और अधीर होता है, जैसे कि एक चोर। चोर यह देखूँगी नमस्सता है कि उनके और मोने-चादी के ढेर के बीच में एक कम पतली-सी दीवार है, जिसे जल्दी-से-जल्दी पार कर लेना चाहिए।

उमे ढेर पर हाथ माफ करने के उपाय ढूढने के अलावा और कुछ सूझती ही नहीं है। हा, यह जरूर है कि इस तरह के व्यवहार से मामूली आदमी के अदर दुष्टता और अमहनशीलता पैदा हो जाती है। शायद यही कारण है कि क्रान्तिकारी दल और पार्टिया अपने मकसद के फेर में दुष्ट बन जाती हैं। लेकिन धार्मिक-क्षेत्र में कोई व्यक्ति इतनी दुष्टता पर नहीं उतर सकता, क्योंकि वह भौतिक रूप में उस व्यक्ति तक ही सीमित रहेगी। साथ-ही-साथ यह दुष्टता ठंडी पडती जाती है, क्योंकि आदमी के निजी जीवन के नैतिक उमूल—जैसे प्रेम, भाईचारा, महनशीलता और अहिंसा—उनकी हाररत को ज्यादा नहीं बढ़ने देते। लेकिन किमी क्रान्तिकारी राजनैतिक दल की दुष्टता इस तरह की नहीं होती। अक्सर इसका नतीजा यह होता है कि लोग दबाये जाने हैं, उन्हें मताया जाता है और आतक का साम्राज्य जमा दिया जाता है। अक्सर यह भी देखने में आया है कि धार्मिक पुरुषों और दलों ने जब समाज और राजनीति को बदलने व ढालने की कोशिश की तो बहुत बुरी तरह में लोगों को दवाना और मताना शुरू कर दिया। बहुत से ईसाई दलों ने विर्मीन-किमी समय अपने में विरोध रखनेवालों के खिलाफ, बहुत आतकभरी कार्रवाइया की हैं। और यह कह-कह कर कि इसमें विरोधी की आत्माओं का उत्थान होगा। (Inquisition) “इक्वीजीशन” नाम की भयानक मर्यादा का नाम कौन नहीं जानता? इसके अलावा योरोप में (Calvinistic) ‘कैल्विनिस्टिक’ ढग में भी अत्याचार और अत्याय होते थे। मुस्लिम पक्षों ने अपने धार्मिक विचारों के अनुसार दुनिया के मुबारक भा बोजा तां उठाया, लेकिन उनको भी अत्याचार करने पडे। उन्ही तरह में ढूढने धार्मिक दलवालों ने भी आम जनता को मोक्ष के रास्ते पर लगाने के बजाय राजनैतिक जमरदारी शुरू कर दी, जिसके मिलमिले में विरोधियों के खिलाफ एक-मे-एक भयानक जुत्म और ज्यादती की गई। उन्ही इस गारीती के अहिंसा धर्म की याद आ जाती है, जो कि एक जबर्दस्त भाव-रचना है। उसके कारण उन्नावेगन ना जोश बहुत कुछ यम जाता है, ज जम-मे-जम उसके निन्दित रूप ना दब ही जाते हैं।

क्रान्तिकारी की भ्रष्टा

हम कहाने-कहा पहुच गये । लेकिन हमारे कहने का मन्शा मिर्फ यह है कि क्रान्तिकारी को चाहे पूरी या अधूरी कामयाबी मिले या न मिले, उने हमेशा यकीन यही रहना है कि वन अगले मोड पर अपनी मजिल पर आ जाऊगा । चाहे निरिचित नमय के अन्दर उने कामयाबी मिले या न मिले, इनने कोई फर्क नहीं पडता । क्रान्तिकारी का हौग और जोग हमेशा बना रहता है । न कभी उनकी उम्मीद छूटती है और न कभी उनकी श्रद्धा मे कमी आती है । वैज्ञानिक रूप मे देखे तो उनके अन्दर दो विरोधी धाराए नानु काम करती रहती है । एक तरफ तो उने बहुत जल्दी होती है, वह न आव देखता है न ताव और कन-ने-कन नमय मे अपनी मजिल पर पहुचने के लिए बेचैन रहता है । दूसरी तरफ उसमे अयाह नव और मतोज होता है । जिमी चीज ने उन्का उल्हाह कनजोर नहीं पडता, जिमी चीज से उने निराशा नहीं होती । कोई अमफलता उने अपने रास्ते मे डिगा नहीं मक्ती । वह लगातार कोगिन ही करता रहता है और हर नर्तना पहले मे ज्यादा जोर-जोर करता है और हमेशा यही मान होता है या तो यह चीज अभी होगी या फिर कभी नहीं होगी ।

विनोदा का विश्वास

चारों तरफ गाव-पुनर्रचना, खादी और ग्रामोद्योग आदि के फूलने-फलने का पूरा कार्यक्रम उन्होंने बना लिया है। यही नहीं, बल्कि वह यहाँ तक कहते हैं कि अगर उनके इस तरीके से भूमि का सवाल हल नहीं होता है तो सूनी क्रान्ति होकर रहेगी, जिसमें हर हालत में वचना ही चाहिए। राष्ट्र के पास समय बहुत थोड़ा है, जल्दी-से-जल्दी उसे उनकी यह योजना पूरी करनी चाहिए। विनोबा ने एक समय-पत्रक भी दे दिया है। उनका कहना है कि अगले तीन साल के अंदर पांच करोड़ एकड़ जमीन उन्हें मिलनी चाहिए। वर्षा और देश के दूसरे हिस्सों में कार्यकर्त्ता आकर उनके साथ जुट पड़े हैं। हर एक के लिए उनके पास काम है। किमी को भी खाली बैठने की जरूरत नहीं। विनोबा तो कार्यकर्त्ताओं की एक फौज-की-फौज खड़ी करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि देश के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसलिए वह हर कार्यकर्त्ता की मदद चाहते हैं। वह कहते हैं कि पहला काम पहले होना चाहिए और आगामी तीन-चार साल तक भूदान ही पहला और सब में खाम काम है।

क्या श्रीविनोबा अपने बताये समय के अन्दर सफल हो सकेंगे? क्या भूदान-आंदोलन हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सवालों को हल कर देगा या हल करने में मदद दे देगा, कौन जानता है? ऐसी अनहोनी और आतिवारी बातों का अन्दाज करने में इतिहास की पुरानी भिन्नताएँ और पिछले अनुभव ज्यादा कारगर नहीं होते। हर क्रान्तिकारी आंदोलन इतिहास में अनोखा ही होता है। तिस पर भी क्रान्तियों का एक गणित है। वह गणित बताता है कि अगर कोई चीज समय की ऐतिहासिक मांग के अनुकूल हो और उसके पीछे जोरदार नेतृत्व हो, तब वह असभव होने हुए भी संभव हो जाती है। कौन कह सकता था कि एक अमगठित झुंड पैगिन् के वैस्टाट्ट नाम के किले को अठारहवीं सदी में उठा देगा? कौन कह सकता था कि भगोडे कम्युनिस्ट आतिवारी रूस में वापिस पहुँच कर सन् १९१८ में एक नया जमाना ला देंगे? उनकी कितनी तक में यह नहीं सिद्ध हुआ था।

क्रांति की सफलता से कभी सतोष नहीं होता

जहा यह बात सही है, वहा यह भी सही है कि असभव लगनेवाली चीज को पाने की कोशिश इतिहास में अक्सर बेकार साबित हुई है। या कम-से-कम बिरली ही उस समय के अंदर पूरी हुई है, जो उनके नेता या नेताओं ने तय की हो। मेरा खयाल है अगर निश्चित अवधि के अंदर विनोबा के हाथ पांच करोड़ एकड़ जमीन नहीं लगी तो गांधीजी की तरह वह अपने को दोष देगे और कहेंगे कि भूमिदानों या जमींदारों के प्रति उनके अपन दिल में इतना प्रेम नहीं था कि वह उनसे जमीन छुड़ा लेते। वह कहेंगे कि इस काम के लायक मेरी तपस्या काफी नहीं थी। जैसा मैंने उन्हें समझा है और जहा तक मैं उन्हें जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि वह अपने कार्यकर्त्ताओं को या भाग्य को या घटनाचक्र को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। वह दार-दार अपनी मजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और जब मजिल पर पहुंच जायेंगे तब क्या उन्हें सतोष हो जायगा? कौन कह सकता है? चाहे वह कितनी ही अच्छी तरह क्यों न चलाई जाय और कितनी ही ज्यादा सफलता उन्हें क्यों न मिले, सुधार की क्रांतिकारी योजनाएं कभी भी नोल्ह आना पूरी नहीं होती। मोची हुई चीज में और असली चीज में, विचार और अमल में हमेशा एक खाई-नी रहती है। अक्सर ऐसा हुआ है कि पैगवर, सुधारक और क्रांतिकारी, सफलता होने पर भी अपनी कोशिश के नतीजे पर दग रह गए हैं। तब क्या उम्मीद करें कि एक वक्त वह आयगा, जबकि खुदाई हूकूमत या रामराज्य इन धरती पर कायम हो जायगा? कौन जाने? लेकिन अब तक की हालत देखने पर ऐसा लाता है कि हमारी यह पृथ्वी एक कमजोर और चली हुई नाव की तरह है। एक छेद की मरम्मत हुई नहीं कि दूसरा पैदा हो जाता है। और ऐसी जगह होता है कि जहा पर पहले जरा-सा भी शक या नदेह नहीं हो सकता था। कौन जाने कि यह दुनिया, जैसा कि हिन्दू साधु कहा करते हैं, इसी तरह रहेगी, भगवान् की लीला नये नये रंग लायगी और ये नाटक हमेशा कायम रहेगा? नये-नये खिलाड़ी अपना खेल दिखायेंगे। और यह अगुड तमाशा चलता रहेगा।

: ७ :

सर्वांगीण और विशिष्ट क्रान्तियां

दो प्रकार के आंदोलन

अब क्रान्ति के माध्यम के नाने भूदान-आंदोलन पर कुछ गहराई के साथ—जरा ज्यादा गहराई के साथ विचार करेंगे। इतिहास में क्रान्तिकारी आंदोलन दो तरह के हुए हैं। एक का खुलेआम मकसद यह होता है कि सारा-का-सारा सामाजिक ढांचा बदल दिया जाय। इसके अंदर यह कोशिश की जाती है कि समाज की सारी व्यक्तिगत और सामाजिक सरगर्मियों पर अंकुश रखा जाय, बुनियादी-मान बदल दिये जाय और सम्यता का एक नया स्वरूप खड़ा हो। दूसरी तरह की जो क्रान्ति होती है, उसकी युगआत जीवन की केवल एक, मगर महत्त्वपूर्ण सरगर्मी में होती है और वह आखिर में पूर्ण क्रान्ति लाकर एक नये तरह का सामाजिक ढांचा खड़ा कर देती है। इतिहास में ज्यादातर क्रान्तियां दूसरे मेल की हुई हैं। जीवन के किसी एक विशेष क्षेत्र में उन्होंने मूल्यों को बदला और इस तरह शुरू होकर धीरे-धीरे जीवन के पूरे माचे पर अपना असर जमा लिया। दुनिया में भिन्न-भिन्न घमों के जा प्रयोग हुए हैं, उनकी काम गरज व्यक्तिगत जीवन के उसी पहल में थी, जिसे आध्यात्मिक कहने हैं। लेकिन यह आध्यात्मिक प्रेरणा अगर नचमुच क्रान्तिकारी हुई तो आगिन में चलकर पूरे जीवन पर असर डालती थी। इस तरह एक नये ढंग का समाज तैयार हो जाता था, जो पुराने समाज में बहुत-सी बुनियादी बातों में भिन्न तरह का होता था।

सिमांत के दिन, इतिहास के शुरू के जमाने में, दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग कबीले या गिरोह बना कर रहने थे। उनके कई कारण थे। दिन ताह-नरह ने ये झुट मिठ-मिठ कर बड़ी-बड़ी टक्काटियों का रूप लेने लगे। पूरब में इस आंदोलन का नतीजा यह हुआ कि बड़े-बड़े सामन्य और सामान्य बड़े हो गए। युनान के अन्दर इसी चेतना ने नगर-राज्य (सिटी-

स्टेट) खड़े कर दिये । इन दो तरह के मिलन से दो जुदा-जुदा तरह की सम्यता और मस्कृति पैदा हुई । दोनों में एकता की चाह थी । इसके पीछे विचार भी एक था और वह यह कि बाहरी शत्रुओं से कैसे हिफाजत की जाय ? लेकिन यह चाह एक क्रान्तिकारी चीज थी और समय बीतन पर इसने दो भिन्न-भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया,—पूरब में शासन या साम्राज्य को और यूनान में नगर-राज्यों को । दोनों के अन्दर जो नया नमाज बना उसने पिछली मान्यताओं को बदल दिया और सम्यता के दो नमूने पेन किये, जो पुराने नमूनों में अलग थे और जिनमें आपस में भी कोई मेल नहीं था ।

धार्मिक क्रान्तिया और समाज

पंगवरो ने धार्मिक आंदोलन चलाये, उनका मकसद था व्यक्ति की आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करना । लेकिन धीरे-धीरे उनका असर समाज के नारे जीवन पर पडा और बड़े-बड़े मामलों में, व्यक्तिगत ही या सामाजिक, उनके कारण तब्दीली पैदा हुई । गौतम बुद्ध का मकसद था लोगों को व्यक्तिगत तौर पर निर्वाण या मोक्ष की राह बताना । लेकिन यह एक क्रान्तिकारी चीज थी, इसका असर आखिर में चलकर जीवन के बहून में पहलुओं पर पडा । बुद्ध के आध्यात्मिक प्रभाव का नतीजा यहा तक हुआ कि नये मान मानने आये और नये सामाजिक वर्ग, नया दर्शन शान्ध, नया साहित्य नई कला और नई राजनैतिक व्यवस्थाओं में जन्म लिया । यहा तक कि आर्थिक-जीवन पर भी असर पडा । इममें बुनियादी तब्दीली तो जरूर नहीं आई, लेकिन वह पहले में ज्यादा सुगठित और व्यापक बन गया ।

दुद की तरह ईसा और मुहम्मद की असली गरज व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में थी । लेकिन जो आध्यात्मिक प्रेरणा उन्होंने पैदा की, उसकी छाप नमूर्ण जीवन पर पडी और लोगों ने नई रचना को स्वीकार किया । इन दोनों महापुरुषों के उपदेशों के कारण सम्यता के दो नये नाचे खड़े हो गए ईसाई और ईस्लामी । यद्यपि प्रारम्भिक प्रेरणा एक ही मानवी-

आकाक्षा, आध्यात्मिक आकाक्षा में पैदा हुई, लेकिन इसका असर मारे जीवन पर और मारी-की-मारी मान्यताओं पर, व्यक्तिगत हो या सामाजिक, पड़ा। नये धर्मों के प्रवाह में नये राज्य और नये साम्राज्य खड़े हो गए। नये दर्शन, नये साहित्य और नये कलारूपक उभर आए। वे पुराने नमूनों में उतने ही भिन्न थे, जितना वे आपस में भिन्न थे। इन तमाम आध्यात्मिक क्रान्तियों में, यद्यपि आर्थिक-जीवन में पहले में ज्यादा गंठाव और व्यापकता आ गई, लेकिन इसका बुनियादी ढांचा ज्यों-का-त्यों बना रहा।

आजकल के जमाने में हमारे सामने एक ऐसा आंदोलन आया, जो आर्थिक कारणों में ही मुख्यतया पैदा हुआ। औद्योगिक क्रान्ति का विशेष कारण यही था कि व्यक्तियों और वर्गों के व्यापारिक और औद्योगिक स्वार्थों को विज्ञान के आविष्कारों, नये देश और नये समुद्री मार्गों की खोजों में भारी बढ़ावा मिल गया था। लेकिन इस क्रान्ति ने आखिर में समूचे जीवन पर असर डाला, पश्चिम के देशों में व्यक्तियों और समाजों के दृष्टिकोण में तब्दीली पैदा कर दी और जिसे हम पूंजीवादी आधुनिक सभ्यता कहते हैं, उसे जन्म दिया।

इस्लामी क्रान्ति

जैसा हमने शुरू में कहा था, क्रान्तियों का दूसरा नमूना भी होता है। इसमें जीवन के एक विशेष पहलू या क्षेत्र पर जोर न डालकर जीवन के सम्पूर्ण दृष्टिकोण को, व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक, निगाह में रख कर पूरी तौर में कुछ-की-कुछ चीजों को एक ही तार में बदलने की कोशिश की जाती है। इस्लाम ने पिछले जमाने में इस तरह की एक व्यापक-क्रान्ति की। इसमें यह कोशिश नहीं की कि व्यक्ति के केवल आध्यात्मिक जीवन को बदला जाय, बल्कि उसने खानगी और सामाजिक कुल जीवन को बदल दिया। कृणत में जीवन के हर पहलू में सब कुछ रखनेवाले सबालों के लिए सायदे और खानत बनाए गए हैं। बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म की तरह उसने यह रूप धारण नहीं किया, बल्कि पैगंबर के सामने शुरू में ही जीवन की एक परिपूर्ण बनना थी। कृणत में उन्होंने उसे पैदा किया। उनके उपदेशों के अनु-

सार इस्लाम ने यह व्यापक क्रान्ति करने की कोशिश की। कुरान के वारे में कहा गया कि यह आखिरी किताब है, हमेशा के लिए सच्ची है और आग जो भी उतार-चढ़ाव या सवाल पैदा होगे, उनके जवाब में कायदे और उसूल मौजूद हैं। फ्रेच क्रान्ति की कल्पना भी—उसके विधाता राकीस पीर, सेंट जस्ट आदि ने—इसी तरह के व्यापक शब्दों में की थी। इसकी भी कोशिश यही थी कि पुराने सारे मान और रूप बदल जाय। कुछ अरसे के लिए वे बदले भी। लेकिन आखिर में हुआ यह कि एक परिपूर्ण और व्यापक क्रान्ति न हो पाई, बल्कि केवल एकांगी क्रान्ति हुई, जिसने फ्रांस में पूजीवादी और केन्द्रित लोकतंत्र की स्थापना की।

रूस की सर्वांगीण क्रान्ति

हाल की रूसी क्रान्ति ज्यादा संपूर्ण और व्यापक रही। यह हर चीज को, चाहे वह कौन्सी ही प्राकृतिक या छोटी-सी हो केवल एक ही दृष्टि में देखती है। वह यह कि इन चीजों से कम्यूनिज्म को—और वैसे ही कम्यूनिज्म, जिसकी कल्पना इसकी बोल्शेविक पार्टी ने की थी—मदद मिलेगी या उसमें रुकावट डालेगी। चाहे गिरजा का सवाल हो, चाहे राज्य का, चाहे परिवार का आर्थिक या सामाजिक संगठन का, इतिहास या साहित्य का, कला या विज्ञान का—हर मवाल को कम्यूनिस्ट दर्शनशास्त्र और व्यवहार के एकमात्र सर्वव्यापी दृष्टिकोण में देखा जाता है। लक्ष्य यही है कि दुनिया को सोलह आने बदल दिया जाय और एक नये प्रकार के मनुष्य और नमाज, सन्धता और नस्क्रुति को जन्म दिया जाय।

धार्मिक-क्रान्तियों को दूसरी क्रान्तियों की अपेक्षा ज्यादा व्यापक माना गया है। लेकिन बुद्ध और ईसा सामाजिक और आर्थिक मवालों में नहीं गए। न उन्होंने चिन्ता की कि लोकशाही या समता के आधार पर नमाज का पुनर्गठन कैसे हो ? ये चीजें उनके दायरे के बाहर की थीं। ईसा ने इन बातों से कोई मरोकार नहीं रखा कि अपने देश पर जो विदेशी रोमन-राज है, उसे कैसे हटाया जाय। उनकी निगाह में न कोई यहूदी था, न कोई गैर-यहूदी, नारा मानव-नमाज एक था। उन्होंने कहा तब कहा, 'जो चीजें नीजुर

(राजा) की है वह सीज़र के हवाले कर दो और जो भगवान् की है वह भगवान् के।" पूजावादी क्रान्तियों का कोई सीधा सबब ईश्वर, धर्म या गिरजे से नहीं रहा। दूसरी चीजों पर भी—साहित्य, कला और विज्ञान, इनका असर मीघे नहीं पडा। लेकिन इसके खिलाफ बोल्गेविज्म निश्चित तौर पर सारे जीवन की रचना नये सिरे मे करना चाहता है और इस धरती पर नया मसार और नया स्वर्ग खडा करना चाहता है।

विनोवा का एकमेव उद्देश्य

स्पष्ट है कि श्री विनोवा का भूदान-आदोलन ऊपर बताये बोल्गेविक अर्थों मे नहीं, बल्कि पहले अर्थों मे क्रान्तिकारी है। आज वह केवल जमीन के सवाल को ही ले रहे है, यद्यपि दूसरे मसलो पर उनके अपने विचार है और काफी गहरे विचार है। लेकिन फिलहाल वह उनको नहीं फैलाते, या कहना चाहिए कि वह उनपर जोर नहीं देते। आज उन्ही गरज सिर्फ एक चीज मे है—जमीन का न्यायपूर्वक फिर मे बटवारा। उन्हे उम्मीद है कि जमीन-बटवारे की प्रेरणा मे उनके दूसरे विचारो और योजनाओ को यथासमय फटने-फटने को मौका मिलेगा। यह ज्यादा व्यापक रूप वाली क्रान्ति जल्दी आयगी या देर मे आयगी, उस सवाल मे वह आज नहीं पडते। आज हिंदुस्तान मे बहुत मे जल्दी और महत्त्वपूर्ण सवाल है, जिनको फौरन ही हल होना चाहिए, जैसे कि बेरोजगारी का सवाल। लेकिन विनोवा यही कहेंगे कि मेरा उमंगे मीघा वास्ता नहीं है। वह मानो यह जवाब देगे, "जमीन का सवाल हल कीजिए और फिर बेरोजगारी का सवाल या तो आप-मे-आप हल हो जायगा, या बहुत थोड़ी कोशिश मे हल हो जायगा।" ईसा का कहता था, पहले खुदाई हुक्मन की ग्याज करो, और फिर दूसरी सब चीजे तुम्हे मिठ जायगी।" उन्ही प्रकार नन्व रूप मे विनोवा कहते है, "जमीन का सवाल हल कीजिए और फिर दूसरी सब चीजे मिठ जायगी।" लेकिन हमका यह मतलब नहीं कि हमरे सवालो मे उन्हे कोई दिलचस्पी नहीं है। हमका मतलब सिर्फ यही है कि उन्होने अपना साग चितन और शक्ति उमी एक सवाल पर लगा दी है, जो उनरे लिए, जैसे रादी गापीजी के लिए थी,

दूनरे सारे आर्थिक प्रोग्रामो का केन्द्र-बिन्दु है ।

लेकिन क्रांति चाहे एक विशेष प्रश्न को लेकर शुरू की जाय या निश्चित रूप से व्यापक और संपूर्ण जीवन को घेरनेवाली हो, उसे देर या सवेर नीचे या ना-सीधे राजनैतिक सत्ता को बग में करना चाहिए । तभी वह फल सकेगी और स्थिरता का रूप ले सकेगी, कम-से-कम इतिहास का यही पाठ है । जहां तक व्यापक और संपूर्ण क्रांति की बात है उसमें राजनैतिक सत्ता का अलग से सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि उसके दायरे में सब कुछ आ जाता है । यह सवाल तो केवल ऐसी ही क्रांति के बारे में उठता है, जो जीवन के एक विशेष पहलू को लेकर शुरू की गई हो । बिना राजनैतिक सत्ता के ऐसी क्रांति न पनप सकती है, न फूल-फल सकती है, और न फल सकती है ।

: ८ :

राजनैतिक सत्ता का स्थान

ऐतिहासिक दृष्टि से दुनिया के नमस्त धर्म, राज्य का महारा मिलने के पूर्व केवल मन्त्रदाय-मात्र थे । बौद्ध-धर्म को प्रारंभ ने ही राजाओं और छोटे-मोटे मानवों का सहयोग मिला । लेकिन सारे देश में उनका प्रसार उनी समय हुआ, जब वह एक प्रकार से अशोक के साम्राज्य का राज्य-धर्म हो गया । लका, बर्मा, चीन, जापान और पूर्वी द्वीपों में भी इन राज्यों की राजनैतिक सत्ता जिन्हे प्राप्त थी, उनके सहयोग या स्वीकृति ने ही यह फल । पुनश्च हिन्दुत्वान ने बौद्ध धर्म का निष्कासन और ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठापना भी सम्राटों और राजाओं के आश्रय में ही हुई ।

सम्राट् आस्टाइन के ईसाई धर्म से दीक्षित होने के पूर्व तक और उनका राज्य-धर्म बनने तक ईसाई धर्म भी एक दंडित मन्त्रदाय (Persecuted sect) था । (किन्तु फिलहाल हमारा उद्देश्य इन विषयों की चर्चा करने का नहीं है कि राजनैतिक सत्ता भी किस प्रकार एक नये धर्म

की विचार-धारा में परिणत की जाती है।) रोमन साम्राज्य के बाहर ईसाई धर्म का प्रचार तभी हुआ, जब विभिन्न राजाओं और सामंतों ने इस नये धर्म को ग्रहण कर लिया। यदि राजनैतिक सत्ताएँ सदैव ईसाई धर्म का दलन करती रहती तो वह भी एक संप्रदाय बना रहता, एक जागतिक धर्म के स्वरूप में कदापि विकसित न हो पाता। स्पेन में जबतक मूर लोगों का राज्य रहा, तबतक इस्लाम उन्नति करता गया। जब वे ईसाइयों द्वारा खदेड़ दिये गए, तब स्पेन में इस्लाम के धार्मिक सम्प्रदाय का स्वरूप खत्म हो गया।

दक्षिण भारत में ईसाई धर्म की स्थापना सेट थॉमस ने की, जो ईसा के बारह सदेश-वाहकों में से एक थे। उस काल के क्षमाशील हिन्दु नरेशों ने इस नये धर्म की प्रवृत्तियों में कोई दखल नहीं दिया। फिर भी किसी शक्तिशाली राजा को सीरियन ईसाइयत में दीक्षित नहीं किया गया, अतः वह दक्षिण में सिर्फ एक सम्प्रदाय मात्र बनकर रह गया। पर ईसाई धर्म १८वीं शताब्दी में जो विकास नहीं कर पाया, वह गत शताब्दी में साधारण पादरियों ने संभव कर दिखाया, क्योंकि उनके धर्म-परिवर्तन कराने के प्रयत्नों के पीछे राजनैतिक सत्ता का बल था। इन सब का यह अर्थ नहीं होता कि किसी विशिष्ट प्रदेश में बगैर राजनैतिक सत्ता के धर्म का प्रसार नहीं हो सकता। उमका अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि राजनैतिक शक्ति का सहयोग मिलने पर नये धर्म का प्रभाव अधिक व्यापक और तीव्रगामी हो जाता है। फिर भी यदि राजनैतिक सत्ता का लगातार तथा अधिक समय तक किसी सम्प्रदाय को दवाने के लिए सहारा लिया गया तो फिर उसका विकास मुश्किल हो जायगा। किसी नवीन ध्येय को जीवित रखने के लिए शहीदों का खून एक सीमित हद तक ही काम आयगा। दूसरी ओर, जहाँ किसी सम्प्रदाय को राजनैतिक सत्ता का जितना अधिक बल मिलेगा, वह उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि इस्लाम का समार में जो प्रसार हुआ, वह सिर्फ टर्गटिंग नहीं कि उसका दर्शन और मित्रात उच्च-बोटि के थे, बल्कि वह जहाँ भी गया, उमने राजनैतिक सत्ता पर

अधिकार प्राप्त किया, और जब इस सत्ता-प्राप्ति का क्रम टूटा, तो वह भी अन्य सम्प्रदायों की तरह एक संप्रदाय मात्र रह गया ।

इस बात की चर्चा करना कि शुद्धता और गहराई की दृष्टि से किसी सिद्धान्त के तीव्र-गामी प्रचार का उसपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी मर्यादा के बाहर है । इतिहास के हमारे अध्ययन से हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि छोटे-छोटे संप्रदाय तो शीघ्र विनष्ट होते हैं, परन्तु बड़े-बड़े धर्म—पथ विशाल भूभागों पर फैले अपने असत्य अनुयायियों के बल पर नव-जीवन प्राप्त करते हुए सदियों तक जीवित रहते हैं । विकासशीलता ही जीवन है । स्थितिशीलता तथा सकुचन, ह्रास और विनाश के स्पष्ट लक्षण हैं । आज हम मानते हैं कि पूजावाद के सामने कोई भविष्यकाल नहीं है । क्योंकि उसका विकास रुक गया है और वह धीरे-धीरे पीछे खदेड़ा जा रहा है । पूजावादी देश भी आज अर्थ-व्यवस्था के अधिकाधिक क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण तथा सामूहिक उद्योग और सामूहिक व्यापार की ओर अग्रसर हो रहे हैं ।

भूदान और राजनीति

धार्मिक क्रांति के उपर्युक्त नियम सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांतियों पर भी लागू होते हैं । अगर उन्हें फैलाना है और मानव-समाज को नये ढाँचे में ढालना है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से उन्हें राजनैतिक सत्ता प्राप्त करनी ही चाहिए । जो क्रांति मानव-जीवन के सारे पहलुओं पर अमर नहीं करती, वह वास्तव में क्रांति ही नहीं है । मान लीजिए कि भूदान आंदोलन ने चार सालों में अपना लक्ष्य हासिल किया, तो क्या सिर्फ इतने में ही देश में सामाजिक तथा आर्थिक क्रांति हो जायगी ? बुरी राजसत्ता अपनी लेखनी की एक फटकार से इस आंदोलन के सारे सुपरिणामों को शून्य कर देगी । मान लीजिए कि सरकार अपने शासन-तंत्र के भार रूप ऊपरी स्तर पर, जिसकी कार्य-क्षमता दिन-ब-दिन घटती जाय, अधिवाधिक धन खर्च करती रहे और अपने आर्थिक नाधनों की मर्यादा के बाहर वह पुन-निर्माण की विशाल योजनाएँ अमल में लावे, जिनके कारण मृदास्फीति हो, शासन-तंत्र के अंदर की घूसखोरी तथा उद्योग-व्यापार के अंदर के

चोर-बाजारी को रोकने में सरकार असमर्थ रहे और देश में सच्ची क्रांति और सुरक्षा करने में सरकार असमर्थ रहे, तो क्या भूदान द्वारा जमीन के न्यायोचित बटवारे से ही समस्या हल हो सकेगी ? मान लीजिए कि सरकार की अर्थनीति इस तरह की हो कि उसमें गरीब-से-गरीब वर्गों पर करो का अधिक बोझ रहे, तो क्या भूदान द्वारा प्राप्त चार बीघे जमीन भूमिहीनों के हाथों से फिर छीनी नहीं जायगी ? जहाँ एक ओर अच्छी नीति अस्तित्व में करने में सरकार राष्ट्र को खड़ा कर सकती है, वहाँ गलत नीति में राष्ट्र को बरबाद भी कर सकती है। आज तो जहाँ हमारी अनेकविध प्रवृत्तियाँ राजनीति पर निर्भर रहती हैं और राजनीति साधारण नागरिकों के जीवन का मूल-धार है, वहाँ व्यक्तियों द्वारा अथवा सार्वजनिक मस्याओं द्वारा किये हुए सुधारों के प्रयत्न वृत्ति सरकारी प्रभाव को पर्याप्त मात्रा में मिटा नहीं सकते। दूसरी ओर, अच्छे कानून और प्रामाणिक, कार्यक्षम तथा दक्ष शासन-नियंत्रण का सहारा मिलने से व्यक्तिगत प्रयत्न पर्याप्त मात्रा में सफल हो सकते हैं।

देहात के सामाजिक जीवन के सवाल को ही लीजिये। मान लीजिए कि वहाँ की जनता जात-पात में बटी हो, सदियों से अज्ञान तथा अंधविश्वास में फँसी हो, बाल-विवाह प्रचलित हो, जन्म, मृत्यु तथा विवाह के उपलक्ष्य में देहात की जनता बेहद फिजूल खर्च करती हो, तो क्या वहाँ का भूमिहीन श्रमिक, जिसे भूदान द्वारा थोड़ी-सी जमीन दे दी जाय, फिर से दरिद्री हो कर अपनी जमीन खो न बैठेगा ? जीवन के सभी क्षेत्रों को व्यापनेवाले सर्वांगीण सुधार के अभाव में सिर्फ भूदान हमारे समाज की किसी भी समस्या को हल नहीं कर सकेगा।

रचनात्मक कार्यक्रम की, सामाजिक सुधार की तथा व्यक्तियों के नैतिक उन्नयन की योजनाएँ, राजनैतिक सत्ता के समर्थन के अभाव में, अगर राष्ट्र-जीवन का पुनर्निर्माण कर सकती, तो गांधीजी, जो रचनात्मक कार्य और नैतिक तथा सामाजिक सुधार के महान् समर्थक थे, विदेशी साम्राज्यवाद को हटाने के लिए कभी राजनैतिक आन्दोलन नहीं छेड़ते।

हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि दूरी नामन-नय, विद्वानों का या देश-विक्रम और प्रगति के मार्ग में बड़ा भारी रोड़ा होता है। अगर ऐसी दान न होनी तो नैतिक और सामाजिक-सुधार के आन्दोलन राष्ट्र के लिए आवश्यक मारी प्रगति कर सकते और राजनीति या नामन के जघट में पड़ने की आवश्यकता ही न रहती। ऐसा होना तो बड़े स्तरों की मान होनी क्योंकि राजनीति बहुत दफा गदी और क्रूर होती है। कभी-कभी उम्मेद विद्वानों के माय घुड़ छिड़ जाते हैं और इनमें अधिक दूरी दान पड़ है कि गृह-घुड़ भी छिड़ जाते हैं।

सेवा के लिए सत्ता

इसलिए अगर भूदान-आन्दोलन के पीछे कानिवासी मतोंवृत्ति का न कि सुधारवादी अगर नचमुच वह प्रचलित मूल्यों को बदलना चाहता हो आज की आर्थिक तथा सामाजिक विपमना की समस्याओं को हल करके स्वातन्त्र्य और सुखदन्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के हेतु अगर इन आन्दोलन की योजना की गई हो तो उसे अविकाशिक व्यापक बनने जाना चाहिए और देश के नामन के राजनैतिक मवाल को अपने अन्दर समाविष्ट करना चाहिए। एक तो वह इसे प्रत्यक्ष राजनैतिक कार्य करके हल करे ग फिर भूदान-आन्दोलन में और उनके महान नामर्थ्य में विस्वास रखने वाले के मार्फत इसे अप्रत्यक्ष रूप में हल करे। किन्ती भी तरह क्यो न हो भूदान-आन्दोलन को व्यापक बनाने के लिए और उसके कानिकारी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजनैतिक नता प्राप्त करनी ही पड़ेगी।

की जा सकती। परन्तु इस तरह राज्यसत्ता प्राप्त करने के पीछे हेतु समाज-सुधार का ही होना चाहिए। राज्यसत्ता सामाजिक लक्ष्य हासिल करने का एक साधनमात्र है। पर जैसा कि इतिहास में बहुत दफा हुआ है और आज भी हो रहा है, राज्यसत्ता को लक्ष्य नहीं बनने देना चाहिए। गांधीजी बिल्कुल सही अर्थ में एक समाज-सुधारक थे। राज्यसत्ता उनके लिए सिर्फ साधन थी—प्रारम्भ में समाज-सुधार के मार्ग के गेटे दूर करने और बाद में उसमें प्रत्यक्ष मदद करके उसे व्यापक बनाने की। राजनैतिक प्रवृत्ति की ओर दखने की ओर उसे चलाने की यही सही दृष्टि है। मानवीय प्रवृत्तियों का नहीं लक्ष्य मानवीय मूल्य ही हो सकते हैं, न कि सत्ता।



सर्वसेवा संघ की मण्डल द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकें

१ नई क्रांति

(नकलन) ॥

भूदान यज्ञ के रूप में एक नई क्रांति इस समय देश में नहीं रही है। उसी के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करनेवाले विविध विचारवान् व्यक्तियों के लेखों का सकलन इस पुस्तक में किया गया है।

२ नई क्रांति के गीत

(नकलन) ॥

भूदान-यज्ञ-सन्ध्या चुनी हुई भावपूर्ण, प्रेरणादायक एवं आनन्द-जीवन को नई क्रांति के प्रति उन्मुख करनेवाली कविताओं का संग्रह।

३ धर्मचक्र प्रवर्तन

(विनोबा) ॥

भूदान-यज्ञ के द्वारा समाज के नव-निर्माण की कल्पना पर प्रगल्भ डालनेवाले भाषणों का संग्रह।

४ दड-निरपेक्ष समाज रचना

(धोरेन्द्र मजूमदार) ॥

वर्तमान दोषपूर्ण समाज को बदलने के लिए उसका नया स्वरूप क्या होगा ? इनका उत्तर इस पुस्तक में मिलेगा।

५ हमारी भूमि-समस्या का हल

(जयप्रकाश नारायण) ॥

हमारी भूमि के मौजूदा असमान विभाजन के कारण देश में जो विषम स्थिति पैदा हो गई है, उनके निराकरण का मार्ग है भूदान-यज्ञ। समाजवादी नेता ने इन बातों को बड़े सुन्दर और तर्कयुक्त ढंग से इस पुस्तक में निरूपित किया है।

६ सर्वोदय के सेवकों से

(विनोबा) ॥

रचनात्मक कार्यकर्ताओं को दिये गए आचार्य विनोबा के सात महत्त्वपूर्ण भाषण।

७ मानवीय क्रांति

(दादा धर्माधिकारी) ॥

भूदान-यज्ञ और नपत्ति-दान विषयक लेखों का संग्रह।

८ सामाजिक क्रांति और भूदान

(जे० बी० कृपालानी) ॥

विनोबाजी के भूदान-यज्ञ द्वारा किस प्रकार सामाजिक क्रांति हो सकती है, इनका विगद विवेचन।

९ भूदान-दीपिका

(विमला बहन ठकार) ॥

भूदान-यज्ञ तथा नपत्ति-दान-यज्ञ का हृदयग्राही विवेचन।

१० व्यवहारशुद्धि

(श्रीकृष्णदास जाजू) ॥

समाजवादी की नैतिकता का वर्णन करने वाली पुस्तक।

ग्रामोद्योग-साहित्य


१ गात्र आन्दोलन क्यों ?	जे मी कुमारप्पा	३॥)
२ गाधी अर्थ-विचार	"	१)
३ स्थायी समाज व्यवस्था (२ भाग)	,	४)
४ श्रम-मीमांसा और अन्य प्रवन्ध	"	॥३)
५ विज्ञान और तरक्की	"	॥३)
६ खून से मना पैसा	"	॥३)
७ जनता की आजादी	"	१॥)
८ यूरोप गाधीवादी दृष्टि में	,	॥३)
९ वर्तमान आर्थिक परिस्थिति	"	१॥)
१० हमारी गुराक की समस्या	"	१॥)
११ मुद्रास्फीति, उसके कारण और उपाय	"	॥३)
१२ ग्रामों के सुधार की एक योजना	जे मी कुमारप्पा	१॥)
१३ म्त्रिया और ग्रामोद्योग	"	१)
१४ हिन्दुस्तानी खाद्य-पदार्थों की उपयुक्तता और उनसे प्राप्त जीवन-तत्व	"	॥२=)
१५ हमें क्या गाना चाहिये ?	झवेरभाई पटेल	३)
१६ नेल पानी	"	१॥)
१७ मामाहरी-पालन	—	२)
१८ नाट-गुट	—	१)
१९ मायुनमाजी	के वी जोशी	१)
२० हाथ-कागज बनाना	—	८)
२१ मगन चूना	—	॥)
२२ मगन दीप	—	॥)
२३ पानी जामा	—	=)
२४ गावों की आर्थिक जाच-प्रश्नावली	—	१)
२५ ग्रामाद्याग जाच-प्रश्नावली	—	१॥३)
२६ राजस्व और हमारी दरिद्रता	जे मी कुमारप्पा	२॥)
२७ टैमा का मन्देस	"	१)
२८ हिन्दुस्तान का त्रिटन का आर्थिक केन-दन	"	॥)
२९ नीक्कों के भीतर	"	॥)
३० रचनान्मक वायवम किस का ?	जी रामचन्द्रन	॥२=)
३१ नाटु (मगरी)	"	॥)

नई क्रांति-माला

की

पुस्तकें

१. सर्वोदय का घोदगापत्र
२. सर्वोदय के सेवकों से
३. भूदान-यज्ञ
४. धर्म-धन-प्रवर्तन
५. मानवीय क्रांति
६. नई क्रांति
७. नई क्रांति के गीत
८. हमारी भूमि-समस्या
९. दण्ड-निरपेक्ष समाज-रचना
१०. सम्पत्तिदान-यज्ञ
११. भूदान दीपिका
१२. नाशाजिप्त क्रांति और भूदान
१३. अन्वहार मुद्रि



© १९६० & १९६१

द्वार वाणी

संपत्ति-दान-यज्ञ

संपत्ति की नगरत्वा की विद्या के रूप
कविकवरी कदम

श्रीकृष्णदास जी

आर्य समाज भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

१९५५

संपत्ति-दान-यज्ञ

विनोबाजी के संपत्ति-दान-यज्ञ का तात्त्विक और
व्यावहारिक विवेचन एव निरूपण

श्रीकृष्णदास जाजू



१९५४

अ० भा० सर्व-सेवा-संघ, वर्धा का प्रकाशन

अ० भा० सर्व सेवा मघ, वर्धा
की ओर से
भार्तण्ड उपाध्याय,
मत्री, सस्ता साहित्य मडल,
नई दिल्डी

तीसरी बार १९५४
, मूल्य
तीन आना

मुद्रक
नेशनल प्रिंटिंग वर्कस
दिल्डी

भूमिका

सर्वोदय-य ने अपनी पिछली बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा सर्वोदय-साहित्य-संगठन-समिति का निर्माण किया और उनपर जिम्मेदारी डाली कि सर्वोदय और भूदान के मन्द्बन्ध में उत्तम प्रचारात्मक साहित्य का निर्माण संपादन और प्रकाशन करे। समिति के सदस्य हैं श्री दादा वनाधिकारी श्री बल्लभस्वामी और रत्नानारायण भारतीय (संयोजक)। इस नाम के प्रकाशन की जिम्मेदारी अभी सत्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली को, सौंपी गई है।

प्रस्तुत योजना के अन्तर्गत विनोबाजी की पहली पुस्तक 'सर्वोदय के नेवके में प्रकाशित हो चुकी है। यह दूसरी पुस्तक पाठकों की सेवा में प्रस्तुत की जा रही है।

इसका पहला संस्करण नागपुर प्रांतिक गांधी-स्मारक-समिति द्वारा प्रकाशित हुआ है। अज्ञेय जाजूजी ने इसमें संपत्तिदात-यज्ञ पर व्यावहारिक दृष्टि में और विशेषतः संपत्तिदातों के लिए विस्तार के माय तर्कयुक्त विवेचन प्रस्तुत किया है।

विषय-सूची

- १ समान वितरण गाधीजी ५
- २ सब सम्पत्ति रघुपति के आही विनोबा ७
 अपहरण और परिग्रह—९, समाजायडदम्—१०, त्यागवधन
 और भोग वधन—११, सपत्तिदान-यज्ञ-मार्गदर्शन—१४,
- ३ सपत्तिदान-यज्ञ कृष्णदास जाजू १५
 प्रस्ताविक—१५, दान और सपत्ति का स्वामित्व—१७, अधिकार
 में अनधिकार कैसे ?—१७, कानून और मान्यता की अपेक्षा न्याय
 सर्वोपरि है—१८, सपत्ति कैसे बनती है ?—२०, श्रमजीवी और
 बुद्धिजीवी में श्रेष्ठ कौन ?—२१, क्या बुद्धिजीवी को अधिक धन
 कमाने का हक है ?—२२, क्या बुद्धि का उपयोग धन कमाने के
 लिए करना उचित है ?—२४, धनिक ट्रस्टी बने—२६, दान में
 मदापना—२७, प्रारब्धवाद—२८, स्वार्थ का स्थान—२९, दाता
 को दान बनना पड़े तो ?—३०, देश को परिवार ममज्ञे—३१,
 गरीर श्रम में नफरत—३२, आर्थिक विपमता हटे बिना चारा
 नहीं—३२, गरीबों में भी दान क्यों ?—३३, धन की लालमा
 कम है—३५, व्यक्तिगत मालिकी हक—३६, दान की मात्रा और
 उद्देश्य—३६, दान की कुछ तफसील—३८

संपत्ति-दान-यज्ञ

विभाग पहला

समान वितरण

(गांधीजी)

समान वितरण का सही आशय यह है कि हरेक मनुष्य को उसकी स्वाभाविक आवश्यकताएँ पूरी करने की ही साधन-सामग्री मिले, अधिक नहीं। मिस्साल के तौर पर, किसी का हाजमा कमजोर है और उनको १० तोला रोटी काफी होती है तथा दूसरे को ४० तोले रोटी की जरूरत है, तो दोनों की आवश्यकताएँ पूरी हो सकनी चाहिए। इन आदर्श की अमल में लाने के लिए सारी सामाजिक व्यवस्था की पुनर्रचना करनी होगी। अहिंसक समाज इनके बदले किसी दूसरे आदर्श का सगोपन नहीं कर सकता। शायद हम इन आदर्श तक न पहुँच सके, पर इन्हे सदा खयाल में रखकर इसके नजदीक पहुँचने के लिए हमें अनवरत प्रयत्न करते रहना चाहिए। जितनी हद तक हम इन आदर्श की ओर बढ़ेंगे, उतना ही हमें स्तोत्र और मुख मिलेगा और उतनी हद तक अहिंसक समाज को अस्तित्व में लाने की दिशा में हमारे द्वारा मदद होगी।

अब हम विचार करें कि समान वितरण अहिंसा के मार्ग में किस प्रकार हो सकता है। उन मार्ग में, उनके लिए, जिनने कि इन आदर्श को अपने जीवन का आना लिया है, पहला कदम यह है कि वह अपने निजी जीवन में आवश्यक परिवर्तन कर लें। वह अपने दिल में भारत की दरिद्रता का खयाल रखकर अपनी जरूरतें कम-से-कम कर लेगा, आजीविका बनाने में बेइमानी और सट्टे को स्थान नहीं देगा, अपना रहन-सहन जीवन

के नये विचार के मुताबिक रखेगा। उसके जीवन के हरेक क्षेत्र में मयम होगा। अपने जीवन में जो कुछ सुधार करना शक्य है, वह कर लेने पर ही वह अपने साथी और पड़ोसियों में इस आदर्श का प्रचार करने लायक होगा।

समान-वितरण के सिद्धान्त की जड़ में, निःसहाय, धनिकों के पास जो अधिक सपत्ति है, उनके ट्रस्टीपन का विचार निहित है, क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार उन्हें अपने पड़ोसियों की अपेक्षा अधिक पैसा न रखना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? अहिंसा के मार्ग से या धनिकों की सपत्ति छीन कर? दूसरी दशा में स्वाभाविकतया हमें हिंसा का महारा लेना होगा। हिंसक कार्यवाही से समाज का लाभ नहीं हो सकता। उन्में समाज दुर्बल होगा, क्योंकि जो लोग सपत्ति कमाने की शक्ति रखते हैं, उनके मद्गुणों में समाज को वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए साफ है कि अहिंसक मार्ग बेहतर है। धनिक अपनी सपत्ति अपने अधीन रख सकेगा, जिसमें से वह अपनी जरूरतों के लिए जितना वाजिव हो, उतने का उपयोग कर सकेगा और बाकी की सपत्ति के बारे में समाज के हित में ट्रस्टी के तौर पर काम करेगा। उम वृहत् में ट्रस्टी की ईमानदारी मान ली गई है।

अगर हृदय दर्जों का प्रयत्न करने पर भी धनिक लोग सही तौर में गरीबों के संरक्षक नहीं बनते हैं और गरीबों अधिकाधिक पिस कर भूख के शिकार बनते हैं तो क्या करना चाहिए? इस पहली को सुलझाने के प्रयत्न में ही मैं अहिंसक अमहत्कार और सविनय अवज्ञा जैसे सही और अचूक साधनों पर पहुंचा हूँ। धनिक लोग गरीबों के सहयोग के बिना सपत्ति दण्डित कर नहीं सकते। अगर यह ज्ञान गरीबों में पहुंचकर फले, तो वे बर्बाद नहीं बनेंगे और जिन विनाशकारी अमानताओं ने उन्हें भूख-मरण के घाट तक पहुंचा है, उनमें वे अहिंसक साधनों द्वारा मुक्ति पाना भी सके।

विभाग दूसरा

सब संपत्ति रघुपति का आही

(वितोत्रा)

१८ अप्रैल १९५१ के रोज भूदान-यज्ञ की कल्पना सूझी। अब तो देश भर में लोगों को यह कल्पना रच गई है, ऐसा मान सकते हैं। भूमि-दान-यज्ञ के साथ-साथ संपत्ति-दान-यज्ञ भी क्यों न चलाया जाय, इसका मेरे मन में विचार तो चलता ही था लेकिन भूमि का सवाल एक दुनियादो नवाल था जिन्के हल के बिना देश में मैं खतरा देख रहा था। इसलिए आरम्भ में उतना ही सवाल हाथ में लेना उचित लगा। अलावा इसके भूमि परमेस्वर की नीधी देन है, इन बात को नबकोई गृह में नमझ सकते थे। वह उत्पादन का मूलभूत साधन था, इसलिए भी आरम्भ में भूमि तक नीनित रहना अच्छा लगा। यथाक्रम एक-एक कदम उठाना अहिना की प्रणाली के अधिक अनुत्प था।

लेकिन भूमि-दान-यज्ञ का कार्य जैसे-जैसे जागे बटा, वैसे-वैसे संपत्ति का भी हिन्ना नागे दगैर विचार की पूर्ति नही होती, यह बात भी स्पष्ट होती गई और अखिर मेरे मन में निश्चय हो गया कि संपत्ति का भी एक हिन्ना मैं लोगों में माा। मैं चाहता तो ह कम-से-कम छठा हिन्ना, फिर लो मोव-मनसकर जो भी दे। संपत्ति चाहे हमने अपने पुरपार्य में कनाई हो, पर अपने लिए वह नही है, बल्कि नबके उपयोग के लिए परमेस्वर ने हमें वह मापी है यह भावना इन माग के पीछे है। जिन पुरपार्य-गक्ति ने हमने संपत्ति कनाई, वह गक्ति भी परमेस्वर की देन है।

के नये विचार के मुताबिक रखेगा। उसके जीवन के हरेक क्षेत्र में मयम होगा। अपने जीवन में जो कुछ सुधार करना शक्य है, वह कर लेने पर ही वह अपने माथी और पड़ोसियों में इस आदर्श का प्रचार करने लायक होगा।

समान-वितरण के सिद्धान्त की जड़ में, निमदेह, धनिकों के पास जो अधिक सपत्ति है, उसके ट्रस्टीपन का विचार निहित है, क्योंकि इन सिद्धान्त के अनुसार उन्हें अपने पड़ोसियों की अपेक्षा अधिक पैसा न रखना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? अहिंसा के मार्ग में या धनिकों की सपत्ति छीन कर? दूसरी दशा में स्वाभाविकतया हमें हिंसा का महारा लेना होगा। हिंसक कार्यवाही में समाज का लाभ नहीं हो सकता। उसमें समाज दुर्बल होगा, क्योंकि जो लोग सपत्ति कमाने की शक्ति रखते हैं, उनके मद्गुणों में समाज को वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए साफ है कि अहिंसक मार्ग बेहतर है। धनिक अपनी सपत्ति अपने अधीन रख सकेगा, जिसमें से वह अपनी जरूरतों के लिए जितना वाजिब हो, उतने का उपयोग कर सकेगा और बाकी की सपत्ति के बारे में समाज के हित में ट्रस्टी के तौर पर काम करेगा। इस वहम में ट्रस्टी की ईमानदारी मान ली गई है।

अगर हृद दर्जों का प्रयत्न करने पर भी धनिक लोग सही तौर में गरीबों के संरक्षक नहीं बनते हैं और गरीबों अतिविकाधिक पिन कर भूख के शिकार बनते हैं तो क्या करना चाहिए? इस पहिली को मुलज्ञाने के प्रयत्न में ही मैं अहिंसक अमहकार और सविनय अवज्ञा जैसे सही और अचूक साधनों पर पहुँचा हूँ। धनिक लोग गरीबों के सहयोग के बिना सपत्ति इकट्ठी कर नहीं सकते। अगर यह ज्ञान गरीबों में पहुँचकर फैले, तो वे बलशाली बनेंगे और जिन विनाशकारी अमानताओं ने उन्हें भूख-मरण के घाट तक ला पटका है, उनमें वे अहिंसक साधनों द्वारा मुक्ति पाना सीख लेंगे।

विभाग दूसरा

सब संपत्ति रघुपति कै आही

(विनोबा)

१८ अप्रैल १९५१ के रोज भूदान-यज्ञ की कल्पना सूझी । अब तो देश भर में लोगो को यह कल्पना खूब गई है, ऐसा मान सकते हैं । भूमि-दान-यज्ञ के साथ-साथ संपत्ति-दान-यज्ञ भी क्यों न चलाया जाय, इनका मेरे मन में विचार तो चलता ही था, लेकिन भूमि का नवाल एक धनियादी नवाल था जिसके हल के बिना देश में मैं खतरा देख रहा था । इसलिए आरम्भ में उतना ही नवाल हाथ में लेना उचित लगा । अलावा इनके भूमि परमेश्वर की सीधी देन है, इन बात को मन्त्रकोई सहज में समझ सकते थे । वह उत्पादन का मूलभूत साधन था, इसलिए भी आरम्भ में भूमि तक सीमित रहना अच्छा लगा । यथार्थ एक-एक कदम उठाना अहिंसा की प्रणाली के अधिक अनुरूप था ।

लेना चाहता हूँ। मैं तो मुक्त ही रहना चाहता हूँ। लोकोपकार के कामों के लिए बहुत-सी निधियाँ इकट्ठी की जाती हैं, जिनका कारोबार सार्वजनिक समितियाँ देखा करती हैं। ऐसा भी करने का मेरा विचार नहीं है। समय-समय पर भिन्न-भिन्न कामों के लिए इकट्ठी की जानेवाली उपयोगी निधियों में और इस सपत्ति-दान-यज्ञ में और भी एक महत्त्वपूर्ण भेद है। वह यह कि इस यज्ञ में सपत्ति का हिस्सा हर साल देना होगा। इसलिए मैंने यह सोचा है कि दाता के पास ही वह सपत्ति रहेगी। उमका विनियोग हमारे निर्देश के अनुसार वह करेगा और उमका हिस्सा वह हर साल हमारे पास भजेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि देनेवाला न सिर्फ अपनी सपत्ति का हिस्सा देगा, बल्कि अपनी बुद्धि का भी उपयोग इसमें करेगा। हमारे निर्देश के अनुसार विनियोग करने की बात मैंने की है, लेकिन उममें भी वह अपना मुझाव पेश कर सकेगा।

जाहिर है कि मैं इसमें दाता पर सारी जिम्मेदारी रख रहा हूँ और विश्वास से काम ले रहा हूँ। तार्किकों का इसपर आक्षेप हो सकता है। लेकिन धर्म-बुद्धि का विश्वास पर ही आधार है। विश्वास में जो संरक्षण मिल सकता है, वह किसी कानूनी कार्रवाही से नहीं मिल सकता। उस दृष्टि में सपत्ति-दान-यज्ञ की यह रीति मैंने निश्चित की है।

इस यज्ञ में हिस्सा लेनेवाले अपने परिवार के साथ मशविरा करके सबके मतों में और पूरे प्रेम में इसमें हिस्सा ले। मैं मानता हूँ कि अगर भक्तजन इस काम में योग देंगे तो एक जीवन-विचार के तौर पर यह कल्पना देश में फैलेगी और साम्ययोग की तरफ समाज की सहज गति होगी।

अस्तेय और अपरिग्रह, दोनों के मेल से अर्थ-शुचित्व पूर्ण होता है, जिसके वगैर व्यक्ति और समाज के जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती।

अर्थ-प्राप्ति की पद्धति का नियमन अस्तेय करता है, और उसकी मात्रा का नियमन अपरिग्रह करता है। अस्तेय कहता है कि शरीर का निर्वाह मनुष्यनया शरीर धर्म में, यानी उत्पादक परिश्रम में होना चाहिए। शरीर-

धर्म के बगैर अगर हम अन्न खाते हैं, तो एक खतरा पैदा करते हैं ।

दुनिया की बहुत-सी वर्तमान विषमताएँ, बहुत से दुःख और पाप शरीर-धर्म टालने की नीयत से पैदा हुए हैं । वैसे नीयत रखनेवाला गुप्त या प्रकट रूप से चोरी करता है । इसलिए अस्तेय-व्रत शरीर-धर्म द्वारा संपत्ति-निर्माण पर जोर देता है ।

आज समाज में चोरी को पाप माना जाता है, फिर भी कुछ लोग चोरी करते हैं । पर चोरी करना अच्छा नहीं है, यह तो हमने मान लिया ही है न ? यह एक मूल्य हमारे समाज में स्थापित हो गया है । पर चोरी के समान सग्रह भी पाप है, यह अब समझना चाहिए । अस्तेय और अपरिग्रह हमें सीखने हैं । ये दोनों पाप हैं । मैं कई दफा कहता हूँ, कजूस चोर के बाप होते हैं । अगर कजूस और सग्रह करनेवाले न हो, तो चोरी ही न होगी ।

अपहरण और परिग्रह

मैं जिस विचार को चलाना चाहता हूँ, उसके विरुद्ध जो विचार समाज में आज चल रहा है, उसको अपहरण कहते हैं । अपहरण के विचार में विश्वास करनेवाले मानते हैं कि आखिर व्यक्ति समाज के लिए होता है और समाज के लिए व्यक्ति की संपत्ति का अपहरण करने में कोई दोष नहीं, बल्कि व्यक्ति की संपत्ति के अपहरण को रोकनेवाला विचार ही गलत है । आज उन विचार की ओर दुनिया के कई देश आकर्षित हुए हैं । उसके विरुद्ध मैं अपरिग्रह का विचार रखता हूँ । अक्सर ऐसा माना जाता है कि अपरिग्रह तो गांधीजी, विनोबा या ऐसे सन्यामियों के लिए ही है और सामान्य जनता के लिए तो परिग्रह ही है । इसलिए लोग सन्यामियों का आदर तो करते हैं, परन्तु कहीं-कहीं तो उन्हें अपने घर में भी प्रवेश नहीं करने देते । सन्यास को अन्तिम आदर्श के तौर पर मानते तो हैं, लेकिन गृहस्थ-जीवन में परिग्रह ही चलता है । धर्मविचार को इन तरह उठाने से उनका सीमित लाभ ही हो सकता था । नतीजा यह हुआ कि लोभी वा मुकाबला करते समय निर्लोभी भी लोभी बन गया । क्षत्रियत्व

को मिटाने के लिए खुद क्षत्रिय बनकर अपने काम में अमफल होनेवाले परशुराम का उदाहरण तो हमारे सामने है ही। जिसका मुकाबला करना है, उसीका शास्त्र हम स्वीकार कर ले, तो हम उसके स्थूल रूप को चाहे मार सकें, पर सूक्ष्म रूप में उसे अमर कर देते हैं। आज दुनिया में लोभ का, परिग्रह का राज है। परिग्रह के इर्द-गिर्द ऐसे कानून खड़े किये गए हैं कि परिग्रह गलत नहीं माना जाता। चोरी को हम गुनाह मानते हैं, पर जो सग्रह करके चोर को प्रेरणा देता है, उसकी कृति को चोरी नहीं मानते। उपनिषदों की कहानी में राजा कहता है, “मेरे राज में न तो कोई चोर है, न कजूम”, क्योंकि कजूम ही चोरों को पैदा करते हैं। चोरों को तो हम जेल भेजते हैं और उनके पिता को मुक्त रखते हैं। वे शिष्ट-प्रतिष्ठित बनकर गद्दी पर बैठते हैं। यह कैसा न्याय है? गीता ने भी, उन्हें ही चोर कहा है। लेकिन हमने तो आज गीता को मन्यामियों की किताब कहकर उससे भी सन्यास ले लिया है।

समाजाय इदम्

जिस तरह हम यज्ञ में आहुति देते समय कहते हैं कि “इद्राय इदम् न मम”—यह मेरा नहीं है, इद्र के लिए है उसी तरह आज हम जो कुछ उत्पादन करते हैं, चाहे वह खेती में हो, चाहे फैक्टरी में, उसके बारे में कहना चाहिए कि “समाजाय इदम्, राष्ट्राय इदम्, न मम—यह सब मेरे लिए नहीं है, समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है।” अपने पाम जो भी कुछ है वह सब समाज को अर्पण करना चाहिए। फिर समाज की ओर में अपनी आवश्यकता के अनुसार जो कुछ मिलेगा, वह अमृत होगा।

वचन में हम पर अनेकों के उपकार हुए हैं। उसकी निष्कृति के लिए शरीर-परिश्रम के मान्य तरीके में जो हमने कमाया हो, उसका हिस्सा समाज को देना लाजमी हो जाता है। उसमें सम्यक्-विभाजन का उद्देश्य होता है।

हम छटा हिस्सा मागते हैं, तो क्या पाच-बटा-छ का सग्रह मान्य करने है? पर हमारे मान्य करने का मवाला ही नहीं है। वह भला मनुष्य

छ-बटा-छ सगह ही मान्य कर रहा है। उनकी उस मान्यता को हम धक्का देने हैं, एक-बटा-छ माग कर उसको हम विचार के लिए प्रेरित करते हैं। भक्तो ने कहा था, "जिसने 'हरिनाम' एक दफा बोल लिया, उसने मोक्ष-प्राप्ति के लिए कमर कम ली।" जिसने एक-बटा-छ समाज को निरंतर अर्पण करने का नियम, जीवन-निष्ठा के तौर पर, कबूल किया, उसने अपनी मारी सपत्ति, अपना सारा जीवन, यहा तक कि अपना शरीर-निर्वाह भी, समाज को अर्पित करने के लिए कमर कस ली। सपत्ति-दान-यज्ञ की तरफ देखने की यह दूरदर्शी दृष्टि है।

त्याग-वन्धन और भोग-वन्धन

बहुतो को यह विचार ही कठिन मालूम होता है कि जिन्दगी भर छग या आठवा हिस्सा दान दे। लेकिन वे यह नहीं सोचते कि वे एक दफा गादी कर लेते हैं तो जिन्दगी भर के लिए ही तो अपने को बाध लेते हैं। हिंदू धर्म ने सन्यास की छूट रखी है, फिर भी जो मनुष्य आमरण वधन में रहते हैं, वे इस वधन से क्यों हिचकिचाते हैं? और इसमें तो त्याग ही त्याग है, भोग पाने को तो कुछ है ही नहीं। इसलिए शुद्ध विचार करनेवाले इन चीज को जीवन का अंग समझ ले। जिस तरह जिन्दगी भर स्वच्छ हवा और स्वच्छ आहार हम लेते हैं, उसी तरह जीवन भर अपनी सपत्ति का एक हिस्सा लोगों को हमें देना है। दरजनल सारा-का-मारा ही देने की बात होनी चाहिए, पर ट्रस्टी के नाते अपने पाम वे कुछ रख ले और बाकी का मारा दे दे।

हम यह जो मालकियत मिटाना चाहते हैं, वह सविधान के विरोध में है, ऐसा लोग कहते हैं। हम कहते हैं, क्या सविधान देवों का बनाया हुआ है? जैसे-जैसे मनुष्य का विचार बदलेगा, वैसे-वैसे उनका सविधान भी बदलेगा। यह बात तो नहीं कि कोई चीज हम जबरदस्ती गदना चाहते हैं। सम्मान का हमारा हक है और सम्मान के लोग का कर्तव्य है। अगर वे समझ गये तो क्या उनका मतलब यह होगा कि सविधान का उन्होंने विरोध किया? हम तो समझते हैं कि सविधान दिन-ब-दिन विद्वान्मणीय

होना चाहिए। मालकियत की भावना मिटनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास अधिक बुद्धि, अधिक शक्ति, अधिक महत्त्वपूर्ण काम हैं, इसलिए हमें अधिक पैसा मिलना चाहिए, यह जो पैसे का नाता जिम्मेदारी के साथ जोड़ दिया गया है, इसे ही हम गलत समझते हैं।

यह बात जिन मित्रों को हृदयगम होगी, उनमें मैं आशा करूंगा कि वे चाहे गरीब हो चाहे धनी, चाहे भोगी मासारिक हो, चाहे त्यागी कार्यकर्ता, सपत्ति-दान-यज्ञ में खुद दीक्षित हो और इस विचार का प्रत्यक्ष कृति से अधिक सशोधन करें।

मेरे काम के बारे में किसी प्रकार की गलतफहमी न रखें। यह एक धर्म-विचार है। मनुष्य को आसक्ति से छुड़ा कर अपरिग्रही बनाना मेरा उद्देश्य है। इसलिए जो बड़े-बड़े परिग्रही हैं, उन्हीं के पास दान मागने के लिए पहुंचना है, ऐसी बात नहीं है। आसक्ति तो एक लगोटी में भी रह सकती है। इसलिए हर एक व्यक्ति के पास पहुंचकर विचार समझाना है और दान-पत्र हासिल करना है।

सपत्ति-दान-यज्ञ बहुत गहरी चीज है। हम भूदान-यज्ञ में हर एक से भूमि मागते हैं। खास दान-पत्र लेते हैं, उसपर उसके हस्ताक्षर आदि लेते हैं, सरकार उसे मंजूर करती है, तब वह अमल में आता है। वैसी पूरी योजना इस यज्ञ में नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति वचन-पत्र लिखकर देगा, वही अपने अंतर्दामी भगवान् को साक्षी रखकर अपना वचन पालन करेगा और हिसाब भी रखेगा। उस दान का पूर्ण उपयोग हमारे कहने के अनुसार करने की जिम्मेदारी उम्मी पर है। यह भूमि के समान एक साल के लिए दान देने की बात नहीं है। हर साल हिस्सा देना पड़ेगा। अतः उसके लिए जीवन को नैष्ठिक बनाने का काम होना चाहिए। अदर की निष्ठा जगनी चाहिए।

“मत्र सपत्ति रघवर कै आही।” तब छटा हिस्सा देने की बात गौण है। होना तो यह चाहिए कि अपना मत्रकुछ समाज को देना चाहिए और फिर अपने शरीर के लिए उम्र में थोड़ा-सा लेना चाहिए। परन्तु अभी समाज में टन तरह वा टन नाम नहीं है और तुरन्त होनेवाला भी नहीं है। इसलिए

अभी छठा हिस्सा दे दिया जाय और बाकी जो बचे, उसमें से और देने का सोचा जाय। छठा हिस्सा देने का मतलब यह है कि जीवन के लिए एक निश्चय करके वह देना है। उतना हिस्सा नहीं देते हैं तो हम भी पापी बनते हैं और हमारा जीवन भी पापी बनता है। इसलिए देना कर्तव्य मानना चाहिए। दूसरा कितना देता है, इसकी चिन्ता हमें नहीं करनी चाहिए। बल्कि स्वयं हमने कितना दिया है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरे की परीक्षा करने की यह बात नहीं है। यह निजी शुद्धि की और अपने कर्तव्य की बात है। यह आध्यात्मिक काम, आत्म-सतोष का काम है, ऐसा भान होने के बाद ही काम करना चाहिए।

अगर हमें कोई जीवन भर छठा हिस्सा देते रहे, तो भी हम यह नहीं नमस्ते कि उन्होंने हमारा पूरा विचार समझा ही है। अगर उनके पास कोई विशेष उद्योग है, तो जो उद्योग चलता है, उसमें काम करनेवाले, सबका साक्षात् है। अब सबको अपना-अपना हिस्सा मिले और हिस्सा मिलने के बाद जो बाकी बचे, उसे सेवा-कार्य में दिया जाय। यह जिनने नमस्त्र लिया, सत्पतिदान का विचार समझ लिया, ऐसा होगा। इन तरह करने वाला यदि थोड़ा भी खाता है तो उसका वह खाना भी यज्ञ होगा, आहुति-स्वरूप होगा। इन तरह अपना सारा जीवन यज्ञमय बनाने का विचार है और गांधीजी की तीव्रतम भावना थी कि सत्पति का हर कोई द्रुस्ती हो। वहवान इन्हीं में पूरी होगी। इन्हीं हम आधुनिकतम अर्थशास्त्र समझते हैं, जो नच्चा अर्थशास्त्र है।

सत्पतिदान-यज्ञ उतना ही गहरा है, जितना भूदान-यज्ञ। जमीन हरेक के पास नहीं होती परन्तु सत्पति तो हरेक के पास होती ही है और जमीन सत्पति का ही एक प्रकार है। सत्पति में बुद्धि, शक्ति, पैसा सबकुछ आता है।

जिन्हीं के पास धन है, तो भी हम चाहते हैं कि वह अपनी अपर्याप्त गरीबी में से थोड़ी-सी रोटी गरीबों के लिए दे। इसका मतलब यह है कि हम अपने घर में एक को प्रवेश देते हैं। इसलिए यह बहुत मोक्ष-विचार की बात है। इसका मतलब यह होता है कि हरएक को जीवन थोड़ा-सा मिनटव्ययी

कग्ना पडेगा। कई लोगो को तो अपने पेट में मे काट कर भी कुछ देना पडेगा। वह अपने कुटुम्ब का खर्च तो चलायगा ही, पर उमके माथ दरिद्रनारायण की भी फिक्र रखेगा। यह एक धर्म-विचार है और समझ-बूझ कर डमपर अमल करना है। हिंदुस्तान में दान की परम्परा चली आई है। भूखे को लेकिन खिलाकर फिर खायेंगे, इसी को दान कहते हैं। इमी में हमारी खान-दानी है। आज यह कुछ कम हो गया है और शहरो में तो बहुत ही कम हो गया है। लेकिन मैंने कहा है कि जो गुण आजतक व्यक्तिगत रूप में थे, उन्हें अब सामाजिक रूप देना है।

कुछ गुणो का विकास ही नहीं हुआ है और वही हमें करना है। दया का विकास हुआ था, परन्तु दया का मतलब यह था कि दूसरो का दुख हममें न सहा जाता, न देखा ही जाता था इसलिए कुछ देने की प्रेरणा हो जाती थी और ऐसे मौके पर मदद करने की स्फूर्ति हो जाती थी। यही आज तक दया का स्वरूप रहा। लेकिन अब उसे नित्य जीवन का एक अंग बनाना है। जिस तरह हम रोज नहाते हैं उसी तरह कुछ विचारो को भी रोज अमल में लाना है। मनुष्य यह नहीं सोचता कि जब मैं गदा हो जाऊंगा तभी नहाऊंगा, वल्कि वह रोज नहाता है। दया को हम व्यापक करते हैं तो उमका विकास होता है। क्या हम अपने भाइयो पर या लडको पर दया करते हैं? हम तो उनका हक मानते हैं और हक मान कर उन्हें जो चाहिए सो दे देते हैं। यह रोज करने की बात है। जहा दया को सार्वजनिक रूप देते हैं वहा दूसरे की चिन्ता करना आ जाता है।

अगर समत्व का अमल करेगे तो दया आयेगी। जहा दया को सार्व-जनिक रूप देना है वहा समत्व, समविभाजन आ जाता है।

सपत्ति-दान-यज्ञ-मार्गदर्शन

(१) सपत्ति हरेक को अपने पास ही रखनी है, या किमी परिचित के पास (२) जो हिस्सा देना है, वह जीवन भर देना है। इसलिए परिवार के जिम्मेदार लोगो को अनुमति से यह काम होना चाहिए (३) वर्जदार को इममें गुजाइश नहीं है। वर्ज में से मुक्त होना उमका

पहला काम होगा। (४) संपत्ति का विनियोग मेरी सूचनानुसार करना है। इस सारी योजना का यह एक बहुत बड़ा सरक्षण है। (५) संपत्ति-दान-यज्ञ में प्राप्त होनेवाली उस वर्ष की रकम उसी वर्ष में खर्च होगी। बाकी रहने का कारण नहीं। देण में इतना विगल काम करना है कि कितनी भी संपत्ति मिले तो भी सारी उममें सहज खर्च होनेवाली है (६) संपत्ति का विनियोग फिलहाल मुत्प्रतया तीन मदों पर करने का सोचा है (अ) जिन भूमिहीन किसानों को जमीन दी जायगी उनको बीज, बैल, कुआ आदि के रूप में मदद करना (आ) त्यागी सेवक-वर्ग को अल्पतम सेवा-धन देना, (इ) नत्लाहित्य का प्रचार करना। (७) संपत्ति-दान यज्ञ में हिस्सा देने वाले के जीवन का परिचय मैं चाहता हूँ। उनके लिए इस यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छा रखनेवालों को अपनी कुछ जानकारी मुझे भेजनी चाहिए।

विभाग तीसरा

संपत्ति-दान-यज्ञ

(श्रीकृष्णदास जाजू)

प्रस्ताविक

जब सारा देण भूदान-यज्ञ में परिचित हो गया है। जब कार्यकर्ता लोग जमींदारों में भूदान-यज्ञ के लिए जमीन भागने जाते थे, तब कुछ जमींदार यह प्रश्न करते थे, जैसे हमने जमीन भागी जाती है, वैसे ही जो धनिक लोग हैं और जिनके पास बरोड़ों की संपत्ति पड़ी है, उनमें उनकी संपत्ति का हिस्सा क्यों नहीं भागा जा रहा है? वास्तव में संपत्ति-दान-यज्ञ भूदान-यज्ञ के गर्भ में था ही। अतएव उसने प्रकट रूप नहीं लिया था। दोनों पक्षों में मैंने प्रथम केवल भूदान का ही प्रारम्भ क्यों हुआ इसका उत्तरान्ना पूज्य विनोदाजी ने कई बार किया है और हर कोई समझ सकता है कि जमीन का प्रश्न कुछ विशेष और निराला ही है। ईश्वर ने जमीन पैदा की। मनुष्य को भी पैदा किया। मनुष्य के जीवन का आधार जमीन ही है। परन्तु

आजीविका तब ही मिलती है जब शरीर-श्रम द्वारा उममे कोई चीज पैदा की जाय । हवा और पानी की तरह जमीन पर भी किमी की व्यक्तिगत मालिकी रहना न्याय नहीं है । जमीन समाज की ही समझी जाय । ईश्वरी सकेत तो यह दीखता है कि मनुष्य जमीन पर मेहनत कर अपना जीवन चलावे और जो वैसा शरीर-श्रम करे उसे उसका पूरा फल भी मिले । पर मनुष्य की गलत करस्तूत के कारण कुछ ऐसा हो गया है कि जो जमीन पर श्रम नहीं करते उनके पास बड़ी तादाद में जमीन इकट्ठी हो गई है । वे और जो जमीन जोतते हैं या जोतना चाहते हैं उनमें से बहुतसों के पास अपना पेट भरने के लिए भी मालिकी हक की जमीन नहीं है । फलस्वरूप उनको अपने श्रम के फल का एक बड़ा हिस्सा तथाकथित मालिक को दे देना पड़ता है, इसलिए भूमिहीनों को भूमि देने का प्रश्न पहले हाथ में लेना उचित ही था और बहुत-से काम एक साथ हाथ में लेने से कोई भी पूरा सधता नहीं । मनुष्य की शक्ति परिमित है, इसलिए एक काम हाथ में लेकर उमी के पीछे पड़ने से उसके सफल होने की आशा रहती है । अब, जब कि भूदान-यज्ञ का काम काफी मात्रा में चल निकला है और उसके सफल होने में शका नहीं रही है, इतना ही नहीं बल्कि जिन्हे यज्ञ की जमीन दी जाती है उन्हें साधन-सामग्री मुहैया कर देने के लिए धन की आवश्यकता भी है, इसलिए अब स्वाभाविकतया संपत्तिदान की जरूरत हो जाती है । समय पाकर संपत्तिदान-यज्ञ का धर्म-प्रवर्तन-चक्र भी भूदान-यज्ञ की तरह जोरो से चल पड़ेगा । इसलिए विनोबा ने इस विषय में जो कुछ प्रवचन दिये हैं उनका वारीकी से अध्ययन कर लेना जरूरी है । इन पुस्तिका में उनके प्रवचनों में कुछ अण प्रारम्भ में दिये गए हैं । मैं जब कुछ भूदान-यज्ञ के प्रचार के लिए गया था तब भूदान-यज्ञ के साथ संपत्ति-दान-यज्ञ के बारे में भी जो विचार मेरे मन में उठे, वे इस पुस्तिका में सक्षेप में लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ । विशेषकर मेरा निवेदन धनिक व्यक्तियों से है । प्रायः जो परम्परा चलती है, उसे हम सही मान लिया करते हैं । उसकी जड़ में जाने का प्रयत्न नहीं करते । अगर उसकी जड़ की

खोज करे तो शायद हमें अपने विवेक में ही मालूम हो जाय कि अबतक की मानी हुई मान्यता कितनी गलत थी। यहाँ मैं कुछ विचार धनिकों के नामने उनके चिन्तन के लिए रखता हूँ। इन आशा में कि वे खुद नोचें कि सम्पत्ति कमाने और उसे अपने पास रखने और उसके उपयोग के बारे में जो कुछ हमारे विचार बने हैं वे कहाँ तक नहीं हैं। इसी प्रकार के मनोमयन में मनुष्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति करता है।

‘दान’ और सम्पत्ति का स्वामित्व

हैं उनके अनुसार ही धन कमाया। उमे भोगने का मेरा अधिकार है। यह मेरा अधिकार कानून ने मान रखा है, समाज भी मानता है। इस दशा मे उस सपत्ति पर मेरा अधिकार नहीं है, यह बात जचती नहीं। इसी प्रकार जिसको दान मिलेगा, उसने वह जमीन या सपत्ति कमाने के लिए परिश्रम नहीं किया, उससे उसका कोई सबध नहीं आया और कानून से उमे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, इस दशा मे उसका हक है, यह बात कैसे मानी जाय ? केवल कल्पना से व्यावहारिक काम कैसे चल सकता है ? बिना कमाये किमी का किसी चीज पर हक कैसे हो सकता है, जबकि कानून उसका समर्थन नहीं करता ?

कानून और मान्यता की अपेक्षा न्याय सर्वोपरि है

हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करे। कानून और समाज की मान्यता का मूल्य आकना होगा। भूलना न चाहिए कि कानून और मान्यता के अलावा न्याय भी एक चीज है, जो सर्वोपरि है। उसका अधिकार कोई मेट नहीं सकता, क्योंकि उसकी जड बाहर न होकर अन्तरंग मे, आत्मा मे, मनुष्य की सदसद्विवेक बुद्धि मे है। इस सबध मे यह बात खयाल मे रखनी चाहिए कि किसी समय-विशेष मे समाज की या कानून की जो धारणा रहती है, वह ठीक ही रहती है, ऐसा नहीं है। कानून तो बहुधा प्रचलित परम्परा को लेकर चलता है। समाज की मान्यता भी बहुत करके रूढि को लेकर चलती है। जो बात कानून या समाज मानता है, वह मदा न्याय की ही होती है, ऐमा नहीं कह सकते। दीर्घ काल के इतिहास का परीक्षण करने से मालूम होगा कि एक जमाने मे जो मान्यताएँ सही मानी जाती थी, उनमे समय पाकर आमूल परिवर्तन हो गया। मान्यताओं के बदलने के साथ कानून भी बदल गया। जवतक मान्यता चलती रही, तवतक उसके सही होने के बारे मे किमी के मन मे शका नहीं थी, अगर थोडों के मन मे शका रही होगी तो उनका उम नमय की विचारधारा पर कोई असर नहीं पडा। समय पाकर विवेक जागृत हुआ। मानव ने देखा कि जो बात आज मानी जाती है वह घोर अन्याय की है। जन्त मे परिवर्तन होकर रहा। मान्यता बदलने पर

राजमत्ता को कानून भी बदलना पड़ता है। अगर राजमत्ता वैसा न करे तो वह टिक नहीं सकती। विवेक जागृत होने पर अर्यान् गलती दीख पड़ने पर मान्यता किन्ती ही पुरानी और व्यापक व्यो न हो उमे बदलना पड़ता ही है। स्पष्टीकरण के लिए एक-दो उदाहरण ले। गुलामी की प्रथा हजारो वर्षों तक और जगन्भर मे चलती रही। एक बड़े नामी तत्ववेत्ता ने भी उनका नमर्दन किया था। कुछ गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह प्रथा उनके हित की है। फिर भी मनुष्य का विवेक जागृत हुआ। अपने जैसे ही हाड-मान के और सुज-दुज की भावना रखनेवालो को एक दूमरा बलवान या धनवान मनष्य गुलामी मे जकड रखे क्या यह बात न्याय्य है, ऐसा प्रश्न सामने आया। इन्को हल करने के लिए आपन मे युद्ध भी हुए। अल ने गुलामी की प्रथा मिट कर रही। इन्ही प्रकार राजासो की मन्या की बात है। जगन्भर मे हजारो वर्षों तक व्यक्तियो का, वादशाहो का राज्य चला।

सम्पत्ति कैसे बनती है ?

यहा थोडा विचार कर ले कि सपत्ति बनती कैसे है ? यह खयाल गलत है कि रुपया, नोट या सोना-चादी सपत्ति है । ये तो सपत्ति के माप-तौल के माधन-मात्र है । सपत्ति वही चीजे है जो किमी-न-किमी रुप मे मनुष्य के उपयोग मे आ सकती है । उनमे से कुछ ऐसी है, जिनके बिना मनुष्य जिन्दा नही रह सकता और कुछ सुख-सुविधा और आराम के लिए होती है । अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं है, जिनके बिना उसकी गुजर-बसर नही हो सकती । इनके अलावा दूसरी अनेक चीजे है, जिनके बिना मनुष्य निभा सकता है । सपत्ति रुपी ये सब चीजे बनती कैसे है ? वे अपने आप तो बनती नही, न आकाश मे टपकती है । कोई जन्म के साथ लाता भी नही, बल्कि जन्म के साथ तो कुछ आवश्यकताएं ही उत्पन्न होती है, जिनको पूरी करने के लिए निरन्तर खटपट चलनी रहती है । सृष्टि मे जो नानाविध द्रव्य है, उनको लेकर मनुष्य शरीर-श्रम करता है । तब यह काम की चीजे बनती है । अतः सपत्ति के मुख्य माधन दो है सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर-श्रम । यत्र से कुछ चीजे बननी दीखती है, पर वे यत्र भी शरीर-श्रम से बनते है और उनको चलाने मे भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर-श्रम की आवश्यकता होती है । केवल बौद्धिक श्रम मे कोई उपयोग की चीज नही बन सकती, अर्थात् बिना शरीर-श्रम के सपत्ति का निर्माण नही हो सकता । पर आखिर सपत्ति की मालिकी मे शरीर-श्रम करनेवालो का स्थान क्या है ? जो प्रत्यक्ष शरीर-श्रम के काम करते है, उन्हें तो गरीबी में या कष्ट मे ही अपना जीवन बिताना पडता है और उन्ही के द्वारा उत्पादित सपत्ति दूसरे थोटे से हाथो मे ही इकट्ठी होती रहती है । श्रमजीवियों की बनाई हुई चीजे व्यापारियों या दूसरो के हाथो मे जाकर उनके लेन-देन मे कुछ लोग मालदार बन जाते है । वर्ष भर मेहनत कर किसान अन्न पैदा करता है । बहुत दफा तो उसकी खुद की आवश्यकताएं भी पूरी नही होती, पर बड़ी अनाज व्यापारियों के पास जाकर उनको भंडारण बनाना है । जिन मजदूरों की मेहनत के बिना कारखाना चलना ही

असंभव है, उनको तो विशेष प्राप्ति होने की आशा नहीं। अगर मजदूर योग्यता प्राप्त कर लें तो धनिकों और बृद्धिमानों के बिना भी कारखाना चल सकता है। अकेले बृद्धिमान और धनिक स्वयं उन्हें कदापि नहीं चला सकते फिर भी उन धनिकों और व्यवस्थापकों को मजदूरों की अपेक्षा कितना ही गुना अधिक पैसा मिलता है। सपत्ति बनाते हैं मजदूर और धन इकट्ठा होता है उनके पान जो मजदूरों नहीं करते, उल्टे वे मजदूरों और मजदूर को नफरत की दृष्टि में देखते हैं। इन प्रकार सपत्ति चंद लोगों के पान इकट्ठी होती है। इन लोगों की मृत्या नौ में जायद ५-१० ही हो, जबकि गरीब-श्रम करनेवालों की मृत्या तो ९०-९५ है। इन धनिकों की सपत्ति का मूल देखा जाए तो वह श्रमिक के श्रम में ही मिलेगा। धनिकों के पान जो पैसा है वह श्रमिक या गरीबों की जेब में ही निकला हुआ पाया जाएगा। गरीबों को उनके श्रम का पूरा फल नहीं मिलता या गरीबों के अधिक गरीब बनने पर धनिकों की सपत्ति बढ़ती है। उन सपत्ति पर उनका नालिकी हक माना जाता है। कानून या सामाजिक मान्यता कुछ भी हो पर क्या यह न्यायिनी न्यायोचित है ?

श्रमजीवी और बृद्धिजीवी में श्रेष्ठ कौन ?

घघो के मूल्यो मे बहुत फर्क है । यह भी वहस की जाती है कि जैसे कुछ लोगो को शरीर-श्रम करना पडता है, वैसे दूसरो को बौद्धिक श्रम करना पडता है, बौद्धिक श्रम का महत्व शरीर-श्रम के जितना ही या उसमे अधिक है । पर हम गहराई से सोचेगे तो पता चलेगा कि समाज-धारणा की दृष्टि से स्थिति कुछ और ही है । कल्पना करे कि अगर श्रमजीवी लोग अपने-अपने घघे एकाएक छोड देने का विचार कर ले तो परिणाम क्या होगा ? मनुष्य-जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओ की चीजें भी नही बन सकेगी, समाज जिदा नही रह सकेगा । दूसरी ओर अगर बुद्धिजीवी लोग अपने घघे छोड दे तो समाज मे कुछ अव्यवस्था जरूर होगी, पर समाज मरेगा नही । बुद्धिजीवियो का जीवन भी श्रम-जीवियो के घघो पर अवलंबित है । इससे कल्पना की जा सकती है कि समाज के अस्तित्व के लिए श्रमजीवियो का कितना महत्व है । ऐसा होते हुए भी दैवदुर्विलाम यह है कि श्रमजीवियो की मजदूरी या आमदनी कम है, समाज मे उनकी प्रतिष्ठा नही और उनको अपना जीवन प्राय कष्ट मे ही बिताना पडता है । बालको की शिक्षा, बीमारी मे दवा-पानी, मनोरजन आदि बाते तो उनके लिए दूर की है । इसके विपरीत बुद्धिजीवियो का वेतन या मुनाफा ज्यादा है और समाज से उन्हे बढी-चढी प्रतिष्ठा तथा ऐश-आराम भी उपलब्ध है । इस व्यवस्था मे आज समाज को कोई दोष नही दीखता । कानून भी इस स्थिति का समर्थन करता है । फिर भी यह प्रश्न तो रह ही जाता है कि क्या यह न्यायोचित है ?

क्या बुद्धिजीवी को अधिक धन कमाने का हक है ?

धन-संचय के और अधिक धन कमाने के पक्ष मे भी कुछ बाते कही जाती है । उनका भी विचार करना चाहिए । देश और विदेश के उच्चतम विद्यालयो मे लंबी अवधि तक शिक्षा पाकर कोई विशेषज्ञ, जैसे कि डाक्टर, अपना घघा करने लगता है, वह सफलता मे चलता है, सफलता मे चलाने लायक योग्यता भी उसमे है । वह मानता है और समाज भी मानता है कि उने अपनी कला द्वारा अविश्व-मे-अधिक धन कमाने का अधिकार है ।

वह अपनी मनमानी फीस मुकर्रिर करता है। अगर कोई उसे कम फीस लेने को कहे तो वह जतलाता है कि उसने वर्षों तक कठोर परिश्रम कर और खर्च सहन कर योग्यता प्राप्त की है, तो उसे उतने ही परिमाण में मुआवजा मिलना चाहिए। बीमार गरीब हो तो कभी-कभी उसे थोड़ी राहत भले ही मिल जाए, परन्तु राहत का वह हकदार नहीं माना जाता। इसी प्रकार जो भाई कानून, इंजीनियरिंग आदि विद्याओं में निष्णात होते हैं, उनका भी यही हाल है। नामी लेखक, कवि, चित्रकार आदि कलाविदों की भी यही कथा है। ऐसा ही हक व्यापारी, उद्योगपति, व्यवस्थापक आदि जताते हैं।

व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थ-शास्त्र ने यह नियम बताया है कि खरीदी सस्ती-से-सस्ती हो और विक्री महगी-से-महगी। मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं। जो कारखाना मजदूरों के शरीर-श्रम के बिना चल ही नहीं सकता, उसके मजदूर को सौ-पचास रुपये मासिक से अधिक भले ही न मिले, पर व्यवस्थापक और पूजा लगानेवालों को हजारों-लाखों का मिलना आक्षेपार्ह नहीं माना जाता। प्रचलित विचारधारा यह है कि बुद्धिमानों को अमर्यादित धन कमाने का और अपने पास सपत्ति इकट्ठी करने का हक है, क्योंकि उन्होंने उतना धन कमाने की शक्ति और कला प्रयान द्वारा प्राप्त कर ली है। जिन्हें वैसी शक्ति या कला प्राप्त नहीं है, उन्हें अधिक नहीं मिलता या भूखो भी रहना पड़ता है तो दूसरे को दोष क्यों दिया जाय ? पर इन बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता कि उन गरीबों में भी बुद्धि है और उन्हें माँका मिलता तो वे भी बुद्धिजीवियों जैसी ही शक्ति प्राप्त कर सकते थे। इन बातों को हम छोड़ें। यहाँ तो इसका परीक्षण करना है कि इन शक्ति-शालियों का अनीम धन कमाने का अधिकार माना जाय या नहीं ? कल्पना कीजिये कि किनी बालक को हम उसके विलकुल छुटपन में ही कहीं एकान्त में छोड़ दें, उसका जनता से सम्पर्क न आने दे, उसके रक्षण और पोषण की व्यवस्था कर दें और उसे वैसे ही बटने दें, तो परिणाम क्या होगा ? वह बोली भी नहीं सीख सकेगा, अपने दिल की बात दूसरे को नहीं समझा सकेगा और दूसरे की बात खुद नहीं समझ सकेगा, व्यवहार विलकुल नहीं चला

मकेंगा । मनुष्य-समाज में रहने में अर्थात् समाज की कृपा में ही मनुष्य व्यवहार चलाने लायक बनता है । बालक प्राथमिक शाला में लेकर देश-विदेश के ऊँचे-से-ऊँचे दर्जे के महाविद्यालयों में सीख कर जो योग्यता प्राप्त करता है, वे शिक्षालय उमके निज के नहीं होते हैं । वे या तो सरकार द्वारा चलाये जाते हैं, जिनका खर्च आम जनता में टैक्स के रूप में वसूल किये हुए पैसे में चलता है या दानी लोगों की कृपा में । जो कुछ पढ़ने की फीस दी जाती है, वह तो खर्च के हिस्सा से नगण्य है । इस सारी शिक्षा में जो कुछ ज्ञान मिलता है वह भी हजारों वर्षों तक अनेक तपस्वियों ने मेहनत करके जो कण-कण मग्नहीत कर रक्खा है, उमी के बल पर मिलता है । व्यापारी और उद्योगपति अपनी कला विद्यालयों से और अपने साथियों से प्राप्त करता है । व्यक्ति खुद अपनी बुद्धि का कुछ उपयोग तथा अध्ययन जरूर करता है, पर योग्यता प्राप्त करने में उमका खुद का हिस्सा इतना कम है कि अगर ऊपर लिखे अनुसार समाज की मदद न मिले तो वह कुछ विशेष करने लायक बनेगा ही नहीं । इस दशा में, जबकि अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्पतम है और समाज की कृपा का अंश अत्यधिक है, तो हमें जो योग्यता प्राप्त हुई है, उसका उपयोग समाज को अधिक-से-अधिक देना और उमके बदले में समाज में कम-से-कम लेना यही न्याय्य तथा हमारा कर्तव्य माना जा सकता है, पर चल रहा है कुछ उलटा ही । व्यक्ति, समाज को कम-से-कम देने की इच्छा रखता है, समाज में अधिक-से-अधिक लेने का प्रयत्न करता है, कुछ भी न देना पड़े तो उमें रज नहीं होता । आखिर व्यक्ति की यह धन कमाने की शक्ति भी प्रचलित सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर ही अवलंबित है, न कि केवल उमकी इच्छा पर । अगर आर्थिक नमानता का जमाना आए, जो कि कभी न कभी आने ही वाला है तो हम आज जिस धन कमाने की शक्ति का अभिमान रखते हैं वह पैसे के रूप में क्या फल दे सकेगा ?

क्या बुद्धि का उपयोग धन कमाने के लिए करना उचित है ?

यह एक गंभीर और बुद्धिवादी सवाल है कि क्या बुद्धि का उपयोग

धन कमाने के लिए करना उचित है ? यह तो साफ दीखता है कि आर्थिक विपमता का एक मुख्य कारण वृद्धि का ऐसा उपयोग ही है। शोषण भी प्रायः उसीसे होता है। समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विपमताएँ चल रही हैं और शोषण होकर अशांति होती है उसे मिटाने के लिए जगत् में अनेक योजनाएँ अबतक सामने आई हैं और इनमें से कुछ पर अमल भी हो रहा है। पर अहिंसाके द्वारा यह जटिल प्रश्न हल करना हो तो गांधीजी ने यह सूत्र बताया कि “पेट भरने के लिए हाथ, पैर और वृद्धि का उपयोग जान प्राप्त करना और जान देना हो। अभी समाज में यह चल रहा है कि बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर-श्रम से चलाते हैं। और थोड़े बौद्धिक श्रम में जिनके पास सपत्ति अधिक है वे आराम में रहते हैं। अनेको ने श्रम करने की आदत भी नहीं है। इस दशा में उन सूत्र का अमल होना दूर की बात है। फिर भी उनके पीछे जो तथ्य है, वह हमें स्वीकार करना चाहिए, भले ही हमारी दुर्बलता के कारण हम उसे ठीक तरह से न निभाने के क्योंकि आजीविका की साधन-नामग्री किमी-न-किसी के श्रम बिना बन ही नहीं सकती। इसलिए बिना शरीर-श्रम किये उन नामग्री का उपयोग करने का न्यायोचित अधिकार हमें नहीं मिलना। अगर पैसे के बल पर हम नामग्री खरीदते हैं तो उन पैसे की जड़ भी अंत में श्रम ही है। इसके अलावा हम यह भी देख रहे हैं कि जब वृद्धि का उपयोग समाजहित को छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, चाहे वह स्वार्थ व्यक्ति का हो, जाति का हो, समूह का हो या देश का हो, उन्से दूसरों को हानि ही पहुँचती है। ऐसी दशा में भी ऐसे ही कुछ वृद्धि के उपयोग ने बना है।

लोगों द्वारा चलाये बिना चलेगें भी नहीं । जवनक आज की परिस्थिति चलती रहेगी और उसमें आमूल परिवर्तन नहीं होगा, तबतक इन दलीलों को महत्व देना होगा । परंतु हम यहां विचार बुनियादी मित्रान्त का कर रहे हैं । व्यावहारिक दृष्टि में उसमें ढिलाई भी सहन करनी पड़ेगी । फिर भी यह प्रश्न तो रह ही जाता है कि बुद्धिजीवियों और श्रम-जीवियों की आमदनी में उतना फर्क क्यों हो जितना अभी है ? अगर यह कहा जाय कि बुद्धिजीवियों की आदते, रहन-महन ऐसी हैं कि अधिक आमदनी के बिना उनका निभ ही नहीं सकता तो ऐसी आदते क्यों बनी ? उन्हें अब भी सुधारना संभव है या नहीं ? सुधारने का हम जी-जान से प्रयत्न क्यों न करें ? जवनक यह कमजोरी है, तबतक उन्हें कुछ अधिक सुविधा भले ही मिले जैसे कि परिवार में भी कुछ कमजोरों को दी जाती है, तथापि आज की विपमता का समर्थन कैसे हो सकता है ?

धनिक ट्रस्टी बनें

कुछ भाई यह भी कहते हैं कि हम अपनी सपत्ति का बहुत थोड़ा-सा अंश ही निजी काम में लगाते हैं, अधिकतर अंश का उपयोग बड़े-बड़े उद्योग-धंधे, जो पूजा के बल पर ही चल सकते हैं और जिनसे समाज के काम की चीजें बनती हैं उनके चलाने में ही किया जाता है, हमारे प्रयत्न के फलस्वरूप कई लोगों को काम मिलता है और उनकी आजीविका चलती है । एक प्रकार में हम यह समाज की सेवा ही करते हैं, अगर व्यक्तियों के पास विपुल सपत्ति इकट्ठी न हो तो यह कैसे हो सकेगा ? समाज के बहुत से व्यवहार रूक जायेंगे । गरीबों की आजीविका चलाने की जो बात कही जाती है उसका उत्तर तो इतना ही काफी है कि जब उन गरीबों के बिना श्रीमानों के कार-खाने या कामकाज चल ही नहीं सकते, तो यही मानना ठीक लगता है कि गरीब श्रमिक ही उनपर उपकार करने हैं जिनकी सहायता से उन्हें मुनाफा होना है । अन्य कथन में तथ्य तब होता जबकि राजसत्ता या महत्कार-समि-तियों द्वारा ऐसे काम होना संभव नहीं होते । उसकी तफसील में यहां न जावे । यहां तो धनिकों की दृष्टि में ही विचार करना है । जो धनिक भाई यह

कहते हैं कि उनके अधिकतर प्रयास का फल समाज की सुविधा है, उनके लिए सीधा प्रश्न यह है कि यह आपका प्रयास स्वार्थ के लिए है या समाज हित के लिए ? सही उत्तर तो यही होना चाहिए कि हेतु तो स्वार्थ का ही है, फिर दूसरो को कुछ लाभ मिल जाता है, तो उन दूसरो के भाग्य की बात । अगर यह उत्तर आवे कि हमारा हेतु देश-हित है तो उनका स्वागत ही है । फिर हमारा कहना इतना ही रहेगा कि वे अपने सारे काम में असलियत लावें । महात्माजी भी तो यही कहते थे न कि धनिक लोग अपनी ज्यादा सपत्ति का उपयोग समाज के हित में ट्रस्टी के तौर पर करें ? सपत्तिदान-यज्ञ और भूदान-यज्ञ का भी आखिर आशय क्या है ? अपने पास आवश्यकता से जो कुछ अधिक है उनपर अपना अधिकार न समझ कर उसका उपयोग दूसरो के लिए करें ।

दान में सदोषता

यह भी बहस चलती है कि धनिकों के दान से सामाजिक उपयोग के अनेक बड़े-बड़े कार्य होते हैं जैसेकि अस्पताल, विद्यालय आदि । अगर व्यक्तियों के पास सपत्ति इकट्ठी न हो तो समाज को यह लाभ कैसे मिलेंगे ? वास्तव में ऐसे काम करने के लिए राजसत्ता पडी है । जब सपत्ति थोड़े से हाथों में बधी न रहकर समाज में फैली रहेगी तो सहकार पद्धति से बड़े पैमाने पर ऐसे काम आसानी से चलने लगेंगे और उनका लाभ लेनेवाले, पाचक या दीन की तरह नहीं, पर सम्मानपूर्वक लाभ उठावेंगे । फिर भी धनिकों की दृष्टि से भी विचार किया जाय तो करोड़ों की सपत्ति इकट्ठी कर उममें से कुछ लाख दान में खर्च कर देने मात्र से दूसरो के हिस्से की चीज अपने पान बटोरने के दोष में वे मुक्त नहीं हो सकते । जा या बेजा रीति में बहूतना धन कमाकर उसका कुछ थोडा-सा हिस्सा दान कर देना पूरा प्रायश्चित्त नहीं है । और जब हम चारों ओर धनिकों की दान की रीति देखते हैं तो उसमें शुद्ध दान कहा तक है, इसका पता चलाना कठिन होना है । जहाँ देखो वहाँ प्रायः त्यागि या स्वार्थ की दृष्टि ही अधिकतर देखने में आती है । कभी-कभी दान का साँदा व्यापार के साँदे में भी अधिक बठोर

होता है। एक लाख का दान करके दस लाख की कीर्ति कमाने की इच्छा रहती है। शुद्ध सात्विक दान तो विरले ही होता है।

प्रारब्धवाद

अन्य देशों में और अन्य धर्मों में जो नहीं है, वह एक विशेष बात भारत में चली आ रही है। वह है प्रारब्धवाद। यह माना जाता है कि पूर्व जन्मों में जो पुण्य किया है, उसके फलस्वरूप इस जन्म में सपत्ति और आराम मिलता है। जिन्होंने पाप किया है उनको गरीबी और कष्ट भोगना पड़ता है। इस दशा में कोई किसी को दोष क्यों दे ? ऐसी बहस तो चलती रहती है, पर उसमें क्या हमारी पूरी श्रद्धा है ? मच्छी श्रद्धा हो तो खेद का कारण नहीं दीखता, क्योंकि पूर्व जन्म का इस जन्म में सबध आता है तो इस जन्म का सम्बन्ध आगामी जन्म से निस्सदेह आना ही चाहिए। इस जन्म में भाग्य से जो कुछ मिला तो मिला और न मिला तो न मिला, पर आगामी जन्म का प्रबन्ध करना तो हमारे हाथ में है। आगामी जन्म में सुख-आराम मिलता हो तो इस जन्म में हमें पुण्य-ही-पुण्य करना चाहिए। अगर यह बात व्यापक रूप से बन जाय तो फिर और अधिक क्या चाहिए ? समाज में सुख-शांति दृढ़ मूल होगी। परन्तु भाग्य के भरोसे कोई बैठा दीखता नहीं। हर एक जी-जान से खपकर सासारिक झंझटे बढा रहा है। बहुतेरे सपत्ति जोड़ने में पाप-पुण्य का ख्याल रखना भूल गए हैं। व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ने की शिकायत रात-दिन हो रही है, वह किम बात की द्योतक है ? यह मानना भी गलत होगा कि यह भ्रष्टाचार या पाप गरीब ही करते हैं, धनिक नहीं करते। वास्तव में धनिकों का पाप कम नहीं है। जब धनिक लोग भी धन कमाने में पाप करने से डरते नहीं, तब हम उनका यह प्रारब्धवाद मचमुच में दिल में है यह कैसे माने ? अगर यह प्रारब्धवाद च्याना ही है तो गरीब लोग भी यह कह सकते हैं कि अब हमारे भी भाग्य ने पटा खाया है और हमारा प्रारब्ध हमें मुझा रहा है कि श्रीमानों की सपत्ति दृष्टकर अपना भाग्य मुझारने में बाधा नहीं है। इस प्रकार प्रारब्ध-वाद दुबारी तयवार बन सकती है, और चूकि धनिकों की अपेक्षा गरीबों

की सस्या बहुत अधिक है, इसलिए धनिकों के लिए वह खतरनाक है। गरीबों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ना भयानक है, लंबे समय तक उनकी अवहेलना हुई है। अब लक्ष्मीनारायण की जगह दरिद्रनारायण की उपासना होनी चाहिए।

स्वार्थ का स्थान ?

अर्थशास्त्री कहते हैं कि व्यक्ति के स्वार्थ के लिए अवसर रखे बिना देश में उत्पादन और सपत्ति नहीं बढ़ सकेगी, किफायत भी नहीं होगी। माना कि मनुष्य में स्वार्थ-वृत्ति स्वाभाविक है, फिर भी अगर धनिक लोग खुद स्वार्थ को बहस करते हैं तो उनके लिए इतना ही उत्तर काफी है कि अगर समाज के और व्यक्ति के स्वार्थ में विरोध हो तो व्यक्ति के स्वार्थ को महत्व नहीं दिया जा सकता। अर्थशास्त्रियों की बहस में विपुल पूजा का नग्न अति-स्वार्थ मान लिया गया है, पर सर्वोदय समाज में पूजा की अपेक्षा मनुष्य का स्थान सर्वोपरि है। विकेंद्रित उत्पादन और क्षेत्र-स्वावलंबन में मनुष्य-बल और गरोर-श्रम का ही महत्व है। थोड़ी-सी पूजा काफी है। अगर कुछ चीजों के लिए दडे कारखाने चलाने की जरूरत हो, तो वे सरकार की ओर से चल सकते हैं। देश में आज सरकार की ओर से उद्योग-पधे चलाने लायक स्थिति न दिखे, तो भी वैसी स्थिति लाये बिना देश का बल्याण नहीं है। अदतक का अनुभव बताता है कि पूजा गरीबी या बेकारी की ममन्या हल नहीं कर सकती है। नैतिक दृष्टि में भी स्वार्थ-वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है। बहुत बरके स्वार्थ का अर्थ होता है परार्थ की हानि। उनी में से मर्ना दती है, जिकके फलस्वरूप कुछ घोडे-से ही लाभ उठा सकने हैं, बहुमत्यन्को को तो हानि ही पहुचती है। मानवोचित सहयोग की जगह जाल का बान्न या मत्स्य-न्याय चलता है। आखिर यह देखता है कि नमाज का बल्याण किस वृत्ति में होगा। अगर नमाज में स्वार्थ-वृत्ति के लोग अधिक हो तो क्या बल्याण की आगा रखी जा सकती है ? नमाज उचा तो परमेश्वर-वृत्ति के बल पर ही उठ सकती है। सपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार दोषा-स्पद है।

दाता को दीन बनना पडे तो ?

अर्थ-नीति के बारे मे कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते है । भारत को कल्याणकारी (वैल्फेयर) राज बनाने की बात चल रही है । कल्याण-राज का अर्थ यह समझा जाता है कि सब तरह के दुर्बलो को राज्य-सत्ता द्वारा मदद मिले अर्थात् बडे पैमाने पर कर वमूल करके उममे गरीबो को महारा दिया जाय । भारत जैसे दरिद्र देश मे यह बात बन पडना क्या सम्भव है ? इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे मे राज की प्रणाली कल्याणकारी हो, यह बात तो कुछ समझ मे आ सकती है, परन्तु आर्थिक बातो मे अर्थात् पेट भरने के विषय मे मनुष्य राज के भरोसे रहे, यह बात कहा तक ठीक है ? प्राथमिक आवश्यकताओ के बारे मे मनुष्य अपने पैर पर खडे रहने के लायक हुए विना स्वतन्त्र नही रह सकता, किमी-न-किसी प्रकार उमे पराधीन रहना होगा । अमेरिका जैसे देश का उदाहरण हमारे काम नही आ सकता । वहा सारे जगत से सपत्ति बटोरी जाकर इकट्ठी हुई है, गरीबो को भी काफी आराम मिल जाता है । वह मिसाल आज की दशा मे या जहा तक भविष्य देख सकते है वहा तक हमारे किम काम की ? हमारे यहा हर साल कही-न-कही करोडो लोगो को अकाल की-सी दशा मे से गुजरना पडना है । अनाज के भंडार भरे रहते हुए भी कुछ प्रातो मे बडी तादाद मे लोगो को भुखमरी सहन करनी पडती है । गरीबो के पाम अनाज खरीदने के लिए पैसा नही है । काम करने का अवसर नही है, इसलिए पैसा नही मिलता । घनिको के केन्द्रित उद्योगो के कारण बेकारो को गामोद्योग मुह्य्या नही किये जा सकने । यह सही है कि अकाल की-सी दशा मे कल्याण राज की तरह सरकार और दानी लोग उनको राहत पहुचाने की कुछ व्यवस्था करते है । पर क्या वह पर्याप्त है ? उम दृश्य का चित्र आम के नामने लखये कि कुछ लोग भूयो मे राजी का वितरण कर रहे है और कुछ बाजी के रहे है, कुछ दयागु बपया बाट रहे है और कुछ अवनगे रुपडा पा रहे है । ऐसे फोटो अखबारो मे छाने भी है । पर क्या ये दृश्य मनुष्य के हृदय मे व्यथा पहुचानेवाये नही है ? एक व्यक्ति चीज बाटने की दशा मे

रहे और दूसरा लेने की विपन्नावस्था में ! इसका ठीक मर्म तो तब ही नमस्त्र में आयगा जब बाटनेवालो को ऐसी चीजे मागने के लिए दीनता से अपना हाथ पसारना पड़े । स्वराज्य मिल जाने के बाद भी यह कबतक चल्ता रहेगा ? हरएक को यथोचित खाना, कपडा और मकान मिल जाने के बाद अगर कुछ बचे तो धनिक लोग भले ही उसे अपने पास रखे । उसमें भी आपत्ति तो है ही । जबतक गरीबों की सभाल ठीक-ठीक नहीं होती है तबतक धनिकों को बचैन रहना चाहिए । महलो में रहनेवालो को सोचना चाहिए कि उनके महलो के सामने ही फुट-पाथ पर ब्रेथर-बार वालो को रात-दिन अपना जीवन क्यों विताना पडता है, मोटर में बैठकर जानेवालो को सोचना चाहिए कि उसी सडक पर से नाठ-मत्तर बरस के स्त्री-पुरुषों को गिर पर लकड़ी की मोली या घान का गट्टर लेकर क्यों चलना पडता है ? ऐसी बातों का विचार करते रहने में अपने पान अधिक सपत्ति रखने का अधिकार है या नहीं, इस प्रश्न पर काफी रोगनी पडेगी ।

देश को परिवार समझें

नमस्त्रिये कि एक परिवार में पाच व्यक्ति हैं, उनको पेट भरने के लिए चार सेर अनाज की जरूरत है । अगर पूरा चार नेर अन्न मिल जाता है तो सब पेट भर खायेंगे । अगर तीन ही नेर मिले तो क्या करेंगे ? क्या एक-दो को भूखा रखकर बाकी सब पेट भर खा लेंगे ? परिवार में ऐसा नहीं होता । अगर जरूरत में कम मिलता है तो सब ही थोडा-थोडा कम लेकर निभा लेंगे । बालक और कमजोरो का ख्याल पहले दिया जाता है । ना-नाजिक दृष्टि में यही न्याय नानाज के सब व्यक्तियों पर लागू होना चाहिए । राज्यवर्ता और मनाज की दृष्टि में नारा देश एक परिवार है । अगर देश में सपत्ति पर्याप्त है तो सब पूरी भोगे । सपत्ति कम रहने की दशा में हरेक को कुछ-न-कुछ कष्ट सहने को ख्या करने को तैयार रहना चाहिए । धर्म भी यही बात सिद्धांत है । हमारी जवान पर तत्त्वज्ञान के विचार सम्य-वेसम्य आने रहते हैं । अपने-पराये का भेद गलत है । सबमें आत्मा समान है । परिवार में सबको पैदा किया हम सब भाई-बहन का बंध है । इत्यादि ।

इन मही विचारो मे आचरण का मदा मेल बैठाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए ।

शरीरश्रम से नफरत

शरीरश्रम के बारे मे हमारी सामाजिक विचारधारा मे एक बड़ा भारी दोष है जो शायद दूमरे देगो मे नही मिलेगा । हम शरीरश्रम करना नही चाहते । इतना ही नही, वरन् उमे नफरत की नजर मे देखते है और जिनको शरीरश्रम करना पडता है, उन्हे समाज मे हीन दर्जे का मानते है । श्रीमान या गरीब कोई श्रम करना नही चाहता । धनिक अपने पैमे के बल से नौकरो द्वारा अपना काम चला लेता है । गरीब भूख की लाचारी मे श्रम करता है । हमे यह वृत्ति बदलनी चाहिए । शरीरश्रम की केवल प्रतिष्ठा स्थापित कर सतोप नही मानना है, उमके लिए हमारे दिल मे प्रीति होनी चाहिए । धनिक और मध्यम वर्ग के लोगो को दूमरो के लिए शरीरश्रम का उदाहरण पेश करना चाहिए ।

आर्थिक विषमता हटे बिना चारा नहीं

पहले बताया जा चुका है कि शरीरश्रम के बिना सपत्ति नही बनती, अर्थात् धनिको के पाम जो सपत्ति इकट्ठी होनी है वह गरीबो के शरीरश्रम का ही फल है । इमके अलावा गरीबो के सहयोग के बिना धनिक लोग सपत्ति कमा नही सकते, अपने पाम रख नही सकते और उसका उपयोग या उपभोग भी नही कर सकते । न्याय की दृष्टि मे इम निर्णय पर पहुचना पडता है कि आवश्यकता मे अधिक सपत्ति रखने का और कमाने का क्रिमी व्यक्ति को अधिकार नही है । यह प्रश्न उठ सकता है कि आवश्यकता कितनी मानी जाय ? मनुष्य मनुष्य के नाने इनमे बहुत फर्क नही पटना चाहिए । बीमार और स्वस्थ, बालक और युवक और अपनी-अपनी विभिन्न आदतों के कारण भी कुछ फर्क जरूर पड सकता है और उमे मानना भी चाहिए । अगर न्याय की दृष्टि मे देखे तो आवश्यकताओ के बारे मे निर्णय करना मुश्किल नही है । परन्तु समस्या तब जटिल होती है, जब अपना स्वार्थ, सामाजिक मोड, धन मे आनन्द, आदि दोष खेल खेलते लगते ह । आवश्यकता

के प्रश्न पर यहा अधिक गहरा जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए इतना काफी है कि अभी की सामाजिक और आर्थिक घोर विपमता न्यायोचित नहीं है। उसे बदलना चाहिए। यह जमाने की मांग टाली नहीं जा सकेगी। इस प्रकार की विपमता हर जगह चलती रही है, हजारो वर्षों तक चली। साधु-संतो ने, सब धर्मवालो ने सदा आदेश दिया है कि गरीबो का खयाल करो, अपने पास जो ज्यादा है उसे दूसरो को दो। दान, धर्म, खैरात की प्रणाली चल रही है तथापि गरीबी का प्रश्न हल नहीं हुआ। ऐसे उपायो से हल होता दीखता भी नहीं। अब कुछ समय से जगत् के सामने दया की जगह समता का विचार आया है। पूरी सोलह आना समता आना सम्भव न हो तथापि अभी की विपमता का सहन होना सम्भव नहीं दीखता। यह विपमता कैसे दूर हो ? कही-कही लोगो ने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया। उसमे से अनेक बुराईया निकली जो अबतक दूर नहीं हो सकी है। विपमता दूर करने मे कानून भी कुछ मदद देता है। भारत मे कुछ अंश मे कानून का चक्र चालू भी हो गया है। परंतु कानून से मानवोचित गुणों का, सद्भावना का विकास नहीं हो सकता। महात्माजी ने हमें जो अहिंसा की विचार-धारा दी है, जिनका हमने कुछ अनुभव भी कर लिया है तथा भारत की परंपरा का खयाल करते हुए यह सम्भव दीखता है कि विपमता का प्रश्न बहुत कुछ हद तक अहिंसा के मार्ग से हल हो सकना सम्भव है। इसमें धनिको से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। उनके दिल मे परिवर्तन होना चाहिए। इनका अनर कानून बनाने की शक्ति पर भी पड़ेगा और हमारे नव वार्य-क्षेत्रो मे, नमाज मे सद्गुणों का विकास होगा। जैसे राजनैतिक स्वराज्य वा प्रश्न काफी हद तक अहिंसा के मार्ग से सुलझा, वैसे ही आर्थिक और सामाजिक समता वा प्रश्न भी भारत मे अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा, ऐसी हम धृष्टा रखे। विनोबाजी द्वारा चलाये हुए भूदान-यज्ञ और सपत्ति-दान-यज्ञ मे हम सब छोटे-बड़े, अमीर-गरीब, तहेदिल मे सहयोग दें।

गरीबो से भी दान क्यों ?

भूदान-यज्ञ मे बड़े जमींदारो मे विशय अधिक मात्रा मे जमीन मिलने

की आगा रयी गई है, साथ ही थोड़ी जमीनवालों से भी कुछ-न-कुछ जमीन मागी जा रही है। अनुभव यह रहा कि तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ी जमीन-वालों की उदारता विधेप रूप में प्रकट हुई। भूदान की तरह सपत्ति-दान में छोटे-बड़े सबमें अपेक्षा रखी गई है कि अपनी-अपनी शक्ति के अनुमार हरएक अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा दे। यह शका की जाती है कि जिनके पास पाच-दस एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है उनमें जमीन क्यों ली जा रही है? वैसे ही जिनकी आमदनी इतनी कम है कि उनको गरीबी में भी गुजर करना मुश्किल है तथा यह चिंता रखनी पडती है कि किमी प्रकार थोड़ी-सी भी अधिक आमदनी हो, उससे भी सपत्ति-दान में कुछ-न-कुछ मिलने की अपेक्षा क्यों रखी जा रही है? दान देने में किमी पर जबरदस्ती नहीं है। देना स्वेच्छा पर अवलम्बित है। देनेवाला अगर प्रमन्नता से देना है तो दान क्यों न लिया जाय? ऐसा कुछ दीखता है कि गरीबी का अनुभव होने के कारण गरीब लोग इन यज्ञों में विधेप उत्साह से शामिल होते हैं। यज्ञ में हविर्भाग देने के लिए गरीब, अमीर सबको निमत्रण है। ऐसे विध्व-यज्ञों में सबका योग आवश्यक है। बहुत दफा जब गरीब लोग दान देने का निग्रमिला शुरु कर देते हैं तो फिर धनिक भी उसमें शामिल हो जाते हैं। वास्तव में इस विषय में तो धनिकों को नेतृत्व करना चाहिए। पर उनको जो जमीन या सपत्ति देनी पड़े, उनकी तादाद बडी होने के कारण और अधिक चीज में आमक्ति भी अधिक होती है इसलिए धनिकों को अपने दिल को समझाकर निर्णय करने में कुछ देर लगती है। इसलिए गरीब हो या अमीर, जिम किमी के दिल में उत्साह हो, उसे दान करने को तैयार रहना चाहिए। इन यज्ञों में हविर्भाग देने को सबको निमत्रण देने का यह भी एक कारण है कि अभी समाज में स्वार्थ-वृत्ति बढकर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसपर कुछ पावदी लगे। जो इन यज्ञों में हिस्सा लेगा वह अपने दिल में शुद्धता-अशुद्धता का विवेक जरूर रखेगा। स्वार्थ-वृत्ति गरीब-अमीर सबमें है। सबका मानम सुधरने की जरूरत है। स्वार्थ-वृत्ति घटे प्रिना समान का उध्यान नहीं होगा। दान में सब लोग हिस्सा लेंगे तो राष्ट्रीय

जीवन शुद्ध होगा। छोटे-बड़े सबका एक-दूसरे पर असर पड़ता है। अवगुणो की तरह गुण भी मनुष्य दूसरो को देखकर सीखता है। सब आर्थिक समता तथा शरीर-श्रम और स्वावलम्बन का महत्व समझें, हर व्यक्ति दूसरो के सुख-दुःख की चिन्ता रखें, एकता की भावना बढ़े, सबका स्वार्थ घटे इत्यादि गुणो के विकान के लिए आवश्यक है कि छोटे-बड़े सब इन यज्ञो मे अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग दे।

धन की लालसा कम हो

वास्तव मे गरीबो को तो मदद पहुचनी ही चाहिए। ये यज्ञ उनको मदद पहुचाने के लिए ही है। फिर भी उनसे भी, किचित् ही क्यो न हो, कुछ-न-कुछ मागा जा रहा है, क्योकि उनमे भी धन की लालसा कम होनी लावश्यक है। आज तो गरीबो को भी हमारी आर्थिक व्यवस्था का मूल दोष मालूम नही है। अगर उन्हे धनिक होने का मौका मिले तो वे उसका लाभ उठाना चाहेगे। कोई धनिक हो या गरीब हो, या मध्यम वर्ग का सब-को धनिक बनने की लालसा सता रही है। जो धनिक नही है और धनिको को दोष देते रहते है वे भी धनिक बनने की लालसा तो रखते ही है। चारो ओर धन के लिए दांड-धूप मची हुई है। कारखानो मे मालिक और मजदूरो के बीच सदा झगडे होते रहते है। गरीबो और मजदूरो की दशा सुधारना तथा उनकी जाय बढाना लावश्यक तो है ही, परन्तु उनका ध्यान अपना सुधार करने की अपेक्षा अधिक पैसा कमाने की ओर ही अधिक है। देश में खूद की अपेक्षा दूसरे अधिक गरीब लोग भी है और उन कारखानो के कारण ही दूसरो मे बेकारी बढ रही है, इस ओर उनका ध्यान नही है। मालिको की तरह मजदूर भी कारखानो मे अधिकाधिक मुनाफे का स्वागत करते है, क्योकि उस मुनाफे मे से उनको भी कुछ हिस्सा मिल जाता है। इस तरह कारखानो मे चीजो का उपयोग करनेवाले गरीबो के हित की अपेक्षा मुनाफे की दृष्टि ही अधिक रहती है। समाज के सब वर्गो मे पैसा कमाने की लालसा को लगाम लगाने की जरूरत है। इस तत्व को समझ कर हरेक मे त्याग-वृत्ति वा विकास होना चाहिए। ये यज्ञ इनमे मदद करेगे। समझ-बूझकर

अतः करण में अगर ऐसा परिवर्तन होगा और चारों ओर ऐसी हवा फैलेगी तो धनिक लोग भी उसमें अलग नहीं रह सकेंगे ।

व्यक्तिगत मालिकी हक

सोचविचार कर देखा जाय, तो धन कमाना तो दूर रहा, समाज के सहयोग और मदद के बिना मनुष्य जिंदा भी नहीं रह सकता । अगर किसी को अपने पुरुषार्थ का धमड हो तो वह जंगल में अकेला जाकर रहकर देखे । मनुष्य समाज में रहता है, एक-दूसरे की मदद होती है, तब ही वह अपनी आजीविका चला सकता है । गरीब मजदूर को भी मालिक कुछ काम देता है तब उस मजदूर का पेट भरता है और मजदूर की मदद से मालिक का काम बन आता है । व्यापारी को कोई चीज बेचता है और उससे कोई चीज खरीदता है, तब उसका व्यापार चलता है । कारखाने में भी अनेक तरह के लोग सहयोग देते हैं । तब कारखाना चलता है । बीमारों के कारण डाक्टरों का काम चलता है और सपत्ति के झगड़ों के कारण वकीलों का । इसी प्रकार सब धर्म परस्पर के सहयोग से चलते हैं जिनसे मनुष्य की उपजीविका सधती है । जब मेरा शरीर-बल, बुद्धि-बल और सपत्ति-बल समाज पर ही निर्भर है तो इनपर केवल व्यक्तिगत मालिकी या अधिकार समझना न्यायमगत कैसे हो सकता है ?

अगर हमारा स्वार्थ हमें दूसरी ओर न खींचे तो इस निर्णय पर आना सामान होगा कि आवश्यकता में अधिक धन कमाना और अधिक सपत्ति पर व्यक्तिगत मालिकी हक समझना उचित नहीं है । मालिकी हक का समाज के हित में विमर्जन हो यानी उसका उपयोग और अपनी बुद्धि का भी उपयोग समाज को मित्रे यह माग न्याय्य माग है और कानून में या समाज की मान्यता में जो व्यक्तिगत मालिकी हक की विचारधारा चल रही है उसमें परिवर्तन होना जरूरी है, अर्थात् इस धारणा पर आना होगा कि अधिक सपत्ति व्यक्ति की न रहकर, समाज-हित के लिए हो ।

दान की मात्रा और उद्देश्य

परिवार के व्यक्तियों की औसत मर्यादा पांच मान कर दरिद्रनारायण

के रूप में बाहर के एक व्यक्ति को अपने हृदय में स्थान मिले, इस आशय से यह सूचना है कि फिलहाल सपत्ति दान में आय का कम-से-कम छठा हिस्सा दिया जाय। यह हिस्सा केवल एक साल या एक ही बार नहीं, जीवन भर देने की बात है। इन हिस्से की रकम किसी दूसरे के सुपुर्द नहीं करनी है, खुद ही खर्च कर उनका हिसाब भेज देना है। इस खर्च के विनोदजी ने तीन उद्देश्य बताये हैं —

(१) भूदान-यज्ञ के तिलनिले में जिन भूमिहीनों को जमीन दी जायगी उनके लिए नाघन-नामग्री,

(२) जो गरीब कार्यकर्ता इन यज्ञों में या ग्राम-सेवा में लगेंगे उनका निर्वाह,

(३) सत्साहित्य का प्रचार।

इन योजना में दाता पर पूरा विश्वास रखा गया है। ट्रस्टीशिप की विचारधारा अमल में लाने में यह एक कारगर कदम साबित होगा।

न्यूल दृष्टि में देखने पर जीवन भर सपत्तिदान देते रहना भारी लगना नभव है, परन्तु यह प्रक्रिया अतःकरण-शुद्धि की है, वह हमारे जीवन में नयन लाने में मदद करेगी, उनमें स्वयं-प्रेरणा से स्वयं पर नियंत्रण आता है। इनके न होने में समाज में क्या चल रहा है? जिनके पास करोड़ की सपत्ति है वे दो करोड़ बनाने में जी-जान में लग रहे हैं। नाघन की शुद्धता का शायद ही ख्याल रहता है। इतना धन कमाने की जरूरत क्या है, इन धन का क्या करेंगे, इनमें खुद का कल्याण है या नहीं, इनका विचार कितने लोग करते हैं? धनिकों को अपने काम-काज में व्यस्त रहने के कारण देश-सेवा के लिए फुरस्त नहीं, गरीबों को पेट भरने की चिंता के कारण अवकाश नहीं मध्यम वर्ग बर्ती हुई महााई के कारण व्रस्त है। देश-सेवा के काम के लिए कुछ अपवाद रूप षोडे में ही मिलने है। इस दशा में हमारी प्राति बने हो? वास्तव में सबसे अधिक मुविधा उन धनिकों को है, जिनके परिवार में काफी लोग हैं, जिनमें से कुछ काम-काज सभालने लायक है। उन्हें अपनी धार्मिक परंपरा के अनुरूप नमस्कार वानप्रस्थाश्रम स्वीकार कर

गरीबों की सेवा में लग जाना चाहिए। परन्तु ससार की तथा धन की लालसा इतनी तीव्र है कि मरने तक इन बन्धनों से छूटने का हम विचार तक नहीं करते।

दान की कुछ तफसील

धनिकों को कुछ-न-कुछ दान तो करना ही पड़ता है, कुछ शायद अपनी आय के छठवें हिस्से में अधिक भी करते होंगे। पर यह दान खुद की प्रेरणा से न होकर प्रायः पर-प्रेरित होता है। कुछ विशिष्ट लोग मागने को आते हैं तो इन्कार नहीं कर सकने। जिस काम के लिए दान दिया जाता है वह चाहे उन्हें पसन्द न भी हो ऐसा दान लेने वाले और देने वाले, दोनों के लिए अप्रिय रहता है। इसके बदले अगर ऐसा नियम बना लिया जाय कि हर माल आय का अमुक हिस्सा दान किया जायेगा, तो दाता खुद सोचेगा कि कौन-कौन से काम उसके दान के लायक हैं। जो काम उसे प्रिय होगा, उसके लिए खुद सोच-समझ कर वह अपने दान की रकम खर्च करेगा और अपने प्रिय उद्देश्य को सफल होते देखेगा। कुछ व्यापारियों में यह परम्परा रही है कि वे अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा दान-धर्म के लिए हर माल अलग रखते रहे। कुछ जैन भाई अमुक मात्रा से अधिक सम्पत्ति संग्रह न करने का व्रत भी लेते हैं। ऐसी पद्धति को सम्पत्ति-दान-यज्ञ व्यापक बनाना चाहता है। पुरानी पद्धति में एक बड़ा दोष यह आ गया है कि वह समयानुकूल नहीं रही है। सात्विक दान तो वही समझा जा सकता है कि जो 'देशे काले च पात्रे च' हो। विनोबाजी ने सम्पत्ति-दान के ऊपर लिखे जो उद्देश्य बताये हैं, वे देश की वर्तमान परिस्थिति में बहुत उपयुक्त हैं। अभी धनिकों द्वारा जो दान होता रहता है उसका लाभ प्रायः शहरी मध्यम वर्ग के लोगों को ही मिलता है। वास्तव में दान गरीब-से-गरीब के पास पहुँचना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिसको दान दिया जाता है, वह पगु न बने, बल्कि काम में लग कर स्थायी रूप में अपनी आजीवन अपने धर्म में सम्मानपूर्वक चला सके। भूदान-यज्ञ और सम्पत्ति-दान-यज्ञ में व्रत प्राप्त प्रियतम रूप में सञ्चली है।

जिनकी आय अपने और परिवार के पालन-पोषण के लिए भी पर्याप्त नहीं है उन्हें सम्पत्ति-दान म छठा हिस्सा देना भारी मालूम है। तो वे अपनी शक्ति के अनुसार कम हिस्सा देने की भी सोच सकते हैं, जीवन भर का सकल्प करने का साहस न हो तो कुछ मर्यादित समय का भी विचार किया जा सकता है ? पर वह समय पाच वर्षों से कम तो क्या हो सकता है ? कुछ भाइयों का कहना है कि संपत्ति-दान का हिस्सा देने के उपरान्त दान की कुछ ऐसी दूसरी मांगे भी हैं जिन्हें इन्कार नहीं किया जा सकता और सम्पत्ति-दान का हिस्सा दान देने के बाद अधिक देने की शक्ति नहीं रहती। अगर ऐसा कुछ हो तो विनोवाजी को लिख कर संपत्ति-दान के हिस्से में से ही कुछ व्यवस्था हो सकना संभव है, पर संपत्ति-दान का हिस्सा विगेष कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि संपत्ति-दान में योग देने का प्रयोजन सकल करना ही है। यह भी न भूलना चाहिए कि धनिकों की जितनी अधिक आय हो, उतनी ही उनकी सम्पत्ति-दान की मात्रा अधिक अर्थात् छोटे हिस्से में भी ज्यादा हो। जो अपनी आय का हिस्सा देने की इच्छा नहीं रखते वे अपन गृहस्थी के खर्च का हिस्सा दे सकते हैं। इसमें विवाह आदि प्रसंगों का खर्च भी शामिल समझना चाहिए।



संपत्ति-दान-यज्ञ के दान-पत्र का नमूना

श्री विनोवाजी, आपने भारतीय परम्परा के अनुसार आर्थिक क्रान्ति की अहिमक प्रतिक्रिया को सम्पूर्ण रूप देने की दृष्टि में अब लोगों में भूमि के अलावा अपनी सम्पत्ति का भी पट्टाश देने की माग की है। भूमिदान-यज्ञ में जो लोग भूमि न होने के कारण विशेष सहयोग नहीं दे सकते थे, उनके लिए भी अब आपने रास्ता खोल दिया है। दरिद्रनारायण के लिए किये गये आपके इस आवाहन पर मैं अपनी $\frac{\text{आय}}{\text{व्यय}}$ का वा हिस्सा आपको अर्पित करता हूँ तथा हर साल आपके निर्देशानुसार मैं इसका विनियोग सार्वजनिक कार्य के लिए करूँगा।

अपनी आय या व्यय का जितना हिस्सा सम्पत्ति-दान में अर्पित करने का तय किया है उसके खर्च का वार्षिक हिसाब आपको, या आपके प्रतिनिधि या जिम समिति को आप अधिकार दें, उसको मैं नियमित भेजना रहूँगा।

ऊपर लिखे हुए हिस्से की सारी रकम को सुरक्षित रखने तथा आपके निर्देशानुसार उसको खर्च करने की जिम्मेदारी मैं मान्य करता हूँ।

अपने नियम का साक्षी अन्तर्यामी रूप में मैं ही स्वयं हूँ तथा मुझे अपनी अन्तरात्मा में वफादार रहना है।

इन्द्रवर मुझे बल देगा।

मेरी सम्पत्ति आदि का व्यौरा साथ में दिया है।

तारीख _____ हस्ताक्षर _____

पूरा नाम-पता _____

सम्पत्ति का व्यौरा _____

आय का व्यौरा _____ वार्षिक/मासिक

वे हिस्से की रकम _____ " "


सूचना—यह दानपत्र भर कर विनोवाजी के पास या सर्व-सेवा-नय, नेत्राग्राम के पते पर भेज दें और दिये हुए हिस्से की रकम अपने पास सुरक्षित रखें। जब विनोवाजी या उनके द्वारा नियुक्त समिति कोई आदेश देगी, तभी उस निर्देश के अनुसार इस रकम का विनियोग करना है।

नई क्रांति-माला

की

पुस्तकें

१. सर्वोदय का घोषणापत्र
२. सर्वोदय के सेवकों से
३. भूदान-यज्ञ
४. घमं-चक्र-प्रयत्न
५. मानवीय क्रांति
६. नई क्रांति
७. नई क्रांति के गीत
८. हमारी भूमि-समस्या का हल
९. दंड-निरपेक्ष समाज-रचना
१०. सम्पत्तिदान-यज्ञ



मानवीय क्रांति

दादा धर्माधिकारी

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

मानवीय क्रान्ति

—समाज के नव-निर्माण के लिए दुनियादी विचारों की व्याख्या—

दादा धर्माधिकारी



१ ९ ५ ४

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

सर्व-सेवा-सघ' के लिए
मार्तण्ड उपाध्याय
मन्त्री, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली
द्वारा प्रकाशित

दूसरी बार १९५४
कुल छपी प्रतिया : १५,०००
मूल्य
चार आना

मुद्रक
नेशनल प्रिंटिंग वर्कस,
दिल्ली

भूमिका

दादा धर्माधिकारी के भूदान-यज्ञ और सम्पत्ति-दान-यज्ञ विषयक लेखों का पुस्तकाकार में संग्रह प्रकाशित किया जा रहा है, यह खुशी की बात है। उनके नारे लेख में पड़ तो नहीं सका है। 'मवोदय' में आते थे तो नरनरी और पर में देव जाता था। लेकिन जीवन-विषयक बहुत से प्रश्नों पर उनका और मेरा दृष्टिकोण मिलता-जुलता रहा है। विचार-प्रदर्शन का उनका अपना एक ढाँचा है जो कुछ लोगों को ग्रहण नहीं होता, जिन्हें कुछ लोगों को 'गाँक' भी लगता है। लेकिन आधुनिकतम परिभाषा का वे प्रयोग करते हैं, इसलिए निम्नलिखितों में खानकर विद्यार्थियों में, उनके मध्य विचार-परिवर्तक साबित होते हैं।

मुझे आशा है भूदान-यज्ञ के माहिल्य में इस पुस्तक में एक कमी की पूर्ति होगी।

पडाव लक्ष्मीतराय

२७-१०-५३

—विनोबा

विषय-सूची

- १ गाधी-प्रक्रिया का परिणत स्वरूप, ५
- २ भूदान-यज्ञ का बीजगणित, ८
- ३ दान-प्रक्रिया में क्रान्ति, १२
- ४ वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया, २३
- ५ क्रान्ति के बीज, २७
- ६ ऊसर जमीन के दान का आक्षेप, ३२
- ७ जमीन पानेवाले का गौरव, ३५
- ८ भूदान-यज्ञ सत्याग्रह का विवायक स्वरूप, ३९
९. नये युग की स्त्री के लिए सुयोग, ४५
१०. सम्पत्ति-दान का क्रान्तिकारी कदम, ४८
- ११ सम्पत्ति-दान यज्ञ का सर्वस्पर्शी स्वरूप, ५२



मानवीय क्रान्ति

: १ :

गांधी-प्रक्रिया का परिणत स्वरूप

स्व किशोरलाल भाई मंगरुवाला ने विनोबा के भूदान-यन के प्रयोग को गांधी-प्रक्रिया का 'परिणत-स्वरूप' कहा था। लेकिन कुछ प्रगतिवादी समाचार-पत्रों ने विनोबा के इन उपक्रम की कड़ी आलोचना की। उनका यह आक्षेप है कि इन प्रकार के आन्दोलन में अराज्यवाद की प्रवृत्ति जोर पकड़ेगी और देश में विधि-युक्त नत्ता की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी।

जनता का अनुमोदनरूपी आधार

इस आलोचना में एक गम्भीर तर्क-दोष है। हर एक राज्य के विधान के पीछे जनता के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। उन का अनुमोदन यदि हो तो कानून का अमल करने के लिए दण्ड की शरण नहीं लेनी पटनी।

नलिए शासन को जनता का स्वयंप्रेरित समर्थन और सहयोग प्राप्त करा देना हर एक लोक-निष्ठ कार्यकर्ता का परम कर्तव्य है। जनता का स्वयंप्रेरित प्रदत्त प्रशासन को शक्ति देता है और उसकी नींव को दृढ़ करता है। विनोबा का उपक्रम इसी प्रकार का है।

मानवोचित श्रान्ति

ढग से करना चाहते हैं। वे सम्पत्तिमानों को यह समझाना चाहते हैं कि वे सम्पत्ति के सविभाजन में यदि सहयोग देंगे तो मानवता की बलि दिये बिना ही क्रान्ति होगी। मगम्र और हिंसक क्रान्ति या सम्पत्ति का बलपूर्वक अपहरण करने से दोनों पक्षों में कटुता पैदा होती है। सविभाग तो होगा, लेकिन अन्तःकरण में गहरे घाव रह जायेंगे। इसमें भयानक साम्प्रतिक हानि होगी। इस अनर्थ से मानवता को बचाने का मकल्प विनोबा ने किया है। हो सकता है कि उनकी शक्ति परिमित साधित हो, लेकिन साधान् भगवान् बोल चुके हैं कि 'स्वल्पमप्यस्य वर्मस्य त्रायते महतो भयान्।'

छोटे-बड़े भूपतियों की शृंखला

सर्वभूमि भूपति सम्राट् कहलाता था, एक राष्ट्र का भूपति राजा कहलाता था और फुटकर भूपति जमींदार तथा मरमायेदार कहलाते थे। इस प्रकार एक तरफ छोटे-बड़े भूपतियों की परम्परा थी और दूसरी तरफ जमीन जोतनेवाले छोटे-बड़े भू-दामों की श्रेणी थी। आज जो भू-दाम हैं, याने अपने परिश्रम में जमीन जोतते हैं, वे भी भूपति बनना चाहते हैं। पहले छोटे-बड़े भूपति, अब सभी समान आकार के भूपति बनना चाहते हैं, किन्तु बनना चाहते हैं भूपति ही।

भावी समाज भूपतियों का नहीं, निर्माताओं का

विनोबा समाज में यह मकल्प जाग्रत करना चाहते हैं कि भविष्य में समाज भूपतियों का नहीं भू-माना के पुत्रों का होगा। मालिकों का नहीं उत्पादकों का होगा। नृपति का घनधान्य खा-प्याकर स्वप्न करनेवालों का नहीं, नृपति की समृद्धि और उत्पादन-शक्ति बढ़ानेवालों का होगा।

शास्त्रपूत अनुभवसिद्ध प्रयोग

इसके लिए दो तरह की भावनाओं का विकास करना होगा। सम्पत्ति-धारियों में आत्म-विमर्जन की भावना पैदा करनी होगी और छोटे-छोटे भूस्वामी किसानों में दृष्टीशक्ति की भावना का विकास करना होगा। दृष्टीशक्ति क्रान्ति की यही विधि है। विनोबा इसके विज्ञाना और अनुष्ठाना

हैं। उनका प्रयोग शास्त्रपूत और अनुभवसिद्ध हैं। वह अवग्य कल्याणकारी सिद्ध होगा। इन देन से सभी आर्थिक स्वतन्त्रतावादी व्यक्तियों को इस महान् उपक्रम में उत्साह और लगन के साथ सहयोग देना चाहिए। उनकी नुकताचीनी करने में किमी का फायदा नहीं है।

सोने का नहीं, मिट्टी का निरख

दिनोदा के प्रयोग की एक अपूर्व विनोपता यह है कि वे सोने की जगह मिट्टी का निरख बटाना चाहते हैं, इसलिए वे किमी से पैना नहीं लेते। निरख मिट्टी मागतें हैं। धरती माता के वे अनन्य उपानक हैं।

मिट्टी में सृष्टि का वैभव

श्रीकृष्ण ने जब मिट्टी फाकी तो यगोदा ने उन्हें डाटा। 'मैंने मिट्टी नहीं खाई' यह दिखाने के लिए श्रीकृष्ण ने अपना मुह बाकर दिखाया तो यगोदा ने उन छोटे से मुखारविन्द में विष्वम्प का नारा वैभव देखा। "क्वचिन् मृत्नागित्वम्, क्वचिदपि च वैशुठविभव ।" दिनोदा के इन साधारण-ने प्रयोग में ऐना ही इगित ननिहिन है।

नमार में भूपति भूमि का नग्रह करने ह, नृपति जन-नग्रह करने हैं और धनपति धन-नग्रह करते हैं। किन्तु मानवीय प्रान्ति ना यह आनुनिष् अग्रदूत केवल स्नेह-नग्रह करके धरती का दोस घटा रहा है।

ढग में करना चाहते हैं। वे सम्पत्तिमानों को यह समझाना चाहते हैं कि वे सम्पत्ति के सविभाजन में यदि सहयोग देगे तो मानवता की बलि दिये बिना ही क्रान्ति होगी। मजस्र और हिंसक क्रान्ति या सम्पत्ति का बलपूर्वक अपहरण करने से दोनों पक्षों में कटुता पैदा होती है। सविभाग तो होगा, लेकिन अन्तःकरण में गहरे घाव रह जायेंगे। इसमें भयानक सांस्कृतिक हानि होगी। इस अनर्थ में मानवता को बचाने का सकल्प विनोबा ने किया है। हो सकता है कि उनकी शक्ति परिमित साबित हो, लेकिन साक्षात् भगवान् बोल चुके हैं कि 'स्वल्पमप्यस्य वर्मस्य त्रायते महतो भयात्।'

छोटे-बड़े भूपतियों की शृंखला

सार्वभौम भूपति सम्राट् कहलाना था, एक राष्ट्र का भूपति राजा कहलाना था और फुटकर भूपति जमींदार तथा सरमायेदार कहलाने थे। उस प्रकार एक तरफ छोटे-बड़े भूपतियों की परम्परा थी और दूसरी तरफ जमीन जोतनेवाले छोटे-बड़े भू-दामों की श्रेणी थी। आज जो भू-दाम हैं, माने अपने परिश्रम से जमीन जोतते हैं, वे भी भूपति बनना चाहते हैं। पहले छोटे-बड़े भूपति, अब सभी समान आकार के भूपति बनना चाहते हैं, किन्तु बनना चाहते हैं भूपति ही।

भावी समाज भूपतियों का नहीं, निर्माताओं का

विनोबा समाज में यह सकल्प जाग्रत करना चाहते हैं कि भविष्य में समाज भूपतियों का नहीं भू-माना के पुत्रों का होगा। मालिकों का नहीं उत्पादकों का होगा। मृष्टि का धनवान्य खा-ग्याकर खत्म करनेवालों का नहीं, मृष्टि की समृद्धि और उत्पादन-शक्ति बढ़ानेवालों का होगा।

शास्त्रपूत अनुभवसिद्ध प्रयोग

दुम्ने गिरा दो तरह की भावनाओं का विकास करना होगा। सम्पत्ति-धारियों में आत्म-विमर्जन की भावना पैदा करनी होगी और छोटे-छोटे भस्वामी किसानों में दृष्टी-शक्ति की भावना का विकास करना होगा। अहिंसक क्रान्ति की यही विधि है। विनोबा उमड़े विज्ञान और अनुयाता

हैं। उनका प्रयोग शास्त्रपूत और अनुभवमिद्ध हैं। वह अव्यय कल्याणकारी मिद्ध होगा। इन देश ने सभी आर्थिक स्वतन्त्रतावादी व्यक्तियों को इस महान् उपक्रम में उल्हाह और लगन के साथ सहयोग देना चाहिए। उनकी नुक्ताचीनी करने में किन्नी का फायदा नहीं है।

सोने का नहीं, मिट्टी का निरख

विनोदा के प्रयोग की एक अपूर्व विशेषता यह है कि वे सोने की जगह मिट्टी का निरख बटाना चाहते हैं, इसलिए वे किन्नी से पैसा नहीं लेते। निर्फ मिट्टी मागते हैं। धरती माता के वे अनन्य उपामक हैं।

मिट्टी में सृष्टि का वैभव

श्रीकृष्ण ने जब मिट्टी फाकी तो यगोदा ने उन्हें डाटा। 'मैंने मिट्टी नहीं खाई' यह दिज्ञाने के लिए श्रीकृष्ण ने अपना मुह बाकर दिज्ञाया तो यगोदा ने उन छोटे में मुखारविन्द में विश्वरूप का नारा वैभव देवा। "क्वचिन् मृत्नागित्वम्, क्वचिदपि च वैकुण्ठविभव ।" विनोदा के इन साधारण-मे प्रयोग में ऐना ही इगित नन्निहिन है।

ननार में भूपति भूमि का नग्रह करते ह, नृपति जन-नग्रह करने हैं और धनपति धन-नग्रह करते हैं। किन्तु मानवीय ज्ञानि न यह आधुनिक अग्रदूत केवल स्नेह-नग्रह करके धरती का दोन घटा रहा है।

भूदान-यज्ञ का बीजगणित

भूदान-यज्ञ आन्दोलन का विचार आर्थिक संयोजन की दृष्टि से कई घुग्घर अर्थशास्त्रियों ने और राज्य-नेताओं ने भी किया है और आर्थिक दृष्टि से हिमाव करना आवश्यक और उपयुक्त भी है। विनोबा के दो सूत्र प्रसिद्ध हैं, वे कहा करते हैं कि परमात्मा के वाद मेरा विश्वास गणित में है। वे यह भी कहा करते हैं कि परमार्थ उत्कृष्ट हिमाव का नाम है, अर्थात् विनोबा गणित की दृष्टि से और हिमाव की दृष्टि से भी अपनी सारी योजनाओं का बड़ी भावधानी में विचार कर लेते हैं। लेकिन उनके इस भूदान-यज्ञ-आन्दोलन में अकगणित की अपेक्षा बीजगणित की प्रक्रिया अधिक है। अकगणित का मारा दारोमदार आकड़ों और रकमों पर होता है। बीजगणित में आकड़ों की जगह 'सकेत' (सिंक्रस) होते हैं। भूदान-यज्ञ में 'दान' और 'यज्ञ' ये दोनों शब्द सांकेतिक हैं।

'दान' शब्द का सांकेतिक अर्थ

'दान' शब्द सम्पत्ति के समान वितरण का संकेत है। जिम्मे सग्रह कर लिया हो, वह उस सग्रह के विभाजन के लिए दान करे। जबतक सम्पत्ति का समान वितरण न हो, या कम-से-कम न्यायोचित वितरण न हो, तबतक उनका दान परिपूर्ण नहीं होगा।

समान वितरण और न्यायोचित वितरण

हमने समान वितरण और न्यायोचित वितरण में भेद किया है, क्योंकि मनुष्यों की तथा वृद्धों की आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। आवश्यकतापूर्ण वितरण का हम न्यायोचित वितरण कहेंगे। अकगणित के सिद्धांत में वितरण के सिद्धांत में जाना है। हमें कैंदी को छ-छ रोटिया

मिलती है। जो पाच खाये उसकी भी पेगी होती है और जो सातवीं मागे, उसकी भी पेगी होती है। साधारण गुणाकार या मोटा हिमाव नुविधा-जनक भले ही हो, परन्तु वह हमें न्यायोचित नहीं होता। हम मरह का विभाजन इनीलिए तो चाहते हैं, न कि वह अन्याययुक्त है? हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम विपमता का निराकरण करना चाहते हैं, न कि विविधता का या विविष्टता का।

दान-वृत्ति की अपार महिमा

मतलब यह कि दान में सम्पत्ति के नविभाग (सम्यक् विभाजन) का नकेत है। जो सम्पत्तिमान है उन्हें मरह के प्रायश्चिन के रूप में दान करना चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे तो उनकी सम्पत्ति का परिहरण (ऐम्प्रोप्रिएशन) नहीं करना पड़ेगा। सम्पत्ति को मर्यादित करनेवाले जो कानून बनेंगे, उनके साथ वे भी सहमत रहेंगे। दान में प्रतिमूल्य की या मुआवजे की भावना के लिए गुंजाइश ही नहीं। जो दान देता है, वह दान की वस्तु के साथ-साथ दान की पूर्ति के लिए उपर में और दक्षिणा भी दे देता है। जो पुराणमतवादी लोग ब्राह्मण को दान में गाय, भवान या अन्य कोई वस्तु देते हैं, वे उन दान की परिपूर्ति के लिए दक्षिणा भी देते हैं। दान में बन्ध के त्याग के साथ-साथ प्रायश्चिन की भी भावना है। सम्पत्ति व्यक्ति यदि अपनी मर्जी से सम्पत्ति के नविभाग का आरम्भ कर देंगे तो उनकी सम्पत्ति के साथ-साथ उनकी प्रतिष्ठा और हिम्मत भी नष्ट जाती। अमीरी को नष्ट करके अमीरो की इज्जत और हिम्मत बचा लेने का यह अनोखा तरीका है। यह अमीरो और मीरों की इमान्दारी बरतना है।

यज्ञ में आत्मोत्सर्ग है

केवल बड़े-बड़े जमींदारों में ही जमीन नहीं मागते, वे एक एकड़ और आध एकड़वाले छोटे-छोटे आदमियों से भी भूदान ले लेते हैं। कोई आध एकड़-वाला आदमी अपनी कुल जमीन दे दे तो वे भी ले लेते हैं। क्योंकि गरीब का दान यज्ञरूप होता है। हजार एकड़वाला अगर नी मी एकड़ भी दे दे, तो भी वह आपको अपना पेट काटकर नहीं देता। अपनी जीविका का उत्सर्ग नहीं करता, वह केवल अपने वैभव का अधिकांश आपको दे देता है। लेकिन अगर पाच एकड़वाला ढाई एकड़ दे देता है, तो वह अपना आधा राज ही नहीं, आधा पेट आपको दे देता है। इसलिए उमका दान यज्ञरूप है। वह अपनी मिलकियत की भावना की ही आहुति दे देता है।

भूमाता की पुकार

हम जिम समाज की स्थापना करना चाहते हैं वह समाज मालिकों का नहीं, उत्पादकों का होगा, अब इस वसुधा में कोई भूपति या नरपति नहीं होगा, सभी मानव भूमि-पुत्र होंगे। यह भूमि मालिकों से और पतियों से तग आ गई है। गाय का रूप धारण करके मानो वह भगवान् में ही कह रही है कि मुझे अब इस पाप का भार हो रहा है। मेरे सभी पुत्र मेरे स्वामी बनना चाहते हैं। भगवान् ने उसे आश्वामन दे दिया है कि जिस प्रकार अब राज्य-नन्ता किसी राजा की या राजवंश की नहीं रह गई है, उसी प्रकार अब यह धरती भी किसी मालिक की नहीं रहेगी। धरती में से जो टुक निकली, वही भगवान् का सकल बनकर अब आकाश में गूजने लगी है।

मिलकियत का निराकरण

नेट मायमन के शब्द थे, "भविष्य का समाज स्वामियों (प्रोप्राइटर्स) का नहीं, उत्पादकों (प्रोड्यूसर्स) का होगा।" गांधी ने कहा था, "सभी सम्पत्तिधारी अपने आपको सम्पत्ति के न्याय-रक्षक (ट्रस्टी) मानेंगे। जो बड़े सम्पत्तिधारी होंगे, वे अपनी सम्पत्ति का विमर्जन करेंगे और जिनके पास शोरी-सी ही सम्पत्ति होगी, वे भी अपने आपको उसके मालिक नहीं समझेंगे।"

यज्ञ की व्यापकता

विनी ने विनोवा ने कहा कि "मुट्ठी-भर बड़े-बड़े मालिकों की जगह दुनिया पर छोटे-छोटे मालिकों का जाल आप फैला देंगे तो आगे चलकर सहयोग के तत्व की स्थापना करना मुश्किल हो जायगा। ये सारे छोटे-छोटे मालिक अपनी मिलकियत की रक्षा के लिए लड़ने खड़े हो जायगे।" इसलिए विनोवा ने अपने भूदान-आन्दोलन में 'यज्ञ' का भी समावेश कर लिया है। यज्ञ में छोटे-बड़े सभी अपनी-अपनी इच्छा और शक्ति के अनुरूप हविर्भाग लाते हैं।

नमक-सत्याग्रह का दृष्टांत

नाकेतिक आन्दोलन में पुण्य-भावना का महत्व बहुत अधिक होता है। पुण्य-भावना नारे वायु-मण्डल को मुरभित कर देती है। गांधीजी ने चूटकी भर नमक बनाया। उनमें यहाँ के कोई समुद्र तो नहीं सूँव गए और न लक्षणागार ही खाली हुए। परन्तु उन छोटे-से नकेन ने नारे वायुमण्डल को अभिमंत्रित कर दिया। विनोवा का यह आन्दोलन प्रियायक मंत्रिभाग की भावना में नारे वातावरण को सुगन्धित कर देगा।

दिना नैवेद्य के प्रसाद कहा ?

केवल बड़े-बड़े जमींदारों से ही जमीन नहीं मागते, वे एक एकड़ और आध एकड़वाले छोटे-छोटे आदमियों से भी भूदान ले लेते हैं। कोई आध एकड़वाला आदमी अपनी कुल जमीन दे दे तो वे भी ले लेते हैं। क्योंकि गरीब का दान यज्ञरूप होता है। हजार एकड़वाला अगर नौ एकड़ भी दे दे, तो भी वह आपको अपना पेट काटकर नहीं देता। अपनी जीविका का उत्सर्ग नहीं करता, वह केवल अपने वैभव का अधिकांश आपको दे देता है। लेकिन अगर पाच एकड़वाला ढाई एकड़ दे देता है, तो वह अपना आधा राज ही नहीं, आधा पेट आपको दे देता है। इसलिए उसका दान यज्ञरूप है। वह अपनी मिलकियत की भावना की ही आहुति दे देता है।

भूमाता की पुकार

हम जिस समाज की स्थापना करना चाहते हैं वह समाज मालिकों का नहीं, उत्पादकों का होगा, अब इस वमुधा में कोई भूपति या नरपति नहीं होगा, सभी मानव भूमि-पुत्र होंगे। यह भूमि मालिकों से और पतियों से तग आगई है। गाय का रूप वारण करके मानो वह भगवान् से ही कह रही है कि मुझे अब इस पाप का भार हो रहा है। मेरे सभी पुत्र मेरे स्वामी बनना चाहते हैं। भगवान् ने उसे आश्वासन दे दिया है कि जिस प्रकार अब राज्य-मत्ता किसी राजा की या राजवंश की नहीं रह गई है, उसी प्रकार अब यह घरती भी किसी मालिक की नहीं रहेगी। घरती में से जो टुक निकली, वही भगवान् का मकेन बनकर अब आकाश में गूजने लगी है।

मिलकियत का निराकरण

मैट मायमन के शब्द थे, "भविष्य का समार स्वामियों (प्रोप्राइटर्स) का नहीं, उत्पादकों (प्रोड्यूसर्स) का होगा।" गांधी ने कहा था, "सभी सम्पत्तिधारी अपने आपको सम्पत्ति के न्याम-रक्षक (ट्रस्टी) मानेंगे। जो बड़े सम्पत्तिधारी होंगे, वे अपनी सम्पत्ति का विमर्जन करेंगे और जिनके पाम थोड़ी-सी ही सम्पत्ति होगी, वे भी अपने आपको उसके मालिक नहीं समझेंगे।"

यज्ञ की व्यापकता

किन्नी ने विनोबा ने कहा कि “मुट्ठी-भर बड़े-बड़े मालिकों की जगह दुनिया पर छोटे-छोटे मालिकों का जाल आप फैला देंगे तो आगे चलकर सहयोग के तत्व की स्थापना करना मुश्किल हो जायगा। ये सारे छोटे-छोटे मालिक अपनी मिलकियत की रक्षा के लिए लड़ने खड़े हो जायगे।” इसलिए विनोबा ने अपने भूदान-आन्दोलन में ‘यज्ञ’ का भी समावेश कर लिया है। यज्ञ में छोटे-बड़े सभी अपनी-अपनी इच्छा और शक्ति के अनुरूप हविर्भाग लाते हैं।

नमक-सत्याग्रह का दृष्टांत

सांकेतिक आन्दोलन में पुण्य-भावना का महत्व बहुत अधिक होता है। पुण्य-भावना सारे वायु-मण्डल को नुरभित कर देती है। गांधीजी ने चूटकी भर नमक बनाया। उनमें यहाँ के कोई नमूद्र तो नहीं सूत्र गए और न लवणागार ही खाली हुए। परन्तु उन छोटे-से नमक ने सारे वायुमण्डल को अभिमन्त्रित कर दिया। विनोबा का यह आन्दोलन विधायक मन्त्रिणाग की भावना में सारे वातावरण को नुगधित कर देगा।

दिना नैवेद्य के प्रसाद कहा ?

केवल बड़े-बड़े जमींदारों से ही जमीन नहीं मागते, वे एक एकड़ और आध एकड़वाले छोटे-छोटे आदमियों से भी भूदान ले लेते हैं। कोई आध एकड़-वाला आदमी अपनी कुल जमीन दे दे तो वे भी ले लेते हैं। क्योंकि गरीब का दान यज्ञरूप होता है। हजार एकड़वाला अगर नौ सौ एकड़ भी दे दे, तो भी वह आपको अपना पेट काटकर नहीं देता। अपनी जीविका का उत्सर्ग नहीं करता, वह केवल अपने वैभव का अधिकांश आपको दे देता है। लेकिन अगर पांच एकड़वाला ढाई एकड़ दे देता है, तो वह अपना आधा राज ही नहीं, आधा पेट आपको दे देता है। इसलिए उसका दान यज्ञरूप है। वह अपनी मिलकियत की भावना की ही आहुति दे देता है।

भूमाता की पुकार

हम जिस समाज की स्थापना करना चाहते हैं वह समाज मालिकों का नहीं, उत्पादकों का होगा, अब इस वसुधा में कोई भूपति या नरपति नहीं होगा, सभी मानव भूमि-पुत्र होंगे। यह भूमि मालिकों से और पतियों से तग आ गई है। गाय का रूप धारण करके मानो वह भगवान् से ही कह रही है कि मुझे अब इस पाप का भार हो रहा है। मेरे सभी पुत्र मेरे स्वामी बनना चाहते हैं। भगवान् ने उसे आश्वासन दे दिया है कि जिस प्रकार अब राज्य-सत्ता किसी राजा की या राजवंश की नहीं रह गई है, उसी प्रकार अब यह धरती भी किसी मालिक की नहीं रहेगी। धरती में से जो हूक निकली, वही भगवान् का मकेत बनकर अब आकाश में गूजने लगी है।

मिलकियत का निराकरण

मॅट मायमन के शब्द थे, "भविष्य का ससार स्वामियों (प्रोप्राइटर्स) का नहीं, उत्पादकों (प्रोड्यूसर्स) का होगा।" गांधी ने कहा था, "सभी सम्पत्तिधारी अपने आपको सम्पत्ति के न्यास-रक्षक (ट्रस्टी) मानेंगे। जो बड़े सम्पत्तिधारी होंगे, वे अपनी सम्पत्ति का विसर्जन करेंगे और जिनके पाम थोड़ी-सी ही सम्पत्ति होगी, वे भी अपने आपको उसके मालिक नहीं समझेंगे।"

यज्ञ की व्यापकता

किन्नी ने विनोबा ने कहा कि "मुट्ठी-भर बड़े-बड़े मालिकों की जगह दुनिया पर छोटे-छोटे मालिकों का जाल आप फैला देंगे तो आगे चलकर सहयोग के तत्व की स्थापना करना मुश्किल हो जायगा। ये सारे छोटे-छोटे मालिक अपनी मिलकियत की रक्षा के लिए लड़ने खड़े हो जायेंगे।" इसलिए विनोबा ने अपने भूदान-आन्दोलन में 'यज्ञ' का भी समावेश कर लिया है। यज्ञ में छोटे-बड़े सभी अपनी-अपनी इच्छा और शक्ति के अनुरूप हविर्भाग लाते हैं।

नमक-सत्याग्रह का दृष्टांत

नाकेतिक आन्दोलन में पुण्य-भावना का महत्त्व बहुत अधिक होता है। पुण्य-भावना सारे वायु-मण्डल को नुरमित कर देती है। गांधीजी ने चूटकी भर नमक बनाया। उसने यहाँ के कोई समुद्र तो नहीं सूख गए और न लवणागार ही खाली हुए। परन्तु उस छोटे-से नमक ने सारे वायुमण्डल को अभिमंत्रित कर दिया। विनोबा का यह आन्दोलन त्रिप्रायः सविभाग की भावना ने सारे वातावरण को सुगमित कर देगा।

विना नैवेद्य के प्रसाद कहा ?

दान-प्रक्रिया से क्रान्ति

इस यज्ञ के सत्रव में कुछ मूलभूत म्रम हैं, जिनके कारण कई अनावश्यक आक्षेप कार्यकर्त्ताओं के भी मन में उठते हैं। 'दान' शब्द के बारे में आम तौर पर जो आक्षेप किये जाते हैं, उनका समाधान करने की कोशिश स्वयं विनोवा ने और प्रस्तुत लेखक ने की है। फिर भी कई प्रामाणिक कार्यकर्त्ताओं के मन में कहीं कुछ अटका रह जाता है। इसका कारण यह है कि 'दान' शब्द के अर्थ की और उसके प्रयोग की व्याप्ति कार्यकर्त्ताओं की समझ में अच्छी तरह नहीं आई है।

श्रमिक क्रान्ति

यह खयाल गलत है कि भूदान-यज्ञ में दान सिर्फ अमीरों को ही देना है। विनोवा गरीबों से भी दान मागते हैं और घन्यतापूर्वक ले लेते हैं। वे कहते हैं कि गरीबों की क्रान्ति-सेना का निर्माण और सगठन दूसरी किसी पद्धति में नहीं हो सकता। हम गरीब आदमी की हुकूमत के साथ-साथ उसकी मिलकियत भी कायम करना चाहते हैं। यही आर्थिक क्रान्ति की प्रक्रिया है। गरीब आदमी की मिलकियत का अर्थ है उत्पादक की मिलकियत। जो उत्पादक है आज उसके पास उत्पादन के औजारों के सिवा दूसरे कोई औजार नहीं है। इसलिए गरीब आदमी की क्रान्ति हथियारों के द्वारा नहीं हो सकती। गरीब गरीब है, इतना कह देने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि पैसों की ताकत उसके पास नहीं है। तब सवाल यह होता है कि बगैर पैसों के और बगैर हथियारों के गरीबों की फौज किस तरह बने ?

गरीब का अपरिग्रह

भूदान-यज्ञ-आंदोलन के प्रणेता ने यह योजना की है कि गरीब आदमी

अपरिग्रह के प्रयोग का आरम्भ करे। उनका परिग्रह याने उसकी संपत्ति इतनी थोड़ी है कि एक तरह से उनकी संपत्ति कहना भी मजाक है। परन्तु उस नगण्य मिलकियत से भी वह चिपका रहना चाहता है। उसे यह डर है कि इन छोटी-सी मिलकियत को मैं छोड़ दूंगा तो कटी का नहीं रहेगा। छोटी-सी मिलकियत का नाम गरीबी है। अगर गरीब आदमी उस छोटी-सी मिलकियत का विमर्जन सामुदायिक मिलकियत में कर देता है तो वह खोता कुछ नहीं और पाता सब कुछ है। इसलिए गरीब आदमी के दान के लिए 'यज्ञ' मंत्र का प्रयोग किया गया है।

गरीबों की सेना

गरीब जब अपनी अल्प संपत्ति में से भी नावञ्जित संपत्ति के यज्ञ में आहुति दे देता है तो वह एक गरीब और दूसरे गरीब के बीच स्नेह-वधन का निर्माण करता है। त्याग और दान के डोरे से बंधे हुए ये गरीब एक अजेय सेना का निर्माण करेंगे।

विषमता का निराकरण क्यों ?

रूप स्नेह हो। भूदान-यज्ञ-आदोलन में यह विशेषता है। गरीब अपनी-अपनी अल्प सम्पत्ति समर्पित करके एक-दूसरे के साथ स्नेह-प्रयत्न में बंध जाते हैं। गरीबों का इस प्रकार का भाईचारा कायम हो जाने के बाद मुट्ठी भर अमीर अलग नहीं रह सकते। अमीरों की यह गर्त है कि बहुत-से गरीबों का परिश्रम खरीदने का अवसर हमेशा बना रहे। जहाँ यह अवसर खत्म हुआ, अमीरों की नींव ही ढह जाती है।

सत्ता का नशा

अब एक इतना ही अंतिम आक्षेप रह जाता है कि मनुष्य-समाज का इतना भरोसा करना अव्यावहारिक है। इस आक्षेप के जवाब में बहुत अदब के साथ एक परिप्रश्न किया जा सकता है। अगर संपत्ति मनुष्य की वृत्ति को बिगाड़ कर उसमें जहर पैदा कर देती है, तो क्या सत्ता का हलाहल संपत्ति के गरल से कम भयानक होता है? गरीबों को मुखी और समृद्ध बनाने के लिए जो मुट्ठी भर आदमी अपने हाथों में शस्त्र-प्रयोग से सत्ता लेंगे, वे क्या फरिश्ते और देवता होंगे? क्या उनमें सत्ता का उन्माद पैदा नहीं होगा?

मनुष्य पर भरोसा

मतलब यह कि मनुष्य की शुभ वृत्ति पर कहीं-न-कहीं जाकर विश्वास रखना ही पड़ता है। मनुष्य में अविश्वास के आधार पर मानवता के उत्कर्ष की पौष्टिक कोई क्रान्ति नहीं हो सकती। जो लोग साधनशुद्धि का आग्रहपूर्वक प्रतिपादन करते हैं उनकी बात में तर्कसंगति तो है ही, परन्तु उनमें कहीं अधिक वास्तविकता है। भूदान-यज्ञ-आदोलन में एक दानी और दूसरा भिखारी ऐसी कल्पना नहीं है। यह दान उत्सर्ग और समर्पण की प्रक्रिया का आरम्भ है। जो अमीर दान देता है वह भी क्रान्ति की सेना में दर्ज हो जाता है। जो गरीब उत्सर्ग करता है, वह तो क्रान्ति की वर्दी पहन कर उनका अग्रदूत ही बन जाता है।

शांति की सेना

रामराज्य की फौज जितनी अनोखी थी उतनी ही विक्रमशाली थी। विनोदा के रामराज्य की यह सेना भी अपने ढंग की अनूठी और पराक्रमी होगी।

‘दान’ शब्द में बहुत-से कर्त्तव्यवादियों को भी छुपा, उपहार और कृतज्ञता की सूझाती है। उनका कहना है कि दान की विधि में जो प्रतिग्रह करनेवाला होता है वह कृतज्ञता के बोध में दब जाता है और देनेवाला अपने आपको परोपकारी तथा दानवीर मन्झने लगता है। इसलिए ‘दान’ का यह मार्ग गरीब आदमी की प्रतिष्ठा को ठेक पहुँचानेवाला है और ‘अमीर’ का गर्व बढ़ानेवाला है।

परंपरागत ‘दान’-विचार

वारीकी के साथ अव्ययन करने की परवाह नहीं की है। हिन्दू ममाज में ब्राह्मण को दान दिया जाता था। हम यह जानते हैं कि दान लेने में ब्राह्मण जाति दबू नहीं बनी। वह दान ले लेती थी, उसकी परिपूर्ति के लिए दक्षिणा भी ले लेती थी और यजमान की जरा-सी गलती पर क्रोध करके शाप देने के लिए भी उद्यत हो जाती थी। दान देनेवाला नम्र होकर दान देता था, सकोच के साथ दान देता था और शोभा तथा शुभ भावना के साथ दान देता था। उसे सकोच यह होता था कि जो-कुछ मैं दे रहा हूँ, वह बहुत कम है और उसका मूल्य भी बहुत अल्प है। इसलिए वह डरते-डरते दान देता था। छान्दोग्योपनिषद् में “श्रिया देयम्, भिया देयम्, सविदा देयम्,” ऐसा आदेश है। जो कुछ देना है, उसमें व्यवहार की मुन्दरता (ग्रेस), अपने दान की अल्पता का भान और लेनेवाले की प्रतिष्ठा का खयाल अवश्य होना चाहिए। दान में ‘श्री’ वह भावना है, जिसे हम अंग्रेजी में ‘ग्रेस’ कहते हैं। दाता के लिए इतनी कड़ी मर्यादाएँ थी और लेनेवाले के लिए भी कुछ मर्यादाएँ बतलाई गई थी। फिर भी हमने देखा कि ब्राह्मण दबू बनने के बदले घमडी, उद्द और आत्म-मभावित बन गया। उसका पतन हुआ। उसने उपयोगी वस्तुओं का तथा द्रव्य का दान लिया, इसलिए वह परोप-जोवी बन गया। जहाँ उसने जमीन का दान लिया, वहाँ प्रत्यक्ष उत्पादन का काम स्वयं नहीं किया। इन दोषों के कारण धीरे-धीरे समाज में से उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होती चली गई जो सर्वथा उचित ही हुआ।

विनोदा का ‘दान’-विचार

परन्तु विनोदा के इस दान में न अन्न-दान का समावेश है और न वस्तु-दान का। किंतु उत्पादन के साधन और उत्पादन के उपकरणों का दान है। यदि हम थोड़ी देर के लिए यह मान ले कि प्राचीन दान के सिद्धान्त के मूल में जितनी भावनाएँ थी, वे सब इस दान के पीछे भी हैं तो भी उस दान में और इस दान में उत्तर-दक्षिण ध्रुव का अन्तर पड़ जाता है। क्योंकि यह दान उत्पादन के साधनों का है, उपयोग की वस्तुओं का नहीं। इसमें परंपरागत दान के सभी गुण तो हैं, लेकिन उसका दोष एक भी नहीं है।

क्रान्ति की दिशा में

परम्परागत दान में और इस दान में और भी एक मूलगामी अंतर है। परम्परागत दान व्यक्तिगत पुण्य-प्राप्ति के लिए और ऐश्वर्य तथा वैभव की आकांक्षा से किया जाता था। इस लोक में हम जो दान ब्राह्मण को या दूसरे मत्पात्र व्यक्ति को देते हैं, उसके बदले हमें स्वर्ग-लोक में या दूसरे जन्म में प्रभूत सम्पत्ति का लाभ होगा, ऐसी श्रद्धा से वह दान दिया जाता था। इस लोक में एक गाय का दान कर दिया तो स्वर्ग-लोक में साक्षात् काम-धेनु के अक्षय पुष्टि-दायी दूध का लाभ हमें होता था। यहाँ थोड़ी-सी जमीन का दान कर दिया तो जगले जन्म में मारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त होने की आशा रहती थी। परन्तु विनोवा की दान-प्रक्रिया अधिक सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए नहीं है, वरन् प्राप्त सम्पत्ति के शीघ्रातिशीघ्र विनर्जन के लिए है। इसलिए विनोवा की दान-प्रक्रिया आर्थिक क्रान्ति के मार्ग पर बहुत बड़ा कदम है।

एक आक्षेप यह भी किया जाता है कि “हम जिन वस्तु का दान लेते हैं, उस वस्तु पर दाता का स्वामित्व स्वीकार कर लेते हैं। परन्तु जन्तुमयिनि तो यह है कि आज जिनमें हम दान लेते हैं, वह उन जन्तु का स्वामी नहीं बल्कि अपहर्ता है। अपहर्ता का स्वामित्व हम क्यों मजूर करेंगे ?”

क्रान्ति का मूल बीज

झपटी और जोर-जवरदस्ती अनिवार्य ही है ? जो ऐसा मानते हैं कि बगैर हिंसा के क्रांति हो ही नहीं सकती, वे हिंसा को अनिवार्य ही नहीं, बल्कि आवश्यक मानते हैं। इसका तो यह मतलब हुआ कि जितनी हिंसा अधिक होगी, उतनी क्रांति भी अधिक सफल होगी। परन्तु यह अपसिद्धान्त है। जो क्रांतिवादी अहिंसा का आग्रह नहीं रखते, वे भी इस सिद्धान्त को हरगिज नहीं मानेंगे। हमारी ही चीज अगर कोई भलेमानम की तरह सम्यता और शोभा के साथ लीटा देता है, तो उसमें उसका श्रेय है और हमारी प्रतिष्ठा है। क्रांतिवादियों में भी कुछ परपरा के गुलाम और जीर्णमतवादी होते हैं। जो यह मानते हैं कि बगैर लडाई-झगडे के परस्पर सम्मति से जो सामाजिक स्थित्यतर होता है वह क्रांति नहीं है, वे झकियानूसी हैं। क्रांति में महत्व सामाजिक परिवर्तन का है, न कि सघर्ष और रक्तपात का।

इस देश की रियासतों के राजाओं ने अपनी-अपनी रियासतें बगैर लडाई-झगडे के दे दी। तो क्या इससे देश की हानि हुई ? क्या हमको उन्हें यह कहना चाहिए था कि जबतक हम तुम्हारी रियासतें तुमसे छीनकर नहीं लेगे, तबतक हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा ? हमने ये रियासतें उनसे इनाम या भिक्षा के रूप में नहीं ली हैं। उन्होंने युग की आकाशा तथा हमारी सामर्थ्य को पहचाना और अपना कब्जा छोड़ दिया।

‘दान’ ही ‘सम्प्रदान’

जो संपत्तिधारी है, उनको हम संपत्ति के मालिक नहीं मानते। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि संपत्ति आज उनके कब्जे में है। उन्हें हम कब्जा छोड़ देने को कहते हैं। अगर वे समझाने-बुझाने और विनय-अनुनय से ही मान लेते हैं, तो उतने से क्रांति में दोष कहा पैदा होना है ? अगर आगम में लगे हुए अकौए के पेड़ से शहद मिल सकता हो तो पहाड़ छानने की जिद करने में कौन-सी समझदारी है ? क्रांतिकारी को संपत्ति के परिहरण में मतलब है या उसके विमर्जन में ? परिहरण के बदले स्वेच्छा-प्रेरित समर्पण और उन्मर्ग में यदि संपत्ति का विमर्जन हो जाता है तो क्रांति में कौन-सी त्रुटि रह जानी है ? ऐसी स्थिति में परिहरण का आग्रह रखना वैचारिक सम्मम

का घोरक है। हा, हम अपनी अक्षमयता और दुर्बलता के कारण आर दान के मार्ग की गरण लेने हैं तो हमारी क्रिया क्रान्ति के प्रतिकूल होगी। परन्तु यदि हमारी गन्धि और कालात्मा के पद-चिह्नों को पहचानकर सम्पत्ति-वारी अपनी गन्धि उमाज को अर्पण कर देते हैं, तो लेनेवाला और देने-वाला, दोनों धन्य हो जाते हैं। ऐसा 'दान केवल देने की क्रिया-मात्र है। उनमें देनेवाले की और लेनेवाले की भूमिका में कोई भेद नहीं रहता। लेनेवाले की भूमिका शीण नहीं हो जाती। वे ब्रगदगी के आदर्मी जब एक-दूसरे को उपयोग की कोई वस्तु देते हैं तो दोनों कृतज्ञ होते हैं और एक-दूसरे को धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार विनोदा की यह दान-दीक्षा उभय पक्षों को धन्य-धन्य करानेवाली है। यह 'दान वास्तव में 'सम्प्रदान ही है।

पुराणप्रिय क्रान्तिवादियों को चुनौती

जाता है। जिसमें प्रतिक्रांति की आशका विलकुल न रहे या अल्पतम रहे ऐसा अमोघ क्रांति-तत्र दुनिया के परम्परानुगामी क्रांतिवादी अवतक नहीं खोज पा है। विनोवा ने स आदोलन के तारा प्रतिक्रांति की आशका से सुरक्षित क नये क्रांतितत्र का उपक्रम किया है। क्या इसमें क्रांति-वादियों की पुराण-प्रियता को चुनौती नहीं है ?

आज दान का मुहूर्त्त, कल सम्पत्ति-विसर्जन

देश में सम्पत्तिमानों के दो वर्ग हैं। क बड़े मालिक और दूसरे छोटे मालिक। जो बड़े मालिक हैं, उन्हें हम अमीर कहते हैं और जो छोटे-छोटे मालिक हैं, उनको हम गरीबों में शुमार करते हैं। लेकिन वे भी उत्पादन के साधनों के मालिक तो हैं ही। बड़े मालिकों और छोटे मालिकों में एक बहुत बड़ा अन्तर यह है कि बड़े मालिक मुनाफाखोरी करते हैं और दूसरों के श्रम से लाभ उठाकर अपनी सम्पत्ति बढ़ाते हैं। सलिए बड़े मालिकों के लिए दान की प्रक्रिया है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भूदान-यज्ञ का यह आन्दोलन दान का एक सग नहीं है, वह दान की एक प्रक्रिया है। दान का मुहूर्त्त आज ही है, लेकिन दान का सिलसिला तबतक जारी रहेगा, जबतक कि वे अपनी पूरी सम्पत्ति का विसर्जन नहीं कर चुकेगे।

दान की इस प्रक्रिया की अवधि भी बहुत अल्प है। पुराने जमाने में राजाओं के राज-महलों में दान की अवधि 'सवा-पहर' की होती थी। 'सवा-पहर' उपलक्षणात्मक है। आशय यह है कि जितनी जल्दी सम्पत्ति का विसर्जन सम्पन्न होगा, उतनी जल्दी हम अपने देश को और ससार को भावी अनर्थ से बचा सकेंगे। सम्पत्ति का यह विसर्जन विनय-पूर्वक, मन-पूर्वक, और बुद्धि-पूर्वक होना चाहिए, तभी उसमें से हमारे उद्दिष्ट परिणाम निकलेंगे। उसमें किसी प्रकार का सदेह या अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। मागने-वाले को टाल देने की नीयत से जो दान दिया जायगा, उससे दूना अनर्थ होगा। देनेवाले की अप्रतिष्ठा होगी और लेनेवाले का मनस्ताप शान्त नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। सामाजिक प्रशम (प्रशान्ति) का जो वातावरण विनोवा इस देश में बनाना चाहते हैं, उसमें बाधा पहुँचेगी

और नार्वेनिक हानि होगी। इसलिए सम्पत्तिमानो ने नविनय अनुरोध ह कि वे अपनी सम्पत्ति का विमर्जन शांतिमय क्रान्ति मित्र करने की भावना से करे।

जो बोया सो पाया

धार्मिक क्षेत्र में जो दान किया जाता है, उसके विषय में हमारा यह अनुभव रहा है कि यजमान अल्प-से-अल्प तथा निकृष्ट-से-निकृष्ट वस्तु का दान करता है और उनके बदले में उत्कृष्ट-से-उत्कृष्ट फल चाहता है। रेज-गारी में आये हुए छोटे मित्रके ययागविन इव्य-दान के नाम पर भगवान् के चरणों में वह चढाता है और उनके बदले में बरा पुण्य चाहता है। भगवान् बेचारे अदृष्ट और अदृश्य हैं, नलिए उन क्षेत्र में ऐसी धाव-शी चल जाती है। लेकिन इस दुनिया में 'दा नकद है। यहा, 'बुवा सो लुनिय, लहिय जो दीन्हा'—(जो बोया सो काटो, जो दिया सो पाजो) का प्रत्यय बहुत जल्दी आता है।

सहयोगी उत्पादन की भूमिका

यज्ञ की प्रक्रिया

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गरीबों में आपस के स्वाथों का सघर्ष न हो। एक गरीब के पास तीन एकड़ जमीन है, दूसरे के पास एक एकड़ है और तीसरे के पास शून्य एकड़ है। इनमें किसी की भी गुजर नहीं होती, तब वे आपस में बैठकर यह तय करते हैं कि यह सारी जमीन हम सबकी है। इस तरह से वे अपनी-अपनी मिलकियतों को एक-दूसरे के साथ मिला लेते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी मिलकियत छोड़ देनी पड़ती है। इसका नाम 'यज्ञ' की प्रक्रिया है।

हम बड़ी-बड़ी मिलकियतों को बिखेरकर सबको मालिक बना देना चाहते हैं। यह दान की प्रक्रिया है। लेकिन हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि बड़े-बड़े मालिकों की जगह छोटी-छोटी मिलकियतों का एक जाल बिछा दे। मिलकियतों को बिखेरना हमारा पहला कदम है। वह हमारा मुकाम नहीं है। वह हमारी छत्री है, छप्पर नहीं है। हम मिलकियत को ही खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए छोटे-छोटे मालिकों से अपनी-अपनी मिलकियतें जोड़ लेने के लिए कहते हैं। बड़ी मिलकियतों को तोड़ने के लिए 'दान' है और छोटी मिलकियतों को जोड़ने के लिए 'यज्ञ' है।

अन्यतम क्रान्ति-तन्त्र

इस क्रान्ति-तन्त्र की यह अन्यतम विशेषता है कि उसमें वर्ग-कलह के बिना वर्ग-निराकरण का निश्चय है, प्रतिक्रांति के प्रतिवध की योजना है और विमान-विमान तथा किसान-मजदूर के अन्तर्गत सघर्ष को टालने की विवेक-युक्त व्यवस्था है। यह आंदोलन एक अपूर्व प्रक्रिया के द्वारा क्रान्ति को सम्पन्न करने का एक अमोघ साधन और निश्चिन्त आश्वसन है।

वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया

मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश में भी वर्ग हैं। हरेक वर्ग के व्यक्ति बदलते रहते हैं और बदल सकते हैं, इसलिए यह कहना मयुक्तिक नहीं होगा कि वर्ग हैं ही नहीं। जिस समूह के व्यक्ति बदलते हैं, उन्हीं को 'वर्ग' कहना चाहिए। यदि ऐसा न होता तो वह समूह 'जाति' कहलाता। जाति जन्म पर निर्भर है। इसी कारण जाति-निराकरण तब तक असंभव है, जब तक हम जन्म की ही परिस्थिति में परिवर्तन नहीं करते, याने सजातीय विवाह निषिद्ध नहीं करार देते। वर्ग के विषय में यह बात नहीं है। आज का अमीर कल गरीब बन जाता है, आज का गरीब कल अमीर बन जाता है। इसमें कर्तृत्व के लिए अवसर है, लेकिन वह समाज-व्यवस्था के कारण नीमित है। वास्तव में सबको समान अवसर नहीं मिलता। जो अमीर की कोश में पैदा होता है, उसे सामाजिक प्रतिष्ठा तथा कीटविक गुण-गुणिधा बिना प्रयत्न के ही उपलब्ध हो जाते हैं। सम्पत्ति और दारिद्र्य व्यक्ति को निम्न-स्त में प्राप्त होते हैं।

वर्ग-निराकरण के बिना साम्ययोग असंभव

के कारण परिस्थिति की जो विरामत हरेक व्यक्ति को मिलती है, वही आर्थिक विपमता की जड़ है। जो व्यवसाय व्यक्ति के अथवा त्रिगिष्ट समुदाय के मुनाफे के लिए किया जाता है, उसे पापमूलक समझना चाहिए। यदि अनुत्पादक व्यवसाय व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता हो, तो उसे अधिक बड़ा पाप मानना चाहिए। ये व्यवसाय त्रिगिष्ट सामाजिक परिस्थिति पर अवलम्बित हैं। इसलिए जो लोग ये व्यवसाय करते हैं, उनका एक वर्ग बन जाता है। अतएव वर्ग-निराकरण के बिना साम्ययोग की स्थापना असंभव है।

अच्छाई और बुराई का वर्गीकरण अनर्थकारक

समझदार और मूर्ख, सज्जन और दुर्जन के वर्ग मानना न केवल अगास्त्रीय ही है, अपितु अनर्थाविह भी है। अच्छाई और बुराई गुण हैं। उनका सम्बन्ध बाह्य साधनों से और व्यवसायो से कम मात्रा में है। व्यवसाय के कारण कभी-कभी समाज-विरोधी भूमिका प्राप्त होती है। उसमें वृत्ति भी दूषित होती है। परन्तु व्यवसाय के कारण जो सज्जनता और दुर्जनता की भूमिका प्राप्त होती है, उसके आधार पर हमें व्यक्तियों को सज्जन या दुर्जन नहीं मानना चाहिए। कसाई का घवा करनेवाला भी बड़े दिल का और दयालु हो सकता है। फामी की सजा पर अमल करनेवाले व्यक्ति निर्वृण (बेहया) भले ही हो, लेकिन उनकी गिनती दुष्टों में नहीं की जा सकती। जो अपने-आपको साधु या सज्जन मानता है, उस अहकारी व्यक्ति के बराबर अवम और कौन है? हम जब वस्तुनिष्ठ दृष्टि से और तटस्थ भाव में देखते हैं तो कुछ व्यक्तियों की दुष्टता अल्प मात्रा में दिखाई देती है और कुछ व्यक्तियों में सज्जनता अल्प मात्रा में पाई जाती है। समाज में सज्जन और दुर्जन, मूर्ख और सुजान, उदार और कृपण व्यक्ति हैं। परन्तु सज्जनता और दुष्टता, मूर्खता और सधापा इत्यादि गुण बाह्य उपकरणों पर और साधनों पर अल्प मात्रा में निर्भर हैं और समाज में हम सारे नियम सज्जनता के विकास के लिए ही बनाते हैं। इसलिए

सज्जन और दुर्जन, मूर्ख और मयाने, इस तरह का वर्गीकरण करना अत्यन्त अनर्थकारक साबित होगा ।

सज्जन और दुर्जन, मूर्ख और मयानों में प्रत्यक्ष व्यावहारिक स्राथ-विरोध निर्माण नहीं होता । सज्जन को अपना सीजन्य बढाने के लिए दुर्जन की दुर्जनता में फायदा उठाने की जरूरत नहीं होती । मयाने को अपने मयापे के संरक्षण के लिए दूमरे की मूर्खता बनाये रखने की योजना नहीं करती पडती ।

आर्थिक और गुणाश्रित विषमता का निराकरण

इस प्रकार आर्थिक विषमता और गुणाश्रित विषमता में मूलभूत अन्तर है । आर्थिक विषमता विजिष्ट सामाजिक रचना, परस्पर नया परिस्थिति पर आधार रखती है । गुणाश्रित विषमता का निराकरण आत्म-शक्ति में हो सकता है ।

जमीरी प्राप्त करने के लिए भी त्याग और परिश्रम की आवश्यकता होती है । परन्तु वह त्याग और परिश्रम व्यक्तिगत तप, प्रतिष्ठा और स्वार्थ के हेतु किये जाते हैं । इसलिए वे समाज-विप्रायण सिद्ध होते हैं । यह तप, आनुरी तप कहलाता है ।

वदीलत आसुरी सम्पत्ति की सत्ता शुरु हो जाती है । अतः जबतक अमीरी और गरीबी का अन्त नहीं होगा, तबतक मनुष्यता का संरक्षण असंभव है ।

दान और यज्ञ में बन्धुत्वमूलक प्रक्रिया

अमीरी और गरीबी की वदीलत मनुष्य मनुष्य से दूर पड़ जाता है । इसीलिए हम अमीरी और गरीबी का अन्त कर देना चाहते हैं । स्पष्ट है कि अमीरी और गरीबी के निराकरण की प्रक्रिया भी मनुष्यता और बन्धुत्व का विकास करनेवाली होनी चाहिए । यह गुण विनोबा की दान-यज्ञ-प्रक्रिया में है । बन्धुत्व पर अधिष्ठित आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए सम्पत्ति और भूमि के पुनर्वितरण की प्रक्रिया भी बन्धुत्वमूलक होनी चाहिए । तभी वह सम्पत्ति सार्वजनिक अथवा अखिल मानवीय होगी ।

आसुरी सम्पत्ति प्रभुत्व की भावना पर आधारित रखती है । देवी सम्पत्ति कल्पित वाद से कलुषित होती है । परन्तु मानवीय संस्कृति श्रम पर आधारित रखती है, इसलिए उसमें बन्धुत्व के दो आचारात्मक तत्वों का अर्थात् दान और यज्ञ का महत्त्व है । असुरों की मदिरा में मादकता है, देवों के अमृत में केवल मिठास है, बहुत मीठा खाने में मुह मीठा हो जाता है । परन्तु श्रमनिष्ठ उत्पादन-पद्धति से उपार्जित हमारे अन्न में अद्भुत स्वाद होता है । उसमें जीवन के सारे रस और घरतीमाता का समूचा मौरस होता है ।

: ५ :

क्रांति के बीज

गरीबों से दान क्यों ?

कुछ ऐसे तटस्थ समाज-सेवक जिनके मन में गरीबों के साथ महानुभूति है और जिनका सम्बन्ध किसी राजनैतिक दल या आर्थिकवाद में नहीं है, अक्सर पूछते हैं कि “भूदान-यज्ञ में गरीबों से दान क्यों लिया जाता है ? गरीबों के पास तो पहले ही इतना थोड़ा है कि जिसमें उनका पेट तक नहीं भरता। तो फिर उनसे मागने में क्या मतलब ? गरीबों को और भी गरीब बनाने में क्या फायदा !

देड़ी तोड़ने का संकेत

मिलक्रियत के विसर्जन का संकेत

मिलक्रियत की आकांक्षा आर्थिक विपमता की जड़ है। आज का गरीब खुद अमीर बनना चाहता है। वह गरीबी और अमीरी का निराकरण नहीं करना चाहता। इसलिए उसके मन में अमीरों के लिए ईर्ष्या और द्वेष है। लेकिन अपने में अधिक गरीब के लिए सहानुभूति नहीं है। हरेक गरीब अपने लिए अमीरी चाहता है, सबके लिए नहीं। अगर वह सबके लिए अमीरी चाहता है, तो उसे अपनी मिलक्रियत अपने में अधिक गरीब आदमियों के साथ बांट लेनी चाहिए। जब वह अपनी छोटी-सी मिलक्रियत में से भी नैवेद्य की तरह थोड़ा-सा हिस्सा राष्ट्र को अर्पित कर देगा तब वह अपनी अल्प सम्पत्ति में संपत्तिहीनों को शामिल करने का सकेत करेगा।

मूल पर कुल्हाड़ी

जिमके पास धन होता है, उसके मन में दूसरों के लिए डर और अविश्वास होता है। मेरे शरीर पर अगर मोने के गहने हों तो मैं निर्भय होकर रास्ते से नहीं चलता और घर में भी निर्भय होकर नहीं सोता। दूसरों में डरता रहता हूँ। इसलिए अमीर का डर तो हमारी समझ में आता है, लेकिन गरीब को किस बात का डर है? क्या किसी कंदी को यह डर होना है कि कोई मेरी बेटी न चुरा ले या छीन ले? या कोई मेरे जेलखाने को न लूट ले? जो एक एकड़, दो एकड़ और आध एकड़ के मालिक हैं, वे भी तो भूखे और नगरे हैं। उनकी मिलक्रियत अगर कोई छीन ले या चुरा ले तो वह बेटी और हथकड़ी ही चुरायेगा। फिर भी हम देखते हैं कि छोटे मालिक को अपनी मिलक्रियत के खो जाने का डर है। जबकि वह उस मिलक्रियत के मोह का त्याग नहीं करना, तबकि पूँजीवाद के मूल पर कुल्हाड़ी की चोट नहीं पड़ेगी।

मिलक्रियत के विसर्जन की प्रक्रिया

बड़ा मालिक जब सगठन शुरू करेगा तो छोटे मालिकों से कहेगा कि अगर मैं पचास एकड़ जायें तो तेरा पाँच एकड़ भी बचा रहेगा? जिनके

पान कुछ भी नहीं है, वे तेरे पाच एकड छीन लेगे । छोटा मालिक उनके चकमे मे आ जाता है और मिलकियत के मोह के कारण पूजीवाद के जाल मे फस जाता है । लेकिन अगर पाच एकड वाला कह दे कि यह लो, यह छोटी मिलकियत मंने फेक दी, तो वह पूजीवाद की जड ही उखाड देता है ।

आखिर जहा सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण कानून मे और शासन से किया जाता है, वहा भी छोटे मालिको की मिलकियत छीन लेनी ही पडती है । उत्पादन के साधनो की व्यक्तिगत मिलकियत खत्म करने के लिए गरीब की मिलकियत भी छीननी पडती है । अहिमक प्रक्रिया मे भी जपरिग्रह की भावना बटे मालिक और छोटे मालिक, दोनो को म्बीकार करनी पडती है, इसलिए दोनो को अपनी-अपनी मिलकियत का उत्सर्ग करने की प्रेरणा होनी चाहिए । गरीबो मे जो दान लिया जाता है, उनमे मे यह प्रेरणा होती है । गरीबो का दान मिलकियत के विमर्जन की प्रक्रिया का आरम्भ है ।

जोड़नेवाली कडी

दान में मिलकियत का बटवारा होगा। धन और धरती की मिलकियत बट जायगी। लेकिन मिलकियत के ही विमर्जन की क्रान्ति गरीब के दान से होगी। गरीब के दान में क्रान्ति के बीज का गुण-धर्म होगा। इसलिए अहिंसात्मक क्रान्ति की प्रक्रिया में गरीब के स्वामित्व के उत्सर्ग का महत्व मूलभूत है।

मूल प्रेरणा

आखिर सशस्त्र क्रान्ति में भी क्रान्तिकारी मिपाही की ताकत उमकी वर्दी और हथियार में नहीं होती। उस वर्दी के पीछे छिपी हुई छाती की घडकन में होती है। इस घडकन का नाम भावना है। साम्यवादियों का यह दावा है कि क्रान्ति की भावना और प्रेरणा से ही रूस के मिपाहियों की अभेद्य छातियों ने क्रान्ति के दुर्ग का संरक्षण किया। भावना जितनी शुद्ध और उदात्त होगी, क्रान्ति के सैनिक की शक्ति भी उतनी ही अमोघ होगी। भूदान-यज्ञ-आन्दोलन क्रान्तिकारी आन्दोलन है। वह शोषित और दलित वर्ग का उत्साह और वीरता बढ़ानेवाला है। वह क्रान्ति का विरोधी नहीं है। विरोधी है, रक्तपात, क्रूरता और हृदय-हीनता का।

क्या यह राष्ट्रीयकरण नहीं है ?

एक बात और हमेशा कही जाती है कि बड़े-बड़े सामन्तों की और भूमिपतियों की जमीनों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें छोटे किसानों और भूमिहीनों में बांट देना चाहिए। ये जमीनें उनके मौजूदा मालिकों में बगैर मुआवजे के जब्त कर लेनी चाहिए। इसमें अमली तत्व की बात जब्त करने की नहीं है। तत्व की बात यह है कि ये जमीनें बड़े आदमियों में राज्य अपने कब्जे में ले ले और बगैर मुआवजे के ले ले। फिर राज्य उनका बटवारा करे। इस तरह का बटवारा अगर राज्य की तरफ से होगा, तो वह दान होगा और उसके लेने से गरीब की शान में कोई बढ़ा नहीं लगेगा।

गैर-सरकारी राष्ट्रीयकरण

आखिर भूदान-यज्ञ की प्रक्रिया का नतीजा यही नहीं तो और क्या

हैं ? बड़े आदमियों से जो दान लिया जाता है, उसके बदले से उन्हें क्या मिलनेवाला है ? उनसे तो बगैर मुआवजे के ही उनकी करीब-करीब सारी जमीन विनोबा माग रहे हैं न ? यह दान एक व्यक्ति हमारे व्यक्ति को अपनी मर्जी से नहीं देता । वह तो विनोबा को देता है । विनोबा व्यक्ति नहीं है, दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि है । वे भी अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को जमीन नहीं देते । सरकार के मामले भूमिहीनों की मलाह से भूमिहीनों को देते हैं । यह सरकारी राष्ट्रीयकरण नहीं तो और क्या है ? इनमें जोर-जबरदस्ती और जवनी नहीं है, इसलिए क्या स्वल्प और गुण बदल जाता है ?

क्या यह मिट्टी-फंड है ?

कुछ आक्षेपको ने तो यहाँ तक कह डाला कि “कम्प्यूटर गांधी-फंड और गांधी-स्मारक-निधि की तरह यह भी एक फंड है और उन फंडों का जो हाल हुआ वही इस मिट्टी-निधि का भी होगा ।” अगर वह आक्षेप गम्भीरतापूर्वक न किया जाता तो उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत न पड़ती ।

ऊसर जमीन के दान का आक्षेप

एक आक्षेप बार-बार किया जाता है कि भूमि-दान-यज्ञ जो जमीन मिलनी है, उसमें से बहुत-सी जमीन बजर, ऊसर और बेकार होती है। देनेवाले अपनी जान छुड़ाने के लिए और झूठी गोहरत कमाने के लिए इस तरह की फालतू जमीन दे देते हैं। उनकी इज्जत होती है और हमारा काम नहीं होता।

वस्तुस्थिति यह नहीं है

मुनने में यह आक्षेप सही मालूम होता है, लेकिन उसमें सचाई का अर्थ बहुत कम है। क्या बिहार में विनोबा को जिन्होंने लाख-लाख पण्ड जमीन दी है, वह सब-की-सब ऊसर और निरुम्मी है? जिनके पास उतनी जमीन थी, उसमें से कुछ पडती जरूर रही होगी। लेकिन उतने में वह ऊसर या बजर नहीं कही जा सकती। बड़े-बड़े मालिकों ने जिस प्रकार विनोबा को जमीन दी है, उसी प्रकार छोटे-छोटे किसानों ने भी दी है। इन छोटे किसानों के पास तो कोई ज्यादा जमीन नहीं थी। उन्होंने अपनी जेबकाटन जमीन में से ही जमीन दी। कई लोगों ने अपनी जमीन का आधा, तिहाई, चौथाई और छठवा हिस्सा दिया है। बिहार में और दूसरे प्रांतों में भी भूदान में चार-चार, पाच-पाच हजार रुपये की पण्ड कीमत की जमीन मिली है। भूदान-कार्यकर्त्तियों का ऐसा अनुभव नहीं है कि बेकार जमीन ही अधिक मात्रा में मिलती है। इसलिए यह कहना बहुत गलत है कि भूदान में बेकार जमीन ही अधिक मिलती है।

काम थोड़े ही रहेगा ?

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भूमि-दान की अभी तो पहली किस्त ही बनूल की जा रही है। १९५४ तक नाने देन के लिए पचीस लाख का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन १९५७ तक पांच करोड़ एकड़ जमीन भूदान में इकट्ठी करनी है। उत्तर प्रदेश में पांच लाख का लक्ष्य पूरा हो जाने पर भी काम बन्द नहीं हुआ। अब एक करोड़ का लक्ष्य है। बिहार में एक-एक जिले में तीन-तीन लाख एकड़ जमीन इकट्ठी करने के नकल्प किये गये हैं। इतनी बजर और ऊमर जमीन कहा में आयगी ? पहली किस्त में बजर और ऊमर जमीन भेने ही मिन गई हों, परन्तु जबतक पांच करोड़ का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तबतक भूदान का काम नहीं रहेगा। अगली किस्त में जमीन भी आने ही वाली है।

मिलकियत ढीली पड रही है

समय धोखा नहीं खाता

जो लोग अत्यन्त स्थूल लाभ और हानि की दृष्टि में विचार करते हैं, उनमें भी हमारी एक विनय है। जो छोटे-छोटे मालिक हैं और खुद जमीन जोतते हैं, उनके पास जैसी जमीन है, उमीमें वे देते हैं। उन्हें तो हम कोई दोष नहीं दे सकते। जिसके पास चने हैं, वह चने ही देता है। वह मोतीचूर कहा से लाये ? हमारे लिए तो उमका चना ही मोतीचूर है। लेकिन जो लोग मोतीचूर अपने पास रखकर विनोवा को चने देते हैं, उममें भी विनोवा का क्या नुकसान होता है ? वे लोग वक्त टाल देने के लिए और मुह रखने के लिए चाहे जैसी जमीन दे देते होंगे, लेकिन डममें न तो वक्त टलता है, न डज्जत बचती है। लोग देखते हैं कि गरीबों ने तो अपनी अपनी खेती की जमीन में से विनोवा को दान में यथाशक्ति जमीन दी, लेकिन बड़े आदमियों ने अपनी बेकार जमीन में से जमीन देकर दान का स्वाग किया। डमसे गुनाह बेलज्जत हो जायगा। दान का दान होगा और ऊपर में बदनाम होंगे। तब विगडी हुई बनाने के लिए फिर अच्छी जमीन देनी ही पड़ेगी। पुण्य-कार्य में सफलता और कार्यहानि जैसी कोई चीज है ही नहीं।

: ७ :

जमीन पानेवाले का गौरव

जमीन

कुछ लोगों को लगता है कि भूदान-यज्ञ-आन्दोलन ने दाना की प्रतिष्ठा बटती है। वह जमीन देता है, इसलिए लोगों के मामले उसका नाम आता है। हमारे लोगों ने उसका अनुकरण करने के लिए कहा जाता है। लोग उसे धन्यवाद देते हैं। जो कार्यकर्ता जमीन के दान-पत्र प्राप्त करता है, उसकी भी प्रशंसा और गौरव होता है। इन दोनों को तो पुण्यपात्र और प्रतिष्ठा के लिए अवसर यह आन्दोलन देता है, लेकिन जो जमीन पाना है, वह तो केवल प्रतिग्रह करता है। उसके लिए न तो पुण्यपात्र का अवसर है और न प्रतिष्ठा का।

बल-प्रयोग में भी यही दोष

कानून की प्रक्रिया में भी वही दोष

हमारा पर्याय यह है कि राज्य कानून बनाकर मालिकों की और बड़े किसानों की अतिरिक्त जमीन जब्त कर ले और उम्मे छोटे किसानों में तथा खेती के मजदूरों में बांट दे। इसमें भी जो लोग जमीन पायेंगे, उनके पराक्रम के लिए जगह नहीं है। राज्य कानून से लेगा और उनको दे देगा। वे तो केवल दान-पात्र ही रह जाते हैं।

पानेवाले की क्या इज्जत ?

मतलब यह कि भूमिदान-यज्ञ-आन्दोलन में जो दोष बतलाया जाता है, वही भूमि छीनने की या भूमि जब्त करने की प्रक्रिया में भी मौजूद है। अर्थात् अगर वह दोष है तो सभी प्रक्रियाओं के लिए समान दोष है। अकेले भूमिदान-आन्दोलन-प्रक्रिया का ही वह दोष नहीं है। इतना फर्क जरूर है कि शस्त्र-प्रयोग की प्रक्रिया में जमींदारों या मालिकों की इज्जत नहीं होती, इज्जत छीननेवालों की होती है। परन्तु ये छीनने-वाने भी छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर के तो उद्धारकर्त्ता ही माने जाते हैं। इसमें उम बेचारे का रुतवा क्या बढ़ा ?

मूलभूत विचार-दोष

जमली बात यह है कि इस आक्षेप के मूल में एक विचार-दोष है। जिसका अधिकार छीना गया है, उसका अधिकार उसको वापस मिल जाता है, उसीमें उसका गौरव है। मेरे घर अगर चोरी हो गई और पुलिस ने तहकी-कात के बाद चोरी पकड़ ली, और मेरी चीज मुझे लौटा दी तो क्या यह मेरा गौरव नहीं है ? अब इसमें अधिक गौरव मेरा क्या हो सकता है ? या फिर चोर ही थोड़ी देर के बाद होश में आ जाय और लोकलाज, पञ्चात्ताप या समझदारी के कारण जयवा किमी के समझाने-बुझाने से मेरी चीज नौटा दे, तो क्या इसमें मेरी इज्जत नहीं है ? जिसकी चीज गयी गई है या टिन गई है, उसकी चीज उम्मे वापस मिल जाती है, उनका ही गौरव है। चीज जिसमें बढ़ने में है वह अगर समझदारी से काम

लेता हूँ और वगैरे रगड़े-झगड़े के चीज लीटा देता हूँ तो हम उसे बर्बाद जरूर देंगे। कोई गराबखोर अगर कानून के बिना और जोर-जबरदस्ती के बिना शराब पीना छोड़ दे, तो क्या हम उनके प्रति मनोप नहीं प्रकट करेंगे ?

इस प्रक्रिया की विशेषता -

भूदान-यज्ञ-आंदोलन में भी यही होना है। इनके अलावा एक बात और होती है। जिन्होंने अनधिकृत रूप में केवल परम्परागत अर्थ-व्यवस्था के आधार पर सम्पत्ति पाई है, वह अपनी अन्यायमूलक मित्रवित्त के दोष को समझने लगता है और उस अन्याय का परिमार्जन करने लगता है। इस हृदय-परिवर्तन का मूल्य अपरिमित है।

परिश्रम का उचित गौरव

एक क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है, एक व्यक्ति वीणावादन-पटु है और एक बहुत प्रवीण लेखक है। आपको इनमें से एक या गौरव करना है तो किस प्रकार करेंगे ? जो क्रिकेट-पटु है,

निधि की हंमियत से कानून के आधार पर जब भूमि ले लेता है, तो उमी भूमि का 'राज्यकरण' होता है। वह प्रक्रिया 'राज्यस्वामित्व' की है, 'लोक-स्वामित्व' की नहीं। 'लोक-स्वामित्व' की प्रक्रिया में भूमि का सग्रह लोक-प्रतिनिधि करेगे। जो मालिक अपनी मिलकियत का उत्सर्ग करना चाहते हैं, उनके भी प्रतिनिधि होंगे और जिन श्रमिकों को वह जमीन मिलती है, उनके भी वे प्रतिनिधि होंगे। विनोबा डम प्रतिनिधित्व के 'प्रतीक' मात्र है। यह 'लोक-स्वामित्व' की स्थापना की अद्भुत कल्याणकारी प्रक्रिया है। इसमें दोनों धन्य होते हैं—देनेवाला भी, पानेवाला भी।

पानेवाले का सार्वजनिक सम्मान

हमारे आक्षेपक मित्र अगर चाहे तो प्रमगोचित ममारोह करके भूमि-हीनों को नारियल, मुपारी तथा अक्षत के साथ जमीन दे सकते हैं। उमसे जो वातावरण पैदा होगा, उसके कारण जमीन पानेवाले के मन में वृत्तता के साथ-साथ आत्मसम्मान की भावना भी पैदा होगी।



अमरत्व की तरफ जाने की व्यवस्थित चेष्टा का नाम साधना है। अतः हमारे लिए जीवन एक सिद्ध वस्तु या बनी-बनाई चीज नहीं है। जब हम पैदा होते हैं, तब अपने माय कुछ लेकर आते हैं। उसके बाद हम कुछ बनने की लगातार कोशिश करते हैं। हम कुछ हैं और कुछ बनना चाहते हैं। जो कुछ हम बनना चाहते हैं उसकी तरफ कदम बढ़ाने का नाम ही साधना है। अन्याय के प्रतिकार के क्षेत्र में मनुष्य ने अपने मानवीय गुणों का विकास करने का जो प्रयास किया है उसी में सत्याग्रह का आविष्कार हुआ है।

सत्याग्रह=का आविष्कार

यहाँ 'आविष्कार' शब्द उसके दोनों अर्थों में काम में लाया गया है। हिन्दी में 'आविष्कार' शब्द का चलित अर्थ है 'खोज' या 'शोध', जिसे अंग्रेजी में 'डिस्कवरी' कहते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में 'आविष्कार' का अर्थ 'प्रकट होना', 'बाहर दिखाई देना', 'अभिव्यक्त होना'। अंग्रेजी में भी 'डिस्कवरी' शब्द का दूसरा अर्थ है 'अपने आपको प्रकट करना', 'दृष्टि-गोचर होना'। सत्याग्रह इन दोनों अर्थों में आविष्कार है। वह एक नया शोध भी है और उसके द्वारा हमारा जीवन अधिक भावशाली रूप में अभिव्यक्त भी होता है।

'प्रतिकार' का अर्थ

'प्रतिकार' शब्द के विषय में भी हमारी बुद्धि स्पष्ट होनी चाहिए। मन्वृत भाषा में प्रतिकार का अर्थ जवाब में या बदले में कोई काम करना, इतना ही है। किसी ने हमारा उपकार किया हो और उसके बदले में हम उसकी कोई भलाई करें, तो वह भी प्रतिकार ही है। मतलब यह कि प्रतिकार के मूल अर्थ में केवल विरोध का समावेश नहीं होता। प्रतिकार सहयोगात्मक भी होता है और विरोधात्मक भी। हमारे के अन्याय या बुरे काम का जब हम विरोध करते हैं तब भी अमल में हमारा विरोध सहयोग के लिए सहयोगात्मक होना चाहिए। विरोधात्मक सत्याग्रह का

उद्देश्य और उसकी प्रेरणा सहयोगात्मक ही होती है। इमीलिए सामुदायिक सत्याग्रह के आद्य प्रवर्तक गांधीजी आग्रहपूर्वक और विश्वासपूर्वक कहा करते थे कि सत्याग्रह प्रेममूलक और मेवामय होता है, इमीलिए उसमें उभय कल्याणकारिता का अद्वितीय लक्षण है।

सहयोगात्मक प्रतिकार

अब सुबुद्ध पाठको को यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि विनोबा भूदान-यज्ञ को सत्याग्रह का रूप क्यों कहते हैं। बुराई के निवारण के लिए जो-कुछ किया जाता है, वह सब प्रतिकार ही है। चाहे वह फिर सहयोगात्मक हो या विरोधात्मक। बुरा काम करनेवाला व्यक्ति जब बुराई को ही अपना स्वत्व मान लेता है, तो वह उनके प्रतिकार में सहयोग नहीं देता। अपनी बुराई का ही मर्मर्यन और परिरक्षण करने में नारी शक्ति लगा देता है। ऐसा व्यक्ति सत्याग्रही को अपना प्रतिपक्षी भले ही माने, परन्तु सत्याग्रही उसे अपना प्रतिपक्षी नहीं मान सकता। वह तो अपने को उसका सहयोगी ही मानता है। जब वह विरोध करता है तब भी वस्तु-विशेष और कृति-विशेष का विरोध करता है, न कि व्यक्ति-विशेष का।

सत्याग्रह की विशेषता

चाहिए और विकसित करनी चाहिए, जिसमें कि उसके दोष-निवारण के साथ-साथ उमका हृदय-परिवर्तन भी हो। और अन्त में वह हमारी सफलता को अपनी सफलता समझने लगे। मत्याग्रह की प्रक्रिया में यह अन्यतम विशेषता है कि उममें एक की जीत और दूसरे की हार नहीं होती। दोनों पक्षों की विजय होती है। अमीरी और गरीबी के निवारण में गरीब की सफलता को अमीर भी जब अपनी सफलता समझने लगेगा तो उसका हृदय-परिवर्तन होगा और वह गरीब का सहयोगी बन जायगा।

हृदय-परिवर्तन का आरंभ

परन्तु जबतक हमारा अपना हृदय-परिवर्तन नहीं होता है, तबतक हमारा विरोध मत्याग्रह नहीं हो सकता। गरीब के हृदय-परिवर्तन के बिना उसके सत्याग्रह का परिणाम अमीर के हृदय-परिवर्तन में कभी नहीं होगा। अगर गरीब का हृदय-परिवर्तन नहीं होगा तो गरीबी और अमीरी भी किमी हालत में खत्म नहीं होगी। हमें अपना दिल टटोलकर अपने आपमें यह पूछना चाहिए कि क्या हम सिर्फ अपनी गरीबी का निवारण करना चाहते हैं या समाज में से गरीबी और अमीरी के भेद का याने आर्थिक त्रिपमता का ही निवारण करना चाहते हैं? अगर हमारी नीयत सिर्फ अपनी गरीबी के निवारण की है, तो हमारी मनोवृत्ति अमीर की मनोवृत्ति में भिन्न नहीं है। वह घनाढ्य है और हम घनाकाक्षी हैं। दोनों में घननृणा और लोभ समान रूप से विद्यमान हैं। जो खुद अमीर बनना चाहता है वह यह नहीं चाहता कि दुनिया में गरीब कोई न रहे। वह तो इतना ही चाहता है कि मैं गरीब न रहूँ। यह मनोवृत्ति क्रांतिकारक भूमिका के सर्वथा प्रतिकूल है, इसलिए अमीर के हृदय-परिवर्तन की अनिवार्य शर्त यह है कि पढ़ें गरीब का हृदय-परिवर्तन हो।

गरीब की जिम्मेदारी

भूदान-यज्ञ-आन्दोलन में हमकी योजना है। गरीबों के पास अत्यल्प धन है, उनकी मिश्रणियत बहुत ही थोड़ी है, परन्तु फिर भी उन्हें अपने

परिग्रह से मोह है और अपनी मिलकियत बटाने की निरन्तर चिन्ता है। गरीबी और अमीरी के निवारण में आखिर हमारा उद्देश्य क्या है? क्रांति के बाद भी समाज में कुछ दुष्ट व्यक्ति नभक्त रहेंगे। परन्तु जो समाज हम कायम करेंगे उसकी रचना में दुष्टता के प्रयोग के लिए कम-से-कम अवसर होगा तथा गरीबी और अमीरी के लिए कोई मौका नहीं रहेगा। वर्गहीन समाज-व्यवस्था का यह प्रथम लक्षण है। ऐसी व्यवस्था कायम करने की आकांक्षा और आवश्यकता आज अमीरी की अपेक्षा गरीबी को ज्यादा महसूस होती है, इसलिए गरीब अपनी परिस्थिति में परिवर्तन चाहता है और अमीर उसको अधिक-से-अधिक समय तक बनाये रखना चाहता है। अतएव क्रांति की जिम्मेदारी गरीब पर आ जाती है। इनका मतलब यह हुआ कि परिग्रह और कौटुबिक तथा निजी सम्पत्ति के विनर्जन में पहला कदम गरीब को रखना चाहिए। तीव्र जब अन्दे-जाप परिग्रह और अत्यल्प परिग्रह का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो जायगा, तो समाज में अपरिग्रह की भूमिका का निर्माण होगा। उनके मन में एक ऐसी अर्थ-रचना स्थापित करने की आकांक्षा होगी, जिसमें धर्म-मान्य और अधिकाय जनता स्वामित्वहीन मजदूर नहीं रह सकेगी।

मिलकियत का विसर्जन

भूदान सत्याग्रह का ही रूप है

भूदान-यज्ञ-आन्दोलन क्रान्ति की प्रक्रिया का उपक्रम है और सत्याग्रही प्रतिकार-नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि देश के सभी क्रान्तिप्रिय और क्रान्तिप्रवण लोग उनकी इस अर्थ-व्याप्ति को समझने की कोशिश करें, तो इस देश में एक ऐसी क्रान्ति सिद्ध होगी, जो मानव-मात्र के लिए पदार्थ-पा उपस्थित करेगी और मात्रस्त दुनिया को आशा का संदेश देगी।

नये युग की स्त्री के लिए सुयोग

‘दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह’ नामक अपनी पुस्तक में गांधीजी ने ‘पैमिव रेजिस्टेंस’ (अप्रत्यक्ष प्रतिकार) और सत्याग्रह के फर्क का विस्तृत विवेचन किया है। पैमिव रेजिस्टेंस की मिनाल के तीर पर इंग्लैंड के स्त्री मताधिकार-आन्दोलन का जिक्र उन्होंने किया है। म्त्रिया पुम्पो के मुकाबले में कमजोर और निशस्त्र हैं। वे सशस्त्र-विद्रोह या बाहुबल का प्रयोग नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रतिकार की तरफ ली। अर्थात् जहाँ शस्त्रबल अमाध्य हो, वही पर निशस्त्र प्रतिकार को प्रयत्न और उपादेय माना गया है। उसे शस्त्र-प्रयोग की अपेक्षा गौण समझा गया।

त्रल्यबल व त्रल्यसत्व के लिए

आस्वाद कभी नहीं मिलेगा । उसका जीवन और स्वतंत्रता भी पुरुष की दी हुई होगी और दूसरे की दी हुई आजादी नकली, बनावटी और नाममात्र की होती है । अमल में वह गुलामी ही होती है । जबतक यह हालत रहेगी, तबतक स्त्री पुरुष से तुल्य-बल और तुल्य-मत्व-जीवन की पात्रता नहीं प्राप्त कर सकेगी ।

मचाई यह है कि मनुष्य की वीरता और उसकी शक्ति हथियारों में या उसके डीलडौल में नहीं होती । दुनिया के सभी वीर पुरुष अपने जमाने के सबसे अधिक विशालकाय या सबसे अधिक शस्त्र-मुग्धजित नहीं थे । रावण में राम का कद कहीं छोटा था और उसके हाथ भी दो ही थे । कम में कृष्ण का आकार कहीं छोटा था । तिलक, गांधी, जवाहरलाल या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अपने जमाने के बहुत बड़े मल्ल या शस्त्रविशारद व्यक्ति नहीं माने गये । फिर भी उनकी वीरता और साहस के सभी लोग कायल हैं । स्त्रियाँ अगर इस तत्व को समझ ले और वह उनके दिल में जम जाय तो उनकी कल्पित दुर्बलता एक पल में काफूर हो जायगी ।

गांधी के सत्याग्रह का स्त्रियों की दृष्टि में यहाँ अन्यतम महत्व है । सत्याग्रही क्रांति में स्त्री के लिए पुरुष की बराबरी से पराक्रम का अवसर है । स्त्री-जीवन की भूमिका और स्त्री के व्यक्तित्व के मूल में सत्याग्रही प्रक्रिया में जो क्रांति हो सकती है, वह बाहुबल पर आधार रखनेवाली किसी प्रक्रिया में बनई नहीं हो सकती । मूदान-यज्ञ-आन्दोलन की भी यही विशेषता है ।

स्त्री-जीवन की प्रतिष्ठा का आन्दोलन

अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए लालायित रहती है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब कभी किसी पिता को अपनी कन्या के लिए बर खोजना होता है तो अक्सर वह बर के हृदय तथा बुद्धि के गुणों की अपेक्षा उसकी भौतिक सम्पत्ति का विचार अधिक करता है। जो सम्पत्तिमान होगा और काचनयुक्त होगा, वह स्त्री को अधिक सुख तथा आराम दे सकेगा। परिणाम यह हुआ कि स्त्री वैभवाकाशी बन गई है। यह दोष स्त्री के हृदय और भावना में उतना नहीं है, जितना कि उसकी भूमिका और सामाजिक परिस्थिति में है। और सामाजिक मूल्यों में आमूलाग्र परिवर्तन करने वाले आन्दोलन ही स्त्री-जीवन का मूल्य समाज में प्रतिष्ठित कर सकते हैं।

जब हम लड़कियों के स्कूलों तथा कालेजों में जाते हैं, तो प्रायः सभी लड़कियों के मुँह में आर्थिक ज्ञान के गीत और आर्थिक ज्ञान के उद्गार सुनते हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि इनमें से बहनें लड़कियाँ अपने लिए ऐसा पति-गृह पसन्द करेगी, जो काचनयुक्त हो। यह विरोध जबतक सामाजिक परिस्थिति में विद्यमान है तबतक स्त्री के लिए न्यून प्रतिष्ठित जीवन किसी भी संविधान में या कानून में प्राथमिक नहीं हो सकता।

नारी के लिए अपूर्व सुयोग

संपत्ति-दान का क्रांतिकारी कदम

विनोवा ने अब यह विचार प्रकट किया है कि वे सम्पत्तिमानों से उनकी सम्पत्ति का छठा हिस्सा भी मागना चाहते हैं। पहले-पहल यह विचार कुछ अटपटा और अमगत-मा मालूम होता है। भूदान-यज्ञ में केवल भूमि के बटवारे की कल्पना नहीं है। उसका मूलभूत सकेत क्रांतिकारी है। जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन दे देना ही उमका उद्देश्य नहीं है। जिनके पास जमीन नहीं है और फिर भी जो जमीन जोतना चाहते हैं, जोतना जानते हैं या जोत रहे हैं, ऐसे उत्पादकों को जमीन दिलाना उम आंदोलन का प्रधान उद्देश्य है। किसके पास कितनी कम या अधिक जमीन हो, यह सवाल नहीं है। भूमिदान-यज्ञ का मूलभूत उद्देश्य यह है कि उत्पादन का साधन उत्पादक के हाथों में होना चाहिए।

कांचनमुक्ति—क्रांतिकारी संकल्प

इसलिए यह आन्दोलन पैसे की प्रतिष्ठा का अन्त करनेवाला आंदोलन है और उत्पादक परिश्रम की नत्ता स्थापित करनेवाला आन्दोलन है। उममें विनोवा किसी को उपभोग्य वस्तु नहीं दिलाने। उपभोग्य वस्तु स्वर्गीदने का साधन भी नहीं दिलाने, बल्कि उत्पादन का ही साधन दिलाने है। इसलिए जब उन्होंने कहा कि मैं किसी से पैसा नहीं लगा और जो मेरी मदद करना चाहता है, वह उत्पादन के साधन या उत्पादन के औजार स्वर्गीद कर दे, तब उन्होंने एक अद्भुत क्रांतिकारी संकल्प किया। उपभोग्य वस्तु या उपभोग्य वस्तु स्वर्गीदने का साधन दूसरे से ते तेने में हम देनेवाले का उपकार लेने है। देनेवाले की भूमि गीण हो जाती

हैं। लेकिन उत्पादन का या परिश्रम का साधन किमी को देने में हम उसे उपकृत नहीं करते।

द्रव्यदान का दोष

यह न्याय सम्पत्ति के लिए लागू नहीं है। सम्पत्ति के उपाजन में शोषण अनिवार्य है। जो व्यक्ति बटे-बड़े कारखाने चलाकर मजदूरों का शोषण करता है, वह यदि हमको अपनी सम्पत्ति का छठा हिस्सा दे देता है, तो एक तरह से मौजूदा सामाजिक परिस्थिति को बनाये रखने के लिए मानो हमसे सम्पत्ति चाहता है। वह अपने कारखाने का छठा हिस्सा तो हमें नहीं देता, मजदूरों का शोषण भी किसी तरह कम नहीं करता, मूनाफाखोरी बढ़ाता ही चला जाता है और जितना कमाता है, उम्का छठा हिस्सा हमें देता चला जाता है, तो इस प्रकार के दान में नै व्यक्तिगत पुण्य-संपादन भले ही हो, लेकिन आर्थिक विषमता का अन्त कदापि नहीं हो सकता।

पापमूलक दान

संपत्ति-दान का क्रांतिकारी कदम

विनोबा ने अब यह विचार प्रकट किया है कि वे सम्पत्तिमानो से उनकी सम्पत्ति का छठा हिस्सा भी मागना चाहते हैं। पहले-पहल यह विचार कुछ अटपटा और असंगत-मा मालूम होता है। भूदान-यज्ञ में केवल भूमि के बटवारे की कल्पना नहीं है। उसका मूलभूत मकसद क्रांतिकारी है। जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन दे देना ही उसका उद्देश्य नहीं है। जिनके पास जमीन नहीं है और फिर भी जो जमीन जोतना चाहते हैं, जोतना जानते हैं या जोत रहे हैं, ऐसे उत्पादकों को जमीन दिलाना उस आन्दोलन का प्रधान उद्देश्य है। किसके पास कितनी कम या अधिक जमीन हो, यह सवाल नहीं है। भूमिदान-यज्ञ का मूलभूत उद्देश्य यह है कि उत्पादन का साधन उत्पादक के हाथों में होना चाहिए।

कांचनमुक्ति—क्रांतिकारी संकल्प

उसलिए यह आन्दोलन पैसा की प्रतिष्ठा का अन्त करनेवाला आन्दोलन है और उत्पादक परिश्रम की मर्यादा स्थापित करनेवाला आन्दोलन है। उसमें विनोबा किसी को उपभोग्य वस्तु नहीं दिलाने। उपभोग्य वस्तु स्वर्गदत्त का साधन भी नहीं दिलाने, बल्कि उत्पादन का ही साधन दिलाने हैं। इसलिए जब उन्होंने कहा कि मैं किसी से पैसा नहीं लूंगा और जो मेरी मदद करना चाहता है, वह उत्पादन के साधन या उत्पादन के औजार स्वर्गदत्त का दे, तब उन्होंने एक अद्भुत क्रांतिकारी संकल्प किया। उपभोग्य वस्तु या उपभोग्य वस्तु स्वर्गदत्त का साधन दूसरे में ले लेने में हम देनेवाले का उपकार लेने हैं। देनेवाले की भूमिका गौण हो जाती

है। लेकिन उत्पादन का या परिश्रम का साधन किसी को देने में हम उसे उपकृत नहीं करते।

द्रव्यदान का दोष

यह न्याय सम्पत्ति के लिए लागू नहीं है। सम्पत्ति के उपार्जन में शोषण अनिद्वार्य है। जो व्यक्ति बड़े-बड़े कारखाने चलाकर मजदूरों का शोषण करता है, वह यदि हमको अपनी सम्पत्ति का छठा हिस्सा दे देता है, तो एक तरह से मौजूदा सामाजिक परिस्थिति को बनाये रखने के लिए मानो हमसे सम्मति चाहता है। वह अपने कारखाने का छठा हिस्सा तो हमें नहीं देता, मजदूरों का शोषण भी किसी तरह कम नहीं करता, मुनाफाखोरी बढ़ाता ही चला जाता है और जितना कमाता है, उसका छठा हिस्सा हमें देता चला जाता है, तो इस प्रकार के दान में से व्यक्तिगत पुण्य-संपादन भले ही हो, लेकिन आर्थिक विषमता का अन्त कदापि नहीं हो सकता।

पापमूलक दान

विनोबा उसकी रकम का ट्रस्टी उसीको बना देते हैं, इसलिए इसमें निधि की व्यवस्था का सवाल नहीं उठता। उसके दुरुपयोग की भी सम्भावना कम हो जाती है। परन्तु दाता की भूमिका में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार का दान समाज की अर्थ-व्यवस्था बदल देने का साधन नहीं बन सकता। एक नर्तकी है, वेश्या है और एक शराब का दूकानदार है। वे भी अपनी कमाई का छठा हिस्सा विनोबा को दे सकते हैं—प्रायश्चित्त के रूप में नहीं, किन्तु व्यक्तिगत पुण्य-संपादन के लिए। प्रशस्त और उपयुक्त उद्योग करनेवाले जिस प्रकार अपनी कमाई में से दान-धर्म करते हैं, उस तरह से ये भी करेंगे। चोर भी अपने चोगे के माल में से देवी को भोग चटाते हैं, गोपण करनेवाले भी मन्दिर, तालाब और धर्मशालाएँ बनवाकर दानवीर बन जाते हैं।

वास्तविक उद्देश्य

तो फिर विनोबा के डम नये मकेत का क्या अर्थ है ? वे यह कहते हैं कि इस सम्पत्ति का विनियोग उनके निर्देश के अनुसार किया जायगा । दाता की राय भी पृच्छी जायगी, लेकिन निर्णय विनोबा करेगे । यदि कोई कारखानेदार उनके आदेश के अनुसार हर साल अपनी सम्पत्ति का छठा हिस्सा देगा, तो वे उससे कह सकते हैं कि कारखाने के मजदूरों के लिए अधिक-भे-अधिक स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक विकास के साधन इम रकम में से तैयार कर दो और धीरे-धीरे अपना कारखाना ही मुझे सौंप दो । माहूकार से वे कह सकते हैं कि जो रकम मेरे नाम की है, उममें मे उत्पादन के अमुक साधन और खेती के फलाने औजार खरीद दो । परन्तु उमके साथ-साथ उन्हे यह भी कहना होगा कि इम प्रकार का पैसा कमाना या सम्पत्ति का उपार्जन करना ही पापमय है, इसलिए धीरे-धीरे उम रोजगार को ही तुम बन्द कर दो । अगर कोई सटोरिया उन्हे छठा हिस्सा दे देता है तो वे उससे कहेगे कि तेरा रोजगार ही पापमय है । उमके प्रायश्चित्त के लिए अगर तू मुझे छठा हिस्सा देता है, तो शीघ्र-से-शीघ्र तुझे इम पापमय व्यवसाय को ही छोड देना चाहिए ।

अनुत्पादक व्यवसाय का ही विसर्जन

सम्पत्ति के छठे हिस्से के दान में केवल सम्पत्ति के ही विसर्जन की भावना नहीं होगी, अपितु अनुत्पादक व्यवसाय के ही विसर्जन की भावना होगी । चाहे जैमे भले-दुरे मार्ग में सम्पत्ति का उपार्जन कर लिया और उमका छठा हिस्सा भर विनोबा को देकर पुण्यात्मा की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, ऐसी अगर किसी की धारणा हो तो वह विनोबा के मकेत को नहीं समझता है । सम्पत्ति के अपने हिस्से के विनियोग के विषय में विनोबा जब निर्देश देने लगेंगे, उन वक्त उनके मकेत का पृग-परा अर्थ उन दानियों पर और जनता पर प्रकट होगा ।

अखडदान की प्रक्रिया

भदान-यज्ञ के द्वारे में भी कुछ लोगों को यह भ्रम है कि बड़े-बड़े

जमींदार भी अपनी जमीन का छठा हिस्सा देकर आराम के साथ बचे हुए पाच हिस्सों का उपभोग करते रहेंगे। जो लोग ऐसा मानते हैं, उनकी समझ में भूदान-यज्ञ-आन्दोलन की भूमिका ही नहीं आई है। भूदान-यज्ञ में सम्पत्ति और स्वामित्व के विसर्जन का संकेत है। जो आज छठा हिस्सा देगा, वह कल उससे अधिक देगा और जबतक अपनी संपत्ति का विसर्जन नहीं करेगा, तबतक देता ही चला जायगा। अन्यथा भूदान-यज्ञ के द्वारा अहिंसक प्रक्रिया से भूमि का सविभाजन कैसे हो सकता है ?

संकेत के फलितार्थ

इसी संदर्भ में हमें विनोबा के इस नये कदम को देखना और समझना चाहिए। समाज-विधायक और नीति-विरोधी व्यवसाय करनेवाले भी अपनी आमदनी का छठा हिस्सा देकर प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते। छठे हिस्से के उस दान में यह संकेत है कि हम अनुत्पादक व्यवसायों का ही विसर्जन करना चाहते हैं। विनोबा के इस नये संकेत का संपूर्ण अर्थ ज्यो-ज्यो प्रकट होगा त्यों-त्यों लोग उसकी पूरी सभावनाओं से परिचित होते जायेंगे।

संपत्ति-दान-यज्ञ का सर्वस्पर्शी स्वरूप

विनोवा के आन्दोलन में महावाक्यों की तरह दो मंत्रों का बार-बार उच्चारण किया जाता है। एक है, "सबै भूमि गोपाल की" और दूसरा, "मव सम्पत्ति रघुपति कै आहि।" दान-यज्ञ-आन्दोलन का सबव पहले महावाक्य में है। भूमि भगवान् की बनाई हुई है, वह मृष्टि की एक विभूति है, इसलिए उसपर मनुष्य का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। अन्न उपजाने के लिए जो उसपर पुहपार्थ कर सकता है, उसे उत्पादन का अधिकार मिलना चाहिए। अनुत्पादक का अधिकार जड़-मूल से खत्म होना चाहिए। भू-दान-यज्ञ-आन्दोलन का यह थोड़े में तात्पर्य है।

पुण्यमय आयोजन

परन्तु जो सम्पत्ति श्रम से पैदा होती है, उसपर स्वामित्व किसका हो यह प्रश्न फिर भी बाकी रह जाता है। जो जितनी सम्पत्ति का उत्पादन करती है, उस मन्त्रपर या उतनी ही पर क्या उसका अधिकार होगा? यदि ऐसा होगा तो वर्ग-निराकरण होने पर भी आर्थिक असमानता का निराकरण नहीं हो सकेगा। इसलिए विनोवा ने सम्पत्ति-दान-यज्ञ का पुण्यमय आयोजन किया है।

भूदान जिस प्रकार गरीब और अमीर, सबके लिए है, उसी प्रकार सम्पत्ति-दान-यज्ञ भी गरीब और अमीर, सबके लिए है। जिसके पास प्रचुरता है और वैभव है, वह अपने वैभव के विगर्जन के लिए सम्पत्ति-दान करे, और जिसके पास अभाव है, वह अपने अभाव में ही गारे समाज को शामिल करे। विनोवा ने तो यही तक कहा कि जो भूगा है, वह अपनी भू-दा भी हमें दान करे। वह केवल शब्दालाप नहीं है। उनकी

मह माग, उनके आन्दोलन के पीछे जो व्यापक दर्शन है, उसकी द्योतक है।

दुःख-दारिद्र्य में भी हिस्सा

विद्यार्थी-दशा में एक पाठ्य-पुस्तक में पढी हुई एक कहानी यहा याद आती है। एक मछुवा एक अत्यन्त दुर्लभ जाति की मछली लेकर राज-महल के महाद्वार पर पहुँचा। दरवान ने उसे रोका। मछुवा गिडगिडाने लगा। दरवान ने कहा, “मछली अनोखी है। किस्मत से ही कभी मयस्सर होती है। तुम्हारे तो भाग खुल गये। जो कुछ दाम मिलेगे, उनमें से आधे मुझे दोगे तो भीतर जाने दूँगा।” मछुवे ने वादा किया और भीतर गया।

मछली देखकर राजा निहायत खुश हुआ। मछुवे से कहा, “मनमाने दाम माग लो।” मछुवा बोला, “महाराज ! नगी पीठ पर सौ कोडो की माग है, और कुछ मुराद नही।” राजा दग रह गया। अचरज का ठिकाना नही रहा। पूछा, “क्या यह मछुवा बौरा गया है ?” मछुवे ने कहा, “महाराज ! गरीब की इतनी तमन्ना पूरी हो।” राजा ने सिपाही से कहा, “इसे धीरे-धीरे सौ कोडे लगाओ।” पचास तक गिनती पहुँचते ही मछुवा चिल्ला उठा, “ठहरो-ठहरो, इस सौदे में मेरा एक हिस्सेदार भी है।”

राजा और भी ताज्जुब में डूब गया। पूछा, “कौन तुम्हारा साझेदार है ?” मछुवा बोला, “महाराज ! आपके महल का पहरेवा।” मछुवे ने सारा हाल सुनाया। राजा के क्रोध का पारावार न रहा। दरवान बुलाया गया और कसकर सौ कोडे उसकी नगी पीठ पर मारे गये।

संपत्ति दान-यज्ञ : एक प्रक्रिया

विनोवा के सम्पत्ति-दान-यज्ञ का एक पहलू यह भी है। वे दलित और दरिद्री मानव के दुःख, दारिद्र्य और बेकारी में भी सह-भागी होना चाहते हैं। जब बेकारी बँटेगी, तभी तो काम भी बटेगा। जो बिलकुल श्रम नहीं करते और कौटुंबिक अधिकार ने या परम्परा ने साधन-सम्पन्न हैं, उन सबकी सम्पत्ति को विनोवा ने विपत्ति की उपाधि दी है। अनुत्पादकों की सम्पत्ति का संपूर्ण विनर्जन और अनुत्पादक व्यवसायो

का विमर्जन सम्पत्ति-दान-यज्ञ का लक्ष्य है। इसलिए उन्होंने सम्पत्ति-दान-यज्ञ के लिए यह शर्त रखी है कि सम्पत्ति के जिम अंश का दान होगा, वह 'त्रिनोवा के निर्देश के अनुसार' खर्च किया जायगा। इस शर्त में उनके आन्दोलन की पकड़ है। वे कहते हैं कि "इस शर्त के द्वारा सम्पत्तिवालों के जीवन में मेरा चचु-प्रवेग होता है। पहले मैं उममे सम्पत्ति-दान का मकल्प कराऊँगा और उसके पश्चात् तुरन्त माधन-शुद्धि का आग्रह रखूँगा। सम्पत्ति के उपार्जन के उसके जो माधन और मार्ग होंगे, उनका भी शुद्धीकरण दाता को करना होगा।" इस तरह यह सम्पत्ति-दान-यज्ञ भी एक प्रसंग नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, जो शीघ्र-मे-शीघ्र सम्पत्ति के विमर्जन का वातावरण बनाने में सफल होगी।

संग्रह पाप, संपत्ति-दान प्रायश्चित्त

आज तो वे इतना ही कहते हैं कि जिस किसी के पास थोड़ा या बहुत मग्न है, वह उसका एक अंश, यथामम्भव पष्ठांश, सम्पत्ति-दान में देना शुरू कर दे। अभिप्राय यह है कि वह अपने आप को उस संग्रह का मालिक न समझे, न रक्षक समझे। उसके पास जो मग्न हो गया है, वह असल में उपयुक्त नहीं है। इसलिए उस मग्न को बढ़ाना नहीं है, वरन् जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी खत्म कर लेना है। संग्रह का विमर्जन अपरिग्रही समाज की स्थापना के लिए है। सम्पत्ति-दान में यदि इस मूलभूत तत्व का विचार न किया गया, तो क्रांति की प्रक्रिया में उसका कोई स्थान नहीं रह सकता।

मग्न पाप हैं और सम्पत्ति-दान उम पाप का प्रायश्चित्त है। जो मग्न अनुत्पादक और अनुपयुक्त व्यवसायों के द्वारा किया गया है, उसे यदि पापयुक्त कहा जाय, तो वह कोई अत्युक्ति नहीं होगी। अनुत्पादक व्यवसाय दो श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं। एक वे, जो मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक दोषों पर चलते हैं, जैसे बीमारी पर चलनेवाले, गुनाहों पर चलनेवाले और व्यसनो पर चलनेवाले व्यवसाय। दूसरी श्रेणी में वे व्यवसाय जाते हैं, जो व्याज, सिगया, ठेका और दलाली पर चलते हैं।

जबतक समाज में ये व्यवसाय चलेगें, तबतक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सकट और दोष से लाभ उठाता रहेगा। यही शोषण की जड़ है, इन पेशों और रोजगारों से जो आमदनी होती है, उसका भी एक अश विनोबा को लोग देना चाहेंगे। लेकिन एक तरफ वे अपनी कमाई बढ़ाते रहे, और दूसरी तरफ विनोबा को द्रव्य-दान देते रहे, तो उनके उस दान से न तो उनकी अपनी नैतिक उन्नति होगी और न समाज-कल्याण ही होगा। होना यह चाहिए कि इन व्यवसायों की तरफ से उनका रुख ही बदल जाय और उसकी अभिज्ञा या सहृदानी के रूप में वे सम्पत्ति-दान करे।

अर्थ-शुचित्व और साधन-शुद्धि

विनोबा ने अपने एक भाषण में कहा था कि वे अब अपरिग्रह के व्रत को व्यक्तिगत गुण के रूप में ही नहीं देखना चाहते, बल्कि उसका विकास एक सामाजिक मूल्य के रूप में करना चाहते हैं। व्यक्तिगत गुण का रूपांतर अब सामाजिक मूल्य के रूप में होता है, तब उसमें समाज-क्रांति की शक्ति पैदा होती है। सम्पत्ति-दान की परिपूर्ति शीघ्र-से-शीघ्र समाज-विरोधी तथा अनुत्पादक व्यवसायों के निराकरण में होनी चाहिए। इसलिए विनोबा किसी से एक मुश्त द्रव्य-दान नहीं लेते। पाच साल से कम अवधि के लिए सम्पत्ति-दान का सकल्प-पत्र भी स्वीकार नहीं करते। उपयोग की वस्तुओं का दान स्वीकार करने में भी वे यह तर-तमभाव और विवेक रखते हैं। उदाहरण के लिए अफीम या गाजे का कोई ठेकेदार उन पदार्थों का दान करना चाहे, या अपनी आमदनी का एक हिस्सा जिंदगी भर उनको देना चाहे, तो भी वे उसे लेने से इन्कार कर देंगे। उत्पादकों के लिए कोई तमाखू, बीड़ी या सिगरेट का दान-सत्र शुरू कर दे तो वे उसका विरोध करेंगे। कम-से-कम वे उसे सम्पत्ति-दान नहीं कहेंगे। सम्पत्ति-दान में अर्थ-शुचित्व और साधन-शुद्धि का अभिप्राय मूलभूत है।

ट्रस्टीशिप का प्रत्यक्षीकरण

गांधीजी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का व्यापक विनियोग विनोबा सम्पत्ति-दान-यज्ञ के रूप में कर रहे हैं। इन्हींलिए उन्होंने उसे 'यज्ञ'

नजा दी है। यज्ञ में वलिदान होता है, कुर्बानी होती है। दान में और यज्ञ में एक मूलभूत अन्तर है। अपनी सारी जरूरतों पूरी तरह से और अपनी सारी इच्छाएँ पर्याप्त मात्रा में पूरी करने पर जो शेष रह जाता है उसका हम अक्सर दान करते हैं। दान-उर्वरित या अतिरिक्त वस्तु का किया जाता है। परन्तु यज्ञ में सर्वस्व की आहुति दी जाती है। चाहे हमारी आवश्यकताएँ पूरी हो या न हो, हम अपनी विपन्नता में से ही यज्ञ में आहुति डालते हैं। नचिकेता के पिता ने विश्वजित-यज्ञ किया। उसके पास सिर्फ क्षीण और धुष्क पयोधर वाली गायें ही रह गई थीं। उनका भी उसने दान कर दिया। उसने मरी गाय ब्राह्मण को नहीं दी। जो कुछ था, वह दिया। सम्पन्नता नहीं थी, इसलिए अपनी विपन्नता का ही हविर्भाग दिया। विनोवा कहते हैं, श्रमिकों, तुम्हारे पास श्रम-शक्ति है, तुम मुझे उसीका दान दो। अपनी शक्ति का तुम दान करोगे, तो तुम्हारी विपन्नता और तुम्हारा अभाव और तुम्हारी दरिद्रता भी लोक-व्यापी बन जायगी और बट जायगी। जो तुम्हारे पास है, वह तुम देते हो, तो तुम्हारी जरूरत सबकी जरूरत हो जाती है और तुम्हारी मुसीबत सबकी मुसीबत हो जाती है।

सर्वकश और मूलग्राही यज्ञ

इस प्रक्रिया में एक बहुत गहन और मूलगामी अभिसंधि है। हमारे सामाजिक जीवन की तह तक पहुँचनेवाला एक गहरा आशय है। आज समाज में जो श्रम-जीवी है और उत्पादक है, वे भी श्रमनिष्ठ नहीं हैं। उन्हें परिश्रम और उत्पादन में अभिरुचि नहीं है। और जो अनुत्पादक है, वह तो श्रम में परहेज करना ही है। श्रमनिष्ठा के अभाव में उत्पादन की सामाजिक प्रेरणा कदापि पैदा नहीं हो सकती। इसलिए विनोवा श्रमिकों को भी सम्पत्ति-दान की दीक्षा देते हैं। जो महज मजदूर हैं और मानिक नहीं हैं, उम्हें वे भूदान की प्रक्रिया की मार्फत उत्पादकों के सामानों का मानिक बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ-साथ उम्हें यह दीक्षा भी देना चाहते हैं कि वह अपने परिश्रम से निर्मित वस्तुओं का या अपनी मेहनत की

कमाई का मालिक नहीं है। जिस प्रकार करोड़पति और अरबपति, तथा लखपति और सेठ-साहूकार अपनी सम्पत्ति के परिरक्षक हैं, उसी प्रकार एक गरीब मजदूर भी अपनी कमाई का मालिक नहीं है; परन्तु परिरक्षक है, इसलिए वह भी सम्पत्ति-दान करेगा। इतना ही नहीं, जिस भूमिहीन को भूमि दी जायगी, वह भी जब पहली फसल काटेगा, तो दरिद्रनारायण को भोग चढायेगा। नैवेद्य समर्पण करने में प्रभूत-सम्पत्ति और अत्यल्प-सम्पत्ति का विचार नहीं किया जाता। लकड़हारा भी अपने गाढे पसीने की कमाई में से भगवान् के चरणों पर नैवेद्य चढाता है। विनोवा का सपत्ति-दान-यज्ञ इतना सर्वकश और मूलग्राही है।

संपत्ति-दान का रूप : आज और कल

इस सम्पत्ति-दान-यज्ञ के दो पहलू हैं। जवतक अमीरी और गरीबी का निराकरण नहीं हुआ है, तवतक और तभी तक के लिए हरेक सम्पत्तिधारी अपने आपको केवल न्यासरक्षक (ट्रस्टी) समझे। किसी तरह उसके पास जनता की धरोहर इकट्ठी हो गई है। वह उसे सभाल कर शीघ्र-से-शीघ्र वर्ग-निराकरण की क्रांति के काम में लगा दे। इस प्रकार अमीरो का सम्पत्ति-दान-यज्ञ केवल सक्रमण-काल के लिए है। वह सधि-काल का परम धर्म है।

कोई यह न समझे कि हम सभी भले-बुरे उपायो से धन कमाते जायेंगे और विनोवा के सम्पत्ति-दान-यज्ञ में अपनी सहूलियत के मुताबिक दान देकर इह-लोक में कीर्ति और पर-लोक में सद्गति भी प्राप्त कर लेंगे। पुराने सम्पत्ति-दान में मन्दिर बनवाना, घाट बनवाना, धर्मशालाएँ बनवाना, अस्पताल और स्कूल खोल देना इत्यादि-इत्यादि कई तरह के लोक-कल्याणकारी कामों का समावेश होता था। विनोवा का सम्पत्ति-दान-यज्ञ केवल लोक-कल्याणकारी आन्दोलन नहीं है। वह लोक-जीवन में क्रांति करना चाहता है। इसलिए जिस दिन वह सफल होगा, उस दिन न सग्रह के लिए अवसर होगा और न उस प्रकार के दान के लिए अवकाश ही होगा। यह सम्पत्ति-दान असल में भावना और बुद्धि के दान का प्रतीक

है। यदि गहराई से सोचा जाय, तो विनोबा जो बुद्धि-दान चाहते हैं, वह भी केवल बुद्धिजीवियों का समय-दान नहीं है, बल्कि परिग्रह की वृत्ति का विमर्जन ही वास्तव में उमका अभीष्ट है।

सम्पत्ति-दान का दूसरा पहलू नित्यवर्म का है। परिश्रम से जो कुछ पैदा होता है, वह सब जन-जनार्दन का है। व्यक्ति के पुरुषार्थ के लिए समाज में उसे जो सुयोग मिलता है वह समाज का दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए अपने पुरुषार्थ के प्रयोग में व्यक्ति जो कुछ निर्माण करता है उसपर उसे समाज की ही सत्ता स्वीकार करनी चाहिए। उत्पादक का सम्पत्ति-दान-यज्ञ इस नित्य सामाजिक धर्म का प्रतीक है। अपनी आवश्यकता के लिए वह जो कुछ लेता है, वह समाज का प्रसाद है। इस प्रकार वह समाज को अधिक-से-अधिक देता है और उससे कम-से-कम लेता है। इस तरह के सम्पत्ति-दान-यज्ञ में से श्रमनिष्ठा का विकास होता है। श्रमिक की बुद्धि और भावना में परिवर्तन होता है। विनोबा के श्रम-दान-यज्ञ की तरह उनका सम्पत्ति-दान-यज्ञ भी बुद्धि-युक्त है।

जीवन-संशोधन का संकल्प

अस्मैय और अपरिग्रह के यत्नों की सामाजिक मूल्यों के रूप में प्राण-प्रतिष्ठा तभी होगी, जबकि सम्पत्ति और स्वामित्व के प्रति एक बिलगुल नई वृत्ति छोटे और बड़े मालिकों के तथा गैर मालिक-मजदूरों के चित्त में पैदा होगी। इसके लिए सबसे पहले इस वृत्ति का आविर्भाव और विकास हमारे प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के मन में होना चाहिए। इस देश के निहत्थे लोगों को जब हथियारबन्द फौजों का मुकाबला करना था, तब गांधी ने उन्हें निःशस्त्र वीरता की प्रक्रिया सिखाई। इस प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धान्त यह है कि हथियार का मुकाबला हथियार से न किया जाय। सामनेवाले के हाथ में अगर हथियार हो, तो हमारे मन में भी हथियार नहीं होना चाहिए। गांधी ने हमसे कहा कि "नीति के रूप में ही क्या न हो, अगर निःशस्त्र-प्रतिकार के माग पर चरना चाहते हो, तो हथियार का उपयोग करने की प्रवृत्ति मजबूत दिम में छोट देनी चाहिए।" उमीद है,

हथियारबन्द सिक्ख और हथियार-परस्त पठान चुपचाप हथियारो का प्रहार सहते गये, परन्तु उन्होंने अपने हथियारो का प्रयोग नहीं किया। तात्कालिक नीति के अनुसरण मे भी सचाई और ईमानदारी की जरूरत होती है।

अहिंसा के लिए जो नियम लागू था, उससे कही अधिक मात्रा मे वह नियम अस्तेय और अपरिग्रह के लिए लागू है। मिलकियत का मोह और उमकी ममता सिर्फ थोडी देर के लिए या नियत अवधि के लिए छोड देने से समाज का नक्शा नहीं बदलेगा। स्वामित्व-भावना और सम्पत्ति का लोभ ही जडमूल से छोड देना होगा। सत्याग्रही प्रतिकार की प्रक्रिया के मार्फत गाधीजी ने शस्त्र-सत्ता के निराकरण का एक प्रभाव-शाली प्रयोग किया। भूदान और सम्पत्ति-दान की यज्ञरूप प्रक्रिया के द्वारा विनोवा धन-सत्ता के निराकरण का सफल प्रयोग कर रहे है। तात्कालिक नीति के रूप में अहिंसा का स्वीकार करना उस परिस्थिति में पर्याप्त था। परन्तु यहा तो सग्रह का विसर्जन ओर सम्पत्ति का दान सिद्धात के रूप में और नित्य अनुष्ठेय धर्माचरण के रूप में ही स्वीकारना पडेगा। यह निष्ठा कार्यकर्ताओ में जिस मात्रा में होगी उसी मात्रा मे हमे सफलता प्राप्त होगी। मुख्य वृत्ति का है, और उस वृत्ति के अनुरूप जीवन-सशोधन के सकल्प का है।



विनोबा-साहित्य

- विनोबा के विचार (दो भाग)—विनोबाजी के निबन्धों व व्याख्यानो का महत्वपूर्ण संग्रह । प्रति भाग १॥)
- गीता-प्रवचन—गीता के प्रत्येक अध्याय का बड़ी ही सरल, सुबोध शैली में विवेचन । अजिल्द १), सजिल्द १॥॥)
- शांति-यात्रा—गांधीजी के देहावमान के बाद अनेक स्थानों में दिये गये प्रवचन । १॥)
- स्थितप्रज्ञ-दर्शन—स्थितप्रज्ञ के लक्षणों की व्याख्या । १॥)
- ईशावास्यवृत्ति—ईशोपनिषद् की विस्तृत टीका । ॥॥)
- ईशावास्योपनिषद्—मूल श्लोको सहित ईशोपनिषद् का सरल अनुवाद । =)
- सर्वोदय-विचार—सर्वोदय-विषयक लेखों व प्रवचनों का संग्रह । १=)
- स्वराज्य-शास्त्र—प्रश्नोत्तर के रूप में विनोबाजी द्वारा स्वराज्य की परिभाषा, अहिंसात्मक राज्य-पद्धति एवं आदर्श राज्य-व्यवस्था का विवेचन । ॥॥)
- भूदान-यज्ञ—देश के भूमिहीनों की दुर्दशा से प्रभावित होकर भूमि के सम-वितरणार्थ दिये गए मूल्यवान् प्रवचन । १)
- राजवाट की सनिधि में—भूदान-यज्ञ के सिलसिले में दिल्ली में दिये गए विनोबाजी के प्रवचन । ॥॥)
- गांधीजी को श्रद्धाजलि—गांधीजी के प्रति विनोबाजी की सर्वोत्तम श्रद्धाजलि । १=)
- जीवन और शिक्षण—युवकोपयोगी लेखों तथा भाषणों का संग्रह २)
- सर्वोदय के सेवकों से—रचनात्मक कार्यकर्ताओं की विभिन्न सभाओं में दिये गये महत्वपूर्ण भाषण । १)
- सर्वोदय का घोषणा-पत्र—चाटिल-सर्वोदय सम्मेलन में दिये गये भाषण । १)
- विचार पोथी—विनोबाजी के चुने हुए मूल्यवान् विचारों का संग्रह १)

हमारा भूदान-यज्ञ सम्बन्धी
अन्य साहित्य

- १ भूदान-यज्ञ
 - २ सर्वोदय का घोषणा-पत्र
 - ३ राजघाट की मजिदि मे
 - ४ सर्वोदय के मेवको से
 - ५ विनोबा वीर भूदान
 - ६ सम्पत्ति-दान-यज्ञ
-
-

स मा ज
के
नव-निर्माण
संबंधी
क्रांतिमय
विचार

अखिल भारत सर्व सेवा संघ-प्रकाशन

सामाजिक क्रान्ति के दस कार्यक्रम



जवाहिरलाल जैन

१९५४

अ० भा० सर्व-सेवा संघ का प्रकाशन

अ० भा० सर्व-सेवा सघ, वर्धा
की ओर से
मार्तण्ड उपाध्याय
मन्त्री, सस्ता साहित्य मडल
नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित

पहली बार . १९५४

मूल्य

चार आना

मद्रक
नेशनल प्रिंटिंग वर्कर्स,
दिल्ली

भूमिका

श्रीजवाहिरलाल जैन राजस्थान के एक सुपरिचित कार्यकर्ता हैं। उन्हें विधायक विचार में रुचि है। उनकी श्रद्धा है कि भारत का सामाजिक और आर्थिक सजीवन गांधीजी प्रणीत रचनात्मक कार्यक्रम से ही हो सकता है। इस पुस्तिका में गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम को दस शीर्षकों में बांट कर सामाजिक क्रांति की दृष्टि से उसकी व्यावहारिक उपयोगिता बतलाई गई है। उमसे उनकी अव्ययनशीलता और अन्वेषणवृत्ति का परिचय मिलता है। लेखक ने समस्या का स्वरूप बतला कर उसके समाधान के लिए प्रत्यक्ष व्यावहारिक सुझाव दिये हैं। इन सुझावों में ही पुस्तिका की उपयुक्तता है। भाषा सरल है। शैली प्राञ्जल है।

नेशनल हॉल, पटना ३ }
२८-४-५४ }

—श्री दत्ता धर्माधिकारी

विषय-सूची

१	सांप्रदायिकता का विनाश	५
२	सामाजिक ऊच्च-नीच का अंत	१०
३	स्त्रियों के समान-अधिकार	१५
४.	हरिजनो का उत्थान	२०
५.	विभाजन के घावों का इलाज	२५
६	प्रातीय सकीर्णता-निवारण	२९
७	आदिम जातियों की सेवा	३३
८.	शिगुओ को सम्माननीय मानव समझे	३७
९	बुनियादी तालीम का प्रसार	४१
१०	प्रौढ-शिक्षा जीवन के साथ संबधित हो	४६

सामाजिक क्रान्ति के दस कार्यक्रम

१

सांप्रदायिकता का विनाश

हमारा देश अत्यन्त विस्तृत होने के कारण प्राकृतिक रूप में ही विविधतापूर्ण है। पहले समुद्र ने इसे अन्य देशों में कुछ अलग-ना अवश्य रखा और हिमालय शैलमाला ने इस अलगाव में समुद्र का नाश दिया, किन्तु उत्तर-पश्चिमी सीमान्त और उसने कम उत्तर-पूर्वीय सीमान्त के मार्ग में पड़ोसी देशों के निवासी और विजेता यहां आने रहे और पिछड़े इतिहास में समुद्र भी इस आगमन का बाधक होने के बजाय बाधन बन गया।

इसका आवश्यक परिणाम यह हुआ है, उसे अच्छा मानें या बुरा, कि यह देश विविध धर्मों, संप्रदायों और विचारधाराओं का पहला सघर्ष-स्थल और बाद में समन्वय-भूमि ही रहता चला आया है। हमने इस देश की संस्कृति में भी एक तरह की विघटता तथा उदात्ता का दृष्टिकोण विवक्षित हुआ है और फलतः यह विविधता आज भी विनीत-विनीत अवस्था और रूप में बनी ही रह गई है।

कम तीव्रता में ईसाई विचारधारा अत्यन्त प्रभावोत्पादक और अपना अस्तित्व अलग-अलग रखने वाली थी। इसमें शक नहीं कि सैकड़ों वर्षों में इस देश में रहने के कारण हिन्दुओं और मुसलमानों के जीवन के प्रत्येक विभाग में पारस्परिक आदान-प्रदान खूब हुआ, पर फिर भी एक स्पष्ट अलगाव उनमें रहा ही और राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों पर अलगाव की उन ताकतों का असर रहता ही चला आया।

पर यह अलगाव हानिकारक था, और इसके लिए दोनों सस्कृतियाँ जिम्मेदार हैं। इस अलगाव का बेजा फायदा बाहर वालों ने उठाया। इसी अलगाव को बेजा तीर पर बढ़ा कर इसी मुल्क वालों ने अपने देश-भाइयों का नाश किया। कुछ भी सही, इस मुल्क में यह अलगाव रहा और इसी के परिणामस्वरूप यह मुल्क आजाद भी हुआ तो विभाजित होकर और वह विभाजन भी हुआ इसी माप्रदायिक विभिन्नता के आधार पर।

यह माप्रदायिकता ही मुल्क का सबसे बड़ा अभिशाप और कलह है। यह जरूर है कि पाकिस्तान राज्य की स्थापना के बाद इस देश में इस का रूप बदलता-सा लगता है, किन्तु समस्या अपनी उग्रतम अवस्था में है और साम्प्रदायिकता का विनाश इस महादेश में सामाजिक क्रांति के लिए जल्दी कदम है।

सर्वोदय के सैद्धांतिक आधार पर तो अवश्य ही और साधारणतः मानवता तथा भारत के लौकिक, सम्प्रदाय-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य होने के कारण भी इस देश के सभी नागरिक बिना किसी अपवाद के भारतीय नागरिकता की समान भूमिका पर हैं। यह तथ्य है कि आज भी हमारे देश के हिन्दू-मुसलमान धार्मिक और सामाजिक आचार-विचार में अपनी अलग-अलग दुनिया-सी बसाये हुए हैं और उनमें निरन्तर मर्क की सभी चट्टी आई है लेकिन इस कमी को दूर करना अब अनिवार्य आवश्यक है।

हिन्दू, मुसलमानों दोनों को और इसी प्रकार ईसाई, जैन, पारसियों और बौद्धों को आपस के प्रेम-ग्रन्थों, गीत-गिवाजों, विचारों, आदर्शों आदि का उन्नत चार्ित्र और उनके ऐतिहासिक मूल्य का समझने हुए उनके प्रति

समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । साथ ही उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करने और तथाकथित बुराइयों को उन्हीं के लिए छोड़ देने की वृत्ति को भी विकसित करना वाजिब है ।

इसके लिए जरूरी है कि विभिन्न धर्मावलंबियों के सम्पर्क के मौके अधिक-से-अधिक बढ़ें । जन्म, विवाह, मृत्यु, हनी, खुशी, शोक सभी अवसरों पर सम्पर्क को सहानुभूति और सहायतापूर्वक ग्रहण किया जाय, महभोजन को प्रोत्साहित किया जाय, ताकि मिलकर बैठने, बात करने और निकट तथा प्रत्यक्ष काम करने के अवसर अधिकाधिक मिलें । इसके बिना साम्प्रदायिकता का विनाश नहीं हो सकता ।

एक बात और, हिन्दू, मुसलमानों, ईसाइयों आदि में आपस के साम्प्रदायिक भेदभाव के अलावा इनके विभिन्न उपसम्प्रदायों में, वैष्णवों, सुन्नी, शियाओं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंटों, श्वेताम्बरो, दिगम्बरो आदि की नकीर्णता और घृणा भी अब तक कायम है और कहीं-कहीं काफी उग्र है । दार्शनिक अथवा व्यवहार या दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण भी अलग सम्प्रदाय बनकर वे सिर-फुटीवाल के कारण बन गए हैं । उन्हें केवल दृष्टिकोण की विभिन्नता तक ही मर्यादित रखने के लिए जनमन को जागृत करने का प्रयत्न भी इसी कार्यक्रम का एक अंग है ।

साम्प्रदायिकता की इन दुहरी बेटों को हटाने के प्रयत्न को सुगम बनाने के लिए हमें चाहिए । सभी सम्प्रदायों के बालक साथ खेलें-बूढ़ें, पढ़ें-लिखें, बं खाये-पियें । हिन्दू स्कूल, मुस्लिम स्कूल आदि तो गुप्त ही न दिये जाय और जो हो उन्हें शासन ने कोई सहायता नहीं मिलनी चाहिये । पाठ्यक्रम नवके लिए समान हो, और नारे पाठ्यक्रम खान बन् इतिहास, नागरिक शास्त्र की पूरी तरह जांच करके उन्हें नैतिक-साम्प्रदायिक और सर्वोदय भावना के आधार पर तैयार किया जाय । हा, विश्वविद्यालय की बक्षाओं में इतिहास आदि के विभिन्न दृष्टिकोण, व्याख्या तथा मान्यता, स्रोत आदि विद्यार्थियों के सामने रखे जाय और उन्हें अपने स्वतन्त्र निर्णय के लिए प्रोत्साहित किया जाय ।

हमारे देश में शिशु-शिक्षण के साथ-साथ प्रौढ-शिक्षण का कार्य भी अधिशिक्षितों की भारी समस्या के कारण महत्वपूर्ण है। अतः इस शिक्षण-क्रम में भी गैर-साम्प्रदायिक भावना को विकसित करने की पूरी मामूरी रकती जा सकती है। सारा पाठ्यक्रम गैर-साम्प्रदायिक और वर्तमान साम्प्रदायिकता के दृष्टिकोण की गलती बतलाने वाला हो तो हमारा उद्देश्य आमानी से पूरा हो सकता है। शिक्षण के अतिरिक्त ज्ञान-प्रसार के आवुनिक माधुनो पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, सिनेमा, रेडियो आदि के जरिये भी इस दिशा में बहुत काम हो सकता है और बहुसंख्यक वर्ग में श्रेष्ठता की जटिल भावना और अल्पसंख्यक वर्ग में से लघुता की हीन भावना को धीरे-धीरे दूर किया जा सकता है और लोकतांत्रिक नागरिकता की समभावनाओं से उन्हें ओतप्रोत किया जा सकता है।

राजनैतिक क्षेत्र में यह जरूरी है कि चुनाव में इस साम्प्रदायिकता को कोई स्थान न हो, स्थानों की सुरक्षितता, अलग चुनाव, नीकरियों का अनुपात आदि बिल्कुल न रखे जाय और इसका बराबर विरोध किया जाय। सब केवल भारतीय होने के नाते ही अधिकारों को भोगने के पात्र और कर्तव्यों की पूर्ति के लिए जिम्मेदार माने जाय।

संक्षेप में, सामाजिक, शिक्षण-संबंधी और राजनैतिक क्षेत्र में इस साम्प्रदायिक अलगाव के जितने भी रूप हमें अपने विदेशी साम्राज्यवादी नागरिकों में विगमन में मिले हैं वे सब चुन-चुन कर और हूह-हूह कर जड़ में नाष्ट कर दिये जाने चाहिए। इसके लिए यह भी वाछनीय है कि देश में इस प्रकार की समस्याओं की स्थापना हो, जिनका उद्देश्य ही साम्प्रदायिक तनावों के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना, उनके निराकरण के सम्बन्ध में तर्कागों, समस्याओं और जनता को गलाह देना, साम्प्रदायिक समन्वय के कार्यक्रमों का निर्माण और उनके अनुकूल वातावरण बनाना हो और इस प्रकार की समस्याओं का पूरा सहयोग दिया जाय।

दूसरा पट्टा जा देश की राजनैतिक आजादी और विभाजन के बाद गढ़ा कर पकट गया है वह है बहुसंख्यक वर्ग की समुचित

भावना । हमें स्पष्ट लगता है कि पाकिस्तान के बनने के फलस्वरूप तो विशेषत और गये पचास वर्षों में हिन्दुओं में विकसित पराधीनता के विरोध की भावना और मुसलमानों के राष्ट्रीय आन्दोलन से अधिकांशतः अलग और उनके विरोधी रहने में उत्पन्न निराशा और क्षोभ की भावना के कारण भी अब कहीं-कहीं बहुमध्यक वर्ग में अल्पमध्यक वर्ग के प्रति एक अजीब तरह की उच्चता की, सकुचितता की, अवहेलना तथा अन्याय की और उनकी कमजोरी का बेजा फायदा उठाने की वृत्ति बढ़ती नजर आती है । यह हमारी सैकड़ों वर्षों की गुलाम मनोवृत्ति के उभार का ही चिह्न है । हिन्दू संस्कृति जैसी उदार और समन्वयवादी धरोहर के नाम पर अनहिष्णुता, सकुचितता, और स्वार्थ साधन की भावना को फैलाने और उसे दूसरों पर जबरदस्ती लाद देने की इन मनोवृत्ति के प्रति लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के समर्थक प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए सजग रहना आवश्यक है । पाकिस्तान या अन्य किसी बाहरी राष्ट्र के द्वारा की गई या की जाने वाली किसी बुराई का नाम लेकर अपनी गृहिन अन्तर्भावना के पोषण का प्रयत्न भी निन्दनीय और वर्जनीय है ।

नाम ही अल्पमध्यक वर्ग में भी पाकिस्तान में अथवा बाहर के अन्य किसी राष्ट्र में प्रेरणा और नेतृत्व प्राप्त करने या उनकी ओर देखने की मनोवृत्ति बिल्कुल अनुचित और गलत है । अल्पमध्यक वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसे भारत का नागरिक बनना ही रहना है । पाकिस्तान की तरफदारी या किसी भी राष्ट्र के मीठे पर पाकिस्तान चले जाने की मनोभावना सभी उन्हें लाभदायक नहीं हो सकती, वह हमेशा उनके प्रति शक बढ़ाने वाली ही होती । पाकिस्तान के नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई वहाँ की जनता स्वयं लड़ेगी । दोनों राष्ट्रों की जनता का भला इन्हीं बातों में है कि वह सम्मननीय ढंग से उत्तेजित न होकर अपने-अपने देश में अपने-अपने वर्तमान-काल में लगे रहें । यही बात अन्य देशों के सम्बन्ध में भी लागू होती है ।

सक्षेप में

१ सामाजिक क्रांति और प्रगति का समर्थक प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने दृष्टिकोण, आचरण और व्यवहार में सावधानी पूर्वक गैर-सांप्रदायिक होगा ।

२ जिन्हें इस समस्या के समाधान में विशेष रुचि हो वे अपना समय और शक्ति इस में लगावेगे और अपने देश के किमी छोटे-मे-छोटे क्षेत्र को अथवा सामूहिक जीवन के किसी अंग को साम्प्रदायिकता के जहर में मुक्त करने और समन्वयपूर्ण दृष्टिकोण और जीवन को अग्रसर करने में अपने-आपको खपा देंगे ।

३ आम जनता में से चाहे वह किमी भी धर्म की मानने वाली हो, देश के बाहर कोई कही दुर्घटना होती हो तो उसकी निन्दा, विरोध चाहे वह करे, लेकिन उसके परिणामस्वरूप या उसका बदला यहाँ के किमी वर्ग पर अत्याचार करके लिया जा सकता है, इस प्रकार की गलत और मूर्खतापूर्ण भावना को अपने विचार में से बिल्कुल निकाल देने का पूरा प्रयत्न किया जायगा ।

२

सामाजिक ऊंच-नीच का अन्त

हमारे देश में बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक का प्रश्न ऊपर से राजनैतिक और धार्मिक उगता है, किन्तु दरअसल इसकी जड़ में सामाजिक विषमता है जो हमें साथ ही अनेक समस्याओं और कठिनाइयों की जननी है ।

जातिया उस अतीत की अर्थहीन स्मृति के लिए आज भी अलग-थलग बनी हुई हैं, अपने अलग-अलग सामाजिक आचार-विचार को भुला मकने तथा उसी आधार पर अपनी उच्चता अथवा निम्नता की कोटियों को छोड़ सकने में आज तक समर्थ नहीं हुई हैं ।

एक बड़ी सामाजिक विषमता छूत और अछूत वर्ग की है । हमारे देश में एक बहुत बड़ा जन-समूह समाज में ऐसा मान लिया गया, जिसे छुआ तक नहीं जा सकता, यद्यपि समाज के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में उसकी मौजूदगी अत्यन्त आवश्यक थी । उस पर कर्तव्य का भारी बोझ रख कर उसके अधिकार न्यूनतम रखे गए और उस समूह के वैवाहिक सवध और खानपान, निवास तथा पेशों को उन्हीं में सीमित करके उस वर्ग को अपने-आपमें सकुचित और बाकी के समाज से विल्कुल अलग और नीचा बना दिया गया । इस प्रकार समस्त हिन्दू समाज ऐसे दो भागों में बंट गया, जिनमें आपस का खानपान, विवाह-सवध और पेशों का परिवर्तन तो दूर, निकट आने और छूने की भी सीमाएँ नियत हो गईं और उनमें कोई भी सामाजिक सम्पर्क नहीं रहा । यही नहीं, अछूतों में भी विभिन्न समूह ऐसे सकुचित बने, जिनमें खान-पान, विवाह और पेशों के बारे में कई मर्यादाएँ और बंधन लग गये और आपस में अलगाव की दीवारें उंची होती गईं । यह अलगाव ऐसी मूर्खता पूर्ण हृद तक बढ़ा कि सामाजिक रूप में पूरी तरह अभिन्नता वाले जन समूहों में भी 'मात कर्त्तव्याजिग नो नून्हे' की स्थिति पैदा हो गई ।

यह बात तो हिन्दू समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति की सामाजिक दृष्टिकोण से हुई । धार्मिक दृष्टिकोण से भी यही सामाजिक भेदभाव की वृद्धि हुई । बौद्ध तथा जैन धर्म जो तत्कालीन याज्ञ प्रधान वैदिक धर्म के सम-कालीन तथा पूर्वकालीन योग और ध्रमण परम्परा के उत्ताधिकारी थे, बाद में सामाजिक उथल-पुथल के त्रोट बन गए और यद्यपि, बाद में बौद्ध-धर्म इस देश से खत्म-सा हो गया और जैन धर्म सामाजिक दृष्टिकोण से हिन्दू समाज का अग-सा बन गया । फिर भी एक ओर इन धर्मों के मानने-

वाले और हिन्दू धर्म के माननेवालों में विवाह मवव व्यापक रूप में न होने के कारण थोड़ा-बहुत अलगाव मौजूद है, दूसरी ओर इन समाजों में भी हिन्दू समाज की भांति जान-प्यात, छूत-अछूत की भावनाएँ प्रचल हो गईं यद्यपि ये धर्म हिन्दू-समाज की उन्हीं तथा अन्य बुराइयों के खिलाफ विद्रोह के रूप में उन्नत हुए थे। इसी प्रकार आर्य समाज भी एक अलग जाति-भी बनकर रह गया। प्रतीत होता है और सिख-धर्म जो हिन्दू और मुस्लिम समाजों की बुराइयों के निराकरण के रूप में पैदा हुआ था, कट्टर हिन्दू धर्म की शान्ति बन गया, और अब सिख धर्म और सिख समाज हिन्दू धर्म और समाज में विल्कुल अलग हो गया है। लेकिन इसमें भी हिन्दू समाज में व्याप्त, ऊँच-नीच, और खान-पान तथा व्याह की मकुचितताएँ घुम कर कड़ी हो गई हैं।

यद्यपि इस्लाम धर्म के अनुयायी यहाँ विजेता के रूप में आये और यहाँ के निवासियों पर राज करने लगे, किन्तु फिर भी हिन्दू समाज ने उन्हें विल्कुल अलग रक्खा, नीचा माना और उनके साथ विवाह-मवव और मठभोजन को अनुचित माना। यही नहीं, हिन्दू समाज के जो सदस्य एक बार भी जान बूझ कर, जोर-जबर्दस्ती या अनजाने भी इस धर्म या समाज में शामिल हो गए उनका हिन्दू समाज ने पूर्णतया बहिष्कार किया। सम्भवतः इस सामाजिक बहिष्कार और अपमान ने मुस्लिम लीग के द्वि-राष्ट्र मिद्रान्त को जन्म दिया। मच तो यह है कि पाकिस्तान का जन्म और उसकी वर्तमान मनोवृत्ति उच्च वर्णीय हिन्दू-वर्ग की उच्चता की नावना की ही प्रतिव्रिया अथवा उसका उम्लायी मस्करण है, किन्तु गेद की बात है कि मुसलमान समाज में और ईसाई समाज में भी, जो संद्वान्तिता

भेदभाव हिन्दू समाज तक ही सीमित न रह कर लगभग देशव्यापी बन गया है, यद्यपि हिन्दू समाज में इसकी उग्रता सबसे अधिक है।

हमारे देश के जन-समूह में यह विभिन्न सामाजिक स्तरों का आपसी विरोध, मकुचितता और कटुता पिछले चालीस-पचास साल की राष्ट्रीय-जागृति के परिणामस्वरूप दबी हुई रही है, कुछ कम भी हुई है, विदेशी राज्य को खत्म कर देने के बड़े आंदोलनों और संघर्षों ने अलगाव की इस भावना पर अकुश रक्खा है और पश्चिमसे प्राप्त लीकिकता तथा धर्म के प्रति उदासीनता की भावना और लोकतंत्र के विचारों ने इसे पनपने से रोका है, लेकिन देश के आजाद हो जाने पर जो ताकत उभर प्रयत्न में लगी थी वह अब खाली हो गई है अथवा जो ध्यान अब तक राजनैतिक आजादी प्राप्त करने की ओर केन्द्रित था वह अब वहाँ से हट कर दूसरी तरफ लगने को है। अब इस ताकत का उपयोग सामाजिक क्रांति और समानता की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो पूर्वोक्त भावना बढ़ कर भयंकर रूप ले सकती है। इसके दो नकेत हमारे सामने हैं।

एक ओर तो सामाजिक स्तरों में नीचे लोगों में अपने अधिकारों के संवर्धन में नई जागृति आने लगी है और वे इन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक उग्र रूप से उत्सुक होने लगे हैं। यही नहीं, उनमें अपने तथाकथित अन्याय-चारियों अथवा उच्च-स्तर वालों से बदला लेने या उन्हें परम्परागत अयत्न समृद्ध सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण प्राप्त विशेष-अधिकारों का उपभोग बलपूर्वक न करने देने की कटुतापूर्ण मनोवृत्ति पैदा हो रही है। हमारा छुआ हुआ अन्न फेंक दिये जाने के काविल है या हमारा छुआ हुआ उच्च वर्णों के शरीर स्नान के बिना पवित्र नहीं हो सकता, केवल यह दुर्भावना ही असह्य हो गई, तो बात नहीं, बल्कि तथाकथित उच्चवर्णों के लोगों के हाथ का छुआ तथाकथित नीचे स्तर के लोगों न खाये, फेंक दे, यह भावना प्रतिश्रिया के रूप में बढ रही है। कुछ समय पूर्व उत्तर-प्रदेश में द्विजन्तु लोगों ने अपने-आपको सगठित कर 'ब्राह्मण, क्षत्रि, लाला, इनका ही मूढ़ बाला', यह नारा खड़ा किया था और दक्षिण में द्रविड मध द्वारा संचालित

ब्राविडिस्तान का आदोलन और तथाकथित ब्राह्मण-प्रमुखता का विरोध डमी बीमारी के मकेत है । डममे शक नही कि ये आदोलन अभी तक नगण्य है लेकिन इनके कारणो को शीघ्र और व्यापक पैमाने पर दूर नही किया गया तो ये जोर पकड सकते है ।

दूमरी ओर ब्राह्मणो की सामाजिक प्रमुखता पर दो ओर मे आघात हो रहा है, एक ओर राष्ट्रीयता और लोकतंत्र के विचार, विस्तार के परिणाम-स्वरूप तथा दूमरी ओर ब्राह्मणेतर लोगो मे शिक्षा और जागृति के फैलने मे और इन दोनो के फलस्वरूप उन्हे जो आर्थिक तथा प्रतिष्ठा सवधी हानि हुई है, उस सवके कारण कुछ लोगो द्वारा हिन्दू धर्म और मस्कृति की रक्षा के नाम पर प्रबल फासिस्ट आदोलन का बीजारोपण किया जा रहा है, जो कभी भी जोर पकड सकता है ।

डम प्रकार भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों की सामाजिक विषमता, उनके पारस्परिक घात-प्रतिघात और वर्गगत स्वार्थों के पोषण के आदोलन देश के कल्याण और सर्वोदय की भावना के विपरीत है, क्योंकि वे स्पष्ट ही मत्र के हिन के मुकाबले मे "कुछ" के स्वार्थों को तरजीह देते है, अनुचित जमिंदारों को पशु-बल से कायम रखना चाहते है या अनावश्यक कटुता और हिंसा को बढ़ावा देकर उन्हे सतम कर देना चाहते है । लेकिन कटुता और हिंसा तो प्रतिहिंसा और प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर देती है, डममे क्रांति और समाजता की ओर बढ़ने का काम रुक जाता है, अथवा पिछड भी जाता है, अतः वास्तविक सामाजिक क्रांति के समर्थक को स्वभावतः उन दोनो ओर के प्रतिवादों और आत्मघाती तथा देशघाती आदोलनों का विचार और व्यवहार दोनो के द्वारा व्यक्तिगत रूप मे और आवश्यक हो तो सगठित रूप मे विरोध करना होगा और सामाजिक ऊच्च-नीच, विषमता, और अज्ञान का योजन-व्युत्पन्न तरीके पर हटाना होगा ।

आधार पर सभी सार्वजनिक कार्यों, सेवाओं, व्यापार और पेशों में लिये जाने का समर्थन करेगा और दूसरी ओर वह किसी भी रूप में चली आ रही सामाजिक ऊच-नीच की भावना और भेद-भाव को स्वयं स्वीकार नहीं करेगा और उन्हें हटाने में अपनी शक्ति का उपयोग करेगा ।

संक्षेप में सामाजिक क्रांति का समर्थक

१ किसी भी मच्चे-झूठे ऐतिहासिक अथवा परंपरागत प्रकरण के आधार पर किसी सामाजिक द्वेष, कटुता, अपमान या विपमता को नहीं मानेगा, उसका समर्थन नहीं करेगा ।

२ किसी मत, ग्रन्थ, सम्प्रदाय, रिवाज आदि के आधार पर सामाजिक कर्तव्य और व्यवहार की अममानता को नहीं मानेगा और उसका विरोध करेगा ।

३ जातपात, छुआछूत और सामाजिक अधिकार की विपमता को किसी भी कोटि को अस्वीकार करेगा और उसका विरोध करेगा ।

४ तथाकथित ऊंची संस्कृति, वंश, पद, सम्पत्ति के आधार पर सामाजिक उच्चता या विशेषाधिकार का समर्थन नहीं करेगा ।

५ सफाई, स्वास्थ्य, मयम और निरामिष जाहान के जगवा और किसी प्रकार का अलगाव सहभोजन में नहीं मानेगा ।

६ आर्थिक स्थिति, विचार-धारा, रहन-सहन, भाषा के अन्तर को भले ही वह स्वीकार करे किन्तु किसी जन्मजात सामाजिक उच्च-नीच के भेदभाव को वह विवाह मवध में बाधक नहीं मानेगा ।

३

स्त्रियों के समान-अधिकार

स्थिति में एक छोटा और एक बड़ा माना जाय, एक गुलाम और एक स्वामी माना जाय, एक के अधिकार कम और एक के अधिक हों, यह बात सीधे तौर पर ही अटपटी और अन्यायपूर्ण लगेगी, लेकिन दुनिया में और सास कर हमारे मुल्क में अब तक होता यही आया है।

अधिकांश दुनिया में मानव-समाज का सगठन पितृ-प्रधान परिवार-प्रणाली पर रहा है। पिता परिवार का केवल नेता ही नहीं उमरू मालिक भी बन बैठा है। परिवार के नेता होने के नाते लडाई-झगड़े के खतरे उसने उठाये तो स्वभावतः शान्तिकाल में आर्थिक साधनों के उपयोग और नियंत्रण में भी उसकी आवाज को प्रधानता मिलने लगी और धीरे-धीरे उनकी प्रमुखता पूर्णता को पहुँच गई और इस प्रकार वह परिवार का पूरी तरह स्वामी बन गया।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि किसी भी समाज में औसतन तरीके पर स्त्री-वर्ग पुरुष-वर्ग से शारीरिक बल में कम है, उनकी औसतन लंबाई और तौल भी पुरुष के औसत से कम है। यह ठीक है कि मानसिक और बौद्धिक शक्तियों में ऐसा कोई निश्चित तारतम्य नहीं है और आवश्यकता तथा अभ्यास से स्त्री भौतिक बल में भी पुरुष का मुकाबला कर सकती है और यह भी संभव है कि स्त्री-वर्ग की यह कमी भी गये हजारों वर्ष के अन्याय, शोषण तथा उन्हें साहस के कार्यों से अलग रखने का परिणाम भी हो, लेकिन यह तो मानना ही पड़ेगा कि गर्भ के विकास और शिशु के लालन-पालन के उत्तरदायित्व के कारण स्त्री को विशेष मावधानी पूर्वक रक्षा और आराम की जरूरत है और यह आवश्यकता उसके साथ प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई है। इसी आवश्यकता ने उसे बचपन जयवा आक्रमण के कटे सत्रपा में पीछे रहने को बाध्य किया होगा और घर में रहकर घर सम्भालना उसके हिस्से में आया होगा। इसी आवश्यकता ने उसे शान्त-शांत में जमीन जानने, हार चलाने, व्यापार करने, बड़ी मेट्रन के उन्नाग करने आदि ज्यादा जोगिम भरे और परिश्रम के काम में लेना होगा और एक बार मुँहासा हा जाने पर फिर मुँहासा

और आजीविका सबधी उनकी पर-मुखापेक्षिता बढ़ती गई और फलस्वरूप सभी तरह समाज में उनका स्थान पुरुष के मुकाबले में गौण होता गया ।

इस प्रकार सुरक्षा और आजीविका के कर्तव्य में स्त्रियो को मुक्ति तो मिली, लेकिन यह मुक्ति उन्हें बहुत महगी पडी और वे राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों में विलकुल वंचित हो गई । राष्ट्र के हित और अहित में उनका योग और मलाह अनावश्यक हो गई, इसका अमर धार्मिक, सामाजिक, तथा साम्प्रतिक अथवा अन्य क्षेत्रों पर भी पडा, क्योंकि राजनैतिक अधिकारों और जिम्मेदारियों में अलग हो कर वे घर के कार्यों में अधिकाधिक लगती गई । इसका परिणाम यह हुआ कि उनका कार्यक्षेत्र घर की चार-दीवारी तक ही सीमित हो गया और बाहर के स्वर्ण से वे रहित हो गई और आर्थिक मुखापेक्षिता के कारण वे धीरे-धीरे पुरुष-वर्ग की मित्र और सहयोगी रहने के बजाय उसका खिलौना, विलास का साधन, और अन्त में उसकी दानी नहीं बल्कि सम्पत्ति बन गई । पुरुष मानवता से दूर हट कर दानव बना और स्त्री मानवता से हटकर निरीह और मूक पशु बनी । मानव दोनों ही न रहे, अतः स्त्री को इस स्थिति में उठा कर समान मानवता की स्थिति पर प्रतिष्ठित करना सामाजिक-धार्मिक का बड़ा और बहुत आवश्यक कार्यक्रम है ।

की प्रगति का मूर्य उदित हुआ। उमका प्रकाग हमारे देश में भी फैला और राजा राममोहनराय के देश की नवजागृति के कार्यक्रम में स्त्रियों को समानाधिकार देना भी शामिल हुआ। तब में हमारे देश की स्त्रियों को भी जीवन के बनेक क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अधिकार देने का विचार प्रगति करता गया और प्राचीन धर्म-शास्त्रों आदि से इसके समर्थन में प्रमाण भी सामने आये।

१९४७ तक हमारा देश राजनैतिक गुलामी में जकड़ा हुआ था और देश की समग्र विचार और कार्य-शक्ति देश की आजादी प्राप्त करने में मलग्न थी। आजादी की इस लड़ाई और अहिंसात्मक लड़ाई में भारतीय स्त्री-समाज का हिस्सा भी बड़ा शानदार और माहमपूर्ण रहा और फलस्वरूप राजनैतिक अधिकार देश की आजादी के साथ-साथ उन्हें अपने-आप ही प्राप्त हो गये।

लेकिन सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त करने में उन्हें अवश्य अधिक कठिनाई होगी। जब देश में विधुर-विवाह पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तो विधवा विवाह पर भी कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं रह सकता। नशाक प्रथा स्त्री-पुरुष दोनों की समान मुविधा का प्रश्न है, वह भी कानूनी तौर पर निरट भविष्य में प्राप्त हो जायगी। पर्दा, वृद्ध-विवाह, बाल-विवाह, स्त्रियों और पुरुषों के सामाजिक उत्तराधिकार के प्रश्न, जो स्त्री की सामाजिक निम्नता के चिह्न हैं, धीरे-धीरे दूर होने जा रहे हैं और कानूनी प्रतिबन्धना निरट भविष्य में हट जायगे, लेकिन कानून बनवा लेने में कहीं अधिक स्त्री-समाज में कठिन उनको व्यवहार में लाने योग्य शक्ति और क्षमता पैदा करने का प्रश्न है। इसमें भारतीय नागरिकों के प्रबल और निरंतर प्रयत्न की आवश्यकता है। यह प्रयत्न सगठित, व्यापक और गहरा हो, तभी सामाजिक क्रांति संभव होगी।

कुछ सैद्धांतिक ही रहेगी ।

लेकिन पश्चिम में निश्चय तौर पर और पूर्व में भी कहीं-कहीं स्त्रियों के समान अधिकार का सवाल स्त्री और पुरुष वर्गों में अधिकारों की लड़ाई का सवाल बन गया है और अधिकारों की लड़ाई का परिणाम कभी सतोप-प्रद नहीं होता, क्योंकि सघर्ष सदा कटुता और प्रतिक्रिया पैदा करता है । फलस्वरूप पश्चिम में और पूर्व में भी इस मारे सघर्ष का परिणाम अच्छा ही हुआ, सो बात नहीं । पारिवारिक सुख-शांति बहुत घरों में भग हो गई है, तलाकों की संख्या बहुत बढ़ गई है और विवाह भी स्त्री पुरुष की समृद्धि और सुख बढ़ाने के बजाय विवाद और विग्रह के कारण बन गये हैं । इसका सबब यह है कि पश्चिम में इस प्रश्न पर सर्वोदय की दृष्टि में विचार नहीं किया गया । स्त्री तथा पुरुष इस संसार में दो विभिन्न और विरोधी इकाइयाँ नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक और सहयोगी हैं । दोनों के जाग्यात्मिक, नैतिक और भौतिक आदर्श एक हैं और वे हैं सबके कल्याण में अपना कल्याण और अपनी शुद्धि से सब की शुद्धि । ऐसी स्थिति में अधिकारों का कोई सघर्ष नहीं हो सकता, हकों की कोई लड़ाई मुमकिन नहीं । यहाँ तो केवल कर्तव्य-पालन की ही दौड़ हो सकती है और वहीं होनी चाहिए ।

स्त्री-पुरुष से शारीरिक शक्ति की दृष्टि में इन समय औसतन सम-जोर है, अतः पुरुष का कर्तव्य है कि वह स्त्री जाति का संरक्षण तथा ऐतिहासिक स्त्री अहिंसा, कोमलता, सेवा और प्रेम का प्रतीक है, वह जग-जननों का रूप है, अतः पुरुष का स्वाभाविक आदर उसके प्रति होना चाहिए । स्त्री, ज्ञान, बल और कर्म की दृष्टि से अधिकाधिक समुन्नत हो, पुरुष की प्रत्येक अपेक्षित और अनपेक्षित सहायता उसे मिले, वह आतंरिक भावना पुरुष के मन में सदा रहनी चाहिए ।

रूप में उसमें प्रेम हो। पुरुष की उन्नति में उसका हर तरह का सहयोग हो। यह भावना स्त्री में बलवती रहे। दोनों यह मानें कि एक दूसरे के प्रेम, सहयोग और विश्वास के बिना दोनों अधूरे हैं, दोनों एक-दूसरे में मिलकर ही पूर्ण हो सकते हैं। दोनों अपने-आपको एक दूसरे के लिए उत्सर्ग करने की भावना प्रबल रखें। इस दृष्टि से स्त्री और पुरुष के बीच अधिकारों के लिए लड़ने का मवाल ही नहीं खड़ा होता।

सामाजिक क्रान्ति का समर्थक प्रत्येक भारतीय नागरिक

१ स्त्री-पुरुष दोनों को मानव-समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समानाधिकारी और पूरक मानेगा।

२ कठिनाई और मुसीबत के हरेक मीके पर खुद आगे आयेगा और दूसरे की सहायता करने, बचाने, काट कम करने के किमी अवसर को हाथ में न जाने देने का प्रयत्न करेगा।

३ स्त्रियों के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी अधिकारों की पूर्ति को पूरा करने में आज का पुरुष-वर्ग अपने पूर्वजों द्वारा किये गए अन्धकार के प्रायश्चित्त रूप में विशेषतया प्रयत्नशील होगा।

४ अपने आदर्श में स्त्री-पुरुष दोनों की सर्वतोमुखी उन्नति का इच्छुक होगा। पुरुष-वर्ग के द्वारा स्त्रियों को आगे बढ़ाने के विशेष प्रयत्न का अर्थ उन पर एहसान करना नहीं होगा, बल्कि समान अधिकार और कर्तव्य चाहे स्त्रियों के रूप में कर्तव्य की दृष्टि में आगे बढ़ाने का होगा। इसमें पुरुष-वर्ग की भिन्नता का ही प्रश्न नहीं है। जो जहा है, कर्तव्य में आगे रहें और जा चहा जाना चाहें, उसे बढ़ा आने में कोई रुकावट न हो।

८

हरिजनो का उत्थान

आवश्यक है और इस एक कार्यक्रम की पूर्ति में ही सामाजिक क्रांति की वृद्धि अगो में निहित हो जाती है।

हमारे देश के सामाजिक स्तर का सबसे निचला भाग हरिजनो का है जो समाज के लिए बहुत आवश्यक काम—गदगी दूर करने और सफाई रखने की पूर्ति करता है। मरे हुए जानवरों को उठाने, उनके चमड़े रगने, हड्डियाँ इकट्ठी करने आदि के काम भी गदगी उठाने के काम में मिलते-जुलते हैं और वे नारे काम एक विशिष्ट मानव-समूह करता है, जो पीटी-दर-पीटी इसी काम को करना चला आया है, जो इसके अलावा और कोई काम प्रायः नहीं कर सकता और इसी कारण तथा अन्य किन्हीं कारणों से भी समाज में दृष्ट नोच, यहाँ तक जट्टन मान लिया गया है। इन्हीं हरिजनो की तीन समस्याएँ हैं, जिन्हें हल करना ज़रूरी है। (१) हरिजनो द्वारा किये जाने वाले काम वशानुगत रूप से वही वर्ग कर रहा है इस कारण से हरिजन वर्ग में शिक्षा का, नई विचारभावना का प्रगतिशील विचार तथा रहन-सहन का लोप हो गया है और उनकी दृष्टि अत्यन्त मकुचित हो गई है। अगर उन्हें वास्तव में इस अज्ञान और निम्नता से उबर उठाना है तो अनिवार्यतः आवश्यक है कि हरिजन-वर्ग गदगी उठाने सफाई करने आदि का ही काम करे और नारे कायधेन उनके लिये बंद हो—उस बन्धन को व्यावहारिक रूप में दूर करना होगा।

रूप में उममें प्रेम हो। पुरुष की उन्नति में उमका हर तरह का सहयोग हो। यह भावना स्त्री में बलवती रहे। दोनों यह मानें कि एक दूसरे के प्रेम, सहयोग और विश्वास के बिना दोनों अचूरे हैं, दोनों एक-दूसरे में मिलकर ही पूर्ण हो सकते हैं। दोनों अपने-आपको एक दूसरे के लिए उत्सर्ग करने की भावना प्रबल रखें। इस दृष्टि में स्त्री और पुरुष के बीच अधिकारों के लिए लड़ने का मवाल ही नहीं खड़ा होता।

सामाजिक क्रान्ति का समर्थक प्रत्येक भारतीय नागरिक

१ स्त्री-पुरुष दोनों को मानव-समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समानाधिकारी और पूरक मानेगा।

२ कठिनाई और मुसीबत के हरेक मौके पर खुद आगे आयगा और दूसरे की सहायता करने, बचाने, कष्ट कम करने के किसी अवसर को हाथ में न जाने देने का प्रयत्न करेगा।

३ स्त्रियों के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी अधिकारों की कमी को पूरा करने में आज का पुरुष-वर्ग अपने पूर्वजों द्वारा किये गए अन्याय के प्रायश्चित्त रूप में विशेषतया प्रयत्नशील होगा।

४ अपने आदर्श में स्त्री-पुरुष दोनों की सर्वतोमुखी उन्नति का इच्छुक होगा। पुरुष-वर्ग के द्वारा स्त्रियों को आगे बढ़ाने के विशेष प्रयत्न का अर्थ उन पर एहसान करना नहीं होगा, बल्कि समान अधिकार और कर्तव्य वाले साधियों के रूप में कर्तव्य की दौड़ में आगे बढ़ाने का होगा। इसमें कार्यक्षेत्र की भिन्नता का ही प्रश्न नहीं है। जो जहा है, कर्तव्य में आगे रहे और जो जहा आना चाहे, उसे वहा आने में कोई रुकावट न हो।

४

हरिजनो का उत्थान

वैसे हरिजनों का उत्थान सामाजिक क्रान्ति के सामाजिक ऊच-नीच दूर करने के कार्यक्रम का ही अंग है, किन्तु यह अपने-आपमें ही इतना विशाल और जटिल काम है कि इसे जल्द और स्वतंत्र कार्यक्रम ही मानना बहुत

आवश्यक है और इस एक कार्यक्रम की पूर्ति में ही सामाजिक क्रांति की बहुत अगो में निधि हो जाती है।

हमारे देश के सामाजिक स्तर का सबसे निचला भाग हरिजनों का है जो समाज के लिए बहुत आवश्यक काम—गदगी दूर करने और सफाई रखने की पूर्ति करता है। मरे हुए जानवरों को उठाने, उनके चमड़े रगने, हड्डियाँ इकट्ठी करने आदि के काम भी गदगी उठाने के काम में मिलते-जुलते हैं और वे सारे काम एक विविष्ट मानव-समूह करना है, जो पीटी-दर-पीटी इसी काम को करता चला आया है, जो इसके अलावा और कोई काम प्रायः नहीं कर सकता और इसी कारण तथा अन्य किन्हीं कारणों से भी समाज में दृष्ट नोचा, यहाँ तक जघन मान लिया गया है। इन्हीं हरिजनों की तीन समस्याएँ हैं, जिन्हें हल करना जरूरी है। (१) हरिजनों द्वारा किये जाने वाले काम वशानुगत रूप में वही वर्ग कर रहा है, इस कारण से हरिजन वर्ग में शिक्षा का, नई विचारभावना का प्रगतिशील विचार तथा जहन-जहन का लोप हो गया है और उनकी दृष्टि जन्म नवृत्ति हो गई है। अगर उन्हें वास्तव में उस अज्ञान और निम्नता में उतार उठाना है तो अनिवार्यतः आवश्यक है कि हरिजन-वर्ग में उठान सफाई करने आदि का ही काम करे और सारे कायक्षेत्र उनके विभिन्न उद्योगों—उस बन्धन को व्यावहारिक रूप में दूर करना होगा।

के उत्थान की दृष्टि से तो यह सवाल बिल्कुल निरर्थक है, पर समाज की जिम्मेदारी है कि वह अन्य कामों की तरह इस काम की भी व्यवस्था करे। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से इस सवाल पर विचार किया भी जाय, तो इसका भी सरल हल निकल सकता है। एक बात तो यह कि बड़े गहरो में फलश आदि तरीके के पाखानों का रिवाज व्यापक किया जाय, और गावों तथा कस्बों में खाई के पाखानों को प्रोत्साहित किया जाय, जिसमें मैले का उपयोग पूरी तरह खाद के लिए हो सके। जहाँ ये दोनों संभव न हों, वहाँ सफाई की वर्तमान पद्धति भी रहे लेकिन उसका तरीका इतना सुधार दिया जाय और उसकी मजदूरी इतनी ज्यादा रखी जाय कि एक ओर तो वह काम इतना गंदा न रहे और दूसरी ओर हरिजन अथवा कोई भी बेकार लोग उसे करने को राजी हो जाय। साथ ही काम से नफरत की दृष्टि भी बदली जाय। जिस तरह से आज हरिजनोंतर लोग हड्डियों का ठेका लेते हैं, जूते का कारखाना खोल लेते हैं, उसी तरह पाखाने और कूड़ा-करकट से खाद तैयार कराने, मीथेनगैस बनाने के कारखाने खोले और इसके लिए कूड़ा-करकट इकट्ठा करने का प्रवर्धन करे और काम करने वालों को काफी मजदूरी दे। सरकार इन कारखानेवालों को इस काम के लिए मजदूरी देने में अधिक आर्थिक मदद दे। जहाँ फलश के सडास न बन सकें और खाई के पाखानों की भी सुविधा न हो वहाँ छेद के पाखाने (Bore-hole Latrines) बनाये जाय और मामूली तरह के तहारत, जहाँ तक संभव हो, आगे न बनाये जाय।

इन तरीकों पर चलने से धीरे-धीरे केवल हरिजनों द्वारा मैला उठाने का काम करीब-करीब खत्म हो जायगा। ऐसी अवस्था में हरिजन बालक आसानी से राष्ट्रीय-सेवा के अन्य कार्यों में लग जायेंगे और कूड़ा-करकट साफ करने के कामों में उनके अलावा अन्य जातियों के लोग भी आ जायेंगे। तब हरिजनों पर केवल इन्हीं कामों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी करने की जो जिम्मेदारी चली आई है, वह खत्म हो जायगी। ऐसा होने पर ही उनमें हीनता का जो भाव है तथा दूसरों में इनके प्रति जो घृणा का भाव है, वे दोनों मिट

जायगे, और हरिजनो मे शिक्षा का जो प्रचार किया जा रहा है, उनका भी ठीक-ठीक उपयोग हो सकेगा ।

जब हरिजन आमतौर पर दूसरे काम भी करने लग सकेंगे अर्थात् कोई विश्वविद्यालयो मे अध्यापक बन कर ब्राह्मणो को शिक्षा देगे, मेनाधिकारी बनकर धर्मियो का नेतृत्व करेगे, व्यापारिक तथा औद्योगिक नेता बन कर वैश्यो को आदेश देगे और इन तरह उन क्षेत्रो मे काम करने वालो के समक्ष होकर रहेंगे तभी समाज मे अस्पृश्यता और हीनता के विरुद्ध सामाजिक क्रान्ति सम्पन्न होगी और हरिजनो मे जो प्रतिबन्ध और हीनताए हमारे देश मे पीढियो ने चली आ रही है, उनका अन्त होगा और यह वर्ग समानता तथा स्वाधीनता का सच्चा अनुभव करेगा ।

आज की स्थिति को देखते हुए उक्त आदर्श स्थिति निश्चय ही बहुत नजदीक होगी और दूर की प्रतीत होगी, लेकिन सही योजना और अविश्रात कर्मठता के जरिये यह क्रान्ति निश्चित रूप से वास्तविक की जा सकती है ।

लेकिन इस सारे कार्यक्रम में एक बात खासतौर पर ध्यान में रखने की यह है कि उनके लिए जो कुछ किया जाय वह उन्हें समाज में अलग इकाई के रूप में रखने के लिहाज से नहीं बल्कि उनकी हीनताओं को दूर करके उन्हें समाज में घुलामिला लेने की दृष्टि से ही किया जाना चाहिए। इस दृष्टि में देश में जो जगह-जगह हरिजन छात्रावास, हरिजन मंदिर, हरिजन पाठशाला, हरिजन उद्योगशाला आदि सस्थाएँ केवल हरिजनों के लिए बनाई जाती हैं, उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। होना यह चाहिए कि हरिजन बहुल क्षेत्रों में सार्वजनिक सस्थाएँ खोली जाय और अन्य सस्थाओं में प्रवेश अधिकाधिक बढ़ाया जाय। सरकारी सस्थाओं में तो हरिजनों को आने का प्रोत्साहन मिलना ही चाहिये और उन्हें स्वयं अधिकाधिक मस्या में उममें शामिल होना चाहिये। चूँकि भारतीय मविधान में अस्पृश्यता गैर-कानूनी करार दी जा चुकी है अतः सरकार को घोषित कर देना चाहिए कि प्रत्येक सरकारी और सरकार से सहायता तथा स्वीकृति प्राप्त मस्या हरिजनों के लिए खुली होगी, हरिजनेतर लोगों में से कुछ अगर अपनी गैर-कानूनी प्रवृत्ति के कारण उनमें फायदा न उठाना चाहें तो वह उनकी इच्छा है, लेकिन हरिजनों को तो निश्चितरूप में उनमें प्रवेश करने की छूट, सुविधा और प्रोत्साहन होना ही चाहिये। इतनी दृढ़ और स्पष्ट दृष्टि तथा व्यवहार के बिना हरिजनों का सामाजिक स्तर ऊँचा नहीं होगा और हम सामाजिक क्रांति की ओर नहीं बढ़ पायेंगे। इसके अभाव में हरिजनोत्थान केवल एक अवसरवादी राजनैतिक नारा बनकर रह जायगा।

संक्षेप में सामाजिक क्रांति की दृष्टि से हरिजनों के उत्थान के कार्यक्रम की दिशा यह होगी

१ हरिजन-उत्थान का लक्ष्य हरिजनों का एक अलग-थलग समाज नहीं बल्कि भारतीय समाज का घुलामिला अंग बना देना है।

२ हरिजन अपने पेशों के अलावा अन्य पेशों में शामिल होने की योग्यता प्राप्त करें और व्यावहारिक रूप में अधिकाधिक मस्या में उनमें प्रवेश करें।

३ गदगी उठाने और सफाई करने के काम को जितना हो सके परिणाम में घटाया और मुधारा जाय जिन्मे वह कम-से-कम गदा और अस्वास्थ्यकर रह जाय ।

४ सफाई आदि के वर्तमान पेशों की मजदूरी इतनी अधिक बढ़ाई जाय जिसमे एक ओर हरिजन सुविधापूर्वक रह सके और दूसरी ओर अन्य पेशे और जाति वाले भी इस पेशे की ओर आकर्षित हो सके ।

५ हरिजनों तथा अन्य लोगों के बीच की सामाजिक, आर्थिक, तथा शिखा सवधी विषमता और प्रतिवध को हटाया जा सके ।

६ हरिजनों आदि पर अब तक चले आ रहे अत्याचार, अवहेलना और अपमान के कारण होने वाली प्रतिक्रिया और प्रतिहिंसा की भावना उनमें जोर न पकड़े, इनका खयाल समाज के नेताओं, सरकार और कार्य-कर्ताओं तथा हरिजनों सबको रखना चाहिये । वैर से-वैर नाश होने वाला नहीं है, प्रतिहिंसा प्रतिक्रिया को ही बढ़ायगी । वैर का नाश अवरु मे, अत्याचार का नाश प्रेम और कर्तव्य-पालन से ही होगा । इन नानातन मन्त्र जो सदा ही ध्यान में रखना आवश्यक है ।

५

विभाजन के घावों का इलाज

यहा वसे हो, या थोड़ी बहुत चल सम्पत्ति लेकर आये है, लेकिन उन सबको अपनी जन्मभूमि छोडनी पडी है, अपने व्यवस्थित सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सास्कृतिक जीवन को छिन्न-भिन्न करना पडा है और अपने सारे जीवन और सबको का पुनर्निर्माण करना पडा है ।

इसमें शक नहीं कि जितने लोग पाकिस्तान में आकर यहा वसे है, करीब-करीब उतने ही या कुछ कम-ज्यादा जाकर पाकिस्तान में वसे है, लेकिन यहा से पाकिस्तान जाने वाले लोगों का रहन-सहन, पेशा, विचार और कार्यशक्ति आनेवालों में भिन्न थी और एक तरफ से जो लोग चले गये है, उनके जाने से देश के सामाजिक, आर्थिक और सास्कृतिक जीवन में जो स्थान खाली हुआ, उसकी पूर्ति आनेवालों के जरिये पूरी तरह से नहीं हो सकती । इसीका परिणाम यह है कि एक ओर हमारे सामाजिक जीवन में यहा से जानेवाले लाखों लोगों के कारण जो अव्यवस्था हुई है, उसे ठीक करना है और दूसरी ओर पाकिस्तान से आने वाले लाखों लोगों को यहा के सामाजिक जीवन में ठीक स्थान देकर उन्हें अपनी सामाजिक और आर्थिक-व्यवस्था में घुलामिला लेना है । यह ठीक है कि केन्द्रीय और राजकीय सरकारें इस तरफ आरम्भ से ही प्रयत्नशील हैं और हर साल करोड़ों रुपया इस ओर खर्च किया जा रहा है । सरकारों ने पहले इन लाखों आदमियों को भोजन, वस्त्र, और आश्रय देने का प्रयत्न किया और अब मकान और रोजगार देने का प्रयत्न चालू है और इसमें भी शक नहीं कि देश की जनता ने इनके साथ बहुत सहानुभूति दिखाई है और इनकी मदद भी की है । सरकार और जनता ने जितना कुछ इनके लाभ और राहत के लिए किया है उतना ही नहीं किया जाता, तो आज यह कल्पना कर सकना भी कठिन है कि इनकी आज क्या हालत होती, लेकिन यह भी नहीं है कि जितना उन लोगों के साथ अब तक किया गया है और किया जा रहा है उसमें उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुईं, उनका दृष्टिकोण स्वस्थ और रचनात्मक नहीं बना है । इस कमी को दूर करने के लिए सामाजिक क्रांति के समर्थक भारतीय नागरिकों के सामने बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र है और इसमें उनके प्रयत्नों की बड़ी आवश्यकता है ।

बाहर से आनेवाले इन लाखों शरणार्थियों अथवा पुरुषार्थियों का एक अलग-सा वर्ग ही बन गया है। इनकी अलगाव की भावना प्रबल है। दूसरी ओर जिनमें वे आकर वसे हैं, उनमें सांस्कृतिक रीति-रिवाज और भाषा संबंधी भिन्नता होने के कारण तथा इन्हें भी अधिक पुराने लोगों का रोज-गार से नवागतुक कुछ अंशों में छीनते जा रहे हैं, इस कारण भी इनके प्रति असंतोष की और अलगाव की भावना पुराने निवासियों के हृदय में महानु-भूति का स्थान ले रही है। साथ ही इन बन्धुओं में बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा तीव्र तथा व्यापक रूप में फैली हुई है, जिनमें निराशा और दिग्विभ्रम ये अपने-आपको महसूस करते हैं और इस निराशा और क्षोभ में जितने क्षुब्ध वे कभी-कभी हो जाते हैं और पाकिस्तान में इन पर हुए अत्याचारों की आस को यहां मौका पड़ जाने पर पुराने निवासियों, स्वयंसेवक मुसलमानों के साथ झगड़ कर वृद्धा लेने की उन्टी कोशिश करने हैं। उन्हे देखते हुए सामाजिक क्रांति और मतुलन की दृष्टि में यह आवश्यक लगता है कि जहां-जहां ये लोग आकर वस रहे हैं वहां इस प्रकार के वायव्यताओं की बड़ी समस्या में और काफी समय तक आवश्यकता होगी, जो उनमें फंसे रहे और विभाजन के कारण इनके शरीरों पर, उनके जीवन पर और उन दोनों में अधिक इनकी आत्माओं पर लगे घावों को अपनी मदद और महानु-भूति के मरहम द्वारा भरने की कोशिश कर सके। यह काम न केवल इन अथवा उपरी सहायता से हो सकता है

नागरिकता के स्तर पर कायम रखना है। विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान बनने पर जितने मुसलमान इस देश को छोड़ कर चले गए और जिनका पाकिस्तान के प्रति आकर्षण हो, वे चले जाय, लेकिन इस सबके बाद भी करोड़ों मुसलमान इस देश में रहने वाले हैं। वे हमारे देश के किमी भी अन्य धर्मावालम्बी की भाँति पूरे नागरिक हैं, और रहेंगे, लेकिन हमारे देश के विदेशी शासकों ने हिन्दू-मुसलमानों की फूट और द्वेष को इतना उभारा कि देश का विभाजन हुआ और देश के विभाजन के समय और बाद में भी इन दोनों धर्मावालम्बियों के आपसी तथा भारत-पाकिस्तान के सबब इतने कटुता-पूर्ण रहे हैं कि मुसलिम-विरोधी प्रतिक्रिया इस देश में प्रबल राष्ट्रीय भावना के होते हुए भी काफी बलवान है। इसके अलावा यह भावना हिन्दू राष्ट्र और हिन्दू सस्कृति के उत्थान के नाम पर किमी भी मरुट-कालीन अवसर पर क्या अवाञ्छनीय रूप धारण कर सकती है, यह कहना मुश्किल है। इसके साथ एक बात और है और वह यह कि विभाजन के बाद भारत के मुसलमानों में एक अजीब तरह की आशंका, भय, निरुत्साह और निराशा की भावना घर कर रही है, जिसमें इतनी बड़ी जनशक्ति के निरूपयोगी या निष्क्रिय हो जाने या गलत दिशा पकड़ लेने का खतरा है। ऐसी स्थिति में यह भी बहुत जरूरी है कि भारतीय मुसलमानों में नया जीवन और नया उत्साह लाया जाय, उनमें राष्ट्रीयता की गौरवपूर्ण दृष्टि का विकास किया जाय जिसमें वे भारत के सामान्य और पूरे नागरिक की भाँति शान्ति तथा सुखपूर्वक रह सकें और यहाँ के राजनैतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक और आर्थिक जीवन में यथोचित भाग ले सकें और इसी मर्मदृष्टि में योगदान दे सकें। आज वे इस सामूहिक जीवन में अलग में पड़ गये लगते हैं। उनके इस अलगाव को दूर करना उनकी और देश की, दोनों की मर्मदृष्टि के लिए आवश्यक है।

सामाजिक क्रांति के समर्थक प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि

१ वह मित्र, पश्चिमी पंजाब, सीमाना और पूर्वी बंगाल में आने वाले लोगों की भारत के सामाजिक, आर्थिक और साम्प्रदायिक जीवन में पूरी तरह

घुलमिल जाने में मदद करे।

२ वह उनकी निराशा, धोभ, और प्रतिहिंसा की भावनाओं को सहानुभूतिपूर्वक समझे और उन्हें अपने प्रयत्नों द्वारा शांतकर उनमें आशा, सामान्य नागरिकता और न्याय भावना का संचार करे तथा उनके सांप्रदायिक धोभ को राष्ट्रीयता की भावना में बदलने की कोशिश करे।

३ वह भारतीय मुसलमानों में व्याप्त भय, आशंका, निराशा और निरत्नाह को दूर करे और अपने धर्मपालन की पूरी स्वतन्त्रता और सुविधा के साथ-साथ भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग बनने में उनको मदद दे।

६

प्रांतीय संकीर्णता-निवारण

हमारे देश में और वर्तमान परिस्थितियों में भाग्य के एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने और रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि उनकी कमी या अभाव ही देश की राजनैतिक गुलामी का बहुत बड़ा कारण रहा है और राजनैतिक आजादी के अभाव में किसी भी मानव-समूह की उन्नति और कल्याण असंभव है, अतः सामाजिक न्याय की भावना के जगने और साकार होने के लिए राजनैतिक स्वतन्त्रता सबसे पहली और जरूरी शर्त है। अतः हमारे देश में कायम रखना हमारा प्रधान वक्तव्य है।

व्याप्त प्रातीय पक्षपात और अन्तर्प्रातीय विरोध तथा अनुदारता की है। वैसे स्वाभाविक रूप से इतने विस्तृत भूखंड में अलग-अलग भाषाओं, रहन-सहन, आचार-विचार, खान-पान, धर्म आदि के समर्थक लोगों का होना स्वाभाविक है और भाषा, धर्म या जाति के आधार पर लोगों में एक भाषा-भाषियों, सहधर्मियों, मजातीयों में निकटता की भावना का होना अस्वाभाविक और अनुचित भी नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक यह भावना विधेयात्मक रूप में मानव-समूह को निकट लाती है, उनमें सहयोग और संपर्क स्थापित करती है, वहाँ तक वह उचित और स्वागत योग्य है, लेकिन जब वह अन्य भाषा-भाषियों, अन्य धर्मावलंबियों अथवा अन्य प्रांत वालों के प्रति द्वेष और विरोध पैदा करने वाली हो जाती है, तब यह हानिकारक हो जाती है इस पर अकुश कर देना जरूरी हो जाता है।

पर खेदपूर्ण तथ्य यह है कि हमारे देश में प्रातीयता अथवा क्षेत्रीयता की यह सकीर्ण भावना सदियों से प्रबल रही है, आजादी की लड़ी लड़ाई के समय में राष्ट्रीयता के ज्वर ने इसे अवश्य दबा दिया था, लेकिन राज-नैतिक आजादी के बाद अब वह फिर अधिक प्रबल दिखाई देती है। पूर्वी भारत में बंगाली, बिहारियों या मारवाड़ी, दक्षिण भारत में महाराष्ट्रीय, गैर-महाराष्ट्रीय, आंध्र, तामिल, पश्चिमी भारत में महाराष्ट्रीय, गुजराती, राजस्थानी आदि के आपस के द्वेष, प्रतिस्पर्धा और पक्षपात काफी बढ़ गये हैं। भाषावार राज्यों के लिए जोर पकड़ती जाने वाली मांग की पूर्ति के लिए वर्तमान प्रांतों, रियासतों सघों अथवा रियासतों को टुकड़े-टुकड़े करने, एक भाग को उधर रखने या उधर देने के बारे में खींचतानी होने लगी है और इसके फल-स्वरूप एक ही राज्य के विविधक्षेत्रीय निवासियों में या पड़ोसी राज्यों के निवासियों में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार एक राष्ट्र की जो भावना हमारे देश में पनपी और बढ़ी, जिसने इस देश को आजाद किया, जिसके बलवान रहने की आवश्यकता देश को आजाद और समृद्ध रखने के लिए स्पष्ट है, उसके स्थान पर प्रातीयता, राष्ट्र विरोध और द्वेष की भावना बढ़ रही है, जो इस राष्ट्र के मानव-समूह के समग्रहित के लिए बाधक है।

ऐसी दशा में सामाजिक क्रान्ति के समर्थक नागरिकों के सामने आज भारत में मकुचित प्रातीयता के निराकरण का बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दो रूप हैं—एक तो नारे राष्ट्र के प्रति एकता, अविभाज्यता और देश-प्रेम की भावना को बलवान बनाना और दूसरा विभिन्न राज्यों और प्रदेशों की साम्प्रतिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, राजनैतिक परिस्थितियों और विशेषताओं की जानकारी रखना और इन विविधता के अन्तर्गत भारत की एकता का दर्शन जनता को देना। यह कार्यक्रम अपने दोनों रूपों में प्रातीय विद्वेष और कटुता को दूर करने में सहायक हो सकता है।

इस कार्यक्रम के पहले अग में अखिल भारतीय मन्थाओं, आन्दोलनों और कार्यों में अधिकाधिक योग देना और इसमें विभिन्न राज्यों के लोगों का अधिकाधिक सहयोग लेना है। इसमें राज्यों के रहने वाले लोग अखिल भारतीय पैमाने पर मिलजुल कर अधिकाधिक काम करें तो एक-दूसरे के निकट आ सकते हैं। इसमें एक राष्ट्र भाषा वा विकास, शिक्षा और प्रसार बहुत सहायक होगा। इसमें प्रातीयता की सकीर्ण भावना कम होगी। एक तरह की सामान्य देश-भूषा, राजनैतिक समन्वयता, देशप्रेमी त्यौहार और पर्व एकराष्ट्रीयता की भावना को दवाने में होंगे। अखिलभारतीय मन्थाओं में सबद्ध लोग विभिन्न राज्यों में उदरगत में उनकी दृष्टि में विशदता आयगी और विभिन्न राज्यों की जनता में भी उनमें लाभ होगा।

राज्यों के रहने वाले के सपर्क अधिक निकट और गहरे होने चाहिए। इसके लिए खासकर राज्यों के सीमा वाले क्षेत्रों में मद्भावना मडल कायम होने चाहिए जो दोनों ओर के नागरिकों के बारे में अधिक जानकारी दे, एक दूसरे के मवध में गलतफहमी दूर करे, एक दूसरे को महानुभूतिपूर्वक समझने के प्रयत्न करे और इस तरह के साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं का अधिक प्रकाशन और प्रचार करे। इन कार्यक्रमों में पड़ोसी राज्यों के राज्यपालों, मंत्रियों, नेताओं, आदि को एक दूसरे राज्यों में अधिकाधिक आने और मिलने-जुलने के मौके दिये जाने चाहिए, खेल-कूद तथा वाद-विवाद की प्रतियोगिताएँ, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर विचार-विवेचन आदि को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इनमें खिलाड़ी की भावना से भाग लिया जाना चाहिए। एक दूसरे की खुशी और विपत्ति के मौकों पर और खासकर विपत्ति के अवसर पर पड़ोसी राज्यों की सहायता के काम अधिक तत्परता और सहानुभूतिपूर्वक किये जाने चाहिए। सामाजिक क्रांति के इच्छुक कार्यकर्त्ता इस प्रकार के कार्यों को अधिक बल दे, उनमें अधिकाधिक भाग ले तो निश्चय ही भारतीय समाज में प्रतीयता की मकीर्णता का निराकरण किया जा सकता है।

संक्षेप में

१ भारत में सामाजिक क्रांति की पहली शर्त राजनैतिक आजादी और लोकतंत्र की सुरक्षा है। इसके बिना सामाजिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता और समानता का कोई कार्यक्रम संभव नहीं है।

२ राजनैतिक आजादी की सुरक्षा में सबसे बड़ा विघ्न इस देश के निवासियों में एकराष्ट्रीयता की प्रबल भावना का अभाव ही रहा है, अतः भारतीय समाज में प्रतीय मकीर्णता की भावना का निराकरण और राष्ट्रीयता की भावना को बलवान बनाना सामाजिक क्रांति का आवश्यक और अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

३ इसके लिए अखिल भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, ज्ञानदोस्तों, कार्यक्रमों में सक्रिय रूप में सहयोग देना, पड़ोसी राज्यों में

पारस्परिक संपर्क की वृद्धि करना और एक दूसरे की विपत्ति में विशेष रूप से सहायक होना तथा एक राष्ट्र, एक राष्ट्रभाषा और एक राष्ट्रीय झंडे के प्रति निष्ठा में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है।

७

आदिम जातियों की सेवा

हमारे देश में कंगेडों की तादाद में ऐसे लोग रहते हैं जो माधारणतया शहरो और गावों में दूर जंगलों और पहाडों में अपने छोटे-छोटे झुंड बना कर रहते हैं। वे लोग थोड़ी-बहुत खेती करते हैं, लेकिन अधिकतर जंगल की पैदावार लकड़ी, गहद, मोम आदि इकट्ठा करके बेचते हैं, गावों और शहरों में कभी-कभी लुहारी का काम करते हुए घूमते हैं, गिनार करके जीवन-पालन करते हैं, कुछ लोग चोरी लूटमारी आदि भी करते हैं। उन लोगों का हमारे गावों और शहरों की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था में कोई हाथ नहीं है और न अधिकांश में उनमें कोई मर्यादा है। वे एक तरह से हमारी सभ्यता की सीमा में बाहर पड़े हुए अलग समूह हैं, जो गांववासी या नगरवासी लोगों के मुकाबले में वान्धव में बनवासी हैं।

सावन आदि में बचे रहे जो पूजावादी अर्थव्यवस्था और वर्ण, जाति पर आधारित सामंतवादी समाज व्यवस्था में अनिवार्य है। इस दृष्टि में उनका नैतिक स्तर आधुनिक सम्यता मपन्न लोगों में काफी ऊंचा रहा है, लेकिन शराबखोरी, छूत की बीमारियाँ आदि उनमें गरीबी और अज्ञान के कारण पिछले दिनों में अधिकाधिक घट करती जा रही है और फलस्वरूप अन्य बुराईया भी उनमें बढ़ती जा रही है। इस प्रकार उनकी सामाजिक स्थिति अधिकाधिक सकटपूर्ण होती जा रही है। यही नहीं, उनमें में कुछ जातिया ऐसी भी हैं, जिन्हें मभवत पुरानी राजनैतिक या सामाजिक शत्रुता के कारण जरायमपेशा या अपराध करने वाली मान लिया गया था और उन जातियों के साथ सामूहिक रूप से मानवता का नहीं बल्कि अपराधी का-मा हिंस्र पशु के प्रति किये जाने वाला व्यवहार भी किया जाता रहा है। वह इस तथाकथित सम्य समाज के लिए न केवल असम्यता की पराकाष्ठा बल्कि कलक स्वरूप ही माना जाना चाहिये। स्वाभाविक था कि इस सामूहिक दुर्व्यवहार, अत्याचार और शोषण ने उन्हें कभी नहीं उठने दिया, बल्कि उन्हें जानवरों की-सी जिन्दगी बिताने और जानवर बन जाने पर मजबूर किया।

हमारे देश में जो राजनैतिक आजादी १९४७ में आई है, वह केवल गांव और शहरवालों तथाकथित सम्य भारतीय नागरिकों की ही नहीं है, बल्कि वह भारत भूमि के निवासी जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले इन लाखों लोगों की भी है जिन्हें हम आदिवासी या आदिम जातिया कहते हैं। इन्हें भी इस आजाद मुल्क में स्वतन्त्र नागरिकों की भांति बराबरी का स्थान प्राप्त करना और मानवता के अधिकारों के उपभोग तथा उनके कर्तव्यों के पालन के उपयुक्त बनना है।

मतपोष की दान है कि अब इस देश में जरायमपेशा कानून खत्म हो गये हैं या होने जा रहे हैं, फिर भी आदिवासियों की समस्याएँ बढ़ती हैं। एक ओर आज जनता के मन में मे और मरगागी अधिकांगियों और कर्मचारियों के मन में मे उनमें प्रति अविश्वास और दुर्भावना दूर करनी है,

दूसरी ओर उन्हें व्यवस्थित ग्राम या नगर जीवन के लिए अपने-आपको तैयार करके पूरे नागरिक बनना है और अपने देश-भाइयों के बराबर आने में कई मजिले अधिक तै करनी है। सामाजिक क्रांति के कार्यकर्ताओं पर इन पिछड़े बंधुओं को आगे लाने का, अन्त्योदय का बहुत बड़ा कर्तव्य-भार है, जिसे उन्हें धीरज, लगन और सूझबूझ के साथ सपन्न करना है।

इस कार्यक्रम को हाथ में लेने वालों को सबसे पहले इस तथ्य को स्वीकार कर लेने और तदनुसार आचरण करने की बड़ी जरूरत है कि आदिवासी मात्र न असभ्य हैं, न गवार हैं और न दुराचारी और न वे उनके उद्धार का कोई बड़ा काम करके उन पर अहसान कर रहे हैं। इसके विपरीत सामाजिक क्रांति के समर्थकों में आदिवासियों के मद्दुणों, जैसे मरलता, निस्पृहता, ईमानदारी, फक्कडपन अपरिग्रह आदि के प्रति प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त आदिवासियों की संस्कृति में जो विशेषताएँ हैं, उनके लोकनृत्य-गीत, धार्मिक मान्यता, रीति-रिवाज आदि में जो अच्छाईयाँ हैं, सौंदर्य हैं, उनके प्रति गुणग्राहकता और महान्भूतिपूर्ण आदर होना चाहिये, परन्तु शराबखोरी, अपव्यय आदि जो बुराईयाँ और कुम्हियाँ हैं, उन्हें विवेकपूर्वक और मेवा-भाव में दूर करने की भी कोशिश होनी चाहिये। इसमें सुधार का आडम्बर या जहवार न होना मेवा ही भावना ही हो।

मायन आदि में बचे रहे जो पूजावादी अर्थव्यवस्था और वर्ण, जाति पर आधारित सामंतवादी समाज व्यवस्था में अनिवार्य हैं। इस दृष्टि में उनका नैतिक स्तर आधुनिक सम्यता मपन्न लोगों में काफी ऊंचा रहा है, लेकिन शराबखोरी, छूत की बीमारियाँ आदि उनमें गरीबी और अज्ञान के कारण पिछले दिनों में अधिकाधिक घट करती जा रही हैं और फलस्वरूप अन्य बुराईया भी उनमें बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार उनकी सामाजिक स्थिति अधिकाधिक सफटपूर्ण होती जा रही है। यही नहीं, उनमें में कुछ जातिया ऐसी भी हैं, जिन्हें मभवत पुरानी राजनैतिक या सामाजिक शत्रुता के कारण जरायमपेशा या अपराध करने वाली मान लिया गया था और उन जातियों के साथ सामूहिक रूप में मानवता का नहीं बल्कि अपराधी का-सा हिंस्र पशु के प्रति किये जाने वाला व्यवहार भी किया जाता रहा है। वह इस तथाकथित सम्य समाज के लिए न केवल असम्यता की पराकाष्ठा बल्कि कलक स्वरूप ही माना जाना चाहिये। स्वाभाविक था कि इस सामूहिक दुर्व्यवहार, अत्याचार और शोषण ने उन्हें कभी नहीं उठने दिया, बल्कि उन्हें जानवरों की-सी जिन्दगी बिताने और जानवर बन जाने पर मजबूर किया।

हमारे देश में जो राजनैतिक आजादी १९४७ में आई है, वह केवल गाँव और शहरवालों तथाकथित सम्य भारतीय नागरिकों की ही नहीं है, बल्कि वह भारत भूमि के निवासी जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले इन व्याधों लोगों की भी है जिन्हें हम आदिवासी या आदिम जातिया कहते हैं। इन्हें भी इस आजाद मुक्त में स्वतन्त्र नागरिकों की भाँति बराबरी का स्थान प्राप्त करना और मानवता के अधिकारों के उपभोग तथा उनके कर्तव्यों के पालन के उपयुक्त बनना है।

मनोप की बात है कि अब इस देश में जरायमपेशा कानून रत्म हो गये हैं या होने जा रहे हैं, फिर भी आदिवासियों की समस्या बहुत बड़ी है। एक बार आन जनता के मन में में और सरकारी अधिकारियों और मन्त्रियों के मन में में उनमें प्रति अविश्वास और दुर्भावना दूर करनी है,

दूमरी और उन्हें व्यवस्थित ग्राम या नगर जीवन के लिए अपने-आपको नगर करके पूरे नागरिक बनना है और अपने देश-भाइयों के बराबर आने में कर्तव्य मजिदों अत्रिक्त तै करनी है। सामाजिक क्रांति के कार्यकर्ताओं पर इन पिछड़े वर्गों की आगे लाने का, अन्त्योदय का बहुत बड़ा कर्तव्य-भाग है, जिसे उन्हें धीरज, लगन और नूझबूझ के साथ सपन्न करना है।

इस कार्यक्रम को हाथ में लेने वालों को सबसे पहले इस तथ्य को स्वीकार कर लेने और नदनुगार आचरण करने की बड़ी जरूरत है कि आदिवासी मात्र न अमम्य है, न गवार है और न दुराचारी और न वे उनके उद्धार का कोई बड़ा काम करके उन पर अहसान कर रहे हैं। इसके विपरीत सामाजिक क्रांति के मर्मर्यको में आदिवासियों के मद्गुणों, जैसे सरलता, निम्पृहता, ईमानदारी, फक्कडपन अपरिग्रह आदि के प्रति प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिये। उनके अतिरिक्त आदिवासियों की संस्कृति में जो विशेषताएँ हैं, उनके लोकनृत्य-गीत, धार्मिक मान्यता, रीति-रिवाज आदि में जो अच्छाईयाँ हैं, मीदर्य है, उनके प्रति गुणग्राहकता और सहानुभूतिपूर्ण आदर होना चाहिये, परन्तु शराबखोरी, अपव्यय आदि जो बुराईयाँ और कुरू-दिया हैं, उन्हें विवेकपूर्वक और सेवा-भाव से दूर करने की भी कोशिश होनी चाहिये। इनमें सुधार का आडम्बर या अहकार न होकर सेवा की भावना ही हो।

आदिवासियों के जीवन में प्रवेश करके उनमें सामाजिक क्रांति लाने के तीन मार्ग हो सकते हैं और वे तीनों ही अपनाये जाने चाहियें। सबसे पहला मार्ग रोगोपचार और स्वास्थ्यसुधार का है। उनमें औषधालयों की स्थापना हो, कुछ केंद्रों में शल्योपचार की व्यवस्था भी हो, लेकिन इससे जरूरी चीज उनमें स्वास्थ्य सवधी नियमों की जानकारी देने और स्वस्थ रहन-सहन अपनाने में मदद देने तथा रोगियों की सेवा तथा परिचर्या की है। कठिन पीडा के समय की गई निस्वार्थ और सहानुभूति पूर्ण सेवा उनके साथ सपर्क करने और उनके हृदय तक पहुँच जाने का सबसे अच्छा जरिया है। ईसाई पादरी बंधुओं ने इसे पहचाना और इसका प्रयोग किया है।

आदिवासी वर्गों में सेवा करने के इच्छुको को इसकी योजना बना कर सारे क्षेत्र में रोगी-सेवा-केंद्र खोलने चाहिये, रहन-सहन के गंदे तरीको की बुराईया उन केंद्रों के जरिये उन्हें बताई जानी चाहिये और वैयक्तिक तथा सामूहिक सफाई उनकी परिस्थितियों में जितनी और जिस प्रकार हो सकती हो, उसका प्रचार भी इन केंद्रों के जरिये होना चाहिये ।

दूसरा मार्ग शिक्षा-प्रसार का है । बालक-बालिकाओं की शिक्षा में साक्षरता के साथ-साथ उनमें चालू खेलकूद, लोकगीत, नृत्य, मगीत को प्रोत्साहित करना चाहिये, साथ ही बुनियादी उद्योग-धंधे भी उन्हें सिखाने चाहिये, ताकि वे उनके सहारे धीरे-धीरे अपनी इच्छानुसार गावों में भी बस सकें और जंगल के पुराने पेशों के अलावा नये पेशों को भी अपना सकें । बालको का संपर्क अपने राज्य तथा अपने देश की प्रगतियों से कायम करना चाहिये ताकि वे अपने देश के अन्य नागरिकों की भांति आगे आ सकें । भारतीय नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान भी उनके लिए लाभदायक होगा ।

तीसरा मार्ग आदिवासियों में चालू तथा नये उद्योगधंधों को सही और लाभदायक तरीके पर सगठित करने का है । बड़ी उम्र के लोगों में उद्योग-धंधों के मार्ग से ही प्रवेश संभव है । उनकी गरीबी को कम करके ही उनकी सेवा की जा सकती है और उनका विश्वास प्राप्त किया जा सकता है । जंगल की चीजों को शुद्धतापूर्वक इकट्ठा करना, शुद्धतापूर्वक रखना, अनिवार्यतः आवश्यक और यथासंभव केवल उत्पादन कार्य के लिए कर्ज की व्यवस्था करना, महयोग समितियों का लाभ उन्हें प्रत्यक्ष दिखलाना, यह सब उनके उद्योग-धंधों को चालू रखने और बढ़ाने के लिए जरूरी है । साथ ही उनके क्षेत्र में खेती और पीने के पानी की सुविधा के लिए कुए आदि भी बनाये जाय । इसमें जहां वे एक और बड़े-बड़े समूहों में एकत्र रह सकेंगे, वहां दूसरी ओर उनमें सेवा और शिक्षा के केंद्र भी आसानी से स्थापित हो सकेंगे और धीरे-धीरे वे ग्रामीण बनकर नागरिकों के स्तर पर आ सकेंगे ।

आदिवासियों के जीवन और दृष्टि में सामाजिक क्रांति लाने का

कार्य बहुत कठिन है। उनमें क्रांति के इच्छुको को स्वयं आदिवासी नहीं तो कम-से-कम बनवानी तो बनना ही पड़ेगा। यह कार्य जितना कठिन है, उतना ही आवश्यक और पवित्र भी। शुद्ध सेवा-भावना, निरहकारिता, सतत तथा अडिग महानुभूति और उनकी संस्कृति के प्रति विवेकपूर्ण प्रेम, यही इस कार्यक्रम के मबल हैं जो कार्यकर्त्ता को अपने मार्ग पर कायम रख सकते हैं।

८

शिशुओं को सम्माननीय मानव समझें

शिशु केवल पति-पत्नी के प्रेम का श्रेष्ठतम उपहार या परिवार की धारावाहिकता का स्वाभाविक साधन मात्र ही नहीं है, वह केवल समाज की अच्छाई-बुराई का संक्षिप्त और केंद्रीभूत रूप भी नहीं है, न वह केवल समाज की प्रगति का सतत सदेग और उसके अमरत्व की सूचना है, बल्कि वह इन सब के अतिरिक्त पूर्णता के निकटतम पहुंच सकने की वैयक्तिक और सामाजिक शक्ति संपन्न मानव है, जिसे उस ऊंचाई तक पहुंच सकने के उपयुक्त वातावरण प्रदान करना परिवार और समाज दोनों का कर्त्तव्य है। हममें जो कुछ श्रेष्ठतम है वह उसे प्राप्त हो, आगे-से-आगे हम जहा तक पहुंच पाये हैं, वहा आगे-से-आगे की पक्ति पर उसे ले जाकर खडा कर देने का प्रयत्न समाज का होना चाहिये, क्योंकि समाज के बड़े-बूढ़े नेताओं के पैर जब डगमगायगे, हाथ कमजोर पडेगे तो उनके हाथ की मशाल आज के शिशुओं के हाथ में होगी और वे ही अपने-आपको और समाज को अस्त-मे-स्त की ओर, अधकार से आलोक की ओर, और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलेगे।

इस महान आदर्श की ओर हमारी सतान बढे, यही क्रांतिकारी शिक्षा का ध्येय है। शिक्षा शिशु के जन्म से आरम्भ होनी चाहिये और उसके जीवन के अन्तिम क्षण तक चलनी चाहिये। यह ठीक है कि उसके प्रकार बदलते जाते हैं, दूसरों की सहायता और प्रेरणा अधिकाधिक सूक्ष्म होती

जाती है, अपनी प्रत्यक्ष और परोक्ष जिम्मेदारियाँ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं, लेकिन वह शिक्षण और तैयारी चलती ही जाती है। शिक्षा सतत सावना है, स्वयं क्रांति की भाँति गतिशील है जो मानव जीवन के साथ बढ़ती ही जाती है।

लेकिन आज हमारे देश में शिक्षा के प्रति उदासीनता तो व्यापक है ही, किन्तु शिशु के समुचित शिक्षण की ओर जो अज्ञान है वह तो अकथनीय ही है। सामाजिक क्रांति के शिक्षण के बीज बालक में उसी समय में जमाये जा सकते हैं जब में वह जन्म ग्रहण करता है, उसकी आँख खुलती है तथा माता का दूध वह पीने लगता है। माता-पिता, भाई-बहन, और आमपाम के वातावरण और क्रिया का चित्र उनके दिमाग पर तभी में बनने लगता है। ज्यो-ज्यो वह बढ़ता है, शिक्षण प्राप्त करने की, मस्कार ग्रहण करने की शक्ति भी बढ़ती जाती है और उसके मन पर बनने वाले मस्कार भी अधिकाधिक गहरे होते जाते हैं।

बालक के मस्कार सही हों, बालक की शक्ति का अधिकाधिक उपयोग हो, उसमें स्वतन्त्रतापूर्वक विचार और निर्णय करने की क्षमता का विकास हो, शिशु के मस्कार में इन बातों का आरम्भ से ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, किन्तु हमारे देश में इन बातों की सामान्यतया पूर्ण-पूर्ण व्यवस्था की जाती है। शिशु को परिवार में आमतौर पर डराया और डाटा जाता है, उसे अपमानित करना, पीटना, तो परिवार के सभी बड़े अपना दैनिक और मामूली काम तथा हक ही समझते हैं। इसमें शिशु में भय, झूठ, और जिद के दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। उसको गिलाने-पिलाने का कोई समय और नियम नहीं होता, फलतः शिशु आरम्भ में ही भोजन में अनियमित हो जाता है और हानिकारक खाने की चीजें खिच बना लेता है। उसकी अपनी रुचि और आवश्यकता का खयाल रखने की कोई चिन्ता नहीं रहता। माता-पिता और अभिभावक अपने दुर्गुण और आदते उस पर लादने की कोशिश करने हैं, या झूठी प्रीति या गीब गाठने का प्रयत्न होता है। इन सबमें शिशु में चिन्तित्व और दृष्टान्त बढ़ जाता है, जीवन की ख्या-

भाविक जिज्ञासा और आनन्द स्वतन्त्र हो जाता है । इस प्रकार हमारे देश में जो सम्स्कार प्रायः शिशु के मानस पर जमते हैं, वे दुरे होते हैं और उनकी शक्तियों का विकास जैसा हो सकता है और होना चाहिये, वह विलकुल नहीं हो पाता ।

यह नुकसान शिशु का खुद का नुकसान नहीं है, वह केवल परिवार की ही हानि नहीं है, वह केवल समाज और देश की भी बहुत बड़ी क्षति नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ा सामाजिक अपव्यय है, यह बहुत बड़ी मानवीय हानि है जो हमारे देश के करोड़ों परिवारों में प्रति दिन की जा रही है, अगर हमें सामाजिक क्रान्ति करनी है, अगर हमें प्रत्येक मानव का अधिकतम विकास करना है तो हमें इस विराट् अपव्यय को रोकना होगा और सामाजिक क्रान्ति का आरम्भ शिशुओं के पालन और उनके समग्र जीवन के निर्माण के आधार पर होगा ।

इसमें शक नहीं कि शिशु के लिए माता के प्रेम, पिता के मार्गदर्शन, भाई-बहन के स्नेह और उनके अनुकरण से बढकर प्रभावपूर्ण शाला दूसरी नहीं हो सकती, किन्तु आज के शिक्षित माने जाने वाले भारतीय परिवारों में भी इस सब में जैसा अज्ञान और अवहेलना है और वैसे भी जहाँ नव्वे प्रतिशत लोग अशिक्षित और रुढ़िग्रस्त हैं, वहाँ सामाजिक क्रान्ति के लिए तैयारी का यह कार्य केवल माता-पिता और परिवारों पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिये ।

इसमें शक नहीं कि इस महादेश में प्रौढ शिक्षण के काम को बहुत बड़े परिमाण पर किये जाने की जरूरत है और वह भी साथ ही शुरू होना चाहिये, लेकिन फिर भी कम-से कम इस पीढ़ी के लिए तो यह बहुत लाजमी है कि शिशु-पालन के आदर्श, शिशु-मनोवृत्तियों और शिशु-पालन के सम्बन्ध में भारतीय परिवार में व्याप्त अज्ञान और दोषों को दूर करने के उपायों के सबन्ध में विस्तृत प्रचार किया जाय और आरम्भिक शिक्षा के आरम्भ के पूर्व, जो आमतौर में ५ या ६ वर्ष की अवस्था से की जाती है, शिशु-शिक्षा का आरम्भ किया जाय, जिसमें तीन वर्ष की अवस्था से शिशुगण शामिल

हो जाय। इस प्रकार की शिशु-शालाएँ आरम्भिक पाठशालाओं में किसी भी अवस्था में कम जरूरी और कम लाभदायक नहीं हैं। हर गाव, कस्बे और शहर में इनकी व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। वहाँ शिशुओं पर पढाई का भार विल्कुल न हो। उन्हें खेलने, कोई चीज बनाने और माय रहने की शिक्षा ही दी जाय। उनमें निडर रहने, सच बोलने और दूसरों की मदद करने की वृत्तियों को ही विकसित किया जाय। उनके जीवन में उत्साह और आनन्द की धारा बहनी चाहिये। प्राकृतिक मस्कारों में पालित बालकों की तरह उनमें तेरे-मेरे की दुष्प्रवृत्ति, जिसमें वाद में स्वार्थ-साधन और परिग्रह की तीव्र भावना बलवती होती है, न पनपने दी जाय।

इन शिशु-शालाओं में तकली चलाना, छोटी खुरपियों में खोदना, पीघो को पानी देना, फूल चुनना, माला बनाना, तिनको में पदें बनाना, ऐसे मरल उद्योगों की शुरुआत खेल के तरीके पर ४-५ वर्ष तक के बच्चों में हो सकती है, लेकिन बुनियादी तालीम के मदरसों की तरह यहाँ न कोई आधारभूत उद्योग होने की आवश्यकता है और न उद्योग के आधार पर व्यय का कोई अंश विद्यार्थियों के श्रम में प्राप्त करने का विचार किया जा सकता है। इन शिशु-शालाओं में यह जाना जा सकता है कि शिशुओं की रुचि किस ओर है, यह जान आगे काम का हो सकता है। बाकी शिशुशालाओं का उद्देश्य तो शिशुओं में सत्प्रवृत्तियों को विकसित करने, उनकी विशाल जिज्ञासा और कार्यशक्ति का सुसंचिपूर्ण तथा मरल उपयोग करने में ही है और यह स्थान जिनता प्रकृति के निकट और आनन्द तथा प्रेरणा का केंद्र बन सकेगा, उतना ही शिशुओं में उत्साह और सहयोग भावना को विकसित करने के आदर्श की पूर्ति में सहायता मिलेगी। मध्यम के स्थान पर सहयोग, व्यक्ति के स्वार्थ के स्थान पर समाज का हित, यही तो सामाजिक क्रांति का मौलिक आधार है।

संक्षेप

१ सामाजिक क्रांति की गति के दिग्ग क्रांतिकारी शिक्षण अनिवार्यतः आवश्यक है और उसकी शुभ्रान शिशुओं में की जानी चाहिये।

२ आदर्श न्यति में परिवार में बढ़कर शिक्षण तथा मस्कार का स्थान अन्य कोई नहीं हो सकता । लेकिन आज की स्थिति में शिशुओं के पालन के आदन और व्यवहार दोनों की दृष्टि में जितना व्यापक अज्ञान, मूढता और अभावधानी है उसे देखते हुए शिशुशालाओं की आवश्यकता अत्यधिक है ।

३ शिशु-पालन का उद्देश्य शिशुओं की जिज्ञासा और कार्यशक्ति का सभी दिशाओं में और मरलतापूर्वक अधिकतम उपयोग है, जिससे उनमें निर्भयता, मर्चाई, सहयोग, और नियमितता की भावना का विकास हो और उनके उत्साह तथा आनन्द की कमी न होने पाय । इस कार्य को शिशु-शालाएँ आगे बढ़कर हाथ में ले और माता, पिता तथा सरक्षकों में तत्सवधी जिम्मेदारी भी धीरे-धीरे जागृत करती जाय ।

४ शिशुशालाएँ एक ओर आगे आने वाली दुनियादी तालीम की दुनियाद बनें और दूसरी ओर वे मर्घर्ष और प्रतिद्वन्द्विता के बजाय सहयोग और प्रेम को वैयक्तिक और सामाजिक जीवन का माप-दण्ड बनाने का व्यावहारिक प्रारम्भ-स्थल भी बनें ।

१

दुनियादी तालीम का प्रसार

मानव की मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक, सभी सुषुप्त सत्प्रवृत्तियों को जागृत और नवल करने और व्यक्ति को मानव तथा समाज दोनों के अधिक-से-अधिक उपयोग के लायक बनाने वाली शिक्षा उस समय से आरम्भ होती है जब शिशु पँदा होकर पहली बार अपनी आखें खोलता है और जब-तक वृद्ध होकर अपनी पुतलिया नहीं फेर देता, तबतक वह चलती ही रहती है । निश्चय ही शिक्षा समग्र जीवन की साधना है, किन्तु जीवन का कुछ भाग विशेष रूप से इसके लिए नियत कर लिया गया है और वह समय मनुष्य के बालिग होने तक का है, जब वह शारीरिक दृष्टि से परिपूर्ण होकर अलग घर बना सकने योग्य हो जाता है और एक ओर वह विवाह करके घर बसा

लेता है, तथा दूसरी ओर काम-धंधा शुरू करके आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयत्न करता है। यह अवधि १८ से २१ वर्ष के आसपास की मानी जा सकती है। इस अवस्था तक पहुंचने के पहले मानव को वैयक्तिक और सामाजिक, दोनों दृष्टियों से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकने योग्य बन जाना तो आवश्यक है ही, इसके साथ ही यह भी वाछनीय है कि वह शिक्षा उसे प्रगतिशील समाज की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने और बढ़ने की क्षमता भी प्रदान करदे।

लेकिन जो शिक्षा आमतौर पर हमारे देश में आज दी जाती है वह उक्त दोनों दृष्टिकोणों से दोषपूर्ण है। इस शिक्षा की शुरुआत मैकाले के जमाने में कम्पनी के लिए अंग्रेजी जानने वाले क्लर्क तैयार करने के लिए हुई थी और उसका ध्येय ऐसे भारतीय घडना था जो सिवा अपने काले चमड़े के, जिसे बदलना उनके लिए भी अशक्य था, और सब बातों में वेग-भूपा, खानपान-रहनसहन, विचार, आदर्श, सब में अंग्रेज ही, जो अंग्रेजों की नकल और उनकी गुलामी को ही सफलता की चरम-सीमा माने। वे हमें ऐसे पक्षी बनाना चाहते थे जो पिजरे की खूबसूरती और बहा डाले गये दानों पर ही मुग्ध रहे, लेकिन सौभाग्य की बात है कि राजा राममोहन राय से लेकर गांधीजी तक कुछ ऐसी विभूतियां इस गुलामी की शिक्षा के बावजूद और डमी में से समय-समय पर प्रकट हुईं, जिन्होंने देश में जागृति और स्वतंत्रता के झंडे को ऊंचा किया और इस पिजरे को अंग्रेजों से ही खुलवा कर इस देश के निवासियों को आजाद कर दिया।

लेकिन शिक्षा का जो क्रम अंग्रेजों ने चालू किया था, वह आज भी चल रहा है। वह गुलामी की शिक्षा जो हमें अपने देशवासियों में, प्रतीकों के लालों से जुदा कर देने वाली थी, भौतिक रूप से हमें शहरों में केंद्रित करती जाती थी और बौद्धिक रूप से हमें अपने करोड़ों देशवामी ग्रामनिवासियों में, उनकी आवश्यकताओं, आदर्शों और महानुभूति में अलग कर देती थी, हमारी मस्त्रि और परम्परा में हमें दूर फेंक देती थी, वह आज भी चल रही है। उसे अनिवार्य और निश्चल बनाना देश की आर्थिक शक्ति के बाहर

है, वह विदेशी भाषा में और विदेशी भाषा के माध्यम में दी जाने के कारण विद्यार्थियों की गति और समय का अपव्यय करनेवाली है तथा केवल साहित्यिक होने के कारण देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में ठीक नहीं बैठती। मध्य में वह शिक्षा स्वतन्त्र भारत के विलकुल उपयुक्त नहीं है। सामाजिक क्रान्ति के उपयुक्त प्रेरणा युवकों को वह दे सके, इसका तो प्रश्न ही नहीं।

गांधीजी बान्धव में मनु की भांति समग्र द्रष्टा समाज-व्यवस्थापक ऋषि थे। यह केवल समय की गति थी कि वे गुलाम भारत में पैदा हुए और उन्हें अपनी मागे जिन्दगी भारत की राजनैतिक गुलामी से जूझने में लगानी पड़ी, किन्तु इसके बावजूद उन्होंने भारत की सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति के निम्नात, इसके स्वरूप और कार्यक्रमों पर समय-समय पर विचार और प्रेरणाएँ दी। उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप में समझ लिया था कि वर्तमान शिक्षा को हमें बदलना होगा। यद्यपि वे स्वयं प्रचलित अर्थ में शिक्षाशास्त्री नहीं थे, किन्तु भारतीय मानव और सामान्य मानव स्वभाव के अपने समय के अद्वितीय पारखी होने के कारण उन्होंने यह भी निश्चित किया था कि भावी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिये। इस सबध में उन्होंने अपने विचार प्रगट किये, शिक्षाशास्त्रियों को वर्धा में एकत्रित किया और काफी लम्बे विवेचन, परीक्षण, अनुभव तथा फिर विवेचन के बाद उन्होंने भारतीय बालकों की शिक्षा के कुछ आदर्श क्रम निश्चित किये, जिसे उन्होंने दुनियादी तालीम का नाम दिया और हिन्दुस्तानी तालीमी सघ की स्थापना कर उसे इसके विचार, परीक्षण, सशोधन, और प्रसार का भार सौंपा।

गांधीजी क्रान्ति के जरिये सत्य पर आधारित अहिंसक समाज-रचना के प्रतिपादक थे। दुनियादी तालीम उस क्रान्ति का आवश्यक कार्यक्रम है, क्योंकि वही हमारे समाज की आधार-शिला—बालकों को सर्वोदय सिद्धांत और व्यवहार की ओर अग्रसर करती है। नये समाज के आधारभूत सिद्धांत, शरीरश्रम की प्रतिष्ठा, मानव मात्र की समानता और शोषणहीनता, सहयोग और अधिकार के वजाय कर्तव्य पर बल, ये सब दुनियादी तालीम में भी

आधारभूत हैं। बुनियादी तालीम किमी चुने हुए उद्योग की धुरी पर घूमती हैं। कोई-न-कोई उद्योग हरेक के लिए लाजमी है और मारी शिक्षा उसी के सहारे दी जाती है। वह शिक्षा निशुल्क होगी और हरेक बालक के लिए अनिवार्य होनी चाहिये। इस गरीब मुल्क में ऐसा होना तभी संभव है जब यह केवल शासन पर भी निर्भर न रहे, इसीलिए उत्पादक श्रम इसकी आधारशिला है। इसमें जहाँ सबकी समानता और शिक्षा की व्यापकता का प्रतिपादन होता है, वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों में स्वावलम्बन, आत्म-सम्मान और मितव्ययिता का भान भी जागृत होता है और शिक्षकों और विद्यार्थियों में ऐसी आत्मीयता भी पैदा होती है जो केवल एक-दो घटे पढ़ लेने और पढ़ा लेनेवाले अध्यापकों और शिक्षार्थियों में संभव नहीं है। बालक स्वभावतः क्रियाशील और जिज्ञासु होते हैं, उन्हें केवल पढ़ लेने या मुँह लेने के बजाय स्वयं प्रत्यक्ष देखने और करने में अधिक रुचि रहती है, इसलिए उद्योग द्वारा शिक्षा उनकी शक्तियों को अधिक विकसित करने वाली, उन्हें अधिक प्रसन्न, उत्साहपूर्ण और सक्रिय रखनेवाली होगी। इसमें उनकी जिज्ञासा और स्वतन्त्र चिन्तन को अधिक बल मिलेगा।

यह शिक्षा उद्योग और शरीर-श्रम के सहारे चलती है, अतः उस शिक्षा को पानेवाले विद्यार्थी कभी आजकल की तरह अपने देश के गरीब ग्रामीणों में अलग बाबू-समाज नहीं बनायेंगे। वे एक तो स्वयं शारीरिक-श्रम करने के अभ्यासी होंगे और दूसरे अपने माता-पिताओं और परिवार के लोगों में, जिनमें अधिकतर गरीबी अथवा अन्य उद्योग-धंधों में लगे हुए हैं, अलग और दूर नहीं जायेंगे, बल्कि प्रायः उन्हीं धंधों को अधिक कुशलतापूर्वक कर सकने लायक बन जायेंगे।

एक बात यह भी है कि यह आजकल की शिक्षा में अधिक मस्ती होगी। इसके लिए आरिथमिक भवनों की आवश्यकता नहीं है। स्वावलम्बन की ओर गतिशील होने के कारण भी इसका प्रसार पश्चिमी पद्धति के अग्रजों के मुकाबले नहीं अधिक होगा। मारा बानावरण सरल और कम शर्तों का होगा और इसे गाँव-गाँव में फैलाना आसान होगा।

दुनियादी तालीम मान-भाषा के द्वारा दी जाती है, इसलिए जितनी शक्ति और समग्र त्रियाशीलता का उद्योग भाषा सीखने में लगाना पड़ता है वह वही जायगा और अन्य अध्ययन और श्रम में लग सकेगा।

सामान्यतः दुनियादी तालीम का आरम्भ उम्र ६ साल की उम्र में होगा और १३ वर्ष की उम्र पर उत्तरी समाप्ति का जायगी और इसके बाद अधिकतर त्रियाशील अपने पढ़ाई में लगने की तैयारी करेंगे और उम्र में जुट जायेंगे। जिनका जागे बचपन ही रूचि हागी और इसकी अनुकूलता होगी वे कियोग अपना उत्तर दुनियादी तथा विश्व-विद्यालय का शिक्षा-क्रम चालू रखेंगे।

दुनियादी तालीम का क्षेत्र बड़ा व्यापक है और सामाजिक क्रांति की सिद्धि हमारे मारे देश की शिक्षा को दुनियादी तालीम के सिद्धांतों पर टाले बिना नहीं हो सकती। इसमें लाने शिक्षकों की आवश्यकता है और दरअसल इस कार्यक्रम की सफलता का बहुत अधिक भार शिक्षक पर ही है। दुनियादी शिक्षक की दृष्टि अपने लक्ष्य और उम्र तक पहुँचने के रास्ते के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिये, उम्रका जीवन मादा और आदर्शपूर्ण होना चाहिये। उसे दुनियादी तालीम की समग्र भावना को धारण करना होगा, उसे अनिवार्य और निशुल्क बनाने के साथ-साथ स्वावलम्बी की ओर बढ़ने का भी प्रयत्न करते रहना होगा। दुनियादी तालीम का रथ शिक्षक और उद्योग के दो पहियों पर चलता है। दुनियादी तालीम ही व्यक्ति और समाज दोनों की सर्वोत्तम भावना, बुद्धि और त्रियाशीलता का समन्वय और विकास कर सकती है और दुनियादी शाला ही वर्ग-हीन समाज के व्यावहारिक आरम्भ का केंद्र बन सकती है।

संक्षेप में

१ दुनियादी तालीम सामाजिक क्रांति के लिए आवश्यक कार्यक्रम है, क्योंकि बालको को आरम्भ से ही वर्ग-हीन और शोषणहीन समाज के एक छोटे नमूने के रूप में अपनी शाला में विकसित होने का अवसर मिलता है। यह तैयारी ही उन्हें भविष्य में इस अहिंसक क्रांति की सिद्धि में अग्रसर होने

की प्रेरणा और बल दे सकती है।

२ बुनियादी तालीम का लक्ष्य बालक का मानसिक, बौद्धिक, और शारीरिक विकास और उसका व्यक्ति और समाज के समग्र हित में उपयोग है। यह शिक्षा किसी-न-किसी मूलभूत उद्योग पर आधारित होती है। इसमें ज्ञान शुष्क और अकेला न होकर कार्य के साथ और उसका सहयोगी रहता है।

३ बुनियादी तालीम को निःशुल्क, व्यापक और यथासंभव स्वावलम्बी बनाने के लिए समाज द्वारा सभी आवश्यक सुविधाएँ देना जरूरी है।

४ इसमें बालक-बालिकाओं की शिक्षा में कोई अन्तर नहीं होगा। दोनों की शिक्षा एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार से और यथासंभव एक साथ ही दी जायगी।

१०

प्रौढ़-शिक्षा जीवन के साथ संबंधित हो

हमारे देश में नब्बे फीसदी लोग अशिक्षित और अनपढ़ हैं। अतः इनमें सामाजिक क्रांति की भावना जागृत करने के लिए शिक्षा का प्रचार अत्यन्त आवश्यक है। इसकी आवश्यकता आज की स्थिति में और भी अधिक है जब देश में प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन प्रणाली चालू है और राष्ट्र का आदर्श लोकतंत्रीय शासन और लोकतंत्रीय समाज की स्थापना है। इस आदर्श की पूर्ति तभी संभव है जब समग्र जनता सबके कल्याण की भावना को वर्तमान-पालन में सबसे पहले और अधिकार की पूर्ति में सबसे पीछे, सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप में समझने और उसकी मिद्धि के लिए प्रयत्नशील होगी। अतः व्यक्तिगत और नागरिक मुद्धार की दृष्टि में, लोकतंत्रीय शासन और समाज व्यवस्था की सफलता की दृष्टि में, सामाजिक, क्रांति और नव-समाज रचना की दृष्टि में हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा को एक निश्चित कार्यक्रम के रूप में पुरा करना बहुत जरूरी है। केवल प्रारम्भिक शिक्षा तो

अनिवाय कर देने में हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती ।

मामूली तौर पर लोग यह समझते हैं कि अगर हम अपने गावों और शहरों के अनपढ़ लोगों को अगूठा लगाने के बजाय हस्ताक्षर करना सिखा दें या उन्हें अधर-ज्ञान कराकर टूटे-फूटे अधर जोड़ना सिखा दें तो बहुत काफी होगा । इस तरह के आन्दोलन इस देश में चलते हैं, लेकिन केवल अधरज्ञान से देश की जनता का कुछ भला होने वाला नहीं है, किन्तु यह मान कर चलना भी गलत होगा कि अधरज्ञान उन्हें दिया ही न जाय । अधरज्ञान के द्वारा नागरिकों को मातृभाषा के सारे ज्ञानभण्डार की कुजी सौंप दी जाती है, जिन्होंने वे मनचाहा लाभ-अवसर और योग्यता के अनुसार उठा सकते हैं । अतः प्रौढ-शिक्षा में अधरज्ञान के अलावा वैयक्तिक जीवन के सुधार, सामाजिक और नागरिक शिक्षण का समावेश अन्य साधनों द्वारा भी हो जाना चाहिये । इनमें प्रदर्शनी, चित्र, गायन, कीर्तन, कथा, नाटक, रेडियो, मिनेमा का भी उपयोग हो सकता है । साथ ही दगल-प्रतियोगिता, मेले आदि का सावधानी पूर्वक आयोजन भी लाभदायक हो सकता है ।

इन साधनों के जरिये ग्राम तथा नगर-निवासी प्रौढ़ों को अपने-अपने पेशों और कामों को अधिक होशियारी, सफाई और जल्दी से करने की प्रेरणा मिल सकती है, जिससे वे अपने चालू कामों को ज्यादा अच्छी तरह करके आमदनी बढ़ा सकते हैं अथवा अन्य छोटे-छोटे काम करके अपनी आमदनी में कुछ थोड़ी-सी वृद्धि कर सकते हैं । उनमें आमतौर पर जमीन के सहारे कुछ-न-कुछ, खासकर शाक-भाजी पैदा करने की वृत्ति जागृत की जा सकती है जिसमें उनका भोजन अधिक सतुलित और पौष्टिक हो सके, तथा नये पेड़ उगाने, बागीचे लगाने की रुचि हो । कताई का रिवाज सब लोगों में बढ़ाया जा सकता है जिसमें स्वावलम्बन की ओर बिना अतिरिक्त व्यय के प्रगति हो सके । इस प्रकार अन्न तथा वस्त्र-स्वावलम्बन प्रौढ-शिक्षण का एक व्यावहारिक पहलू बन सकता है और इस शिक्षण-क्रम से लाभ उठाने वाले नागरिक अपने परिवार और समाज दोनों की श्रीवृद्धि कर सकते हैं ।

गायन, कीर्तन, कथा, नाटक आदि द्वारा गावों और कस्बों के लोगों

में प्रौढ शिक्षा के प्रति आमतौर पर पाई जाने वाली उदासीनता और विरोध को दूर किया जा सकता है। उनमें प्रौढ-शिक्षण केंद्रों के प्रति सक्रिय आकर्षण और उनके कार्यक्रमों में व्यावहारिक रुचि उत्पन्न की जा सकती है। उनमें धार्मिक तथा अन्य कथा-नाटकों आदि के जरिये नैतिकता, सामाजिक सेवा पारस्परिक सहयोग और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को जागृत किया और रखा जा सकता है और शीघ्रतापूर्वक लुप्त होते जाने वाले लोक-गीतों, लोक-कथाओं और लोक कथाओं के सौंदर्य और उपादेय अंशों को जीवित रखा जा सकता है और उन्हें उन्नत किया जा सकता है।

प्रौढ-शिक्षा के अक्षर-ज्ञान का पाठ्यक्रम मामूली तौर पर ६ महीने में अधिक का नहीं होना चाहिये। इस अवधि में प्रौढों को मामूली तौर पर पढ़ना-लिखना, कम-से-कम हिन्दी जैसी सरल भाषा और नागरी जैसी सरल लिपि का, तो आ ही सकता है। इतना न्यूनतम ज्ञान तो प्रौढों को दिया ही जाना चाहिये। फिर उस ज्ञान को कायम रखने और बढ़ाने, अन्य सामाजिक, सामूहिक और सांस्कृतिक-प्रवृत्तियों को चलाने और प्रौढों को इस कार्यक्रम के प्रति आकर्षित करने, उनके उत्साह और रुचि को कायम रखने के लिए स्थायी प्रौढ-शिक्षण केंद्र होने चाहिये, जो इस सारे कार्यक्रम को चलाते रहें।

प्रौढों के लिए सारा साहित्य विशेषतौर पर तैयार किया जाना चाहिये, क्योंकि अनपढ़ शिशु तथा बालक में और अनपढ़ प्रौढ के बौद्धिक स्तर और उनकी आवश्यकताओं में बहुत अन्तर होता है और प्रौढों को उनके उपयोग की बातें उनके मर्यादित अक्षर-ज्ञान के उपयुक्त भाषा में ही बतलाई जानी चाहिए।

इन सारे कामों को निश्चित आदर्श के अनुकूल व्यवस्थित रूप में चलाते के लिए एक प्रौढ-शिक्षण संगठन होना चाहिये जो साम्राज्य नीति-निर्देश करें, जो अखिल भारतीय उपयोग के साधनों, केंद्रीय रेडियो, कार्यक्रमों तथा तन्त्रधारी विशेष फिल्मों के निर्माण की योजना और मार्ग-दर्शन करें। यह संगठन भारत के विभिन्न राज्यों में किये जाने वाले और उनमें

होने वाले प्रयोगों की जानकारी और अनुभव का लाभ राज्यों के नीति-निर्देशक मण्डलों और कार्यकर्ताओं को दे सकने हैं और एक-दूसरे की सफलता और असफलताओं से लाभ उठा सकने हैं तथा न्यायमान रह सकने हैं ।

हरेक राज्य में एक-एक प्रौढ शिक्षण मन्था का होना आवश्यक है, जो अपने प्रदेश में अपनी प्रादेशिक भाषाओं में प्रौढ-शिक्षण की योजनाओं का संचालन करे साहित्य का प्रकाशन करे, परीक्षाओं का आयोजन करे, लेकिन इन प्रादेशिक मन्था का काम भी अधिकतर नीति-निर्देश, प्रेरणा तथा समन्वय का ही होगा, प्रौढ-शिक्षण का व्यावहारिक काम तो गावों, कस्बों और शहरों की उन प्रौढ शिक्षण मन्थाओं का होगा, जो प्रौढ कक्षाओं, शिक्षण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक केंद्रों को चलायगी, प्रौढों के दैनिक सपर्क में आयगी, उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को समझेगी तथा उन्हें हल करेगी ।

प्रौढ शिक्षण के इस विस्तृत और महत्वपूर्ण काम को करने के लिए लाखों की मर्या में शिक्षकों की आवश्यकता होगी जो अपने समय का कुछ भाग दैनिक रूप में देगे और हजारों की तादाद में व्यवस्थापकों की जरूरत पड़ेगी, जो अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्य की व्यवस्था करेगे । चाहे यह दोनों काम पूर्णतः अवैतनिक रूप से किये जाय या थोड़ा बहुत पारिश्रमिक परिस्थिति-वश स्वीकार किया जाय, पर सारा काम सामाजिक क्रांति की भावना और उत्साह में ही संपन्न किया जा सकता है ।

इस काम में लगने वालों के लिए आवश्यक है कि वे सामाजिक क्रांति के समग्र अदर्श को समझे और प्रौढ-शिक्षण का महत्व नव-समाज रचना के एक आवश्यक और अनिवार्य अंग के रूप में जानें । प्रौढों को इस शिक्षण के जरिये जो प्रकाश दिया जा रहा है, अभी नव ज्ञान भंडार की जो नई कुजी दी जा रही है, उसके साथ सबके समग्र कल्याण की, सर्वोदय की विचार-धारा भी उन्हें दी जानी चाहिये । बालकों को शिक्षण देने और उनकी शक्तियों का सही दिशा में विकसित करने का काम अधिक लम्बा है और जब तक बालकों के माता-पिता और अभिभावक इस दृष्टिकोण को न समझे तथा

इसका विरोध करते हो, तो बुनियादी तालीम का अमर बालको पर कम और अस्थायी भी हो सकता है। इसके विपरीत प्रौढ शिक्षण के जरिये सामाजिक क्रांति और, अहिंसक समाज रचना का दृष्टिकोण प्रौढों को देने में योग्यता, परिश्रम और धीरज की अधिक आवश्यकता है, किन्तु उन्हें दिया गया मार्ग-दर्शन सारे परिवार को उस दिशा में मोड़ सकता है, इसलिये सामाजिक क्रांति के कार्यक्रम के रूप में प्रौढ शिक्षण का कार्य अत्यन्त विशाल और आशापूर्ण है और सेवा और परिश्रम के बीज का मुफल निश्चित है। सक्षेप में .

१ प्रौढ-शिक्षण अहिंसक नव-समाज रचना का आवश्यक अंग है और शिशु-शिक्षा तथा बुनियादी तालीम की तरह ही इसे महत्वपूर्ण मानना चाहिये।

२ प्रौढ-शिक्षण का अर्थ केवल अक्षर-ज्ञान नहीं और माक्षरता का बहिष्कार भी नहीं, बल्कि माक्षरता के साथ वैयक्तिक उन्नति और सामाजिक सहयोग के लिए आवश्यक सभी प्रकार का भावनात्मक, बौद्धिक और शारीरिक शिक्षण इसमें शामिल है।

३ हमारी विशाल और विविधतापूर्ण लोक-मस्कृति और लोक-बाल्य के सौंदर्यपूर्ण तथा उपयोगी अंशों का संरक्षण और सर्वधर्म इन्हींके द्वारा होगा।

४ श्रम-प्रतिष्ठा, सर्वधर्म-सम्मान सामाजिक ममता और नागरिकता के आरम्भिक और आवश्यक ज्ञान और अभ्यास के लिए इसका साधन के रूप में उपयोग किया जायगा।



अखिल भारत सर्व-सेवा संघ

प्रकाशन विभाग

रचनात्मक साहित्य

अ भा चरखा सघ का इतिहास	श्री श्रीकृष्णदाम जाजू	३॥)	॥३)
क्रांतिकारी चरखा	श्री धीरेन्द्रभाई मजूमदार	१)	—)
ग्राम स्वावलम्बन की ओर	श्री वालकोवा	१)	—)
चरखे की तात्त्विक मीमांसा	,	१)	=)॥
कताई	, दत्तोवा दास्ताने	५)	॥३)॥
वापू की खादी	, धीरेन्द्रभाई मजूमदार	॥)	—)॥
म्बराज्य की असली लडाई		॥)	—)॥
गोमेवा	„ गाधीजी	१॥)	=)॥
गोला अगाईचे सवर्धन (मराठी)	„ य म पारनेरकर	॥)	—)
धान की खेती की जापानी पद्धति		१)	—)
मिद्ध वनीपधि चिकित्सा		१)	=)
गो-मेवा सघ की विचार-धारा		॥)	—)॥
गाव आन्दोलन क्यों ?	„ जे सी कुमारप्पा	३॥)	१)
गाधी अर्थ-विचार	„ „	१)	—)॥
स्थायी समाज व्यवस्था (भाग २)	„ „	४)	१)
स्त्रिया और ग्रामोद्योग	„ „	१)	—)
हमें क्या खाना चाहिये	„ झवेर भाई पटेल	३)	=)॥
तेल घानी	„ „ „	१॥)	=)
हाथ कागज बनाना		४)	—)
शिक्षा में अहिंसक क्रांति	„ गाधीजी	१॥)	=)
बुनियादी शिक्षा	„ „	१॥)	=)

प्रौढ शिक्षा का उद्देश्य	शातावहन मार्जरी साङ्कम ॥॥)	=)
बुनियादी शिक्षा के मिद्धान		१॥=) =)॥
जीवन शिक्षा का प्रारम्भ	श्री शाता वहन	१।) =)
सफाई विज्ञान	„ धीरेद्रभाई मजमदार	॥=) -)
वस्त्र पूर्ण (मराठी)	श्री कुदर दिवाण	२) ।)
नयी तालीम और समाज का नवनिर्माण	धीरेद्र मजमदार	≡) -)
Vinoba and His Mission S Rambhai		३॥) ॥)॥
Economics of Peace		॥=) ॥॥≡)


बटे सूत्री पत्र के लिए लिखिये—

अखिल भारत सर्व-सेवा संघ,

प्रकाशन विभाग, वर्धा ।

नई क्रांतिमाहा की पुस्तकें

१. सर्वोदय का घोषणापत्र
२. सर्वोदय के सेवकों से
३. मानवीय क्रान्ति
४. घमं चक्र प्रथम
५. हमारी भूमि समस्या का हल
६. संपत्तिदान यज्ञ
७. दंड निरपेक्ष समाज बनना
८. नई क्रांति
९. नई क्रांति के गीत
१०. भूदान दीपिका
११. सामाजिक क्रांति और भूदान
१२. व्यवहार बुद्धि
१३. सर्वोदय की ओर
१४. सामाजिक क्रांति के दस कार्यक्रम
१५. नई तालीम के विचार (जेस में)
१६. नई तालीम और समाज का मधु निर्माण



भारत सरकार द्वारा प्रकाशित

मूल्य चार आना

सर्वोद्दय

को

कार्यकर्ताओं को
प्रेरणा
दिशा-दर्शन और
आवाहन

सर्व-सेवा-सघ-प्रकाशन

सर्वोदय के सेवकों से

त्राडिल-नम्मेलन मे रचनात्मक कार्यकर्त्ताओ की
विभिन्न सभाओ मे दिये गए विनोवाजी
के आठ महत्वपूर्ण भाषण



१९५३

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय,
मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल,
नई दिल्ली

पहली बार १९५३

मूल्य

चार आना

मुद्रा
नेशनल प्रिंटिंग वर्क्स
देहली

प्रस्तावना

भूदान-प्रज्ञ आन्दोलन ज्यों-ज्यों व्यापक और गहरा होता जा रहा है, जनता में सर्वोदय साहित्य की रुचि बढ़ रही है और उसकी मांग बहुत हो रही है। अभी तक फुटकर रूप में अलग-अलग लोगों और मस्थाओं के द्वारा ऐसे प्रकाशन होते रहे हैं, पर अब 'सर्व मेवा सघ' ने यह तय किया है कि ऐसा सर्वोदय और भूदान-साहित्य वह खुद संपादित और प्रकाशित करेगा।

सर्वोदय कार्यकर्ताओं के माथ विनोवाजी की जो महत्वपूर्ण चर्चाएँ और भाषण चाटिन के सर्वोदय सम्मेलन में हुए थे, वे सब प्रस्तुत पुस्तक में सत्रहीत किये गए हैं। विनोवाजी के चाडिल के ता० ७ और ९ के तीन महत्वपूर्ण भाषण 'सर्वोदय का घोषणा-पत्र' नामक पुस्तिका में, जो 'मण्डल' द्वारा प्रकाशित हुई हैं, छप चुके हैं। इन दोनों पुस्तकों से कार्यकर्ताओं को पूरा वैचारिक मार्गदर्शन, प्रेरणा और उत्साह मिल जाता है।

'सर्वोदय के घोषणा-पत्र' के बाद जल्दी ही यह किताब पाठकों को मिल जानी चाहिए थी और इनमें विनोवाजी के भाषण और चर्चाएँ होने के कारण संपादन करने के लिए बहुत बाकी नहीं रहता। संपादन-समिति को विधिवत् अपना काम शुरू करने में कुछ देर लगेगी इसलिए समिति के कुछ सदस्यों के इन पुस्तक को न देख पाने पर भी संपादन में उचित सावधानी रखकर यह प्रकाशित की जा रही है।

आशा है, सब लोग इसका अधिक-से-अधिक लाभ उठावेंगे।

सर्व मेवा सघ,
मेवाग्राम, २०-५-५३

—वल्लभस्वामी
सहसन्धी

दो शब्द

बहुत-से रचनात्मक कार्यकर्ता छोटे-मोटे कामों में लगे हुए हैं और अपनी गति भर काम करते रहे हैं। भूदान-यज्ञ का एक नया काम आया और उनके कामों में एक काम की वृद्धि हो गई। उतना ही कार्यकर्ता अक्सर समझे थे। लेकिन अब यह बात स्पष्ट हो गई कि हमारे चालू कामों में से जितने काम हम समेट सकते हैं, उतने समेट कर भूदान-यज्ञ में दूना पड़ेगा। अनेक कामों में सिर्फ एक काम की वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि अनेक कामों को उदर में सम्भालने वाला काम उपस्थित हुआ है।

पुराने अनुभवी कार्यकर्ताओं की मर्यादा सीमित है। उनकी मदद में सँभलें नये कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलेगा। आज देश में उन नाम के लिए जो उत्साह हैं, उसे देगते हुए मुझे उम्मीद है कि नये कार्यकर्ता पर्याप्त मर्यादा में मिलेंगे। उनको कुछ तालीम भी देनी होगी, जिसका उद्देश्य 'सर्व-सेवा-सत्र' को बनाना होगा।

भूदान-यज्ञ और उसके आगे के काम सम्पत्ति-दान-यज्ञ के बिना पूर्ण नहीं हो सकते । इसलिए सम्पत्ति-दान-यज्ञ का विचार भी सामूहिक जीवन-निष्ठा के नीचे पर लोगों को समझाना होगा ।

यह सारा काम जितना विज्ञान और व्यापक है, उतना ही गहरा और ठोस है । जनीता नाम सर्वोदय है । भूमि इसका अविष्टान है । सेवक-गण कर्ता हैं । सम्पत्ति-दान-यज्ञ करण है । जन्न-वस्त्र-स्वावलवन आदि इसमें करने की विविध क्रियाये हैं आर लोक-मानस अनुकूल बनाना ही इसका देवता है । मैं आजा करता हू कि सर्वोदय-प्रेमी सब भाई-बहन अपनी पूरी जड़ित एतमाय इसमें लगायगे और इस विगट यज्ञ को सफल बनायगे ।

---विनोबा

दो शब्द

बहुत-से रचनात्मक कार्यकर्ता छोटे-मोटे कामों में लगे हुए हैं और अपनी शक्ति भर काम करते रहे हैं। भूदान-यज्ञ का एक नया काम आया और उनके कामों में एक काम की वृद्धि हो गई। इतना ही कार्यकर्ता अक्सर समझे थे। लेकिन अब यह बात स्पष्ट हो गई कि हमारे चालू कामों में से जितने काम हम समेट सकते हैं, उतने समेट कर भूदान-यज्ञ में कूदना पड़ेगा। अनेक कामों में सिर्फ एक काम की वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि अनेक कामों को उदर में सम्भालने वाला काम उपस्थित हुआ है।

पुराने अनुभवी कार्यकर्ताओं की सख्या भीमित है। उनकी मदद में सैंकड़ों नये कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलेगा। आज देश में इस काम के लिए जो उत्साह है, उसे देखते हुए मुझे उम्मीद है कि नये कार्यकर्ता पर्याप्त सख्या में मिलेंगे। उनको कुछ तालीम भी देनी होगी, जिमका इन्तजाम 'सर्व-सेवा-मघ' को करना होगा।

छठा हिस्सा जमीन प्राप्त करना भूदान-यज्ञ का सबसे छोटा अंश है। प्राप्त की हुई जमीन की तकमीम भी करनी होगी। जिन्हे जमीन दी जायगी, उन्हें काम के लिए सावन-सामग्री भी दिलानी होगी। उन्हें जमीन पर स्थिर करना होगा। जिन गावों में जमीन मिलेगी, उन गावों में खादी, ग्रामोद्योग, नई तालीम आदि के जरिये ग्रामराज्य की स्थापना करनी होगी। मुख्य अंश तो आगे करने के काम का है। जहा काश्त के काबिल परती जमीन बड़े टुकड़ों में मिली है और मिलेगी, वहा नये सिरे में गावों को बसाना होगा और ग्राम-रचना करनी होगी। इस काम के लिए सबका सहयोग हासिल करना होगा, जन-शक्ति जाग्रत करनी होगी और सरकार से भी जो मदद मिल सके, हासिल करनी होगी। उसे अपने कर्तव्य का भान कराना होगा।

भूदान-यज्ञ और उसके आगे के काम सम्पत्ति-दान-यज्ञ के बिना पूर्ण नहीं हो सकते । इसलिए सम्पत्ति-दान-यज्ञ का विचार भी सामूहिक जीवन-निष्ठा के ताल-पा लोगों को समझाना होगा ।

यह नाग नाम जितना विनाश और व्यासक है, उतना ही गहरा और जाम है । उनीग नाम सर्वोदय है । भूमि इसका अविष्टान है । सेवक-गण कर्ता है । सम्पत्ति-दान-यज्ञ करण है । अन्न-वस्त्र-स्वावलवन आदि इसमें करने की विविध क्रियाये हैं जो लोक-मानस अनुकूल बनाना ही इसका देवता है । मैं जाता करता हूँ कि सर्वादय-प्रेमी सब भाई-बहन अपनी पूरी नदित एतनाथ इसमें लगायगे और इस विराट यज्ञ को सफल बनायगे ।

—त्रिनोवा

विषय-सूची

१. सर्वोदय के सेवको से	७
२. उदय की मगल वेला	२२
३. लोक-शक्ति की आराधना	२९
४. सयोजन का आधार	३९
५. कडी कसीटी का वर्ष	४५
६. विचार-भेद हो, आचार-भेद नहीं	४९
७. सारे देश को आवाहन	५४
८. सर्वोदय-सेवको से	५७

सर्वोदय के सेवकों से

गीता कहती है कि कर्मयोग का आरम्भ ही बुद्धि के निश्चय के बिना नहीं हो सकता। मूय के अस्त के बाद असख्य तारिकाएँ प्रकाशित होती हैं और उनका अपना-अपना अलग प्रकाश होता है। वैसे ही गांधीजी के जाने के बाद लोगो ने किया, यह ठीक ही है, इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इतने से हमारा काम नहीं होने वाला है।

जब वम्बई में सरकार की सर्वोदय-योजना शुरू हुई, तो उसके पहले कुछ लोग, जो कि उस योजना में शरीक होना चाहते थे, मुझसे मिलने आए थे। आज के जो मेरे विचार हैं, वे बहुत पुराने हैं। मैंने उसी समय उनमें कहा था कि अगर दूसरा कुछ भी नहीं बन सकता है, तभी इस काम में पटो। पर हमारे लिए वह एक मोह-जाल है। असली चीज जो हमें करनी है, हम नहीं कर रहे हैं। आज कांग्रेस की सत्ता है, पर अगर कल दूसरे किसी पक्ष की सत्ता हो जाय, यहाँ तक कि कम्यूनिस्टों की भी सत्ता आये, तो भी हर सरकार आप जैसे लोगो को थोड़ी-बहुत मदद चाहेगी। कम्यूनिस्ट सरकार भी खादी को कुछ थोड़ी मदद देगी, क्योंकि इस तरह के पुण्य का आधार हर सरकार चाहती है। आज की हमारी सरकार इतनी बुरी भी नहीं है कि हम उसमें अमहयोग करें। परन्तु उससे सहयोग करके मुक्त रहना, उसमें बंधन जाना, यह हमें करना होगा। रामदासस्वामी ने कहा कि 'परम्परेची उभारावे भक्ति-मार्गशी'—कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लो। सब लोगो के सहयोग से करो। रामदास ने यह भक्तिमार्ग के लिए कहा था। जहाँ आसक्ति और मोह से बंध जाने का मौका सबसे कम है, ऐसे भक्ति-मार्ग में भी जब यह कहना पड़ता है, तो जिस कर्म-मार्ग

में वैसा मोह अधिक है, वहा तो सोच-विचार करके ही काम करना चाहिए।

अपनी सरकार को जरूर मदद पहुंचानी चाहिए, लेकिन जो कोई दूसरा काम नहीं कर पाते हैं, वे ही वहा जाय। इसमें कोई ऊच-नीच का भाव नहीं है। लेकिन मेरी तो सलाह यह है कि अगर हिम्मत करो, इन मोहों को दूर रखो, तो अच्छा होगा। योग के मार्ग की उपामना में वायक विद्या आती है, विघ्न आते हैं। वे आक्रमण नहीं करने, पर मोहित करते हैं, ताकि हम मुक्ति-मार्ग से हट जाय, उनमें वध जाय। समाज में भी कुछ अच्छा काम तो चलता ही है, परन्तु दूरदृष्टि नहीं होती। लोग उसीमें फसते हैं, सरकार वाले दूरदृष्टि वाले नहीं होते। अगर वंमें होते, तो वे सोचते कि हमारे जैसे लोगों के बाहर रहने में ही उनके लिए अच्छा है।

अनुष्ठान के लिए संगठित शक्ति

आज कांग्रेस के लोगों से सम्पर्क रखने के लिए उत्तम पुरुष नहीं मिलते, जैसे कि आज की तालीम में बच्चों को पढाने के लिए सबसे कम ज्ञानवान शिक्षक ही दिये जाते हैं, जिनका कि चरित्र भी कम हो और जो कम तनखाह में ही निभ जाते हो। इस तरह राष्ट्र की जो संपत्ति याने बच्चे हैं, उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखते। इसी तरह आज कांग्रेस के सब अच्छे लोग सरकार में चले गये हैं। वे जनता के पास बहुत कम जाते हैं और जाते हैं तो क्या वे ऐसे स्पर्शमणि (पारस) होते हैं कि उनके स्पर्शमात्र में जनता सोना बने? उलटे जनता का रंग उनपर चढ़ता है, उनका जनता पर नहीं। वे खुद को सेवक कहलाते हैं, तो इतने सारे जो किमान हैं, वे सेवा ही तो करते हैं। ट्रेन को लाल-हरी झंडी बतानेवाला भी तो सेवा ही करता है। पर वह ऐसी सेवा नहीं करता, जो समाज की रचना में ही परिवर्तन ला सके। गेरनी ने मियार से कहा कि "शूरोऽग्नि, कृत्विद्योऽग्नि, धन्योऽग्नि यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते"—तू गूर, धन्य और विद्वान है, पर जिम कुल में हाथी का शिकार होता है, उस कुल में तू नहीं पैदा हुआ है। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। हम लोग मामूली सेवा-कार्य करके

ननुष्ट रह जाय, इसमें कुछ होनेवाला नहीं है।

मुझे ऐसे कई वेदान्ती मिलते हैं, जो ननुष्ट हैं, खाते-पीते हैं, सभी तो चलता है। पुरुषार्थ की गून्धता को मोक्ष कहा जाय तो वे मुक्त ही होते हैं। वे ढोगी नहीं हैं, पर अल्प कल्पना कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें भगवान् का दर्शन हो गया है। बाकी सारे व्यवहार हो रहे हैं, लेकिन और कुछ करने की प्रेरणा उन्हें नहीं होती है, क्योंकि उन्हें भगवान् का दर्शन हुआ है। यह तो ढोग है। ऐसे जीवों को असमाधानी बनाना भी एक पुरुषार्थ है।

अगर हम इस मामूली सेवा-कार्य में लगे तो चन्द्र दिनों में हमारी ओर कोई ध्यान नहीं देगा। लोग हमें पिछड़े हुए समझेंगे, इसलिए आज हमें मौका है, तो हमें जाग जाना चाहिए। जब कोई बड़ा पत्थर उठाना होता है, तो एक-दो-तीन कहकर एकसाथ अगर सब लोग जोर लगाते हैं, तो ही वह पत्थर हटता है। एक के बाद एक ताकत लगाई तो ताकत उतनी ही लगेगी, पर पत्थर नहीं हटेंगा। यह भूदान का एक बड़ा काम है। हमें थोड़ी-नी जमीन ही हासिल नहीं करनी है। जहाँ आपके मन में निश्चित मुद्दत में सारी समाज-रचना बदलने की बात है, गीब को मालिक बनाने की बात है, यह आपका उसूल है, तो उसके लिए आप आयोजन करते हैं। वह इन्ही समय होगा। आज नहीं, फिर करेंगे, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा।

भगवान् ने कहा है कि “सर्वं धर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज” — सब धर्मों को छोड़कर मेरे पास आओ। आज हिन्दुस्तान में भगवान् की पूजा क्या कम चलती है? पर वह पूजा दिन में आठ घंटे चलती है और बाकी के साढ़े तेईस घंटे दूसरे काम चलते हैं, जो उस पूजा के विरुद्ध होते हैं। जब सुबह उठते हैं तो थोड़ा-बहुत सत्त्वगुण चलता है। फिर भूख लगने पर रजोगुण और भोजन के बाद तमोगुण चलता है। थोड़ा सत्त्वगुण और फिर दूसरे गुण होने पर भी ऐसा मन में सन्तोष मान लिया कि हमने मेल बैठ लिया तो कैसे होगा? इसी तरह विनोबा के काम को दस-पाच दिन दिये तो कुछ तो मदद मिलती है। परन्तु हम जो चाहते हैं, वह नहीं होगा। अगर हम सिर्फ गरीबों को थोड़ी मदद देना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है, तो हमें नमूने के तौर

पर कही थोड़ा काम कर लेना चाहिए ।

मैं आग लगाना जानता हूँ । सारी वस्ती में प्लेग हो तो मारे गाव को आग लगानी ही होगी । पहले उसको जलाकर खाक करेगे और फिर बाद में मकान बनायेंगे । जिस गाव में आग लगानी है, उसी गाव में थोड़ी आग लगाकर एक मकान बाधना शुरू करना गलत है । हमें पहले जमीन का पूरा कोटा हासिल कर लेना चाहिए । थोड़ा-सा काम करने में यह नहीं होगा । यह सबका काम है । इस काम को हम इस ढंग से करेंगे कि हरेक को यह महसूस हो कि उसके बगैर चारा नहीं है । यह हम कर सकते हैं । अभी तक हमने बहुत काम किया है, परन्तु अब अपना बहुत सारा काम समेट कर इसमें कूद पडो । अब लोगो का मानस तैयार है । लोग तैयार हैं, पर हम तैयार नहीं हैं । ऐसा लगता है कि उलटा हुआ है । उलटा नहीं हुआ है । जो असली बात है, वही प्रकट हुई है । हम ही गाफिल थे और हम अपनी गफलत का आरोप लोगो पर लगाते थे । बिहार में हवा बन गई है । मैंने सुना है कि कहीं-कहीं जमीन की विक्री बन्द हुई और जमीन खरीदने वाले भी नहीं मिलते हैं । लोग कहते हैं कि अब तो हमें जमीन मिलनेवाली हैं तो खरीद कर ब्या करेगे । इसीलिए अब इस साल गये साल के जैसा काम नहीं चलेगा ।

घोषणाएं नहीं, कर्म

हम घोषणाएँ तो बड़ी-बड़ी करते हैं कि यह काम ऐसा है कि जो इतिहास में नहीं हुआ, आदि-आदि, परन्तु हम उमें यदि पूरा नहीं करते हैं, तो वह बड़ा हास्यास्पद होगा और हिन्दुस्तान के लिए यह बात खतरनाक होगी । फिर तो प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ देश में आयेगी । लोग कहेंगे कि आपकी पद्धति से काम नहीं हुआ, तो अब हम दूसरी पद्धति आजमायेंगे । इसलिए अगर हम काम न करें, तो आज हिन्दुस्तान की जो आशा है, उससे भिन्न दिशा में भी हिन्दुस्तान जा सकता है ।

क्रिया से बढ़कर क्रिया का क्रम महत्व का है । जब जनता में ऐसी शक्ति

आयेगी कि वह खुद होकर यह काम उठायेगी तभी हम सहयोग की बात कर सकते हैं। आज बीच में अन्य मैनेजमेंट (व्यवस्थापक) रखेंगे तो जनता में शकाशीलता आयेगी, क्योंकि आज तक बिना मतलब के कोई भी उमके पाम नहीं पहुँचा है और हम ही वैसे पहुँच रहे हैं, ऐसा उमको विश्वास होना चाहिए। चीन में पहले जमीन गरीबों में बाँट दी गई। उममें लोगों में विश्वास पैदा हुआ। पहले से ही सहयोग की शर्तें लगाओ तो काम नहीं होगा।

सरकार के लॉ-ऑर्डर का काम

भूदान-यज्ञ का आरम्भ तो हुआ है सामूहिक मांग से, परन्तु मुझे लगा कि सामूहिक खेती की शर्तें लगाने में खतरा है। अगर ऐसा होगा तो दाता लोग इसीलिए जमीन देने को राजी होंगे कि मैनेजमेंट के रूप में मजदूरों पर उनका अकुश रहेगा। यहाँ भी कुछ मुझसे कह रहे थे कि हम अपने ही मजदूरों में जमीन बाँटना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे वह दृष्टि थी। इन दिनों मजदूरों पर ऐसी सत्ता रखना छोटी बात नहीं है, क्योंकि मजदूर अब समझ गये हैं। इसलिए दूरदृष्टि वाले सोचते हैं कि मतलब से खैरात करो। लेकिन इस तरह मजदूरों को थोड़ी जमीन देकर उनपर सत्ता चलाना गलत है। इसलिए इस समय हमें सिर्फ जमीन प्राप्त करना ही मुख्य काम करना होगा। आप सरकार की फिक्र क्यों करते हो? आखिर मैं सरकार का ही तो 'लॉ एण्ड ऑर्डर' का काम कर रहा हूँ। इसलिए उनका 'लॉ एण्ड ऑर्डर' पर जो खर्चा होता है, वह सब मुझे मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मैंने एक जिलाधीश से यह बात की थी, तो उसने कबूल किया कि आपके काम में यहाँ शांति रहती है। इसलिए वितरण के काम का सरकार को भी सोचना होगा।

संस्थाओं की कसौटी

हम तो मिट्टी बहाना चाहते हैं, पानी की तरह। हम चाहते हैं कि मिट्टी बहे तो सही, फिर वह कहीं भी जाय, परवाह नहीं। हम अपनी शक्ति के

अनुसार उसका इन्तजाम करेगे। पीलीभीत में हमें जो जमीन मिली है उसमें हम शरणार्थियों को बसानेवाले हैं। इसलिए सरकार का उम खाते पर जो खर्चा होता है, उससे हम मदद माग सकते हैं और अपने तरीके से शरणार्थियों को बसा सकते हैं। इसमें हम श्री टडनजी की योजना अमल में लायेंगे। ऐसे गाव के कामों में चरखा-मघ और तालीमी मघ की जैसी मस्य़ाओं को फौरन लगाना चाहिए, अन्यथा वे सस्याएँ किसलिए हैं? यह भी कोई आपका धधा है कि आप दूसरे कामों में व्यस्त हो और जो काम करना चाहिए उसके लिए आपके पास समय न हो?

वापू ने मुझे १९४० में बुलाया था और पूछा था, “तू व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए तैयार है या नहीं? तुझे बहुत काम है। क्या तुझे समय मिलेगा?” मैंने कहा, “मुझे समय तो नहीं है, परन्तु मैं मुक्त हूँ। कोई भी काम मुझे बाध नहीं सकता है।” आज भी मैं वही कर रहा हूँ और अगर बुरी भाषा में कहूँ तो मैं “ऐस्केपिस्ट” हूँ—मैं भाग जाना चाहता हूँ। कहीं आग लगी है, तो उससे भाग जाना ही अच्छा है। इसलिए मैंने कहा कि मैं मुक्त हूँ। अगर उस समय मैं कहता कि मुझे काम है तो क्या होता, आप जरा सोचिए? मुख्य-मुख्य मनुष्यों को तो चक्र का या यत्र का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। अगर ये भिन्न-भिन्न सधों वाले हमसे कहेंगे कि हम काम में व्यस्त हैं तो ऐसा कहना होगा कि ‘वेट एण्ड फाउण्ड वार्टिंग’—“तीलने पर पता चला कि पूरा वजन नहीं है।” ऐन मीके पर हम खरे न उतरे तो आज तक हमने जो काम किया है, उसकी कीमत कम होगी।

जब हम लडाई के लिए सिपाही चाहते हैं तो सबसे कहते हैं कि आओ। परन्तु जो गोला-बारूद या शस्त्र बनाने का काम करते हैं, उनमें आने के लिए नहीं कहते, क्योंकि वे तो हमारी लडाई के ही हिस्से हैं। इसलिए उनको वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। हम मस्य़ाओं से भी मनुष्य को चाहते हैं, पर ऐसे मनुष्य नहीं, जिनके हटने से मस्य़ा गिर जाय। वे अगर मस्य़ा छोड़ेंगे तो वह अदूर-दर्शिता होगी। लेकिन अगर मस्य़ा के संचालकों को कुछ मोह है और वे आमन्त्रित में कहते हैं कि मस्य़ा छोड़कर मत जाओ तो यह गलत है।

संपत्ति-दान

हमें यह बताना चाहिए कि जिस तरह भूदान-यज्ञ चला, उसी तरह संपत्ति-दान भी चलेगा। उगमे वेंजमीन को और मदद मिलेगी। वेंजमीन को जिम मदद की जरूरत है, वह उस-उस गाव में हासिल करनी है और इसके अलावा गहरा में भी हासिल करनी है। गहरों ने आज तक भर-भर के पाया है। इसलिए अब उनको देना चाहिए। पहला रास्ता यह है कि गहर वाले गामोद्योग की चीजें खरीदें। आज तो उलटा हो रहा है। पर हमें वह करना है। दूसरा मार्ग है, संपत्ति-दान।

जहां हमें चीज की एजेन्सी खड़ी करनी है, वहां वह शुद्ध होनी चाहिए। 'तुकाराम' के हाथ में दूकान खोली तो खतरा है और हीशियार को खोले तो भी खतरा है। इसलिए हमें ऐसा तुकाराम ढूँढना चाहिए, जो भगवत्-भक्ति भी रखता हो। व्यवहार-कुशल भी हो।

एक-एक जमाना होता है। श्रावस्ती में बुद्ध भगवान् के लिए मोहरे बिछा कर जमीन लेनी पड़ी और वही पर मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को सौ एकड़ जमीन मिली। आज का जमाना कौरव-पाण्डवों का जमाना नहीं है। वे बड़े थे, पर भीष्म, द्रोण भी जवाब नहीं दे सके कि द्रौपदी पर किसका हक है। आज तो कोई बच्चा भी यह बताना देगा कि आज जमाना बदला है। नदी के प्रवाह के साथ हम तैरते हैं तो अपनी ही ताकत से नहीं तैरते, बल्कि प्रवाह की ताकत से भी तैरते हैं। आज काल-प्रवाह हमारे अनुकूल है। सत की बात प्रवाह के अनुकूल होती है तभी लोग उसे मानते हैं, नहीं तो सिर्फ मुनते हैं। हम गरीबों से इसलिए जमीन लेते हैं कि हमें सेना तैयार करनी है। उस सेना को बिना लड़े ही यश मिलेगा। "हुकारेणैव धनुष" — 'धनुष के हुकार से ही' शत्रु खत्म हो जायेंगे। तीर छोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी।

गंगा से यमुना छोटी तो होती है, पर वह गंगा में मिलती है। वैसे ही आज संपत्ति-दान-यज्ञ यमुना है। पैसा उत्पादन का अनिवार्य साधन नहीं है, जैसे जमीन है। पैसा तो मोहमय साधन है। पैसे की कोईकीमत नहीं है।

वह तो नामिक के प्रेम में पैदा होता है। लेकिन जमीन को कोई प्रेम नहीं पैदा करता है। इसलिए पैसे की तुलना हम जमीन से नहीं कर सकते। पैसे वाले का पैसा हम बेकार साबित कर सकते हैं। जमीन के हिमाव में सम्पत्ति बहुत गीण है। जमीन बुनियादी है। यही सोच करके हमने जमीन का ममला हाथ में लिया। सम्पत्ति-दान-यज्ञ पर मैं इस समय इसलिए जोर नहीं दे रहा हूँ कि वह ऐसा पीधा है, जो जल्दी उगेगा तो जल्दी सूख भी जायगा। एक कम्प्यूनिस्ट ने टीका की थी कि बाबा को न जमीन चाहिए, न सम्पत्ति, उन्हें तो कागज़, वचन-पत्र चाहिए। यह टीका सही है। हम लोग जहाँ सम्पत्ति-दान का सोचते हैं, वहाँ हमारी नजर सबसे पहले कुबेर की तरफ जाती है। बीच की मीढिया हम भूल जाते हैं। हमें तो सबसे लेना है। कोई भी धर्म-कार्य सिर्फ कुछ व्यक्तियों को ही नहीं लागू होता है। धर्म-कार्य तो सबके लिए होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सम्पत्ति-दान देगा, वह पक्का रहेगा।

दक्षिण भारत के कार्यकर्त्ताओं से

आज आपने सुना है कि गया में अडतालीस हजार एकड़ जमीन मिली और साठे तीस हजार लोगों ने दान दिया। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल छोटे-छोटे लोगों के पास कार्यकर्त्ता पहुँचे हैं और फिर भी वे कार्यकर्त्ता गया के एक-चीथार्ड गावों में भी न जा सकें हैं। तीन-चीथार्ड गावों तक अभी पहुँचना ही है। गया में तीन लाख मिले तो कहना होगा कि वहाँ पर बिना कानून के भूमि का बटवारा हुआ। इसीलिए जयप्रकाशजी ने कहा कि यह क्रान्ति का आन्दोलन है। जयप्रकाशजी ने कहा कि अगर हम गया में यह काम कर सकें तो फिर हिंदुस्तान के दूसरे सब जिलों में यह काम हो सकता है। फिर तो सिर्फ काम करने की ही बात रही।

हमारा राज हमारे हाथ में

पाच पाण्डव एक थे, इसलिए उनकी जीत हुई। तेलगाना में हमने भूदान की जो समिति बनाई, उसमें एकाध काम नहीं करता है, तो एकाध असन्तुष्ट है। उधर कोई शिकायत करता है, तो एकाध ही बटवारे

का काम करता है और एकाध प्राप्ति का। इसी तरह होगा, तो क्या हम रचनात्मक काम करनेवाले दुनिया में टिकनेवाले हैं ? मैं प्रोपैगण्डिस्ट (पेगेवर प्रचारक) नहीं हूँ। मैंने रचनात्मक काम में ही जिन्दगी बिताई है, इसलिए मैं उसकी कीमत जानता हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ कि आज मेहरवानी करके वे सारे काम एक साल के लिए मुन्तवी रखो। फिर आगे आपको पेट भर समय मिलेगा, रचनात्मक काम करने के लिए हमें गाव-के-गाव मिल रहे हैं। अब वहाँ पर सब काम करना होगा। अगर हम लोगों में यह वायदा करेंगे कि साग गाव दे दो तो वहाँ हम रचनात्मक काम भी करेंगे। तब कई गाव मिलेंगे और फिर रचनात्मक काम करने का बहुत मौका भी मिलेगा। परन्तु आज इस भूदान के काम में आप सब लोग एक ही समय जोर लगायेंगे तो यह काम होगा। यह मैं भूदान-यज्ञ के हित में ही नहीं कहता हूँ, बल्कि सारे रचनात्मक कामों के हित में कहता हूँ कि काम के टुकड़े-टुकड़े मत होने दो। अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, परन्तु उनको जहाँ तक हो सके, कम करके अपनी सारी शक्ति और बुद्धि भूदान में लगाओ। तभी यह पहाड़ उठेगा और फिर हम इस गोवर्धन की छाया में सारे काम कर सकेंगे। फिर तो राज ही हमारा होगा।

आसक्ति छोड़िये

तेलगाना में क्या हुआ ? हम गये तो काम हुआ, उसके बाद फिर से बन्द ! फिर शकरराव गये, तो काम हुआ और फिर से बन्द ! यह देखकर आश्चर्य होता है कि हमारी जो बुद्धिहीनता है, वह कितनी गहरी है और सार्वजनिक मस्यारों की हममें कितनी आसक्ति है। मैं कहता हूँ कि और सब काम छोड़ कर इस काम में आओ। जैसे ममुद्र-स्नान से सब नदियों के स्नान का पुण्य मिलता है, वैसे ही भूदान के काम में सब काम होनेवाला है। इसलिए आप सब इसमें आवें। आखिर मनुष्य सब छोड़कर चला ही तो जाता है, और बिना नोटिस के चला जाता है, बेजिम्मेदारी के साथ चला जाता है। इसलिए हममें वह शक्ति होनी चाहिए कि जब एक काम के लिए दूसरा काम छोड़ना

होता है, तब उसे छोड़ मके। इसी को त्याग कहते हैं। परित्याग की यह शक्ति हममें होनी चाहिए, अन्यथा आमक्ति रहेगी। आखिर आप क्या काम करते हैं ? जहाँ काम करते हों, वहाँ दस-पंद्रह चरखे चलते होंगे, दो-चार गज कपड़ा बनता होगा, दस-पाच गाये अच्छी होती होंगी और दो-चार पेड़ बढ़ते होंगे। इसमें क्या फायदा होनेवाला है ? ये सब बेकार की बातें हैं। इसमें तो कुछ न करना ही अच्छा है। वहाँ बैठकर आप मृत कानते हों, तो किस घर में आप हैं, इसका चिड़िया तक को पता नहीं होता है। इस तरह कैसे चलेगा ? गांधीजी के बाद पाच साल में हमने कुल मिलाकर क्या किया ? जरा सोचो तो ? कुछ है सतोप आपके दिल को ?

कांग्रेस में आज जन-शक्ति नहीं है। ईर्ष्या भी है और बोगस मेम्बर-शिप भी चलती है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे आवें तो स्व-तंत्र मार्ग अपनाओ। आज तो किसी को अपने रचनात्मक काम की आमक्ति, किसी को कांग्रेस की आसक्ति, किसी को गाय की आमक्ति और किसी को बैल की आमक्ति है। और उस गाय-बैल के काम को भी ये लोग सार्वजनिक काम कहते हैं। इस तरह बुद्धि की जो जड़ता है, उसको छोड़ना होगा।

दूसरी एक बात है। आप चाहते हैं कि कोई बड़ा नेता आयेगा, तभी काम होगा। ऐसी इच्छा मेढकों को भी एक बार हुई थी। उन्होंने परमेश्वर में कहा कि हमें राजा चाहिए। फिर परमेश्वर ने एक पत्थर फेंका, जिसके नीचे दबकर मारे मर गये। इसलिए आप लोग नेता की जो माग करते हैं, उसमें कोई सार नहीं है। यह नया-नया काम है, इसलिए नये लोग चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद इस काम को मिला है, यही बम है। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया है और उसमें कांग्रेस का आशीर्वाद मिला है, यही काफ़ी है। आपिर नेता क्या है ? जो काम करता है, वही आगे चलकर नेता बनता है। कोई जन्म में तो नेता नहीं होता है। इसलिए हम सब छोटे हैं, ऐसा म्याल छोड़ दो। सम्मिलित होकर काम करो। धीरे-धीरे बल बढ़ेगा तो फिर मारी दुनिया मदद में आयगी। यह दुनिया ऐसी है कि जिसमें निर्बल की कोई मदद नहीं करता, इसलिए पहले बल बढ़ाओ।

कुछ लोग तो मेरी ही आशा करते हैं। कहते हैं कि विनोबा के आने पर काम होगा। लेकिन अब तो हम बिहार में गिरफ्तार हो गये हैं। हमारा काम करने का एक ढग है। पहले व्यापक प्रचार करना था, इसलिए डधर-उधर घूम लिया और कहीं दस हजार और बीस हजार, ऐसी जमीन प्राप्त करते हुए तीन-चार लाख एकड़ जमीन प्राप्त की। उससे हवा फैल गई, लेकिन अगर आज मैं उसी तरह काम करता चला जाऊँ तो पाच-छ साल लगेगे और उसमें भी कुल पंद्रह-बीस लाख एकड़ जमीन ही मिलेगी। पर आखिर इतने से क्या होगा? हमें तो पाच करोड़ एकड़ हासिल करना है। उसमें कम अब मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन कहीं पर गहरा भी जाना पड़ता है, इसलिए मैंने बिहार चुना है, और बिहार में भी गया जिला चुना है।

मैंने आपको तीन बातें बताईं — १ आप अपना पूरा समय भूदान में दे दो। २ नेता की आशा मत करो। ३ मैं यहाँ जो बिहार में अधिक समय रहने वाला हूँ, उसमें आप कुछ भी खोते नहीं, बल्कि बहुत पाते हैं।

(प्रश्न बिहार राज्य का मामला हल होने पर भी बाकी राज्यों का काम तो बाकी ही रहेगा। तब उसके लिए क्या करना होगा?)

यह हालत असह्य

बिहार राज्य का मामला हल होने पर भी दूसरे राज्यों के लोग चुप बैठेंगे, यह मोक्षना ही गलत है। या तो वहाँ की सरकार कानून करेगी, नहीं तो कार्यकर्ता लोग काम करेंगे और नहीं तो वहाँ के लोग बलवा करेंगे। वहाँ रक्त-रजित राज्य-क्रान्ति होगी। अगर वैसी क्रान्ति हुई तो मैं उससे खुशी ही होऊँगा। आज की हालत असह्य हुई, और इसलिए वहाँ क्रान्ति हुई तो उसे रोकने वाला मैं कौन हूँ। आज की हालत में किसी भी हालत में सहन करने को तैयार नहीं हूँ।

दुनिया की आज की हालत ऐसी है कि दुनिया के किसी एक कोने में भी कुछ हुआ तो दुनिया भर में वह बात फैलती है। जहाँ काश्मीर का राजा खत्म हुआ, वहाँ सब राजाओं की गद्दी हिलने लगती है। जहाँ आन्ध्र

स्टेट बना, वहा सारे देश पर उमका असर होगा। अब पुराने जमाने के जैसी हालत नहीं रही। अब तो एक का असर दूसरे पर हुए बगैर नहीं रहेगा और अगर हमारी यहा की सेना को यश मिला तो फिर वही सेना बाहर जायगी। वह तो ऐसी सेना होगी, जिसे विजय मिलेगी ही।

इसलिए आप लोग प्रान्त भर मे सर्वसामान्य वातावरण तैयार करो। फिर 'स्ट्रेटिजिक प्वाइन्ट' का सवाल आता है। वैमा प्वाइन्ट चुनकर लोगो ने जहा उसपर हमला किया कि सारा प्रान्त हिलेगा, वैमे ही मैने गया चुना है। गया बुद्ध भगवान् की भूमि है। वहा सारे हिन्दुस्तान के लोग श्राद्ध करने के लिए आते हैं। फिर वहा कांग्रेस के अलावा समाज-वादियों की भी कुछ ताकत है और वह बिहार का बीच का जिला है। इसलिए मैने गया चुना है।

गांधी की सूर्य-शक्ति

तामिलनाड के लोग क्या कम पराक्रमी हैं ? उनके पास तो दो हजार साल का साहित्य पडा है। उनको सिखाने लायक हमारे पास कुछ भी नहीं है। उनके बड़े-बड़े चार साम्राज्य चले। अशोक की सारे हिन्दुस्तान पर सत्ता थी, परतु वह उनपर नहीं चली। वे आज बहुत कर सकते हैं। परतु उसके लिए सस्था को फेरने की, तोडने की शक्ति चाहिए। गांधीजी मे वह शक्ति थी। वे बड़ी-बड़ी सस्थाए सडी करते थे और तोड देते थे। सावरमती-आश्रम खडा किया, गांधी-सेवा-सघ जैसी बड़ी सस्था खडी की, लेकिन एक क्षण मे सब तोड डाला और वहा के सब आश्रमवासी बाहर काम के लिए निकले। गांधी-सेवा-सघ तो इतनी बडी सस्था बनी कि लोगो का यह ख्याल हुआ कि वह कांग्रेस से स्पर्धा करने लगी है। पर उन्होंने वह भी खत्म की। वर्धा छोडकर वे जब गये तो हमेशा के लिए गये। अगर वे रहते तो भी वहा वापस नहीं आने वाले थे।

वेदो मे सूर्य की महिमा बतलाई है। सारी किरण फैली होने पर भी

वह एक क्षण में मन्त्रको खींच लेता है। खींचने की यह कितनी महान् शक्ति उममें है। ऐसी ही गविन गाधीजी में थी। वारडोली का महान् आन्दोलन एक क्षण में उन्होंने बन्द किया। तब मारे हिन्दुस्तान भर में उसपर टीका हुई, पर उन्होंने उमकी परवाह नहीं की।

अगर पेड़ लगाया तो पेड़ को पानी देने के लिए क्या हमको पेड़ बनना चाहिए? अगर हम उमके लिए स्थिर बनना पड़ता है, और इस तरह हम आसक्त बनते हैं, तो कौन काम होगा? आज तो सस्या बनी, तो इसका मतलब होता है कि हम 'फनीले' बने। इस काम में अधिक समय देना जरूरी है, इस तरह क्या तील कर चलते हो? एक क्षण में मस्याओं को फेंक दो। सारा राज्य आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा, तो सारी सस्याएं आपकी बनी हैं। जब मारी स्टेट हमारे रंग की होगी तो घर-घर चरखे चलेंगे। आज भी हमारे ही भाई वहा पर बैठे हैं, जिनके हाथ में सरकार है, परन्तु हमारे विचार के मुताबिक काम करना उनसे नहीं होता है। वे चरखे को कुछ उत्तेजन तो देते हैं, पर मिले बन्द नहीं कर सकते।

राजाजी ने वुनकरो के लिए जो माग की थी वह शासन के दृष्टिकोण से की थी, लेकिन उमके लिए भी उनको कितना लड़ना पडा? उन्होंने पहले कंट्रोल उठाया। उमने लोगो में कुछ विश्वास उत्पन्न हुआ। मद्रास में दूसरी महत्व की जमान वुनकरो की है। वहा पर दस में से एक वुनकर है। उनको काम नहीं मिल रहा है, इसलिए राजाजी ने वह बात उठाई। एक वार उन्होंने कहा था कि अगर मेरा जीवन-चरित्र लिखना है, तो इतना ही लिखो कि इमने कंट्रोल उठाया। यह राज-कारोवार चलाने की कुशलता है। वहा पर राजाजी के कारण वुनकरो का कुछ बना। परन्तु सरकार इससे अधिक नहीं कर सकती है। लेकिन आपको तो सारा हिन्दुस्तान खादीमय बनाना है। आप चाहते हैं कि कोई भी भगी न हो, सब लोग भगी का काम करे, देग में मेना न हो तो। यह मारा करने के लिए जन-शक्ति चाहिए।

गाधी-निधि पर निर्भरता न हो

गाधीजी के नाम पर एक फट डकट्टा किया गया। वह एक प्रकार से

गांधीजी की श्राद्धनिधि है और शास्त्रों ने कहा है कि श्राद्धान्न मत खाओ। तो क्या उसी निधि के आधार पर हम अपनी सस्थाए खड़ी करें? हम सरकार का ही पैसा लेकर अपशकुन करना नहीं चाहते। कम्युनिटी प्रोजेक्ट में अमेरिका से मदद लेकर अपशकुन किया है। और मदद ली भी तो कितनी? बीस प्रतिशत। मैंने कहा, इससे तो बेहतर यह होता कि बीस प्रतिशत प्रोजेक्ट ही कम कर देते। मदद लो, पर देहान के काम के लिए नहीं लेनी चाहिए। मेहमान को हम बाहर बिठाते हैं, रमोई-घर में नहीं ले जाते हैं। हैदराबाद में इस काम का आरम्भ ही था, इसलिए मैंने सरकार से मदद ली। परन्तु उत्तर प्रदेश में सरकार में मदद नहीं मागी। गांधी-निधि से मदद मागने का हमें हर हालत में हक है, क्योंकि वह पैसा वहा पडा ही है। परन्तु वह पैसा न मिले तो भी हमारा काम चलेगा, इस दृष्टि से मैंने उत्तर प्रदेश में मुआवजे का भी दान मागा। अगर बटवारे के लिए कहीं से भी पैसा नहीं आया तो इस मुआवजे के पैसे में हम बटवारा करेंगे, ऐसी योजना मैंने कर रखी थी, जिससे कि बाहर से कुछ भी मदद न मिले, तो भी हम अपने पैरों पर खड़े रह सकें। उसके बाद मावलकरजी का मेरे पाम पत्र आया और मैंने जवाब दिया कि भूदान में मदद देना गांधी-निधि के लिए शोभादायक है, इसमें उमकी इज्जत बढ़ती है। फिर उन्होंने पैसा मजूर किया। पर हम गांधी-निधि के आधार पर ही अपनी सस्थाए चलाते हैं तो वे सस्थाए निर्जीव बनती हैं।

तेलंगाना का कार्य

तेलंगाना के लिए मैं कहता हूँ कि आज मैं वहा जाऊँ तो एक महीने में एक लाख एकड़ ला सकूँगा। वहा वातावरण बिल्कुल तैयार है। एक माधारण रमोई बनानेवाली स्त्री को भी अक्ल है कि रोटी बनानी है तो चूहा गरम किये रखे। लेकिन यह अक्ल तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को नहीं है। हमने वहा चूहा गरम किया था, पर उन्होंने ठटा करके रखा है। काम में मातल्य चाहिए। महादेव पर बृद-बृद अभिप्रेक होता है, तभी महादेव प्रसन्न होते

है। मतन धारा चाहिए। एक लोटा पानी उसपर फेक दिया, और फिर चले, तो इममे महादेव प्रमन्न होनेवाले नहीं हैं।

भाषावार प्रान्त-रचना पाच मिनट में

नोचे वालो ने और ऊपर वालो ने भाषावार प्रान्त-रचना का यह मसला नाहक जटिल बना दिया है। यह तो मादा-सा मसला है। लेकिन जैसे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान को मीमाए बनाने में कमीशन बैठे, वैसे इममे भी होना चाहिए, ऐसा ये लोग कहते हैं। कर्नाटक वाले कहते हैं कि कावेरी से गोदावरी तक का प्रदेश हमें चाहिए, यानी पास के दोनो प्रांतों में वे अपना पैर डालना चाहते हैं। इन्ही तरह आंध्र वाले भी वस्तर से लेकर मद्रास तक चाहते हैं। तमिलवाले कहते हैं कि व्यंकटगिरि से कन्याकुमारी तक का प्रदेश हमें चाहिए। लेकिन आपकी भाषा बोलनेवाले दस-पाच हजार लोग दूसरी भाषा के प्रांत में गये तो क्या बिगड़ेगा? अगर आप मुझे अधिकार दे तो मैं पाच मिनट में भाषावार प्रांत-रचना कर दूंगा। आपमें कोई भारतीय भावना भी मौजूद है? अगर आप एक केन्द्र को कबूल करते हैं तो नाहक झगड़े क्यों करते हो? ऐसे झगड़ों में मैं नहीं साथ दूंगा। एक भाषा बोलने वाला जिला या तालुका यूनिट मान कर प्रांत बनाने के लिए आप तैयार हैं, तो काम जल्दी हो सकता है। बम्बई-मद्रास के लिए भी झगड़े हो रहे हैं। हम भाषावार झगड़ों को नहीं मानते हैं, परंतु प्रांत बनने में भाषा एक होनी चाहिए और जनता की भाषा में सरकार का काम चलना चाहिए, इस उसूल को हम मानते हैं। मद्रास-बम्बई जैसे के लिए तो मैं कहूंगा कि 'टाँस' करके मसला तय करो। क्या आपका प्रांत बन जाने के बाद भी आपके लोग प्रांत के बाहर नहीं जायेंगे? मारा हिन्दुस्तान आपका है। आप बाहर जाने वाले हैं और बाहर के लोग आपके प्रांत में आनेवाले हैं।

मेरा आपको यही सदेश है कि हिम्मत करके सारी सस्थाएँ तोड़ डालो।

उदय की मंगल वेला

मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया को तो क्या, हिंदुस्तान का भी दर्शन हमें ठीक नहीं हुआ है, और इसलिए जो छोटे-छोटे काम हम करते हैं, वे निस्तेज बनते हैं। इसलिए नहीं कि वे छोटे-छोटे हैं, बल्कि इसलिए कि जमाने की पहचान उनमें नहीं होती। एक कालपुरुष भी होता है और उसके अनुसार युग-धर्म होता है। नित्यधर्म के साथ जब युग-धर्म जोड़ दिया जाता है, तो दोनों मिलकर ही पूर्ण साधन बनता है। अगर हम एक छोटी-सी चीज हिंदुस्तान भर में फैला दें तो उसमें से महान शक्ति का निर्माण हो सकता है। पर वावजूद इसके कि हम नहीं चाहते, अलग-अलग दिशाओं में प्रयत्न हो रहे हैं। यदि हम अपनी प्रवृत्तियों की गिनती करने जाय तो अपार गिनती होती है और हर एक के लिए हम योजना तो अखिल भारतीय ही बनाते हैं। जितना सारे हिंदुस्तान में हुआ है, उतना किसी एक जिले में हुआ होता तो अच्छा आरंभ हुआ है, ऐसा मैं कह सकता था।

गलत काम करना जैसे एक दोष होता है, वैसे ही समय पर ठीक काम न करना भी एक बड़ा दोष होता है और दिशा समझे बगैर काम करना तो व्यर्थ ही होता है।

भूदान में गया जिले में ४०-४५ हजार एकड़ जमीन तो हो ही गई है। उन्होंने एक लाख का सकल्प किया था। वह मियाद में पूरा नहीं हुआ। फिर भी उमें वे पूरा करेंगे, इसमें सदेह नहीं। और यह उम्मीद भी मैं उम जिले में करता हूँ कि वह भूमि के मामले को हल करने की राह मंत्रों दिखायेगा। जहाँ इतनी जागृति हो, वहाँ हम यह नहीं कह सकते कि कार्यकर्ता और लोग काम के लिए प्रेरित या प्रवृत्त नहीं किये जा सकते, पर कर्तार्थ-

मडल तो वहा कुल तीन ही है। भूमि-दान का काम वहा होता है और कताई-मडल का नहीं होता। यह सोचने की बहुत जरूरत है कि हम जो भी काम करे, वह सब मिलकर करे, सबकी शक्ति उसमें लगा करके करे। हम इस बात के महत्व को समझे।

समग्र दृष्टि का अभाव

पिछले पाच-छ मालो में हमने 'समग्र दृष्टि' शब्द का इस्तेमाल तो बहुत किया, लेकिन काम टुकड़ो-टुकड़ो में ही हो रहा है। शक्ति हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, यह तो हम जानते हैं, फिर भी जो शक्ति है, उसे हम एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। पहाड़ पर जो पानी गिरता है, वह चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन अगर वह एकाग्र हो जाय तो उसमें से नदी पैदा हो जाती है और यदि बहुत भी हो, पर एकाग्र न हो, तो उसकी नदी नहीं बनती। छोटे-छोटे नाले उसमें से बहते हैं, जो आगे जाकर सूख भी जाते हैं। नदी का दर्शन उसमें नहीं होता। यह बुनियादी बात मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे मन में आया कि पहले 'सर्व-सेवा-सघ' पूरा बनना चाहिए था, वह नहीं बन सका। यानी उसका जो स्वरूप मेरे मन में था, वह हम नहीं बना सके। वैसे ही ग्रामोद्योग की हालत है। मगनवाडी (वर्धा) में उनका काम चलता है, पर वर्धा शहर में या आसपास उसका दर्शन नहीं होता। एकाग्र प्रान्त में कहीं एकाग्र दूकान चल रही होगी।

श्री रामेश्वरी नेहरू ने मुझे लिखा था कि वे सर्व-सेवा-सघ से क्यों न हट जाये? कारण यह था कि वे ग्रामोद्योग की चीजे इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं और सघ में प्रस्ताव तो ग्रामोद्योग के व्यवहार का हुआ है। मैंने उन्हें समझाया कि दिल्ली में इस तरह के विचार को माननेवाले तो कई लोग हैं, हजार-पाच सौ तो होंगे ही। क्या उनकी दृष्टि से ऐसा इतना बड़ा काम वहा नहीं हो सकता कि हाथ के चावल, गक्कर आदि वही मिलें? उन्हें लगा कि हा, ऐसा हो सकता है। दिल्ली में तो अखिल भारत से आये हुए लोग रहते हैं। उनमें बहुत सारे विचारक भी हैं। किन्तु ग्रामोद्योग का कोई दर्शन वहा नहीं है। हम यह कहें कि सिर्फ शहरों में ही ग्रामोद्योगों का दर्शन नहीं है और ग्रामो

मे वह है, सो भी बात नहीं है। लेकिन मिसाल में गहरो की दे रहा हू। कलकत्ते में भी इस विचार के हजार-पाच मी लोग तो होंगे ही। वे इसका इनजाम कर सकते हैं, पर नहीं करते। ऐसे काम चल रहा है। उमकी जड में जो दोष है वह यही कि हम अलग-अलग योजनाए बनाते हैं, अलग-अलग शक्ति लगाते हैं।

शक्ति-क्षीणता का सामान

सारे कामों को मिलाने की बात जब आती है तब हमारे कार्यकर्त्ताओं के मन में लाभ और हानि का विचार पैदा होता है। कई लोगों ने मुझमें इसकी चर्चा की। अलग-अलग काम करने से हर एक काम ज्यादा अच्छी तरह होगा और सब कामों को मिला देने से सभी काम थोड़े-थोड़े होंगे, किमी काम की विशेष प्रगति नहीं होगी, इस तरह नफा-नुकसान का हिमाव वे लगाते हैं। फिर भी मेरे मन में आता है कि यह सारा नफा-नुकसान गौण हो जाता है, जबकि हम देखते हैं कि हमारा समाज 'विकेंद्रित' नहीं, बल्कि 'विकीर्ण' है। 'विकेंद्रित' होना तो मैं अच्छा मानता हू, उसमें स्वतंत्र वृद्धि सब जगह लगेगी। पर हमारा काम तो 'विकीर्ण' है, 'विकेंद्रित' नहीं। कई बार मैंने देखा है कि एक काम में जब हम हार जाते हैं तो दूसरा उठाते हैं। कई बार यह जानते हुए कि फलाना काम हमसे नहीं होगा, केवल इसी विचार से उममें लगे रहते हैं कि अब तो अपना जीवन हमने उसमें दे दिया, तो हम पीछे कदम उठानेवाले नहीं हैं। यश की निश्चितता न होते हुए भी केवल अपना जन्म (जीवन) उस काम में दे दिया इसलिए उसे नहीं छोड़ते। जीवन तो दे दिया होता है, लेकिन काम में विश्वास नहीं होता। इसका नतीजा उत्तरोत्तर निराशा में होता है, ताकत या उत्साह की वृद्धि में नहीं होता।

जनता के मन की बात

देश में नई-नई ताकतें पैदा हो रही हैं। इतना होने पर भी मैंने अनुभव किया कि ये चारे लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन सर्वोदय-विचार की इज्जत करते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है। हमने उनकी श्रद्धा के लायक बहुत काम

किया हो, ऐसी बात नहीं है। इसपर भी वे बेचारे हमारे विचार में श्रद्धा रखते हैं। यह चीज उन्हें जचती है। मैं मानता हूँ कि उन्हें इस बात का सहज भान है कि यह विचार उनके लिए बहुत अनुकूल है, इसीलिए उनका स्वाभाविक आकर्षण इस ओर है। वैसे ही इस विचार के मुनने में लोग कितने मत्तुष्ट होते हैं, यह भी मैंने देखा। जैसे चंद्रमा के दर्शन से ममूद्र प्रसन्न होता है, वैसे जनता इस विचार में प्रसन्न होती है। विहार में इसका प्रत्यक्ष रूप मैंने देखा।

कार्यकर्त्ताओ की भ्रातमति

विहार में मुझे एक विशेष दर्शन भी हुआ है। मेरी मीटिंगों में विचार मुनने के लिए वीन-वीन, पचीन-पचीन हजार लोग आते थे। पर दान मिलता था कभी पचास एकड, कभी साँ एकड। तो मैंने सोचा कि इसका कारण क्या है? इसलिए मैंने गया में बुद्ध भगवान् का नाम लेकर एक लाख एकड का सकल्प कर लिया और दामोदर को वहाँ छोड़ दिया। अनुभव पर से मुझे विश्वास था कि अगर हम अपना विशेष मनुष्य वहाँ न रखें, तो वावजूद इसके कि जनता इसे चाहती है, काम आगे बढ़ेगा नहीं। नतीजा यह है कि काम हो रहा है। काम तो वहाँ के लोग ही करते हैं, पर उनको प्रेरणा देने वाला, जगानेवाला मनुष्य उनके पास पड़ा है। इसलिए लोग काम में बराबर लगे हैं। तो जनता बिलकुल तैयार बैठी है और कार्यकर्त्ता भी हैं, परंतु उनकी मति भ्रात है। और यह भी उनके ध्यान में नहीं आ रहा है कि दूरदृष्टि से जनशक्ति निर्माण करने में हमें लग जाना चाहिए। गीता में लिखा है कि 'एकस्मिन् कार्ये नक्तम्' (एक ही फुटकर काम में आसक्त हो जाता है।) 'सर्व-मेवा-मघ' के पाम जितने रचनात्मक कार्यकर्त्ता हैं, उतने और कही नहीं हैं, लेकिन उनमें हर एक छोटे-छोटे काम की आसक्ति पैदा हो जाती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि 'हम चरखे का काम करें या अकाल-निवारण का? या इसी तरह का दूसरा काम करें? पर आप मुझसे पूछिये तो मैं तो यही कहूँगा कि 'मेरे मुत्र रामनाम, दूसरो न कोई।' मुझे दूसरे नाम लेने ही

नहीं है। इस नाम में दूसरे नाम आ जाते हैं, तो आ जाते हैं और अगर नहीं आते तो दूसरे नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है।

सर्वोदय-समाज से जनता की अपेक्षा

मुझे यह विश्वास हो गया है कि अगर हम अपने कामों को समग्र दृष्टि से करें तो उन कामों के लिए प्रतिकूल परिस्थिति हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं है। यह बात मैं अनुभव में निश्चयपूर्वक कहता हूँ, वल्कि मैं तो यह भी कहता हूँ कि सर्वोदय-समाज में लोगों की जो अपेक्षा दिन-ब-दिन बढ़ रही है, उसमें कोई घटाव नहीं है। वापू के जाने के बाद १९४८ में फौरन यह शब्द चला। तब सर्वोदय से लोगों को जितनी आशा थी, उतनी आज कम नहीं, ज्यादा ही है, ऐसा मेरा अनुभव है। कुछ भोले लोग तो यहाँ तक मानने वाले हैं कि अगर कुछ काम होगा तो इसी कार्यक्रम से होगा। उसका नतीजा यह है कि दूसरे लोग जो कुछ जन-सेवा करना चाहते हैं, और उसे बढ़ावा देना चाहते हैं वे भी सर्वोदय का नाम ले लेते हैं। कम-से-कम सर्वोदय से उनका विरोध नहीं है, यह तो वे बतलाते ही हैं। यह मत्र उनको इसलिए करना पड़ता है कि जनता में सर्वोदय के लिए श्रद्धा है, आशा है। जिस शब्द के लिए इतनी श्रद्धा है, उसका अनुष्ठान हम श्रद्धा और आशा से करें और ठीक-ठीक ढंग से तथा निष्ठापूर्वक करें तो काम क्यों नहीं होगा ?

हमारा काम अगर छोटा है, तो भी अगर वह शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल रहा तो शक्तिशाली होगा, अन्यथा नाममात्र की सख्या बढ़ती है और काम कुछ नहीं होता। इसलिए हमें जो भी काम करना हो वह सर्वोदय और समग्रता का सामने रखकर करना चाहिए और उसके दोषों को दूर करना चाहिए। ये दोष छोटे कार्यकर्त्ताओं के नहीं हैं, वल्कि हम लोगों के हैं जो कि सचालक माने जाते हैं। हम लोग इतने विकीर्ण हैं कि एक-दूसरे के काम की जानकारी भी हमें नहीं है। एक-दूसरे के साथ हमारा कोई सम्पर्क नहीं होता। जहाँ जानकारी भी नहीं वहाँ एक-दूसरे के काम में लाभ उठाने का सवाल ही नहीं उठता। यह विकीर्णता हमारे काम को क्षीण कर रही है और हममें जो

शक्ति है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हमें नहीं आता ।

‘दर्शन’ के बिना ‘प्रदर्शन’

जनता मानती है कि हमपर उसका बहुत हक है । हमपर माँगें बहुत हैं । कोई हमें बुलाता है भारत सेवक समाज में, कोई कम्प्यूनिटी प्रोजेक्ट में । कोई कहीं बुलाता है, कोई कहीं बुलाता है । हैदराबाद में कांग्रेस ने हमें बुलाया, ग्रामोद्योग-प्रदर्शनी के लिए । वह बुलाती है तो कुछ तो श्रद्धा भी रखती है और कुछ शोभा के लिए भी बुलाती है, लेकिन प्रदर्शनी से शोभा मात्र होती है । उसमें ताकत भी हमारी काफी लगती है । हमें यह आशा होती है कि उससे हमारा काम आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारा काम प्रदर्शनी से नहीं बढ़ेगा, बल्कि ‘दर्शन’ से बढ़ेगा जो हममें नहीं है । वह दर्शन अगर हमें हो जाय और उसको ध्यान में रखकर हम अपना काम करें तो सारी चीजें एक-दूसरे के नाथ जुड़ जाती हैं । देश में कई तरह के केन्द्र हैं—तालीमी-सभ के केन्द्र हैं, कस्तूरबा वाली के कुछ केन्द्र हैं, खादी-समिति के कुछ केन्द्र हैं और फिर कुछ सरकारी केन्द्र हैं और कुछ गैर-सरकारी के भी हैं । ये सब अलग-अलग केन्द्र क्यों हैं, समझ में नहीं आता । हमें इस विचार के मूल में जाना चाहिए, इसका सशोभन करना चाहिए और ‘सर्व-सेवा-सभ’ को एकरस बनाना चाहिए । वही सारा दोष है । कई प्रकार की कमजोरियों के रूप में उसका दर्शन होता है । जड में अगर एकाग्रता रही, तो सारे काम ठीक ढंग में होंगे और छोटे-छोटे कार्यकर्त्ता शक्तिशाली सिद्ध होंगे ।

विचार-स्रोत सूख रहा है

ये छोटे-छोटे कार्यकर्त्ता बहुत बड़ी शक्ति प्रकट कर सकते हैं, यदि उन्हें एकाग्र मार्ग-दर्शन मिले । गांधीजी की लिखी हुई ‘गीताबोध’ या ‘अनासक्ति योग’ पुस्तक—मुझे ठीक याद नहीं है कौनसी—आध्र में अनुवादित हुई थी । उसका तेलुगु अनुवाद कोई बीस माल पहले निकला, पर तबसे अबतक उसका दूसरा मस्करण भी नहीं निकला है । इसपर से आप सोच सकते हैं कि वहाँ के कनाई-मडलो का काम कैसा होता होगा ? यह जो मूल

विचार है, उसकी यह हालत है। आद्य तो वेचारा पहले ही से विल्कुल जर्जर है। वहा अनेक पक्ष-विपक्ष है। सर्वोदय वालों के भी अनेक पय-उपपय चलते हैं। कोई किमी की नहीं सुनता। यह भी नहीं कि तेलुगु भाषा में पुस्तकें कम विक्रती हैं। वल्कि गौरवपूर्वक कहना चाहिए कि तेलुगु में जितना कम्प्यूनिस्ट साहित्य खपा है, उतना दूसरी किसी भाषा में नहीं खपा है। वह साहित्य स्त्रियों और बच्चों तक पहुँचा है। गाने भी उम भाषा में बने हैं। तो साहित्य लोग पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे साहित्य की यह दुर्दशा है। जहा विचार-स्रोत ही सूख रहा है, वहा बाहरी कामों से कितना जोर आ सकता है? हमारी इतनी मय्याए है, इतनी शक्ति है, यदि वे सब ठीक ढंग में काम करे तो बहुत काम होगा।

मैं नहीं जानता कि मुझे कबतक बिहार में रहना पड़ेगा, लेकिन यदि बिहार के कामों में एकरमता आई, तो भूमि के मसले के माय-माय बाकी की सारी चीजे प्रफुल्लित होगी। यह हालत सिर्फ बिहार की ही नहीं है। हिंदुस्तान के सभी सूबों की यही हालत है।

साधना का अवसर

जेक्सपीयर ने लिखा था—*There is a tide in the affairs of Man*—‘मनुष्य के जीवन में एक उन्नत क्षण आता है।’ यदि हम समय को पहचानेंगे तो कृतकार्य होंगे, नहीं तो गये-ब्रीते होंगे। हमारी साधना के लिए यह बहुत अच्छा मौका है। यदि आप सब योग देंगे तो परमेश्वर की कृपा से हिंदुस्तान का उदय शीघ्र होगा, ऐसे सब लक्षण हैं।

बिहार-राज्य-कताई-मण्डल-सम्मेलन
में भाषण ।

चाटिल, ४ मार्च '१९५३

लोक-शक्ति की आराधना

मैंने अपने व्याख्यानो में दो बातें बार-बार दुहराई हैं। एक यह कि गरीब लोग जो ममर्पण करने हैं, वह यज्ञ है और उससे वातावरण की शुद्धि होती है। इस काम की क्रान्तिकारी शक्ति उसमें से पैदा होती है। बहुत-से लोग इस बात को ममर्पण नहीं हैं। कम्यूनिस्ट भाई पूछते हैं कि आप गरीबों से दान क्यों ले लेते हैं ? वे कहते हैं कि “आप कम-से-कम गरीबों को तो मत लूटो।” मैं कहता हूँ कि ‘आप जिम तरह से सोचते हैं, वह वैज्ञानिक ढंग नहीं है। यह व्याकुल बुद्धि है। अगर आप वैज्ञानिक ढंग से सोचेंगे तो ध्यान में आयेगा कि गरीबों के यज्ञ में, उनके समर्पण में ही इस कार्य की मुख्य शक्ति है। लेकिन अहिंसा की रीति से आप यह काम करने की बात सोचेंगे तब यह चीज आपके ध्यान में आयेगी, नहीं तो नहीं आयेगी।”

दूसरी चीज है दान। दान का अर्थ है, अपने पास जो है उसका नविभाजन। इस प्रकार दान के देनेवाले का हृदय-परिवर्तन होता है। इसके लिए इन दोनों के अलावा तप की जरूरत होती है। तप करने की जिम्मेदारी कार्यकर्त्ताओं पर है। आप सारे जो यहाँ आये हैं, वे तपस्वी हैं और आपने तप का व्रत लिया है। यज्ञ, दान और तप के अलावा एक चौथी वस्तु भी है, जो मैंने खाम अपने लिए रख छोड़ी है। मेरे पास मेरी माल-कियत की कोई वस्तु नहीं है। इसलिए मेरे पास न तो यज्ञ की शक्ति है, न दान की। तप थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लेकिन अपनी मर्यादा में, क्योंकि शरीर कमजोर हो गया है। इसलिए मेरे पास सिर्फ जप ही रह जाता है। दो साल से मैंने लगातार जप चलाया है। सागर में दो साल पहले गांधी-जयंती के रोज, जब कि हमको सिर्फ बीस हजार एकड़ भूमि मिली थी,

उसी समय पाच करोड की माग मैंने देश के सामने रखी । कहा बीस हजार और कहा पाच करोड । पर मेरी ऐसी श्रद्धा थी कि सत्यवस्तु के जप से जो कार्य-शक्ति पैदा होती है, उसका नाप हम नहीं कर सकते । इसलिए पाच करोड की भापा का आरभ मैंने जप के तौर पर कर दिया ।

उत्तर प्रदेश मे जब मैंने प्रवेश किया तो वही भापा मेरी चली । उसी माग को बराबर दुहराता रहा हू । परतु जब उत्तर प्रदेश के लोग सकल्प करने लगे और दस लाख की बात निकली तो मैंने कहा, “हमारे लिए दस लाख कम है । हमारी माग तो एक करोड एकड की है । सकल्प एक करोड का करना होगा । लेकिन अभी तो पाच लाख का ही करो ।” एक तरफ से हम पाच लाख का सकल्प करे और दूसरी तरफ से एक करोड की माग मन मे रखें, ये दोनो बाते परस्पर-विरोधी नहीं है । हमारा रास्ता एक यश मे से दूसरे यश मे प्रवेश करने का होना चाहिए । अपयश में से यश की ओर जाने की बजाय छोटे यश में से बडे यश मे जाना, यह मार्ग विशेष श्रेयस्कर है ।

उत्तर प्रदेश का पराक्रम

प्रस्ताव और सकल्प मे फर्क है । हम प्रस्ताव करते है । प्रस्ताव हो जाता है । उसमे हम अपनी इच्छा प्रकट करते है । लेकिन सकल्प में मनुष्य कृतनिश्चय होता है । तो उत्तर प्रदेश में हमने पाच लाख का सकल्प किया । हमने उम्मीद यह रखी थी कि इस सम्मेलन से पहले पाच लाख पूरे हो जायगे और आज मुझे यह कहने मे खुशी होती है कि पौने पाच लाख पूरे हो गये है । पच्चीस हजार की कमी रह गई है । पर उसे वे पूरा करके रहेगे । जब मैंने उत्तर प्रदेश छोडा था तब तीन लाख दस हजार हो गये थे । अब छ महीने में डेढ लाख से भी ज्यादा जमीन ये लोग वहा हासिल कर मके । इसका अर्थ यह है कि वहा जो बद्धप्रतिज्ञ लोग थे, वे अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूले है । वे अपना काम करते रहे—बावजूद इसके कि कार्यकर्त्ताओं की सख्या बहुत कम थी प्रात के विस्तार और जनसख्या के मुताबले में । जनसख्या की दृष्टि मे वह एक देश होना है, प्रात काहे का ? लेकिन उन्होंने

बहुत जोरो से काम किया और बहुत तकलीफ उठाई। दस-चारह महीनो का मेरा उनका परिचय है। उनमे अधिक लगन वाले कार्यकर्ता पाने की अपेक्षा हम नहीं रख सकते। यह खुगी की बात है कि उन्होंने अपना सकल्प करीब-करीब पूरा कर लिया है।

महान् गद्द जब सहज मुख मे निकलते है, तो जीवन भी महान् हो जाता है। पर महान् गद्द जब दर्दस्ती मुह मे न निकले। यश देने-दिलाने वाला भगवान् पडा है। उसकी फिर करना हमारा काम नहीं है।

तप : लोक-शक्ति का स्रोत

यहा विहार मे जब हमने कदम रखा, तो सारा जमीन का मसला ही हल करने की भाषा गुरु कर दी। गया मे बुद्ध भगवान् के नाम से सकल्प किया और लोगो ने उसे बुद्ध भगवान् के नाम से उठा लिया। गया जिले का मसला हल करने के लिए तीन लाख एकड जमीन चाहिए। उसकी पहली किस्त के तौर पर मैंने एक लाख के कोटे की बात कही। उसी बात को मैं दुहराता गया। और उमे भी लोगो ने उत्साह के साथ उठा लिया। मैं तो आखिर आपका प्रतिनिधि हू। आपके मन की बात मैं बोलता हू। मैं जो बोलता हू, उसकी सिद्धि के लिए तप आपको करना पडेगा। अगर आप यह सोचे कि मेरे ही जप-तप से काम होगा, तो वह बात गलत है। और यदि हो भी गया तो भी वह निकम्मा होगा, क्योंकि उसमे मे लोक-शक्ति प्रकट नहीं होगी। और उसका होना एक चमत्कार माना जायगा। पर भगवान् की कृपा से वह चमत्कार होने वाला नहीं है। तो मेरा जप मेरे पास रहने दीजिए और तप में आप लग जाइये—काया-वाचा-मन से। मैं भगवान् मे प्रार्थना करता हू कि वह आपको तप की शक्ति दे।

नाता पार्टी का नहीं, व्यक्ति का

कांग्रेस वालो ने इस काम मे इतनी मदद दी और प्रजा-समाजवादियो ने इतनी मदद दी, इस तरह अनुभवो का वर्गीकरण और विश्लेषण करना

गलत है। हमें तो मानव-स्वभाव को देखना चाहिए, उसकी गहराई में जाना चाहिए। अगर हम गहराई में देखें तो मालूम होगा कि कांग्रेस वाले, प्रजा-समाजवादी, रचनात्मक सघों के कार्यकर्त्ता इत्यादि सबके बारे में करीब-करीब समान ही अनुभव आये हैं। जहाँ तक इस तरह के काम का ताल्लुक है, वर्गीकरण निकम्मा है। कुछ लोग इसे समझें हैं और कुछ नहीं समझें हैं। कुछ समझने पर भी मोहवश त्याग नहीं कर पाते हैं। हमें अपने मन में से वर्गीकरण की बात निकाल देनी चाहिए। यही विचार मन में रखना चाहिए कि जो काम करता है, वह व्यक्ति के नाते काम करता है। फिर चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। पार्टी काम करती है, यह मत कहो, बल्कि व्यक्ति काम करता है, ऐसा कहो। मैं सब लोगों को व्यक्ति के नाते देखता हूँ।

सर्वोदय-समाज की खूबी यह है कि उसमें सहज स्फूर्ति का महत्व है। हमारे पास ऐसा क्या अधिकार है? कहने का मतलब यह है कि हममें से हर एक अपने लिए मोचे। हम जितना समय इस काम को दे सके, उतने में अपनी पूरी ताकत लगावे। काम में मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद अपनी मर्यादा समझकर मतौर मानना चाहिए।

हमारा स्वधर्म

कभी हम अपने घर-गृहस्थी की फिक्र में रहते हैं और ज्यादा समय नहीं निकाल सकते। तो जितना समय निकाल सकते हैं, उतनी ही अपनी मर्यादा समझकर समाधान मान लेना चाहिए। घर के काम के अलावा और कोई सार्वजनिक काम हमें करने पड़ते हैं और उनके कारण हम अन्य काम नहीं कर सकते तो हमें पुराने काम के साथ नये काम का वजन करके तौलना चाहिए। लेकिन नये काम का तौल अधिक होता हो तो पुराने काम को छोड़ देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। धर्म के विषय में, जो धर्म श्रेष्ठ होता है, उसे लेना और कनिष्ठ देखकर छोड़ना, ऐसा नहीं होता। बल्कि मोचना यह होता है कि जो काम हमारे हाथ में है, वह चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा, हमारे लिए स्वयं क्या है? अगर हम इसी नतीजे पर पहुँचें कि जो काम हम कर रहे

हैं, वही हमारा स्वधर्म है, तो हमें उसी काम को करते रहना चाहिए। जिसका स्वधर्म दूसरा है, वह हमारे उस काम में योग नहीं दे सकता। इसका उसे दुःख नहीं होना चाहिए। वह हमारे काम के साथ सहानुभूति रखता है, इसी को हमें अपनी मर्यादा माननी चाहिए। लेकिन अगर आत्म-परीक्षण से यह निश्चय हो कि हमारी बुद्धि इस नये काम को ही बुनियादी काम मानती है और फिर भी हमारे कामों का बोझ हमारे सिर पर हो तो उस बोझ को हमें विवेकपूर्वक हटाना चाहिए और इस काम में कूद पड़ना चाहिए। फिर यह नहीं नोचना चाहिए कि जो काम हमने हाथ में लिया है, उसका क्या होगा? जिस हालत में मन में यह निश्चय हो जाता है कि यही काम बुनियादी है तो वह उस वक्त का युगधर्म बन जाता है। युगधर्म नैमित्तिक होता है। वह कोई चालीन-पचास साल नहीं चलता। पर जितने समय के लिए वह होता है तब नित्यधर्म उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। उसी काम का वचन सबसे अधिक होता है। हम रोज प्रार्थना करते हैं। यह नित्यधर्म है। लेकिन उसी वक्त कहीं आग लग जाय तो हमें प्रार्थना छोड़कर आग बुझाने जाना पड़ेगा, क्योंकि नैमित्तिक धर्म बलवान् होता है। जिस नैमित्तिक धर्म के विषय में हम निश्चय हो गये हों, उसके लिए अगर नित्यधर्म छोड़ना भी पड़े तो कुछ समय के लिए उसे छोड़ना चाहिए।

आवाहन

मैंने इसी प्रेरणा से इस काम को हाथ में लिया है। १९१६ में जब मैं चापू के पास पहुँचा था तबसे चापू के प्रयाण तक मैं रचनात्मक कार्य ही करता रहा। मैंने अपने जीवन का मुख्य अथवा रचनात्मक काम में लगाया। जो शस्त्र अपने जीवन में रचनात्मक कार्य करता आया और जिसने अपनी सारी शक्ति रचनात्मक कामों में ही लगाई, वह वृद्धावस्था में हमारे काम नहीं उठाता। पर मैंने इस काम को ईश्वर का इशारा समझकर उठाया है। मेरे मन का यह निश्चय हो गया है कि इसको करने में सब कुछ मधेगा और

इसको न करने से सब कुछ डूवेगा। इस तरह अन्वय-व्यतिरेक में देखकर मैं इस दृढ़ निश्चय पर पहुँचा हूँ। इससे मुझे अन्त ममाधान मिलता है।

आप अपने लिए यह सोचें कि आप किस भूमिका पर हैं। मेरा जो निर्णय अपने वारे में हुआ, वह अगर आपका अपने वारे में है तो आप इस काम को उठाइये। सर्वोदय-समाज में जिनका नाम नहीं है, ऐसे जो हजारों लोग सर्वोदय के प्रेमी और उससे सहानुभूति रखने वाले हैं, उन सबमें मैं यह विश्लेषण करने के लिए कहूँगा। उनका भी निर्णय अगर मेरे जैसा हो जाय तब तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप अपनी जीवन-स्थिति का विचार न करते हुए सब कुछ छोड़कर इसमें कूद पड़ें। फिर देखिए, यह काम सफल ही होगा।

युगधर्म

यह सीधे हिसाब की बात है। इसका आप गणित करके देखिये। आजकल की लडाई में गणित का हिसाब चलता है। पिछली लडाई में जर्मनी ने इसी तरह का गणित किया। जब उन्होंने देखा कि गणित के हिसाब में वे हारनेवाले हैं तो शरण में गये, क्योंकि वह हिसाब की बात थी। देखा कि अंग्रेजों और अमेरिकियों के मुकाबले में उनका शस्त्रास्त्र-बल कम पड़ता था। वैसी ही हिसाब की बात यहाँ भी है। मुझे दामोदरदाम सुनाते थे कि गया में अगर हम उन्हें सैतीस कार्यकर्त्ता देते हैं तो वहाँ का कोटा दस महीने में पूरा होगा। और तीन सौ सत्तर कार्यकर्त्ता देते हैं तो एक महीने में काम पूरा होगा। काम तो होगा ही, सिर्फ लोगों के पास पहुँचने वालों की तादाद का हिसाब है। इसलिए आप सबसे मेरा यह कहना है कि इस काम को सिर्फ यह एक अच्छा काम है, इतना ही समझकर मत उठाइये, बल्कि यह युगधर्म है, यह एक ऐसा काम है कि इसके करने से सब सबेगा और न करने से सब विगड़ेगा, ऐसा अनन्य और अव्यभिचारी भाव आपके मन में पैदा हो जाय, तो फिर हरएक के लिए अपनी-अपनी शक्ति लगाने का ही मवाल रह जाता है।

संपत्ति-दान-यज्ञ का महत्व

अभी हमको भूमि-दान-यज्ञ ही पूरा करना है। उसे पूरा करने पर संपत्ति-दान-यज्ञ को उठाना है। लेकिन संपत्ति-दान-यज्ञ के वगैर भूदान का साफल्य नहीं होगा। भूमि-दान-यज्ञ का सकल्प पूर्ण करना एक बात है और उसे सफल करना दूसरी बात है। जिनको जमीने मिलेंगी, वे जब सर्वोदय-वृत्ति के बनेंगे और हमारे कार्यकर्ता बन जायेंगे, तब भूमि-दान-यज्ञ सफल होगा। भूमि-दान के लिए एक इशारा ईश्वर की तरफ से मिला, इसलिए उस काम को उठा लिया। मैं पहले से ही जानता था कि संपत्ति-दान के बिना भूमि-दान सफल नहीं होगा, परंतु मैंने सोचा कि शुरू से ही दो बातें उठाना ठीक नहीं है। और दो बातें उठाने का इशारा भी मुझे नहीं मिला था। अगर इशारे के वगैर मैं कोई काम उठाऊ तो वह अहंकार होगा। उससे कुछ बनेगा भी नहीं। और मेरी जो ताकत है, वह भी टूट पड़ेगी। मुझे उस वक्त सिर्फ भूदान का ही इशारा मिला था।

परंतु विहार में कदम रखने के बाद जब जमीन का मसला हल करने की बात आई, तब मुझे लगा कि संपत्ति-दान-यज्ञ की भी जरूरत होगी। संपत्ति-दान के रूप में कोई एक सामान्य निधि इकट्ठी करने की कल्पना नहीं थी। जो इसको अपने नित्य जीवन का विचार समझकर संपत्ति-दान करेंगे, उन्हीं की संपत्ति का उपयोग करना हम चाहते हैं। यह कोई उत्साह में आकर करने की बात नहीं है, बल्कि सोच-विचारकर करने की बात है। फिलहाल व्यक्तिगत रूप से ही यह काम करने की बात सोची है। जो इसे नित्यधर्म के रूप में मानेगा उसी का दान टिकेगा। उसके लिए वह महज कर्म होना चाहिए। उसका बोझ नहीं मालूम होना चाहिए। हमारे शरीर का वजन अगर ठीक प्रमाण में हो तो हमें उसका बोझ नहीं मालूम होता। उसी तरह संपत्ति-दान-यज्ञ में महज त्याग होना चाहिए। घर में लडका पैदा होता है तो वह खाता-पीता है। लेकिन उसका बोझ नहीं मालूम होता। गृहस्थ के जीवन का वह सर्वोत्तम अंग माना जाता है। सबको

आनंद होता है। उसी तरह सपत्ति-दान-यज्ञ में दान देनेवाले को आनंद होना चाहिए। इसलिए सपत्ति-दान-यज्ञ तो व्यक्तिगत तौर पर करने का ही काम है, कम-से-कम इस साल तक। अगले साल मोचेगे। इस माल तो भूमि-दान का ही काम पूरा करना है। पच्चीस लाख का मकल्प कोई भारी नहीं है, परंतु हमें एकाग्र बन जाना चाहिए। अगर हम एकाग्र होकर काम नहीं करेगे, तो नहीं बनेगा। वह ऐसा देवता नहीं है, जो एकाग्र उपासना के बिना प्रसन्न हो।

दया के मूल को काटनेवाली दयालुता

जब मैं गोरखपुर गया, तो वहां अकाल पड़ा था। मुझसे कहा गया कि जरा आप देखने तो चलिए। मैंने कहा, "मैं देखकर क्या करूँ?" तो उन्होंने मुझसे कहा, "उसके निवारण के लिए कुछ प्रयत्न कीजिए।" तब मैं एक सख्त शब्द बोल गया कि 'अकाल तो दूसरे लोग पैदा करें और उसका निवारण मैं करूँ, यह धधा मुझे नहीं करना है।' मेरे शब्द बहुत सख्त थे, लेकिन वह सिर्फ गोरखपुर के लिए लागू थे। कहने का मतलब यह है कि इन दो सालों में कई प्रसंग ऐसे आये, जब दूसरे कामों के प्रति आकर्षण मेरे सामने आया। लेकिन मुझे एक क्षण भर के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि इस काम को छोड़कर दूसरा कोई काम करूँ।

मैंने यह एक दृष्टान्त दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वकत कोई दयालु काम करने जाओगे, तो दया के मूल को ही काटोगे। हमें यह सोचना है कि हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए। हमारे सामने कई तरह के कार्य-मोह आते हैं, नये कामों का और पुराने कामों का भी मोह होता है। लेकिन अगर हमने इस काम को युगधर्म और स्वधर्म माना है तो मेरे लिए वही सर्वोत्तम काम है, ऐसा समझकर उसे करना चाहिए। दूसरे कामों का गुरु-नाश्व नहीं मोचना चाहिए। कौन-सा धर्म बड़ा और कौन-सा छोटा, यह मन सोचो। मैं जो कुर्ता पहनता हूँ, वह इसलिए नहीं कि वह सबसे बड़ा है, बल्कि इसलिए कि वह मेरे लायक है। वह मेरे नाप का है। और मैं उसके

नाप का हूँ। स्वधर्म श्रेष्ठ है या कनिष्ठ है, यह विचार गलत है। वह मेरे नाप का है, या नहीं, यही देखना चाहिए। इसी अर्थ में स्वधर्म मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, इसलिए नहीं कि वह दूसरों के धर्म से बड़ा है।

नित्य नई तालीम

कल आयादेवी (आर्यनायकम्) हमसे कहती थी कि “अगर हम लोग इन कार्य के लिए अपनी तालीम स्थगित करके नव विद्यार्थी और शिक्षक इन काम में लग जाय तो क्या आप पसन्द करेंगे ?” मैंने कहा, “जी हाँ, पसन्द करूँगा।” मैंने जो जवाब दिया, वह कोई सियासी विचार से रिकलेस (बेदरकार) होकर नहीं दिया। उस तरह सोचनेवालो और सलाह देनेवालो में से मैं नहीं हूँ। मैं तो मूलतः रचनात्मक काम करनेवाला हूँ। फिर भी मैंने उन्हें वैसे सलाह दी। मेरा हेतु रचनात्मक ही है। एक साल के लिए लड़के अपनी तालीम छोड़कर इस काम में लग जाय तो उनकी तालीम का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि एक साल के लिए ही क्या, जबतक यह मसला हल नहीं होता तबतक सारे लड़के इन्हीं में लग जाय तो उनका कल्याण ही होगा। वे इससे न सिर्फ अच्छा काम करेंगे, बल्कि अच्छी तालीम भी पायेंगे। वे नई तालीम को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि नित्य नई तालीम पाते हैं। हमने तालीम छोड़ी है या और कोई काम छोड़ा है, ऐसा खटका मन में नहीं रखना चाहिए, अपने लड़के अच्छे विद्वान बन रहे हैं, उन्हें व्यावहारिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि में अधिक अच्छी तालीम मिल रही है, ऐसी प्रेरणा से अगर बड़े लड़के और उनके शिक्षक इन काम में लग जाय तो उनका बहुत बड़ा लाभ होगा। फिर हमने कोई काम छोड़ा है, ऐसा आभास हमको नहीं होगा, बल्कि वह अधिक उत्तम प्रकार से संपन्न हुआ है, ऐसी प्रतीति हमें होगी। इसलिए आप सबको एकाग्र होकर इन्हीं काम में लग जाना चाहिए। एकाग्रता की महिमा अपार है। मामूली काम के लिए भी एकाग्रता की जरूरत होती है। फिर महान् कार्य तो उसके बगैर ही नहीं सकते।

नये कार्यकर्त्ताओं की टकसाल

इधर तो हमारे सारे कार्यकर्त्ता क्रांति के सिवा दूसरी भाषा ही नहीं बोलते । तो क्रांति क्या फुरसत से होती है ? क्रांति तो जान और जीवन लगाने से होती है । हमें आज क्रांति का एक रास्ता मिल गया है । ईश्वर का इशारा प्रकट हुआ है । एक युगधर्म हमें प्राप्त हुआ है । इतना होने पर भी हम काम न करे तो हममें वस्तु का तारतम्य नहीं रहा, तर-तम भाव हम भूल गये, ऐसा कहना होगा । कुछ लोग कहते हैं कि अभी तक नये कार्यकर्त्ता नहीं आ रहे हैं और अक्सर पुराने कार्यकर्त्ताओं से काम लेना पड़ता है । परंतु मेरा मानना है कि हमें बहुत नये कार्यकर्त्ता मिलनेवाले हैं । और जो कार्यकर्त्ता इस काम में पड़ेगे, वे सब तरह से कसे जायगे और परिशुद्ध होंगे । उनकी हरएक बात में उत्तम कसौटी होगी । उनके विचार साफ होंगे । उन्हें गाव-गाव जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा । लोग उनकी टीका करेंगे । तो उससे उन्हें आचरण-शुद्धि का मौका मिलेगा । जो कार्यकर्त्ता इस काम में दो-चार, छ महीने टिक जायगे, वे दूसरे कामों में स्थिर होने योग्य बनेंगे । वे उत्तम शिक्षक बनेंगे, उनका आचरण सुधरेगा ।

भूदान-यज्ञ-समितियों के सयोजकों

और सदस्यों की बैठक में भाषण ।

चाडिल, ५ मार्च, १९५३

संयोजन का आधार

अभी हम लोग सोच रहे हैं कि एक जगह सामूहिक योजना के अतर्गत अपनी दृष्टि से प्रयोग करे और उसमें जो भी मदद सरकार से, पैसे या सत्ता की ले सकते हैं, ले। जो लोग यह सुझाव दे रहे हैं, उनके दिल की सच्चाई के बारे में कोई भी शका नहीं है, पर हमें इस प्रश्न को बुनियादी सिद्धान्त की दृष्टि से देखना चाहिए।

अगर सरकार सारे देश के लिए यह तय करती है कि ग्रामोद्योग के खिलाफ जो चीजे हैं, उनके ग्राम में आने पर पावदी लगाई जाय तो वह अच्छी बात होगी। लेकिन अगर सरकार यह नहीं करती है तो हमारी विकास-योजना के अतर्गत हम जो क्षेत्र चुनेंगे, उतने के लिए वह वैसा करेगी, ऐसा मानना भी गलत होगा और मागना भी गलत होगा।

सत्याग्रह : आत्मशुद्धि का मार्ग

हम जनता की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहते। कहने का मतलब यह है कि हम यह सत्ता चाहते हैं कि जिस देहात के लोग यह माग करेंगे कि हम बाहर का माल नहीं मगायेंगे, तो उन्हें वैसा हक होना चाहिए। अगर सरकार यह माग कबूल करती है तो अहिंसा के लिए यह अनुकूल है। सरकार अगर नहीं कबूल करती तो हम जनता के पास जाकर कहेगे कि आज का स्वराज्य असली स्वराज्य नहीं है। आप इस तरह माग करें और उसे अमल में लाने के लिए तैयार हो जाय, बावजूद इसके कि सरकार इस चीज के खिलाफ है। आप यदि माग करना चाहते हों, तो सारे देश के लिए कीजिए। एक क्षेत्र के लिए करना गलत है, नहीं तो सरकार और जनता

के बीच हम ऐसे खड़े होते हैं कि दो चक्कियों में हम पिम जायगे। हमें सरकार को चुनीती देनी होगी कि या तो आप यह करे, नहीं तो हम करेंगे। फिर हम सत्याग्रह से करेंगे। सत्याग्रही ढग से करने में हम कोई धमकी नहीं दे रहे हैं। सत्याग्रह तो आत्मशुद्धि का मार्ग है।

सत्य पहचानें

आपने जो दो शर्तें रखी हैं, वे नाकाफी हैं। सीलिंग की बात ही खतरनाक है। हमें वह बात नहीं करनी चाहिए। आज वह बात सर्वमान्य हो गई है। मैंने कहा है कि मैं सीलिंग नहीं, 'स्लिफिंग' चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह सिद्धांत कबूल करो कि हर परिवार को पांच एकड़ भूमि मिले और फिर जो बचती है, उसका कुछ भी करो। कुछ लोग कहते हैं कि आपके कहने के मुताबिक 'स्लिफिंग' किया जाय तो वह इतना नीचा होगा कि जिनके कारण झुककर अदर जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई हर्ज नहीं। हमें दिल्ली की नहीं, ग्राम की "सीलिंग" चाहिए। तीस एकड़ का सीलिंग होगा, तो कोई भी जमीन बेजमीन को नहीं मिलेगी। जमीन वाले लोग आपस में ही अपने परिवार के लोगों में जमीन बांट लेंगे। तेलंगाना में भी सीलिंग की बात चली, तो लोगों ने यही किया। वहाँ तो दो सौ एकड़ का सीलिंग करने की बात थी। छोटा सीलिंग रखो, जैसे तीस एकड़ का तो बहुत मुआवजा देना पड़ता है। बिना मुआवजे के आज जमीन छीनी नहीं जा सकती। और बड़ा सीलिंग रखो तो कोई काम का नहीं। इसलिए हम तो चाहते हैं कि गावों की सारी जमीन गावों की ही हो जाय। अधिक-से-अधिक तिगुनी जमीन रखने की बात चली थी। लेकिन अगर सबको पूरा खाना नहीं मिला है। तो किमी को तीन गुना खाने का हक क्यों दे? कोई भी एक मनुष्य हमारे मनुष्य से तीन गुना काश्त नहीं कर सकता, तो फिर तीन गुना जमीन रखने का हकदार वह कैसे बन सकता है? इसीलिए इस सारी चर्चा में कोई सार मैं नहीं पाता हूँ। हमें बुनियादी बातों पर गौरवना चाहिए। हम चाहते हैं कि गाव की जमीन गाव की हो। क्या सरकार कानून में यह

कर सकती है ? उनके वर्गों हमारा काम नहीं होगा, ऐसी मांग आपने अपने प्रस्ताव में नहीं की है, न आप कर सकते हैं। सीलिंग बनाने से क्या होगा ? आज जो बड़े लूटनेवाले हैं, उनके बदले में छोटे लूटने वाले पैदा होंगे। मतलब यह है कि लूटनेवालों की जमात में वृद्धि होगी।

महान कार्य

हमने पांच करोड़ की बात की है। लेकिन अभी डम माल तो हमें पच्चीस लाख एक्कट करने हैं। पर जमीन वाटने में ही काम नहीं होता है। हमें हर गांव में एक सर्वोदय-परिवार बनाना है। यह नारा इनना विगल रचनात्मक कार्य हो रहा है कि इसके सामने नाने कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स फीके पडते हैं। हमारी हालत ऐसी होनी चाहिए कि चाहे जितने जागतिक युद्ध हो, हमारे काम तो चलते ही रहेंगे, ऐसी शक्ति हममें पैदा होनी चाहिए। वह जन-शक्ति है। हमें पीलीभीत में नाढ़े मान हजार एक्कट जमीन मिली है। 'सर्व-सेवा-सध' क्या वहा काम न करते हुए हमारी जगह करेगा ? जैसे हमारे दस-पाच दूसरे काम चलते हैं, उनके साथ-साथ यह भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है। या तो भूदान-कार्य ही चलेगा, या कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए हमारे सब सधों को इस काम में कूद पडना चाहिए। हमें सरकार का पैसा नहीं चाहिए। पैसे का कोई मवाल नहीं है। और मत्ता, याने जन-शक्ति तो हमारे पास पडी है। लेकिन अगर सरकार, जहा जनता की सरकार है वहा, दड-शक्ति से जमीन का वटवारा करेगी, तो वह अहिंसा का काम होगा, हिंसा का नहीं।

खादी-बोर्ड बनाम मूल विचार

यह जो सरकार का खादी-बोर्ड वर्ग बना है, उसमें जमीन-आसमान का अंतर है। खादी में आज जो नुकसान हो रहा है, उसे बचाने का वह काम है। आज हमारी खादी विकती नहीं है। उसे सरकार कुछ बढ़ावा देने का मोच रही है। इसका मतलब यह है कि जिस काम के प्रति हमारे मन में

सर्वोदय के सेवको से

अरुचि है, उसको वीम गुना चलाने की वह योजना है। हमारा खादी का जो मूल विचार है। उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है।

इस समय पंडित नेहरू आये थे। बड़े प्रेम से बोले। मैंने सब सुन लिया। मैंने उनसे कहा कि 'तीन सौ गाव की एक योजना होनी चाहिए, यह किमने में बताया? एक गाव की ही योजना क्यों नहीं होनी चाहिए। हा, मैं मानता हूँ कि चर्मालय वगैरह कुछ ऐसे काम हैं, जिनके लिए दस-पाच गावों का, और कुछ कामों के लिए दो-तीन सौ गावों का सहयोग चाहिए।' पंडितजी ने मेरे विचारों के साथ, जितना मानसिक मेल वे बिठा सकते थे, बिठाने की कोशिश की। वे उत्तम पुरुष हैं।

सरकार की अपेक्षा

पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था, जैसा कि मेरा रिवाज नहीं है, याने नाटक परोपकार के लिए गया था। मैंने शरणार्थियों के काम में छ महीने बिताये। अपनी जिन्दगी के छ माह निष्काम भाव से दे दिये, ऐसा मैंने सोचा। पहले पंद्रह-बीस दिनों में ही मैंने देख लिया कि हमारे सहयोग का बहुत परिणाम नहीं होगा। उस काम का कोई खास उपयोग भी नहीं हुआ। हा, एक बड़ी बात हुई कि मुझे मेव लोगों में काम करने का मौका मिला। उसका बड़ा लाभ यह हुआ कि सारे मुसलमानों की महानुभूति मुझे मिली। लेकिन उस समय शरणार्थियों में कुछ काम नहीं हो सका। हम पुराने अनुभवों में अपने को बाधना नहीं चाहते। परन्तु सरकार के साथ सहयोग करके अधिक शक्ति पैदा होती है, यह एक आभास है। बात ता यह है कि सरकार ही हमारी शक्ति की दृच्छुक है, इसलिए वह चाहती है कि हम ही उसके शक्ति दे। हमें अपने ही पुरुषार्थों में काम करना चाहिए। सरकार में ता जॉर्जी की भी मदद नहीं लेनी चाहिए। वह जनता की सरकार है। उसके पास जा पैसा है, वह जनता का है। नियोजन में हमें यही सलाह चाहिए कि गाववाला को यह नियम करने का हक हो कि गाव में किस मात्रा का आन दे और किसको नहीं। मैंने सुझाया है कि त्रिग तरह वह उम्न माना जाता

है कि पढना-लिखना जाननेवाला ही शिक्षित है और सरकार का यह कर्तव्य है कि हरेक नागरिक की तालीम का प्रबन्ध हो, उम्मी तरह हिन्दुस्तान के हर नागरिक को उत्तम मूल कातना आना चाहिए। जैसे तालीम के बारे में सरकार का और नागरिकों का कर्तव्य है, वैसे ही कातने के बारे में भी है। जब मैंने पठिनजी को यह बात लाया तो उन्होंने कहा कि सब कातेगे तो उनके उपयोग की ओर भी ध्यान देना होगा। मैंने कहा, आपकी पढाई में भी यही बात आती है। अतः अगर देश कातना नहीं जानता है, तो देश खतने में है।

एक भाई को कुछ भाम हुआ-ना दीखता है कि मुझमें कुछ परिवर्तन हुआ है। वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पावदी की जो मदद मैंने सरकार में चाही है, वह अखिल भारत के लिए चाही है। तीन सौ गावों में पावदी लगाने की माग करना ही कृत्रिम बात है। उससे हम नाहक हिंसा-व्यक्ति का उपयोग करते हैं। आज तो हालत ऐसी है कि जहाँ धानी चलती है, वहाँ मिले खोली जाती है। मिल खोलना नागरिक स्वातन्त्र्य माना जाता है। इस तरह मार्ग में जो रुकावटें आती हैं, उन्हें नहीं हटाते हैं, और फिर कहते हैं कि नवको काम मिलना चाहिए। जिस जरिये से सबको काम मिलता है, उम्मीको उत्तम होने देते हैं। आप लोग छोटे क्षेत्र के लिए पावदी लगाने की माग क्यों करते हैं? सारे हिन्दुस्तान के लिए क्यों नहीं करते? आप तो चाहते हैं न कि सारे हिन्दुस्तान का भला हो?

हम ऐसी माग नहीं करते कि सरकार कुछ पावदी लगाये। पर यह चाहते हैं कि जहाँ गाव के लोग वस्ती माग करते हैं, वहाँ उनकी इच्छा के विरुद्ध माल नहीं आना चाहिए। हमारी यही माग है कि सरकार उसूल के तौर पर यह कबूल करे। अगर सारे हिन्दुस्तान के लिए कबूल करना उनके लिए मभव नहीं है तो एक ही क्षेत्र में लागू करना कानून के खिलाफ होगा।

एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि मैं कोई बात बताऊँ और आप

उसे मान ले, यह मेरे मित्रान के खिलाफ है । मैं किसी का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं हूँ और न मैं चाहता हूँ कि मेरा आदेश माने ।

दो आक्षेप

जो कच्चा माल गाव में पैदा होता है, उसके पक्के माल की अगर गाव को जरूरत हो तो उसका पक्का माल वही पर बनना चाहिए, यह एक उसूल है । उसके विरुद्ध यह हो रहा है कि बाहर का माल गाव में आना है, जिसे 'खुला बाजार' कहा जाता है और गाव उसे रोक नहीं सकता । यह हालत है । और फिर गावों को कहे कि आप अपने पैर पर खड़े हो जाइये । यह कमी बात है ? इसमें तो ग्राम-राज्य के मित्रान पर ही आघात होता है । बाहर की चीजें रोकने की शक्ति गाव में होनी चाहिए । यह एक मामूली उसूल है । पर आज सरकार की एक कल्पना बन गई है । सरकार की बड़ी मत्ता मानी जाती है और गाव की छोटी मत्ता, याने झाड़ू लगाने का स्वातंत्र्य गाव को है । पर जिस चीज की मिल खटी हो सकती है, उसकी मिल खड़ी करना एक बुनियादी हक माना जाता है । अगर सरकार अगिल भारतीय क्षेत्र में हमारा उसूल नहीं मानती, तो छोटे क्षेत्र में मानना उसके लिए कठिन है । अगर सरकार बंसी करेगी तो वह बात 'फेडरल वोट' में जावेगी और वहाँ सरकार नहीं टिकेगी । पर अगर सरकार उसूल की बात मान्य करती है, तो उसके लिए वह आसान है । चाहे जिस गाव की मांग हो, फिर वह आसके चुने हुए क्षेत्र के गाव हो या उसके बाहर के, वह सरकार को माननी चाहिए । सारे देश के लिए दूसरी बात लागू होनी हो और आपक क्षेत्र के लिए गाम बात ही लागू हो, यह कैसे हो सकता है ? तो मेरे दो आक्षेप हैं । एक, मीलिंग में हमारा कोई नाम होने वाला नहीं । और दूसरा, बाहर के मात्र पर गावदी लगाने का गाव को हक होना चाहिए । हमें तीन मी ही गाव को क्षेत्र नहीं मानना चाहिए । जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता बैठें, वहाँ वे नाम लेंगे ।

सर्व-सेवा सत्र की बैठक में भाषण ।

चाटिल, ६ मार्च १९५३

कड़ी कसौटी का वर्ष

पिछले साल नेवापुरी में पच्चीस लाख का मकल्प किया गया। तबतक कुल एक लाख एकड़ जमीन हाथ में आई थी। पहले तो एक साल में मकल्प पूरा करने की बात थी। मने ही एक के बजाय दो साल रखवाये। आज जो हवा पैदा हो गई है, उसको और अबतक जो काम हुआ है, उसे ध्यान में रखते हुए यदि हम अगले सम्मेलन तक पच्चीस लाख पूरे नहीं कर सके, तो यह कार्यक्रम हमने छोड़ दिया, ऐसा ही सम्झना होगा। समय दौड़ रहा है। वह हमारे लिए रुका नहीं रहेगा। १९५७ तक यह मसला हल हो जाना चाहिए। प्राप्ति और वितरण का झमेला है। उसमें हम पड़ जाय और प्राप्ति रुक जाय तो पच्चीस लाख की बात नहीं बनी, ऐसा न हो। हम यह कार्यक्रम आग्रह से करते होते, तो अहकारी साबित होते। यह अहकार का कार्यक्रम होता तो इसमें यग मिलने पर भी हम गिरते। अपयश मिलना, तब तो गिरते ही। लेकिन यह अहकार का कार्यक्रम नहीं है। लोगो को इसकी आवश्यकता है, वे इसके लिए तैयार हैं।

पहला काम : प्राप्ति

गया जिले की मिमाल आपके सामने है। वहां मने एक लाख का जप शुरू कर दिया। यह मकल्प मेरा नहीं है। वह समय की आकाक्षा है। इनीलिए गया जिले में इतना काम हो सका है। हमारे लोगो का यह स्वभाव है, कार्यकर्ताओ का भी स्वभाव है कि वे पर्व और त्यौहार के दिन ही धर्माचरण करते हैं। एकादशी, शिवरात्रि, रामनवमी के दिन परमार्य का आचरण किया, धर्म का काम किया—ब्रम धर्म खत्म। उमी प्रकार २६ जनवरी, २ अक्तूबर, गांधी-दिन—जैसे राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर लोग

राष्ट्रीय कार्य करते हैं। विनोबा आये, तो कुछ काम हो गया, बाद में कुछ नहीं। इसलिए मैंने वहाँ दामोदर को रखा। फिर जयप्रकाश बाबू गये, श्रीबाबू और दूसरे मंत्री भी गये। पैतालीस हजार जमीन तीन महीने में गया जिले में हो गई। यह कोई चमत्कार नहीं है। अधिक कार्यकर्ता होते तो एक लाख क्व का खत्म हो गया होता। जनता कितनी तैयार है, यह जब मैं देखता हूँ तो उसकी गति और हमारी मन्द गति देखकर अति आश्चर्य होता है। जमीन इकट्ठा करने के लिए कार्यकर्ताओं को कमी है। इसलिए पहले सबको प्राप्त के काम में लग जाना चाहिए। हमारा पहला काम प्राप्ति है।

फिर वितरण

वितरण की समस्या आसान नहीं है। वितरण मारक भी साबित हो सकता है। इसलिए वितरण का काम सन्न से करना पड़ेगा। वितरण-समिति जल्दी नहीं बन सकती। उसकी जिम्मेदारी बड़ी गंभीर है। फलानी पार्टी का आदमी उसमें नहीं लिया गया, ऐसी शिकायत भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में जार एस एस वालों ने यह सवाल उठाया था। उनका कहना था कि जमीन तो हम लायेंगे, लेकिन वितरण में भी हमारा हाथ होना चाहिए। मैंने कहा, “वितरण-समिति में प्रतिनिधि तो क्रिमी के नहीं होते हैं, लेकिन मज्जिन लोग होते हैं।” उत्तर प्रदेश में मजबूत, वजनदार समिति बननी है, क्योंकि वह समिति कार्य के काफी अनुभव के बाद बनी। हमें पहले ब्रह्मदेव का काम करना है, बाद में विष्णु का। कुछ लोग कांग्रेस वालों से विनाश शिकायत करते हैं। कहते हैं कि उनकी वजह से वितरण का काम ठीक नहीं होगा। मगर मैंने वितरण का अधिकार उनको कहा दिया है? मैं तो कांग्रेस वालों से भी काम लेता हूँ और दूसरों से भी काम लेता हूँ। समुद्र है। समुद्र के नाने सबको मिला लेता है। गंगा में रहता है, तुम भी आओ, छोटी नदी में रहता है, तुम भी आओ।

प्रतिनिधि का काम ठीक नहीं होगा तो वितरण-समिति भी अच्छी नहीं

वनेगी। वितरण-समिति मजबूत न बनी तो मारा काम विगड जायगा।

मैं वितरण में भी सबसे काम लेने वाला हूँ। लेकिन वितरण की जल्दी क्या है ? जबतक वितरण न होगा, तबतक मालिक को ही काश्त करना है और जमीनको लगान भी चुकाना है। कुछ लोगों ने ऐसा किया भी। मेहनत का खर्च वाद करके आमदनी हमको भेज दी। वितरण का काम हम विवेक के साथ समय पर करेंगे।

कानून के लिए काम न रुके

सरकारी कानून की बात भी यहाँ की गई। कानून जब बनेगा तब बनेगा। लोगो ने मैं कहता हूँ कि तुम जमीन तो दे दो। दान देनेवाला अगर हमको जमीन दे देता है और लेनेवाला ले लेता है तो बगैर कानून के काम हो जाता है। कानून तो बनेगा ही। सरकार अगर अनुकूल कानून नहीं बनायेगी तो मैं एक पत्रक निकाल कर मुक्त हो जाऊँगा। काश्त की चिंता हम न करें। कानून के लिए काम नहीं रुकना चाहिए।

क्रांतिकारी कार्य

यह भी कहा जाता है कि हम कुछ गावों में अपनी कल्पना का आदर्श काम करके लोगो के नामने मिमाल पेश करे तो भूमि-दान प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

हमारा कार्यक्रम नमूने का या सुधार का कार्यक्रम नहीं है। यह क्रान्तिकारी कार्य है। इसमें निर्फर्क दिग्दर्शन का हेतु नहीं है, समस्या को हल करने का हेतु है। थोड़ी जमीन, लाख-दो लाख एकड लेने का काम होता तो दूसरे ढंग में सोचते। फमल कितनी होती है, देखते, नमूना पेश करते। लेकिन हमको तो पाच करोड एकड जमीन प्राप्त करनी है। पाच करोड एकड जमीन आप यो ही फेंक देंगे तो भी वह ठीक जगह बैठेगी। पच्चीस लाख का हमारा पहला कदम है। उत्तरप्रदेश और बिहार में आप घर-घर नहीं जाते, इसलिए जमीन नहीं मिल रही है। वहते हुए चरम की तरह रात-दिन काम होना चाहिए। अगले साल अगर अपयश हुआ

तो हमको मार्गजनिक काम में मे खत्म होना होगा। पुराने लोगों ने कहा है, “अनारभो हि कार्याणाम् प्रथमं बुद्धि लक्षणम्,”—काम शुरू ही न करना नवर एक की अक्लमदी है। वह तो हमने नहीं दिखाई और काम शुरू कर दिया। बुद्धिमानों का दूसरा लक्षण है—“प्रारब्धम्य अन्तगमनम् द्वितीयं बुद्धिलक्षणम्,” जो काम शुरू किया हो, उसे पूरा करना। हम कम-से-कम यह नवर दो की अक्ल बताये।

स्वराज्य का मामूली-सा आन्दोलन था। गांधीजी कहते थे कि हम स्वराज्य तो एक दिन में ले सकते हैं। अगर सब एक दिन के लिए हड़ताल कर दें तो स्वराज्य हमारे हाथ में है। परंतु यह तो भावरूप (पाजिटिव) आर्थिक क्रांति का कार्यक्रम है। स्वराज्य के लिए हमने जितना त्याग किया, उनके मुकाबले में तो हमको इसमें बहुत कम करना पड़ रहा है। केवल जरा में मातृत्व की जरूरत है। अगर यह मुबारक का कार्यक्रम होता तो मैं रूढ़ी जमीन क्यों लेता? मैं तो पहाड़-पत्थर भी ले लेता हूँ। गहावादी पत्थर मिले, तो वे भी ले लिये। उत्तर प्रदेश का कोटा करीब-करीब पूरा हो गया है। वहाँ का वितरण जून तक पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश यह न समझे कि हम कृतकार्य हो गये।

हमने पूछने हैं, निकम्मी जमीन आप क्यों ले लेते हैं? हम कहते हैं, निकम्मी जमीन खरीद क्यों करने हो? हमें दे दो। अभी हमको सुनाया गया कि राजस्थान में अच्छी जमीन ही नहीं है तो आपको क्या दे? सारा राजस्थान ही हमको समर्पण क्या नहीं कर देंगे?

मैं आप से कहना ह कि यह धार्मिक व्रत नहीं, राजनैतिक व्रत है। ऐसा काम उठा जेना कोई हमी-मजाब का काम नहीं है। समाज के उनसे लोग हमारी बात को सुन चुके हैं। एक वातावरण बन गया है। अगर हम अपना कार्यक्रम पूरा नहीं करते हैं तो वह आप निश्चित समझ लीजिये कि मार्ग-जनिक काम में हम सफल हैं।

सब-सेवा-सर्व की बैठक में भाषण।

चाईटन, ९ मार्च, १९५३

विचार-भेद हो, आचार-भेद नहीं

मैंने कहा हूँ कि जनता के नामने जो कार्यक्रम रखा जाय, वह जहा तक हो सक्ता हूँ, सर्वमान्य हो। जिन विषयो मे मतभेद हो, उनपर चिन्तन जारी रहना चाहिए, विचार-विनिमय, चर्चा-बहस चलनी चाहिए। परन्तु प्रत्यक्ष कर्मयोग में उनना ही जग आना चाहिए, जितने अंग पर सक्की, यानी सब मज्जनों की एक राय हो। सब चिन्तनशील नेताओ की एकराय हो, यह विचार धर्म-परिवर्तन मे किम तरह मान्य हुआ है, उमका थोडा उल्लेख मैं कर चुका हूँ।

मिन्नाल के तौर पर मैं हिन्दू धर्म को लेता हूँ, क्योंकि मुझे उमकी विशेष जानकारी है। हिन्दू धर्म मे अनस्य विचार-भेद मौजूद है। उनपर चर्चाए चलती है। कुछ वाते तो ऐसी है, जिन पर शायद कभी भी निर्णय नहीं होगा। इनपर भी कुछ ही आचार धर्म-मान्य किये गए है, और उमीको धर्म कहते है। जैसे गो-मेवा, आहार-शुद्धि, अहिंसा इत्यादि का परिपालन, उपानना—चाहे इनके प्रकार मे भेद हो, पर ध्यान-युक्त उपासना का महत्त्व, उपवास आदि साधनों की मान्यता आदि कुछ वस्तुए ऐसी है कि अन्य विचारो मे मत-भेद होने हुए भी सबने उन्हे मान्य किया है। जब इस तरह होता है, तभी आचार की प्रतिष्ठा होती है। यानी स्थिर बुद्धि से निष्ठा और कर्मयोग पर मनुष्य पहुचता है, नहीं तो शाखाए तो अनन्त है, पर कर्मयोग में परिणत होती है उतनी ही, जितनी कि सर्वबुद्धि मे सर्वमान्य हो।

बहुमति-अल्पमति का प्रश्न नहीं

रचनात्मक कार्यकर्ताओ मे और नेताओ मे प्रत्यक्ष कार्य के विषय मे

वृद्धि-भेद नहीं होना चाहिए। अब हम 'सर्व-मेवा-मघ' को प्रधान स्थान देने जा रहे हैं। यानी दूसरे मघ उसमें एक तरह में विलीन होने जा रहे हैं। तो इस बात का महत्त्व है कि जिन कार्यक्रमों पर सबकी एक राय हो, वही कार्य-क्रम प्रस्ताव रूप में मान्य किया जाय और जिनमें मतभेद है, उनपर चिन्तन जारी रहे। बहुत दफा यह शका उठाई जाती है कि इसमें तो एकाग्र मनुष्य भी अडगा लगाये तो काम नहीं बनेगा। लेकिन यह अडगों की बात तो जहाँ बहु-संख्या अल्प-संख्या मानी जाती है, वही पर होती है। पर जहाँ पर हम यह उसूल मानते हैं कि सबकी एकराय होनी चाहिए, वहाँ उसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि अडगा लगाने की वृत्ति किनीमें नहीं होती। यह एक मानस-शास्त्रीय सिद्धान्त है।

हमारी बुनियाद सद्भाव पर

ईसा ने एक बहुत सुन्दर वाक्य में समझाया है कि "Agree with thou adversary quickly"—तुममें मतभेद रसनेवाले के साथ फौरन एकमत हो जाओ। यह जो 'फौरन' शब्द है, वह बहुत महत्त्व का है। यानी सामनेवाला जो सुझाव पेश करता है, या हम जो सुझाव पेश करने हैं, उसमें मूल में कुछ विचार होते हैं। विचार एक दृष्टि में एक रूप लेता है और दूसरी दृष्टि में दूसरा रूप लेता है। दृष्टि-भेद से उसमें फर्क पड़ता है। इस पहचान कर जो समान अर्थ दियेगा, उसे साररूपेण ग्रहण करने की शक्ति हममें होनी चाहिए। जितने भी हम सब विचार-विमर्श में हिस्सा लेने वाले हैं और जिनके विचार का परिणाम प्रस्ताव पर होनेवाला है, उनको एक-दूसरे के लिए ऐसा महज विद्यमान चाहिए, जिसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जो भी विचार लिया जा रहा है, वह स्वहेतुमय है, यह विद्यमान मन में न रहा और सामने वाले के बारे में शक नहीं तो हमारी बात नहीं बन सकती। अगर यह शक हमारे मन में रहे तो स्वहेतु की रूपना करने हुए हम फौरन दूसरे के साथ एकमत होने की कोशिश कर सकते हैं। वह दो स्वयं हमारी तरफ बड़ मानता है,

और हम भी उगकी तरफ बढ़ सकते हैं, इस तरह हम एक-दूसरे की तरफ आ सकते हैं। वृनियादी मद्भाव पर हमारी श्रद्धा बिना किसी परीक्षण के, बिना किसी मव्रूत के होनी चाहिए। अगर वह हो तो हमारा सारा काम एकरम हो सकता है। इसमें निर्णय शीघ्र नहीं होंगे, ऐसा एक आधेप उठाया जाता है। परन्तु कभी-कभी निर्णय शीघ्र न होना भी जरूरी हो जाता है। जहाँ उतनी तीव्र परिस्थिति नहीं होगी, वहाँ कर्म शीघ्र न होंगे तो गुण ही है। इस दृष्टि में नोचते हुए इसमें एकमत से काम करने का निश्चय हम करते हैं, तो इसमें कुछ दोष नहीं है।

अवयव का पोषण शरीर का भी पोषण

अब 'सर्व-मेवा-सघ' बना है तो कई समस्याएँ खड़ी होती हैं। सस्थाओं का क्या होगा, मन्थ्याओं के पास जो अलग-अलग पैसा है, उसका क्या होगा? ये सवाल उठते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब सवाल विलकुल ही गौण हैं। विचार का सशोधन जो चलेगा, वह चलता ही रहेगा, पर वाकी कोई भेद नहीं रहेगा। हिंदुस्तान में हमारे जो भी केन्द्र बनेंगे, वे सर्व-मेवा-सघ के केन्द्र होंगे और पैसा जो अलग-अलग नाम से इकट्ठा किया होगा, वह सब वहाँ डूब जायगा, जैसे नदी समुद्र में विलीन होती है। जहाँ एक परिपूर्ण काम है, वहाँ सब काम इसमें आ जाते हैं। मैं भोजन करता हूँ, तो यह नहीं देखता कि उसका कितना अंश हृदय के पोषण में गया, कितना पाव के पोषण में गया और कितना हाथ के पोषण में गया। ऐसा नहीं हो सकता कि जो कुछ मैं खाता हूँ, उससे ही सारे शरीर को पोषण मिल जाता है। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ खाया है, जैसे आवला, जिससे कि आख को विशेष पोषण मिलता है, या स्नेह, जिससे स्नायुओं को खास पोषण मिलता है, तो भी कुल मिलाकर जो खाता हूँ, उसका सारे शरीर को पोषण मिलता ही है। इस तरह जो भी पैसा आया है, वह सबके लिए है। मानो खादी के लिए साठ लाख और तेल-धानी के लिए पचास करोड़ मिला है, किसी ने दान दिया है। तो क्या तेल-धानी के काम को खादी से

अधिक महत्त्व देना चाहिए ? यह नहीं हो सकता । हमारे मन में किस काम को कितना महत्त्व देना है, इसका नाप होगा, और इसीमें हम काम करेंगे । इसमें ट्रस्ट का भग होगा, ऐसा डर—विचार—रखने की कोई जरूरत नहीं है । अगर हम अलग-अलग रहे तो ऐसी शका की जा सकती है, पर जहाँ एक रूप हो गये कि जैसे पूर्वजन्म के भेद लागू नहीं होते, ये भी नहीं लागू होंगे । यह एक तारतम्य की बात है ।

अलग-अलग होने पर भी एक

जिस काम के लिए हमें पैसा मिलता है, वह भी आज हम ठीक में खर्च कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है । हम पैसा बैंक में रखते हैं । तो बैंक का पैसा हमारे कामों में ही खर्च होता है, जो कि हमारे विचार के विरोधी काम है । तो इसमें बेहतर है कि वह पैसा हमारे ही काम में खर्च हो । जिस प्रमाण में खर्च करना चाहिए, उसी प्रमाण में हम खर्च करेंगे । मानो मुझे गारी के लिए दो लागू मिला है और तेल-धानी के लिए दो करोड़, तो तेलधानी के लिए अधिक पैसा मिलने पर भी हम वह पैसा बिना उसे समझाये नहीं लेगे, क्योंकि यह कोप उस जमाने में उकट्टा हुआ, जब अलग-अलग फट उकट्टा करने थे । लेकिन अलग-अलग उकट्टा हुआ हो, इसलिए हम आज भी अलग खर्च करें, यह ठीक नहीं, जब कि जमाना बदल गया है । जैसे पुराने मन्दिरों का हाल है । आज हम हरिजनों को उन मन्दिर में जाने देते हैं, ता ट्रस्ट का भग नहीं होता । इसलिए आज बाकी सब विचार गौण समझने चाहिए और सबको 'सर्व-मेवा-सर्व' में दायित्व हो जाना चाहिए । परिस्थिति के अनुसार किसी जगह कुछ काम अधिक होगा, पर हम उसी प्रमाण में हर चीज का विचार करेंगे, जिस प्रमाण में हम उसे उचित मानेंगे । बात बेवत बात या पैर ही मजबूत नहीं बनाना है । हम ऐसा एकांगी विचार नहीं करना चाहते हैं । हम हर जगह का नाप विचारण और उसके अनुसार काम करेंगे । किसी जगह एक काम अधिक भी हो सकता है, परन्तु काम का नाम बदल-बदल कर का आर उतसा नाम भी होगा । हर विवेक एकांग

केन्द्र बने तो बहुत महूलियत होगी ।

आचार मे वृद्धि-भेद निर्माण हुआ तो समाज का भला नहीं होगा, कर्म-योग नहीं चलेगा, प्रगति नहीं होगी । विचार-भेद चाहिए, विचार-विमर्श और चिन्तन चाहिए, विचार-शोधन भी होना चाहिए । इसलिए विचार-भेद जरूरी है । उसके बगैर विचार-शोधन, विचार-मयन नहीं होगा । इसलिए हम स्वतंत्र रूप से मोचेगे । परन्तु जहा आचार का सवाल आयगा, वहा जिम पर एकराय होगी, उमीको धर्म मानेगे और उसीके अनुमार चलेगे ।

प्रार्थना-प्रवचन

चाडिल, १० मार्च ५३

सारे देश को आवाहन

विहार से डम यज्ञ में कुल बत्तीस लाख एकड़ भूमि मुझे लेनी है। माधारण छोटे हिस्से से यह कुछ कम है। मित्रों से सलाह करने पर उतना अदाज हुआ। छोटा नागपुर के पांच जिले और गया से हम चौदह लाख की आशा करते हैं और बाकी के ग्यारह जिलों में अठारह लाख, क्योंकि छोटा नागपुर में जमीन कुछ अधिक है, जन-संख्या कुछ कम। और उपर के जिलों में घनी वस्ती है। इसलिए मांग कम-पेशी रखी है। इच्छा तो ऐसी है कि वारिष्ठ के पहले छोटा नागपुर का सारा हिस्सा धूम ले और तबतक उम्मा अधिक-से-अधिक हिस्सा प्राप्त हो।

लोगों को अब इसकी सभावना दीखती है। यह काम उन्हें अब अशक्य नहीं लगता है। यह बात आशाप्रद है। अब हम थोड़ा-थोड़ा ही धूमेंगे। कोशिश तो हमारी यह रहेगी कि जिन लोगों के पास हम नहीं पहुंच पाये हैं, उनमें सम्पर्क हो। इतने दिन हम यहां रहे, उमका नतीजा यह हुआ कि लोगों में कुछ जागृति आई, बड़े लोगों की भी कुछ सहानुभूति मिली। जिनके पास अधिक जमीन है, अभी उनकी तादाद कम है। पर मेरी कोशिश यह है कि जिन्होंने दान दिया है, वे ही डम काम को उठा ले और अपने मित्रों में दान प्राप्त करें। कुछ ऐसा हो भी रहा है। जो डम काम को पगद करने हैं, उनमें हम अधिक आशा रखते हैं। वारिष्ठ तक का यह काम है। इच्छा यह है कि एक साल में विहार का काम पूरा हो। बहनों के मन में जो संदेह था, वह अब नहीं रहा है और सबको ध्यान में आ गया है कि अब अपना सर्वस्व क्या है। उम्मागण आशा है कि वे कुछ निश्चित कदम उठावेंगे।

उत्तर प्रदेश ने निश्चय किया है कि बारिश तक ग्यारह लाख पूरा करेंगे। उनके काम के विषय में मैं निश्चित हो गया हूँ, क्योंकि वह सकल्प करनेवालों में गांधी-आश्रम जैसी अच्छी सस्था के कार्यकर्त्ता हैं, जिसकी बीस शाखाएँ हैं और बाबा राघवदासजी भी इस काम में लगे हैं। वे अव गया जिले के समान बादा जिले में केन्द्रित होकर परिश्रम करनेवाले हैं, जो तुलसीदासजी का जिला था। अब वहाँ से दो लाख एकड़ लेने हैं।

अब उड़ीसा वाले भी कटक जिले में एक लाख करने का सोच रहे हैं। गया जिले में हमने एक लाख की बात की, उसका यह परिणाम है।

मेरा विचार यह है कि परधाम के आश्रम का हम संक्षेप करें, वहाँ के काम को देखने के लिए दो-चार भाई वहाँ रहेंगे, परन्तु बाकी के सब भाइयों में मेरा निवेदन है कि वे बिहार में आये। उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं होगी, पर वे काबिल जवान हैं। मुझे उम्मीद है कि वे इस विचार को पसंद करेंगे, क्योंकि हमने सारे देश को आवाहन किया है कि अपने सारे काम बंद करके एक साल के लिए इसमें कूद पड़ें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह सस्था भी, जिससे मेरा अधिक संबंध है, यह करे।^{*}

अब सबको आशा बन रही है, उम्मीद और ढाढस बन रहा है। मुझे सतोष है कि जयप्रकाशजी को मेरा विचार बहुत जच गया है और उन्होंने इसको आत्मसात् किया है। मैं यह एक बड़ी प्राप्ति मानता हूँ। उत्तर प्रदेश में मैंने कहा था कि भूमि तो मिली सो मिली, पर टडनजी और पतजी को यह विचार पसंद आया, यह एक बड़ी बात है। उसका असर हो रहा है। इस आन्दोलन से वहाँ की जनता को और स्टेट को कितना लाभ हुआ है, इसका उनको भान हुआ है।

* इसके अनुसार परधाम-आश्रम में तीन-चार भाई बहन रहे, बाकी सब गया आ गये।

बिहार के मत्री भी इसके अनुकूल हैं, यह एक प्राप्ति है। लेकिन जयप्रकाशजी के मन मे नि मन्देहता पैदा हुई, यह एक बहुत बडी प्राप्ति है। अगर हम नम्रतापूर्वक काम करते जायगे, तो ऐसी ही प्राप्ति होगी और मत्र मज्जतो का सहयोग हम हासिल करेगे।

प्रार्थना-प्रवचन,

चाडिल, ११ मार्च ५३

सर्वोदय-सेवकों से

जब जहा कोई एक बड़ा पत्थर उठाना होता है, वहा सारे लोग एक साथ ताकत लगाते हैं। एक दो, तीन कहते हैं और एक क्षण में सब एक साथ जोर लगाते हैं। अगर वंसा न करे तो वह पत्थर जगह नहीं छोड़ता। तो ऐसा ही यह कार्य है, जिसमें हमें एक साथ और एक समय में अपनी ताकत लगानी है। मैं अपनी ताकत लगा रहा हूँ। दो महीने बाद आप लगाये, फिर चार महीने बाद कोई और लगाये, अपनी-अपनी फुरसत से इस तरह काम नहीं होगा। इस तरह के कामों में एक निश्चित समय होना जरूरी है, लश्करी भाषा में उसे 'जीरो आवर' (शून्य क्षण) कहते हैं, पर उस वक्त हम फुरसत देखें, नहूलियत देखें तो काम नहीं बनता। नेपोलियन ने आठ हजार का लश्कर लेकर आस्ट्रिया पर चढ़ाई कर दी और एक निश्चित समय पर घावा करने की उमने अपनी सेना को आज्ञा दी, और इस तरह विजय प्राप्त की। यह एक लड़ाई का मैंने जिक्र किया। मुझे शौक था इतिहास का, अध्ययन करते-करते लड़ाई का अध्ययन करने का। बक्सर की लड़ाई में समय पर मामान और मदद न पहुंचने से पराजय हुई। तो यह एक हम लोगों में न्यूनता है—व्यवस्थितता का अभाव।

विशिष्ट 'क्षण' का महत्त्व

कुमारप्पाजी ने कहा कि "हमारी संस्कृति में यह विशेषता है कि व्यक्तिगत विक्रम की ओर हमारा ध्यान रहना चाहिए।" पर इसका मतलब यह नहीं कि हम सामूहिक कार्य में भाग ही न लें। इसलिए यह मैंने मिसाल दी बड़ा पत्थर उठाने की और यह बात तुकडोजी महाराज को

भी जच गई। उन्होंने यह निश्चय किया कि वह अपना समय इसमें लगावगे। आप लोगो से भी यही कहना है और आपसे प्रार्थना है कि आप और हम सर्वोदय-प्रेमी हैं, अभी तक रचनात्मक काम करते रहे हैं, जब इस काम में लग जाय। मैंने जब आपसे कहा कि पच्चीस-तीस साल से मैं रचनात्मक काम करता रहा और उसे छोड़कर इस काम में पडा, तो इसके पीछे एक विचार है। मैंने इसलिए यह उठा लिया है कि इसके आधार में और सब कार्य फलेगे और यह भी विश्वास है कि यदि यह काम नहीं हुआ, तो हमारे काम टिकनेवाले नहीं हैं, जो हम अपेक्षा करते हैं, वह नहीं होगा, सामोद्योग का दावा सिद्ध नहीं होगा—तो मुझे आप लोगो से कहना है कि ऐसे मौकों पर परित्याग की भावना होनी चाहिए। सूर्य की वह महिमा है। दक्षिण के लोगो को मैं कह चुका हूँ—तद् सूर्यस्य देवत्वं नः प्रा के समय सूर्य अपनी सब किरणों को जिस प्रकार खींच लेता है, ज़ी तरह हममें भी अपने सब कामों को समेट लेने की शक्ति होनी चाहिए।

जयप्रकाशजी की मिसाल

उन्होंने मेरे विचार सुने, वे इस काम में लग गये और गाव-गाव में इसके लिए धूमें। यहाँ का उनका व्याख्यान पूर्ण निष्ठा से भरा हुआ था। लेकिन एक भी ऐसी मिनाल नहीं बनी कि भूदान के काम के लिए किसी पार्लामेंट के मेम्बर ने यह सोचा हो कि भूदान का काम करना चाहिए।^३ इसलिए पार्लामेंट की मेम्बरशिप से मैं इस्तीफा देता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि उममें पडा क्या है।

एक अनुभव

कालेज के विद्यार्थियों से भी मैं कहता हूँ कि कालेज में क्या रक्खा है? वहाँ तो विपरीत ज्ञान और अज्ञान मिलता है। लेकिन कालेज के विद्यार्थी जोर-शोर से इसमें आते नहीं देखते हैं। कोई कहता है कि दो-तीन दिन खाली हैं, उतने ही दूगा। वाह रे भगवान्! आगरा के लोगों की हालत सुनाता हूँ। मैं आगरा गया। वहाँ से आने के बाद वे लोग एकदम ठडे हो गये। वल्लभस्वामी ने उन्हें समझाया कि विनोवाजी इतना कष्ट उठा रहे हैं तो क्या आपके लिए यह कोई नाटक हो रहा है? तब उन्होंने इस काम के लिए सात दिन दिये और उन सात दिनों में उन्हें सात-आठ सौ एकड़ भूमि मिली। तब उन्हें लगा कि हम और धूमते तो और मिलती। उनकी इस सात और आठ सौ एकड़ भूमि का मतलब है कि सात और आठ सौ को भोजन दिया गया। यदि इतनी को रोजी मिल जाती है तो कितना बड़ा पुण्य का काम हुआ। इसलिए जयप्रकाशजी ने कहा कि गया में अगर तीन लाख एकड़ जमीन होती है, तो कोई वजह नहीं कि हिन्दुस्तान में क्यों न हो? लोगों में यदि निष्ठा आई तो यह कोई असम्भव बात नहीं है।

बड़े आकड़ों को लोग अब अशक्य नहीं कहते और बिहार की रद्दी-ने-रद्दी भूमि पाच सौ रुपये एकड़ में कम में नहीं मिलती। मामूली काश्त कर सके ऐसी जमीन पाच सौ रुपये प्रति एकड़ है। इस हालत में

^३ इस सम्बन्ध में पार्लामेंट के सदस्यों ने अब कुछ कदम उठाया है।

यदि पार्लामेंट के सदस्य कहें कि हमारा थोड़ा-सा काम पड़ा है, उसे करके आयगे, कांग्रेसकार कहें कि थोड़ी मोहलत दीजिये, तो ऐसे में क्या काम हो सकता है? इस तरह से हमारा काम नहीं होगा।

श्रद्धा की शक्ति

गांधीजी गत-दिन प्रार्थना करते थे। वे कहते थे कि मेरी परीक्षा तो तब होगी जब मैं मरूंगा, और वही बात हुई भी। उनका हृदय तो राम में रमा हुआ था। गोली लगते ही उनके मुह में "हे राम" निकल गया। मानव-स्वतन्त्रता, मुक्ति की वासना और मत्संग, ये तीनों हमें मिले। अन्दर से भक्ति और भाव होने चाहिए। आपने छोटी-छोटी लड़कियों के मुह में गुना कि हमने दानाओं के रूप में भगवान् के दर्शन किये। हम उनके पास जाते थे और वे ना नहीं रह सकते थे। उनके मुह से भगवान् बोलते थे। शानावाँ नगरदार गई और पन्द्रह दिन में दो हजार एकड़ जमीन ले आई। वह नामने हरि रूप हैं, यह मानकर लोगो को श्रद्धा में समझाती थी और जमीन मागती थी। ऐसी श्रद्धा में हमें काम करना है और ऐसी श्रद्धा में हम महान् परिणामों तक पहुँच सकते हैं।

न आने से पछतायेंगे

मदद के लिए दौड़े आओ। अगर दौड़े नहीं आओगे तो आप ही पछताओगे।

मैं गांधीजी ने अक्सर मिलता कम था। लोग कहते थे कि “गांधीजी ने ऐसा कहा और वैसा कहा, पर हमें जचता नहीं है।” तो मैं उनसे कहता था कि या तो आप योजना दो और गांधीजी उनका अमल करें। या गांधीजी योजना करें और आप उस पर अमल करें। लेकिन आपमें योजना करने की जकल नहीं है। और गांधीजी के शरीर में आपकी योजना पर अमल करने की ताकत नहीं है। यह जकलमदी की बात नहीं है कि जो इतनी बड़ी भारी पूजा हमारे पास पड़ी है, उसका उपयोग हम न करें और उनको मदद भी न दें। जहा आदमी के चिंतन की बात आती है, वहा मैं नोचूंगा, पर जहा कूद पडने की बात है, वहा मैं फीरन कूद पडूंगा।

एक बार गांधीजी को खयाल हुआ कि मन् ४२ में उपवास की शृखला चले। उन्होंने कहा था कि जब मैं जेल जाऊंगा तो जगारा कटगा और मैं उपवास कटगा, तो सब लोग उपवास शुरू कर दें। लोग घबरा गये और कहने लगे कि उपवास तो अधिकारी ही कर सकते हैं। गांधीजी से कहा कि आपको उपवास हर हालत में नहीं करना चाहिए। वापू ने मुझे बुलाया और कहा कि ऐना मैं सोचता हू कि अन्तिम अनशन मैं करू और सब लोग भी कटे, तो क्या यह हो सकता है? तुम इसमें क्या सलाह देते हो? मैंने उत्तर दिया कि जो काम रामजी कर सकता है, वह हनूमान भी कर सकता है। राम बुद्धि से करता है, हनूमान श्रद्धा से कर सकता है। जिसमें श्रद्धा है, वह निपटा में इस काम को कर सकता है। इसलिए सेनापति आज्ञा कर सकता है और जिसमें श्रद्धा है, वह उसे पूरा कर सकता है। उन्होंने फिर कहा कि कुछ नोचना है तो मोचो, पर मैंने कहा कि मुझे कुछ सोचना नहीं है और मैं उठ कर चला गया। उस पर से महादेवभाई को क्लेश हुआ, क्योंकि मैंने गांधीजी को उपवास की इजाजत दे दी और मेरा खयाल है कि इन वेदना में ही वे चले गये। जिस क्षण मेरे मुख से यह बात निकली, उन्होंने मोचा कि यही एक शख्स था, जो वापू को परावृत कर सकता था। पर जब इनकी सम्मति मिल गई है तो दोनों वावा एकरूप हो गये।

६ अगस्त को बापू गिरफ्तार हो गये और मात माढे मात वजे मुझे यह मालूम हुआ। तीन वजे मैं गिरफ्तार हुआ। जेल में पहुँचा। वहाँ मैंने जेलर से कहा कि जेल में आने के बाद हम आत्मा में रहते हैं, जेलर शरीर का कुछ भी करे, पर हम मर्तवा आपका राज्य मारा नामजूर हैं, इसलिए हमारा उपवास शुरू हो रहा है। आज तो मैंने खाया है, इसलिए खाना नहीं है, पर कल से मेरा उपवास शुरू होगा। एक-डेढ़ घंटे के बाद, कोई साढ़े पाँच का समय होगा, सुपरिन्टेन्डेन्ट ने मुझे बुलाया और मैं हाजिर हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी मुलाकात है, पर आपको कुछ बोलना नहीं है। सामने वालुजकरजी को देखा। तब मैंने कहा कि मुनाओं। श्री वालुजकरजी ने मुनाया कि “बापू ने सदेश दिया है कि अभी आप उपवास न करें।” उनका विचार यह था कि फोरन उपवास न किया जाय, थोड़ा समय बीतने दे। उन्हें मालूम था कि जब मैंने उन्हें उपवास की सम्मति दी थी, तो मैं भी उपवास करनेवाला ही था। यह कहानी मैंने उम्मीद मुनाई कि मुझमें यह आदत नहीं थी कि नाहक तर्कजक्ति चलाये, उम्मीद प्रकट करने लगे और समय गवाये। यह बेकार बात है। मैं मानता था कि बापू मेरे लिए बड़ी भारी पूजा थे तो यह कहने का मोका नहीं जाता ताकि कि बापू ने हमें एक मार्ग बताया और हम उसके लिए समय न दे गये। पर हम सदा तैयार हैं, ऐसा रहना चाहिए।

विनोबा-साहित्य

- विनोबा के विचार (दो भाग) — विनोबाजी के निद्रनों व व्याख्यानो का महत्वपूर्ण संग्रह । प्रथम भाग १॥)
- गीता-प्रवचन — गीता के प्रत्येक अध्याय का बड़ा ही सरल, सुगम शैली में विवेचन । अजिल्द १), सजिल्द १॥॥)
- शान्ति-यात्रा — गांधीजी के देहावसान के बाद अनेक स्थानों में दिये गए विनोबाजी के प्रवचन । सजिल्द ३॥)
- स्थितप्रज्ञ-दर्शन — स्थितप्रज्ञ के लक्षणों की व्याख्या । २।)
- ईशावास्यवृत्ति — ईगोपनिषद् की विस्तृत टीका । १)
- ईशावास्योपनिषद् — मूल श्लोको सहित ईगोपनिषद् का सरल अनुवाद । २)
- सर्वोदय-विचार — सर्वोदय-विषयक लेखों व प्रवचनों का संग्रह । १=)
- स्वराज्य-शास्त्र — प्रश्नोत्तर के रूप में विनोबाजी द्वारा स्वराज्य की परिभाषा, अहिंसात्मक राज्य-पद्धति एवं आदर्श राज्य-व्यवस्था का विवेचन । १)
- भू-दान-यज्ञ — देश के भूमिहीनों की दुर्दशा में प्रभावित होकर भूमि के नमवितरणार्थ दिये गये मूल्यवान् प्रवचन । १)
- राजघाट की सनिधि में — भूदान-यज्ञ के सिलसिले में दिल्ली में दिये गये विनोबाजी के प्रवचन । ॥॥)
- गांधीजी को श्रद्धाजलि — गांधीजी के प्रति विनोबाजी की सर्वोत्तम श्रद्धाजलि । १=)
- जीवन और शिक्षण — युवकोपयोगी लेखों तथा भाषणों का संग्रह । २)
- सर्वोदय का घोषणापत्र — चाडिल-सर्वोदय-सम्मेलन में दिये गए विनोबाजी के महत्वपूर्ण भाषण । १)

गांधी-साहित्य

प्रार्थना-प्रवचन (खंड १,२)—ये मरुलित प्रवचन जो गांधीजी ने दिल्ली की प्रार्थना-सभाओं में दिये थे । ३), २॥)

गीता-पाना—मूल पाठ के साथ-साथ अनामकिन-योग, गीतात्रोप, गीता-प्रवेगिका, गीता-पदार्थ-कोष तथा गीता-मन्त्री लेखों का मरुलन । ४)

पन्द्रह अगस्त के बाद—भारत के स्वतन्त्र होने के दिन से लेकर अन्तिम समय तक के गांधीजी के लेखों का संग्रह । अ० १॥), स० २)

धर्म-नीति—नीति-धर्म, मंगल-प्रभान, मर्वादय और आश्रमवासियों में उन चार पुस्तकों का संग्रह । अ० १॥), स० २)

दक्षिण अफ्रीका के सत्यग्रह का इतिहास—दक्षिण अफ्रीका में मानवीय अधिकारों के लिए किये गए अहिंसात्मक संग्राम का विस्तृत विवरण । ३॥)

मेरे मन-कालीन—समसामयिक नेताओं एवं जनसेवकों के गांधीजी द्वारा किये गए मार्मिक सम्मरण । ५)

सातहूँ पा—पढ़ने में उपन्यास-जैसी रोचक तथा शिक्षा प्रदान करने वाली भाति पवित्र गांधीजी की आत्मकथा । ५)

गीता-योग	॥)	एक सत्यवीर की कथा	१)
अनामकिन-योग	१॥)	सक्षिप्त आत्मकथा	१॥)
गीता-पाना	१=)	हिन्द-स्वराज्य	३॥)
मंगल-प्रभान	१=)	हृदय-मन के पांच दिन	१)
मर्वादय	१=)	बापू की सीमा	॥)
नीति-धर्म	१=)	आज का विचार अतीत	१=)
आश्रमवासियों से	॥)	” सज्जित	॥=)
सत्यग्रह	१)	गांधी-शिक्षा	
सातहूँ-पा	१)	(तीन भाग)	१=)

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली

विनोबाजी की अन्य पुस्तकें

- १ विनोबा के विचार (दो भाग)
- २ स्वराज्य-शास्त्र
- ३ गीता-प्रवचन
- ४ ईशावान्यवृत्ति
- ५ ईशावाम्योपनिषद्
- ६ गा.पी.जी. को श्रद्धाजलि
- ७ शांति-यात्रा
- ८ सर्वोदय-विचार
- ९ स्थितप्रज्ञ-दर्शन
- १० राजघाट की सन्धि में
- ११ जीवन और शिक्षण
- १२ सर्वोदय का घोषणा-पत्र
- १३ भूदान-यज्ञ

अहिंसक
समाज के नवनिर्माण
पर
धीरेन्द्रभाई मजुमदार
के
विचार

दण्ड-निरपेक्ष समाज-रचना

[सर्वोदय समाज के निर्माण की योजना]

धीरेन्द्र मजूमदार

१९५४

अ० भा० सर्व-सेवा-संघ, वर्धा का प्रकाशन

सर्व-सेवा-सघ वर्धा के लिए
मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली
द्वारा प्रकाशित

पहली बार १९५४

मूल्य

चार आना

मुद्रक
नेशनल प्रिंटिंग वर्क्स
दिल्ली

दो शब्द

मैंने कई मौकों पर सर्वोदय सेवकों को यह चेतावनी दी है कि यदि वे भूदान-यज्ञ को केवल भूमि के सम-विभाजन आन्दोलन के रूप में समझेंगे और उन्हें इसकी मूलभूत-क्रांति की धारणा नहीं रहेगी तो हमें उसी तरह से धोखा होगा जिस तरह गांधीजी की स्वराज्य की कल्पना क्या है, इसकी स्पष्ट धारणा देना न रहने से स्वराज्य-आन्दोलन में हुआ। इस पर से कई साथियों ने मुझे इसका अधिक स्पष्टीकरण करने को कहा। तदनुसार सर्वोदय की विचार-क्रांति क्या है और भूदान-यज्ञ के सिलसिले में सर्वोदय-समाज के निर्माण के लिए क्या योजना हो सकती है, यह इस पुस्तिका में बताने की कोशिश की है।

सर्वोदय का पूरा चित्र देने में कहीं-कहीं ऐसी बातें भी आई हैं जिन्हें मैंने दूसरे स्थानों में भी कहा है। लेकिन उनके बिना विचार-प्रवाह अपूर्ण रह जाता, इसलिए उचित स्थानों पर उसे भी रखा गया है। जगह-जगह जो प्रश्न होते रहे हैं, उनमें से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया गया है। मुझे आशा है, सर्वोदय-सेवकों की दृष्टि स्पष्ट करने में यह पुस्तिका सहायक होगी। पुस्तिका पढ़कर किसी भाई या बहन को अगर कोई शंका हो या किन्हीं बातों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वे मुझे लिखने की कृपा करें।

खादीग्राम, जमुई
जिला मुंगेर

—धीरेन्द्र मजूमदार

विषय-सूची

- १ क्रांति की पृष्ठ-भूमि ५-८
 विश्व-क्रांति का स्वरूप—५, क्रांति क्या है—६, क्रांति की पहचान—६, भूदान-आंदोलन—धर्म-चक्र प्रवर्तन—७, जमाने की माग—७, परिवर्तन की प्रक्रिया—७, समाज के मूल्यांकन में क्रांति—८ ।
- २ भूदान की सही भूमिका ८-१५
 रुढ़ि—९, क्रांतद्रष्टा की गति—९, गांधीजी की प्रवृत्तियाँ—१०, भूमिदान पुनर्विभाजन नहीं—११, स्वराज्य आंदोलन में हमारी भूमि—११, भूमिदान में सावधानी—१३ ।
- ३ दड-शक्ति १५-२१
 प्रागैतिहासिक युग में—१६, विभिन्न शक्तियों की विकास-शक्ति—१७, आर्थिक क्रांति—१८, जनता का स्वराज्य एक प्रश्न ?—२०, दड-निरपेक्ष समाज—२० ।
- ४ लोक-शक्ति का निर्माण और कानून २२-३०
 अस्मिता का मोह—२२, शिव कही नहीं है—२४, पूजा का चमत्कार—२५, जनता को आन की अपेक्षा जान की फिर—२६, श्रम-प्राथम्य उत्पादन-पद्धति की आवश्यकता—२६, भूमि पूजा के बज्जे में निरपेक्ष—२७, हमारा उद्देश्य सामन्यहीन समाज बनना—२८, भूमि और कानून—२९ ।
- ५ वर्ग-परिवर्तन की ओर ३१-४१
 हज़ार वर्ग के संगठन का इतिहास—३२, हज़ार बनाने के कार्यक्रम—३३, क्रांति की दो प्रक्रियाएँ—३३, समग्र ग्राम-सेवा का कार्य—३५, व्यक्ति नहीं, पद्धति बदलनी है—३६, श्रम-विभाजन की बात—३६, मन्द-उन्नत और वर्ग-परिवर्तन—४०, विनोबा की चेतावनी—४१ ।
- ६ प्रश्नोत्तर ४२-५०

दण्ड-निरपेक्ष समाज-रचना

: १ :

क्रान्ति की पृष्ठ-भूमि

आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रवर्तित भूदान-यज्ञ ने आज सर्व भारतीय दृष्टि को आकर्षित कर लिया है। केवल भारतीय ही नहीं, सारे विश्व की नजर इस आन्दोलन पर है। दो साल पहले, जब विनोबाजी सेवाग्राम से दिल्ली के लिए रवाना हुए, तब कौन जानता था कि यह यात्रा एक 'विश्व-क्रान्ति' का रूप ले लेगी। केवल विरोधी ही नहीं, साथियों का भी कहना था कि तेलगाना में जो जमीन मिली वह एक विशिष्ट परिस्थिति के दबाव के ही कारण मिली थी। दूसरे प्रदेशों में जमीन दान में नहीं मिल सकेगी। अगर मिलेगी भी, तो जैसे भारत में साधु-सन्तों को दान देने की सनातन परिपाटी है, उन्हींके अनुसार हजार-पाच-सौ एकड़ जमीन भले ही दान में मिल जाय, लेकिन विनोबाजी कहते हैं कि वे इस आन्दोलन द्वारा भूमि-मस्य्या हल करना चाहते हैं। उसकी सिद्धि में इस यात्रा का कोई महत्व नहीं है।

विश्व-क्रान्ति का स्वरूप

धीरे-धीरे लोगो ने देखा कि भूमि का दान मिल रहा है और वह सनातन परिपाटी के परिणामस्वरूप नहीं, बल्कि विशेष व्यापकता के साथ। फिर भी लोगो में शका बनी ही रही कि इस आन्दोलन का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं। लेकिन दो साल में आज मारी दुनिया आन्दोलन की प्रगति देखकर आश्चर्यचकित है। सतों में सामान्य दान के रूप में मोचने की शुरुआत से लोगो ने इसे इस युग के एक बहुमत व्यापक परोपकारी

कार्यक्रम के रूप में देखा। लेकिन आखिर उन्हें मालूम हो गया कि यह एक विद्यवनाति है।

क्रान्ति क्या है ?

ममालोचको का कहना है कि 'क्रान्ति' शब्द का एक फ़ैशन बन गया है। कोई थोड़ा सा भी काम करता है तो सोचता है कि मैं क्रान्ति कर रहा हूँ। इसी तरह से मत विनोबा भी सोच रहे हैं। आखिर वे ममालोचक फ़िल्म क्रान्ति कहते हैं ? क्या धुआधार सवर्ण हो या खून की नदिया बहे तभी ममजा जायगा कि क्रान्ति हो रही है ? अगर ऐसी बात है तो ममार में दो गजाआ का युद्ध, माम्प्रदायिक दगा आदि सभी क्रान्ति हैं।

क्रान्ति की पहचान

क्रान्ति की पहचान बतलाने हुए आचार्य कृपलानी कहते हैं— "क्रान्ति की नवमे बडी पहचान यह है कि एक मामूली कार्यकर्ता भी इसके प्रवाह और प्रेरणा से वह काम सम्पादित कर सकता है, जो उसमें कही योग्य व्यक्ति दूसरी तरह कही भी नहीं कर पाते।" राष्ट्रीय नेताओं के लिए यह बहुत कठिन था कि वे लोगों को भूमि में अलग होने के लिए राजी करते। लेकिन आज लोग उन मामूली नवयुवकों और युवतियों को जमीन दे रहे हैं जिन्होंने इस काम को विनोबाजी की प्रेरणा से अपनाया और जो उसमें पहले राष्ट्र के सामंजसिक जीवन में अज्ञात थे, वरिष्ठ जिनमें से कुछ अभी वार्तिक भी नहीं हुए हैं। वस्तुतः क्रान्ति की एक बडी पहचान यह है कि आवाह-वृद्ध, वनिता उसमें पूरी शक्ति और निष्ठा के साथ लगे रहते हैं।

भूदान-आन्दोलन—धर्म-चक्र-प्रवर्तन

‘ आचार्य विनोबा भावे ने अपने आन्दोलन को ‘धर्म-चक्र-प्रवर्तन’ कहा है । उनका कहना है, “सामान्य धर्म-प्रचार और क्रान्ति या ‘धर्म-चक्र-प्रवर्तन’ ये दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं । सामान्य धर्म तो ऋषि और सत् लोग हमेशा ममज्ञाते रहते हैं । इसलिए सर्वसामान्य धर्म प्रचार एक बात है और जमाने की माग क्या है, यह पहचान कर धर्म-विचार उसके साथ जोड़ देना दूसरी बात है । ” “मत और ऋषि मामूली धर्म-प्रचार तो हमेशा करते रहते हैं, परन्तु उसमें धर्म-चक्र-प्रवर्तन नहीं होता है । जहाँ परिस्थिति के साथ धर्म-भावना जुड़ जाती है वहाँ वह लोगो के दिल को छूती है । इनमें बड़ी शान्ति पैदा होती है । और इसीसे धर्म-चक्र-प्रवर्तन होता है ।” अर्थात् धर्म-प्रचार से सुधार होता है और धर्म-चक्र-प्रवर्तन से क्रान्ति होती है ।

जमाने की माग

वस्तुतः जमाने की माग क्रान्ति की पुकार हुआ करती है । युग-युग में हमेशा ऐसे जमाने आते रहे हैं जिस समय समाज का सारा ढाँचा तोड़ कर नया ढाँचा बनाना अनिवार्य हो जाता है । ऐसे जमाने में सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता होती है । मानव समाज के लिए महान् कल्याणकारी समाज-पद्धति भी काल-क्रम में महान् विनाशकारी पद्धति बन सकती है । ऐसी दशा में सारे समाज से एक सहज पुकार उस पद्धति को तोड़कर नई पद्धति कायम करने की होती है । उसीको जमाने की माग या क्रान्ति-कारी परिस्थिति कहते हैं ।

परिवर्तन की प्रक्रिया

एक सामान्य मिमाल ने क्रान्ति की आवश्यकता स्पष्ट रूप से समझ में आ जायगी । मान लें कि किसी समय एक परिवार ने अपनी सुख-सुविधा और सुरक्षा के लिए विचारपूर्वक अत्यन्त सुविधाजनक मकान बनाया । क्रमशः स्थिति में दो प्रकार का परिवर्तन हुआ । काल-क्रम से पुराना होने के कारण मकान की ईंट में लोनी लगी, लकड़ी आदि सामग्री सड़ी और

पीढी-दर-पीढी पारिवारिक परिस्थिति में हेर-फेर हुआ। शुरू-शुरू में लोग काफी दिन तक मकान की मरम्मत करते रहे और पारिवारिक स्थिति के बदलाव के साथ-साथ मकान की स्थिति में भी रद्दोबदल करते रहे। आखिर एक समय ऐसा आया कि सड़न के कारण घर टूटकर गिरने लगा। रहनेवालों की जान का खतरा आया। रद्दोबदल करते-करते उमकी हालत ऐसी हो गई कि नई परिस्थिति में उसके अन्दर गुजारा करना असंभव हो गया। ऐसी हालत में लोग उस मकान को गिराकर नया मकान बनाते हैं, क्योंकि अब उसमें सुधार या मरम्मत की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।

समाज के मूल्यांकनों में क्रान्ति

इसी तरह मनुष्य के कल्याण के लिए समाज का कुछ ढाँचा बनाया जाता है। तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार कुछ धारणाएँ बनती हैं तथा वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है। यह सब इसलिए होता है कि मानव-समाज सुख और शांति में जीवन बिता सके। समय पाकर इन सबके हठि बन जाने में इस ढाँचे में तथा धारणा और मूल्यांकन में विकृति पैदा होती है। दमरी और मतल परिवर्तनशील प्रकृति के प्रभाव से समाज की परिस्थितियों का निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। दोनों मिलकर ऐसी स्थिति पैदा करने हैं जिसमें समाज का पुराना ढाँचा, जीवन की धारणाएँ तथा मूल्यांकन मौजूदा बदली हुई स्थिति में सुगमकारी न होकर सकटकारी हो जाने हैं। ऐसे सबट में अस्त होकर समाज की अन्तरात्मा एक आमूल परिवर्तन की पुकार करती है। सारे समाज की अन्तरात्मा भी पुकार टल नहीं सकती। यही पुकार मूर्तिमान होकर क्रान्ति का रूप लेती है।

: २

भू-दान की सही भूमिका

जमाने की माग के साथ जुड़ा हुआ होता है, तब क्रांति यानी धर्म-चक्र-वर्तन हो जाता है। हर क्रांति की द्रुत प्रगति भी इसी कारण से हुआ करती है, क्योंकि जमाने की माग के कारण सारे मानव-समाज की दृष्टि ऐसे आन्दोलन की ओर सहज खिंच जाती है। लेकिन जहा यह बात क्रांति को प्रगति देने के लिए एक शक्ति है वहा यही बात उसी क्रांति के लिए खतरा भी है। इसलिए जरूरी है कि भूमिदान आन्दोलन में कार्यकर्ता अपने काम के साथ क्रांति पर के खतरे के बारे में निरन्तर जागृत रहे।

रुद्धि

शुरू-शुरू में कोई क्रांतिकारी दृष्टा जमाने की माग को पहचान कर उमें पूरा करने का एक मार्ग उपस्थित करता है। प्रकृति में निरन्तर प्रगति-शील होने के कारण क्रांतिकारी मार्ग हमेशा नया होता है और उसकी मिसाल इतिहास में नहीं हुआ करती। यही कारण है कि जब क्रांतिकारी पुरुष नई वाते करते हैं तब यद्यपि साधारण जनता उसे समझ लेती है, पर पढ़े-लिखे विद्वानों को उनकी बातें नहीं भाती, क्योंकि पंडितों की बुद्धि प्रायः भास्त्रों की जिल्द के अन्दर गिरफ्तार रहती है और वे अपनी किताबों में लिखे हुए नूत्र के अनुसार वाते ही समझ पाते हैं। इसलिए वे प्रारम्भ में क्रांतिकारी की बातों की हसी उडाते हैं, दूसरी ओर इस क्रांति के जमाने की माग का सही पूरक होने के कारण जनसाधारण का दिल सहज ही उनकी ओर दौडता है। लेकिन प्रकृति से रुद्धिग्रस्त होने के कारण उनकी बुद्धि साधारणतः पंडितों की ओर ही झुकती रहती है।

क्रान्त दृष्टा की गति

इस प्रकार क्रांतिकारी पुरुष शुरू-शुरू में समाज में साधारण जनता के दिल को आकर्षित करते हुए भी अकेला ही चलता है। लेकिन दिल माथ होने के कारण जल्दी ही वह जनता को अपनी ओर खींचकर उमें क्रांतिकारी मार्ग पर चलाने लगता है। फिर वह प्रगति जब व्यापक हो जाती है तो पढ़े-लिखे विद्वानों की भी दृष्टि आकर्षित होती है। उनमें से दो-एक ऐसे भी होते हैं जो जमाने की नमस्याओं के समाधान के लिए अपने पांडित्य

की अमारता महमूम कर नई क्रांति की बात समझने लगने हैं और उम क्रांतिकारी द्रष्टा के भक्त बन जाते हैं। भक्त बनने पर भी उन्हें सारी बातों को अपनी किताबी भाषा में अनुवाद करके ही सोचना पड़ता है। सिर्फ अपने ही सोचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी विद्वान विरादरी को समझाने के लिए भी वे पुरानी किताबों के पन्नों में ही नई क्रांति की बात ढूढने लगते हैं। विद्वानों के लिए ऐसी चेट्टा क्रांति के लिए प्रयत्न खतरा है।

गांधीजी की प्रवृत्तियाँ

गांधीजी ने मानव-समाज को शोषण तथा निर्दलन में बचाने के लिए चर्खों का संदेश सुनाया। वे चर्खों के माध्यम से स्वावलंबी आर्थिक व्यवस्था कायम करना चाहते थे, क्योंकि वे समझते थे कि जबतक स्वतन्त्र जनशक्ति के आधार पर मानव-जीवन स्वावलंबी नहीं होगा तबतक मनुष्य को वास्तविक आजादी नहीं मिल सकती। यह स्वावलंबी आर्थिक व्यवस्था एक नई बात थी। गांधीजी के आन्दोलन की विराट प्रगति ने जिन बहुत से विद्वानों को उगता भान बना दिया था उन्होंने स्वभावतः पुरानी किताबों के पन्नों पर गांधीजी की बातों को ढूढने की कोशिश की। किताबों में भारत की अति प्राचीन प्राचीन स्वावलंबी समाज की बात जरूर पाई जाती है। लेकिन साधनिय पंडितजन उसे मजबूरी का नतीजा समझ कर उसे अर्धज्ञानिक तथा प्रतिगामी मानने लगते हैं। इसलिए वह बात उन्हें भाती नहीं। आधुनिक किताबों में ढूढने हुए उन्हें विकेंद्रीकरण का एक शब्द मिला और उन्होंने उसे पढ़ी-लिखी दुनिया में प्रसिद्ध किया।

करीब वही हुआ। गांधीजी के अनुयायियों द्वारा स्वावलंबी समाज-व्यवस्था के सिद्धांत का आग्रह छोड़कर विकेंद्रीकरण की बात करने के कारण जन-स्वावलंबन के आधारपर सच्चे लोकतंत्र के रूप में ग्रामराज्य कायम न होकर एक विराट् केन्द्रित सत्ता के नीचे सारी प्रजा दबती जा रही है। यह सही है कि हम लोग लोककल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) की बात करते हैं और सोचते हैं कि इसीसे गणराज्य सच्चा होगा, लेकिन तानाशाही सरकार भी तो लोककल्याणकारी हो सकती है, बल्कि लोक-कल्याणकारी होने के कारण ही प्रारम्भ में जनता तानाशाही को स्वीकार भी करती है। इस तरह किताबों के सूत्र में नई क्रांति की बात डूबने की चेष्टा से क्रांति इस प्रकार विपथगामी हो सकती है। उसकी मिसाल हमने अभी-अभी भारतीय आन्दोलन से देखी।

भूमिदान पुनर्विभाजन नहीं

उसी तरह विनोबाजी ने भूमिदान-यज्ञ आन्दोलन चलाया और विद्वानों ने जब इसमें क्रांतिकारी स्वरूप को देख लिया तब वे पुरानी प्रचलित किताबों के पन्नों को पढ़कर इसे भूमि के पुनर्विभाजन के रूप में समझने लगे। यह समझने की आवश्यकता है कि जैसे विकेंद्रीकरण-मात्र से गांधीजी का स्वावलंबन नहीं होता उसी तरह भूमि के पुनर्विभाजन-मात्र से ही विनोबाजी का भूमिदान-यज्ञ नहीं होता है। भूमि का वितरण तो जापान और चीन में भी हुआ है, लेकिन क्या वहां भूमिदान-यज्ञ के उद्देश्य के अनुसार सर्वोदय समाज यानी शासन तथा शोषण-रहित जनतंत्र कायम हो सका है? वहां तो उत्कट तानाशाही का ही सगठन हुआ है। अगर भूमि-दान-यज्ञ को केवल भूमि-वितरण के ही रूप में देखा जाय और उसी दिशा में ही कार्यकर्ता आगे बढ़े, तो क्या भारत में भी तानाशाही का खतरा नहीं आ सकता ?

स्वराज्य आंदोलन में हमारी भूल

मैंने शुरू में कहा है कि इस यज्ञ के प्रति सारे भारत की दृष्टि आकर्षित हुई है। केवल आकर्षित ही नहीं हुई, बल्कि सभी श्रेणियों और सभी

की असारता महमूस कर नई क्रांति की बात समझने लगते हैं और उस क्रांतिकारी द्रष्टा के भक्त बन जाते हैं। भक्त बनने पर भी उन्हें मारी बातों को अपनी किताबी भाषा में अनुवाद करके ही सोचना पड़ता है। सिर्फ अपने ही सोचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी विद्वान विरादरी को समझाने के लिए भी वे पुरानी किताबों के पन्नों में ही नई क्रांति की बात ढूढ़ने लगते हैं। विद्वानों के लिए ऐसी चेंष्टा क्रांति के लिए प्रथम खतरा है।

गाधीजी की प्रवृत्तियाँ

गाधीजी ने मानव-समाज को शोषण तथा निर्दलन से बचाने के लिए चर्खे का सदेश सुनाया। वे चर्खे के माध्यम से स्वावलंबी आर्थिक व्यवस्था कायम करना चाहते थे, क्योंकि वे समझते थे कि जबतक स्वतन्त्र जनशक्ति के आधार पर मानव-जीवन स्वावलंबी नहीं होगा तबतक मनुष्य को वास्तविक आजादी नहीं मिल सकती। यह स्वावलंबी आर्थिक व्यवस्था एक नई बात थी। गाधीजी के आन्दोलन की विराट प्रगति ने जिन बहुत से विद्वानों को उनका भक्त बना दिया था उन्होंने स्वभावतः पुरानी किताबों के पन्नों पर गाधीजी की बातों को ढूढ़ने की कोशिश की। किताबों में भारत की अति प्राचीनकालीन स्वावलंबी समाज की बात जरूर पाई जाती है। लेकिन आधुनिक पंडितजन उसे मजबूरी का नतीजा समझ कर उसे अवैज्ञानिक तथा प्रतिगामी मानने लगते हैं। इसलिए वह बात उन्हें भाती नहीं। आधुनिक किताबों में ढूढ़ते हुए उन्हें विकेंद्रीकरण का एक शब्द मिला और उन्होंने इसे पढी-लिखी दुनिया में प्रसिद्ध किया।

गाधीजी ने स्वावलंबी समाज की बात दुनिया में मौलिक लोकतंत्र कायम करने के लिए ही की थी। लेकिन किताबों की समाज की विकेंद्रीकरण की धारणा वहाँ तक कैसे पहुँच सकती है। यही कारण है कि यद्यपि अमेरिका में हेनरी फोर्ट तथा फ्रैमिस्ट जापान के नेता के विकेंद्रीकरण की बात करने ग्रे और जापान में उसका व्यापक अमल होता रहा, फिर भी उन मुल्कों में गाधीजी की धारणा के अनुसार लोकतंत्र कायम होने की क्रांति न होकर दिन-प्रतिदिन तानाशाही का ही सगठन होता गया। भारत में भी करीब-

करीब वही हुआ। गांधीजी के अनुयायियों द्वारा स्वावलंबी समाज-व्यवस्था के मिद्दात का आग्रह छोड़कर विकेंद्रीकरण की बात करने के कारण जन-स्वावलंबन के आधारपर मच्चे लोकतंत्र के रूप में ग्रामराज्य कायम न होकर एक विराट् केन्द्रित सत्ता के नीचे सारी प्रजा दबती जा रही है। यह सही है कि हम लोग लोककल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) की बात करते हैं और मोचते हैं कि इसीसे गणराज्य सच्चा होगा, लेकिन तानाशाही सरकार भी तो लोककल्याणकारी हो सकती है, बल्कि लोक-कल्याणकारी होने के कारण ही प्रारम्भ में जनता तानाशाही को स्वीकार भी करती है। इस तरह कित्तवो के सूत्र में नई क्रांति की बात डूबने की चेष्टा से क्रांति इस प्रकार विपथगामी हो सकती है। उसकी मिसाल हमने अभी-अभी भारतीय आन्दोलन में देखी।

भूमिदान पुनर्विभाजन नहीं

उन्नी तरह विनोबाजी ने भूमिदान-यज्ञ आन्दोलन चलाया और विद्वानों ने जब इसमें क्रांतिकारी स्वरूप को देख लिया तब वे पुरानी प्रचलित कित्तवो के पत्रों को पढ़कर इसे भूमि के पुनर्विभाजन के रूप में नमझने लगे। यह नमझने की आवश्यकता है कि जैसे विकेंद्रीकरण-मात्र से गांधीजी का स्वावलंबन नहीं होता उन्नी तरह भूमि के पुनर्विभाजन-मात्र से ही विनोबाजी का भूमिदान-यज्ञ नहीं होता है। भूमि का वितरण तो जापान और चीन में भी हुआ है, लेकिन क्या वहाँ भूमिदान-यज्ञ के उद्देश्य के अनुसार सर्वोदय समाज यानी शान्त तथा शोषण-रहित जनतंत्र कायम हो सका है? वहाँ तो उत्कट तानाशाही का ही मगठन हुआ है। अगर भूमि-दान-यज्ञ को केवल भूमि-वितरण के ही रूप में देखा जाय और उसी दिशा में ही कार्यकर्ता आगे बढ़ें, तो क्या भारत में भी तानाशाही का खतरा नहीं आ सकता ?

स्वराज्य आंदोलन में हमारी भूल

मैंने शुरू में कहा है कि इस यज्ञ के प्रति मारे भारत की दृष्टि आकर्षित हुई है। केवल आकर्षित ही नहीं हुई, बल्कि सभी श्रेणियों और सभी

दलों के लोग इस आन्दोलन में शामिल हो रहे हैं। यज्ञ की यह एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जहाँ यह एक शक्ति है, वही यह एक खतरे का कारण भी हो सकती है। गांधीजी ने स्वराज्य का आन्दोलन चलाया। वे कहते रहे कि अंग्रेजी राज्य को हटाना स्वराज्य का पहला काम है। गांधीजी की वह पुकार उस समय जमाने की भाग के अनुसार ही थी। सब चाहते थे कि अंग्रेज हटें, चाहे अंग्रेज हटने के बाद स्वराज्य के बारे में उनकी कुछ भी धारणा या राय रही हो। अतः उस समय सभी श्रेणी के और सभी राय के लोग गांधीजी के आन्दोलन में शामिल हुए। उसमें पूजापति आये, शुद्ध राष्ट्रवादी आये, सामन्तवादी, गांधीवादी, सम्प्रदायवादी सभी आये और सबने मिल कर अंग्रेजी राज्य को हटाने का काम लिया। अंग्रेज हटे, लेकिन मुल्क का राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक ढाँचा ज्यों-का-त्यों बना रहा। गांधीजी का स्वराज्य नहीं हुआ। विदेशी राज्य की जगह पर एक स्वदेशी राज्य होकर रह गया है। ऐसा क्यों हुआ? इसपर विचार करना चाहिए, ताकि भूमिदान-यज्ञ पर के दूसरे खतरों के बारे में स्पष्ट धारणा हो सके। शुरू से ही स्वराज्य के बारे में गांधीजी की स्पष्ट धारणा थी, और वे समय-समय पर उमका स्पष्टीकरण भी करते रहे, लेकिन उनके भक्तों और अनुयायियों ने उनकी मूल क्रांति पर गहराई के साथ विचार और विवेचन नहीं किया। वे मग्न एक न्यून श्लोक से अंग्रेजों को हटाने के काम में सलग्न रहे। वे समझते रहे कि उनके जितने भी साथी हैं, सभी एक ही लक्ष्य के यात्री हैं। नतीजा यह हुआ कि उनके विचार धूमिल रह गये। यह सही है कि गांधीजी रचनात्मक कार्यक्रम और मस्या के जरिये अपनी क्रांति की नींव डालने की चेष्टा करते रहे, लेकिन हम रचनात्मक काम करनेवाले इन कार्यक्रमों को क्रांति की बुनियाद न समझ कर राजनैतिक सघर्ष के उद्देश्य से जनसम्पर्क साधने का एक मन्त्रिय साधन मानते रहे। हममें से कुछ उमें जनहित का कार्यक्रम-मात्र ही समझते रहे। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे उन साथियों ने जो प्रतिक्रियावादी थे तथा जिनकी नीयत और उद्देश्य स्पष्ट थे,

परिस्थिति पर कब्जा कर लिया। हम भी उनके द्वारा क्रांति सधेगी, यह समझ कर निश्चेष्ट रहे।

फिर जब हमने देखा कि हमारे वे साथी, जिन्हें हम अपने स्वधर्मों समझते थे, लेकिन जिनके सिद्धांत, धारणा तथा दृष्टि वस्तुतः प्रथम थी, हमारी धारणा के अनुसार मुल्क के राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे में आमूल परिवर्तन न कर पुराने ढांचे को ही संचालित कर रहे हैं, तो हम उनकी शिकायत करने लगे। लेकिन शिकायत का कोई कारण नहीं था। वह स्वाभाविक था। क्रांतिकारी जब आन्दोलन चलाता है और आन्दोलन के शुरु में जब ऐसा कार्यक्रम लेना पड़ता है, जिसको करने के लिए हर तबके के लोगो का आग्रह होता है तो वह सबके साथ सयुक्त मोर्चा बनाता है। लेकिन ऐसी हालत में उसे निरन्तर जाग्रत रहना पड़ता है ताकि उसकी क्रांति की धारणा धूमिल होकर वह प्रति-क्रांतिकारी शक्ति के हाथ में न चली जाय। हमने स्वराज्य के क्रांतिकारी आन्दोलन के समय ऐसी चौकसी नहीं रखी। इसलिए आज मुल्क पर प्रतिक्रियावादी शक्ति हावी है।

भूमिदान में सावधानी

जिस तरह गांधीजी ने स्वराज्य के बारे में स्पष्ट धारणा मुल्क के सामने रखते हुए भी, पहले देश का सारा ध्यान विदेशी राज्य हटाने पर केंद्रित करने को कहा, और ऐसा कहना एक व्यावहारिक क्रांतिकारी के लिए स्वाभाविक भी था, उसी तरह आज विनोवाजी भी अपनी आर्थिक तथा सामाजिक क्रांति की स्पष्ट धारणा देश के सामने रखने पर भी पहले भूमि प्राप्ति तथा भूमि-वितरण के काम में सारी शक्ति केन्द्रित करने के लिए "एकहि साथे सब सधे" की बात कह रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जबतक पहला कदम जम न जाय तबतक आगे का कदम उठाना कठिन है। और बहुमुखी कार्यक्रम चलाने से शक्ति बिखर कर क्रांति में कमजोरी आ सकती है। लेकिन आज अगर विनोवाजी की क्रांतिकारी धारणा के अनुसार भविष्य की समाज-रचना के सिद्धांत को माननेवाले कार्यकर्त्ता आगे का कदम तथा भावी राष्ट्र-निर्माण के बारे में उसी तरह से विचार तथा विवेचन

किये बिना केवल भूमि-दान की ही बात सोचते रहेंगे, जिस तरह हम स्व-राज्य आन्दोलन के समय सोचते रहे, तो इस वार भी हम चूकेगे और एक वार और प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ सगठित होकर हमारी क्रांति को उलटे रास्ते ले जायगी। जिस प्रकार अंग्रेजों को हटाना कई प्रकार के लोगों के लिए इष्ट था, उसी प्रकार भूमि का पुनर्विभाजन भी कई सिद्धांत, दृष्टि तथा नीयत वालों के लिए भी इष्ट हो सकता है। जमींदारी प्रथा सामन्तवादी प्रथा का ही भग्नावशेष है। हमने इतिहास में देखा है कि सामन्तवाद को खतम करने वाले पूँजीवादी ही थे। आज भी पूँजीवादी जमींदारी प्रथा को खतम ही करना चाहिए, क्योंकि जमींदारों के रहते भूमि पर पैदा हुए कच्चे मालों पर सीधा अपना ही नियंत्रण रखने में उन्हें दिक्कत हो सकती है। इसलिए वे भूमिदान-यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। चीन के कम्युनिस्ट तानाशाही राज्य-व्यवस्था को ही मानते हैं, लेकिन उन्होंने भूमि का पुनर्विभाजन किया अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही। अतः कम्युनिस्ट अपने पार्टीहित की दृष्टि में चाहे इस यज्ञ में भले ही घबराये, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि में वे भी इस पुनर्विभाजन कार्य में शामिल हो सकते हैं। ऐसे काफी लोग हो सकते हैं जो औद्योगिक केन्द्रीकरण को मानते हुए भी देहाती गरीबी को राहत की दृष्टि में भूमि के पुनर्विभाजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जातीयतावादी तथा सम्प्रदाय-वादी भी भूमिवितरण के साथ हो सकते हैं। ऐसे जातीयतावादी शोषित दल आदि नामों से सगठित हो भी रहे हैं। आज जनमग्न आदि साम्प्रदायिक प्रतिक्रियावादी भी इसके साथ हैं। जनरल मैकआर्थर कोर्ट सर्वोदयवादी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी तो जापान में भूमि का पुनर्विभाजन किया।

इस तरह जहाँ एक ओर कोर्ट नया धर्मविचार जमाने की माँग के साथ जुटा न होने में वह सामान्य ऋषि-व्यास्य होकर कुछ विवेकी पुरुषों का व्यक्तिगत आचारमात्र ही रह जाना है, उसमें आम जनता के शामिल न होने के कारण उस विचार में कोई शक्ति नहीं रहती है, वहाँ दूसरी ओर हर विस्म के लोगों के शामिल होने के कारण क्रांति की दृष्टि धूमिल होने की

सभावना रहती है। इसलिए मैंने कहा है कि जमाने की माग के साथ एक-रसता जहा क्रांति के लिए एक शक्ति है वहा वही बात उसके लिए खतरा भी हो सकती है। अतएव जो लोग इसे क्रांतिकारी आन्दोलन के रूप में देखते हैं, उन्हें यज्ञ के भौतिक आधार के बारे में विचार करना होगा। इस विचार का प्रचार मुल्क भर में करना होगा ताकि देश की दृष्टि साफ हो सके।

इसका मतलब यह नहीं है कि भूमिदान में कार्यकर्ता सब श्रेणी के लोगों को मिलाकर काम न करें- अधिक-से-अधिक लोगों को विना खींचे कोई आन्दोलन नहीं चलता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वे अपनी क्रांति की दृष्टि स्पष्ट रखें। हरेक तबके में लोगों के सामने उस विचार को साफ तौर से पेश करें। किताबों के सूत्र में से अगर कोई बात निकालनी हो तो उसकी स्पष्ट और क्रांतिकारी परिभाषा इस ढंग से करें कि जनता की समझ में गलतफहमी न रहे, ताकि दूसरी दृष्टि तथा सिद्धांत के लोग अपने उद्देश्य की सिद्धि में उसे इस्तेमाल न कर सकें।

: ३ :

दंड-शक्ति

विनोबाजी भूमिदान आन्दोलन को अहिंसक समाज-रचना का पहला कदम कहते हैं। अहिंसक समाज का मतलब है हिंसा-रहित समाज। अत हमें मलत समाज से हिंसा हटाने की बात सोचनी होगी, लेकिन हिंसा स्वतः कोई चीज नहीं है। वह शोषण-वृत्ति का नतीजा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करना चाहता है और अगर वह निर्विरोध शोषण करने में सफल होता है तो वह खामखा हिंसा नहीं करता। एक मुल्क दूसरे मुल्क का शोषण करना चाहता है और निर्विरोध शोषण करने में समर्थ होता है तो खामखा युद्ध नहीं छेड़ता। इस तरह हम देखेंगे कि साधारणतः शोषण की वृत्ति से ही हिंसा की शुरुआत होती है।

अतएव अहिंसक समाज-रचना के लिए शोपण-हीन समाज-रचना की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि शोपण होता है किम चीज का ? साधारणतः श्रम का यानी शरीर का शोपण ही शोपण माना जाता है। लेकिन मनुष्य केवल शरीर ही नहीं होता। उसमें आत्मा भी होती है। अतः विचार करने की आवश्यकता है कि शरीर के साथ-साथ आत्मा का भी शोपण हो सकता है, बल्कि शरीर का शोपण न होते हुए भी आत्मा का शोपण हो सकता है।

मनुष्य की आत्मा का शोपण उसकी आजादी छीनने में होता है। वस्तुतः मनुष्य की आजादी छीननेवाला सबसे बड़ा यत्र शासन होता है, अर्थात् शासन-यत्र मनुष्य की आत्मा के शोपण का कारण होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति पर जिस हद तक शासन का दड रहेगा उस हद तक उसकी आत्मा कुठित रहेगी। अतः शोपण-हीन समाज-रचना के लिए प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि दुनिया में दड-हीन समाज याने स्वराज्य कायम हो।

वस्तुतः दुनिया की आज की मुख्य समस्या स्वराज्य की समस्या है। साम्यवादी, फैंसिस्टवादी, लोकतन्त्रवादी, किसी नाम से भी पुकारा जाय, आज की दुनिया में हर मुल्क में उत्कट तानाशाही ही चल रही है। वास्तविक लोकशाही का अस्तित्व कहीं नहीं दिखाई देता। जहाँ कहीं जनतन्त्र का नाम है वहाँ भी जनता की वैसे ही हालत है जैसे कि कचहरी से अपने 'हक' की 'डिग्री' पाते हुए भी किसी किसान को अपनी जमीन का कब्जा न मिला हो।

प्रागैतिहासिक युग में

मानव-इतिहास के प्रथम युग में मानव झुंड में रहते थे। सहयोगिता के आचार पर जिन्दगी का साधन पैदा करके स्वच्छद विचरते थे। क्रमशः समाज में प्रतियोगिता और उसके फलस्वरूप मघर्ष पैदा हुआ। स्वच्छद समाज के उभरने ने धीरे-धीरे मानव-समाज के अस्तित्व को ही गतरे में टाक दिया। अस्तित्व कायम रखना प्रकृति की मरु-वृत्ति होने के कारण

मनुष्य अपने अस्तित्व का खतरा वर्दाशत नहीं कर सकता था। वह इस स्थिति से निकलने का उपाय सोचने लगा।

विभिन्न शक्तियों की विकास-क्रांति

पुराणों की कथा के अनुसार मनुष्य आपसी सघर्ष से परेशान होकर आत्मरक्षा की नीयत में ब्रह्मा के पास पहुंचा। ब्रह्मा ने मनुष्य पर कृपा करके उनपर राज्य करने के लिए मनु को ससार में भेज दिया, जिससे वह सघर्ष की चौकीदारी कर सके। इस तरह ससार में प्रतिद्वंद्विता के बीज से राज-द्वंद्व की सृष्टि हुई। सघर्षकाल के लिए एक मध्यस्थ के रूप में उन्हें अपनी जिम्मेदारी मुचार्ह रूप में चलाने के लिए सैनिक शक्ति की सृष्टि करनी पड़ी। सैनिक बल से पुष्टि पाकर धीरे-धीरे दडशक्ति अधिकतर सगठित और बलशाली होने लगी। नतीजा यह हुआ कि यह शक्ति क्रमशः जन-शक्ति पर हावी होती गई। जनता भी सहूलियत के मोह से अपनी व्यवस्था और संचालन के लिए उसी राजदड पर भरोसा करने लगी। जनता की इस कमजोरी का फायदा उठा कर दड-शक्ति उसपर सिर्फ हावी ही नहीं हुई, बल्कि उसका निर्दलन भी करने लगी।

इस प्रकार एक मध्यस्थ के रूप में जन्म लेकर राजशक्ति यानी दड-शक्ति जन-स्वतन्त्रता का निर्दलन करके ससार पर अपनी सत्ता कायम करने लगी। मनुष्य इस स्थिति से फिर परेशान हुआ। जिस शक्ति को उसने अपना रक्षक मानकर पैदा किया था वही शक्ति उसकी भक्षक होकर उसकी आजादी भी छीनने लगी अर्थात् उसकी आत्मा का शोषण करने लगी। फिर से मानव-समाज ने इस स्थिति में से अपने को निकालना चाहा और दुनिया में राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र कायम करने के लिए एक महान क्रांति की। हमने देखा कि फ्रांस में एक विराट विस्फोट हुआ और सारी दुनिया में वह फैल गया। दुनिया से राजतंत्र खत्म हो गया।

इस क्रांति की चेष्टा में मनुष्य ने एक महान भूल की। उसने राजाओं को खत्म किया, लेकिन वे जिसे दड-शक्ति के मालिक थे उसकी आवश्यकता को खत्म नहीं किया। सिर्फ राजा के हाथ से उसे छीनकर पार्लामेंट के नाम

से जनता के प्रतिनिधियों की सस्था बनाकर उसके हाथ में सौंप दिया और सोचा कि अब हमारे अपने आदमी के हाथ में दड है, इसलिए कोई खतरा नहीं। देहात में एक कहावत है, "सैया भये कोतवाल कि अब डर काहे का।" अर्थात् अब चैन से सोया जा सकता है। जनता भी प्रतिनिधियों को चुनकर चैन से सो गई, किन्तु, 'प्रभुता पाय काहि मद नाही' इस तत्व को वह भूल गई। निश्चित जनता की सुव्यवस्था और सचालन के बहाने ये नये दड-धारी अपनी विगाल शक्ति को लेकर जन-जीवन के अधिक-से-अधिक हिस्से पर कब्जा करने लगे। नतीजा यह हुआ कि लोकतंत्र में राजतंत्र के समय से जनता पर दड का दखल बढ़ता गया यानी उसकी आजादी घटती गई, अर्थात् उसकी आत्मा का अधिक शोषण होने लगा। -

आर्थिक क्रांति

जिस समय ससार में यह राजनैतिक क्रांति चल रही थी, ठीक उसी समय आर्थिक क्षेत्र में एक महान क्रांति हुई। 'जेम्स वाट' द्वारा वाष्प-शक्ति में आविष्कार के साथ-साथ आर्थिक उत्पादन के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पहले दस्तकार अपने छोटे-छोटे औजार लेकर स्वतन्त्रता-पूर्वक जिन्दगी के साधन पैदा करते थे, उसका उपभोग करते थे और अतिरिक्त सामान स्वतन्त्र रूप से बेचकर अपनी दूसरी आवश्यकताओं की भी तृप्ति कर लेते थे। उत्पादन की प्रक्रिया बदल कर केंद्रित हो जाने के कारण सारी जनता का आर्थिक निःशस्त्रीकरण हो गया। वह अब स्वतन्त्र रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती थी। उसे जिन्दा रहने के लिए अब पूर्ण रूप में कारखाने या पूजीपति का भरोसा करना पड़ा। आर्थिक जिन्दगी पर कब्जा करने के कारण इन पूजीपतियों ने स्वभावतः राजदड पर भी अपना कब्जा जमा लिया। नतीजा यह हुआ कि एक ही हाथ में दड-शक्ति और उत्पादन-शक्ति दोनों होने के कारण वे जनता का अधिक शोषण करने लगे। यह शोषण सिर्फ आत्मा तक ही मर्यादित न होकर शरीर का भी होने लगा, क्योंकि अपनी स्वतन्त्रता में उत्पादन न कर सकने के कारण उत्पादक श्रमिकों को अपना श्रम वागन्वानेदारों के हाथ में बेचने पर मजबूर होना

पडा । श्रमिकों की मजबूरी से पूजीपति उसका नाजायज फायदा भी उठाने लगे ।

इस तरह पूजीवादी लोकतंत्र में जनता की हालत राजतंत्र से भी अधिक खराब हो गई, क्योंकि राजतंत्र में जहाँ जनता की आत्मा ही कुठित होती थी, वहाँ लोकतंत्र में जनता के शरीर और आत्मा दोनों का शोषण होने लगा, सो भी पहले से अधिक पैमाने पर । इससे भी ऊँच कर मनुष्य ने वाद में जो क्रांति की, उससे उसकी आत्मा और अधिक कुठित हो गई । पहले जिस तरह राजाओं को हटा कर राजदड को पार्लामेंट के हाथ में डाल दिया उसी तरह अब केवल राजदड ही नहीं, बल्कि उत्पादन-यंत्र भी एक ही दल के हाथ में सौंप दिया । जब दमन तथा उत्पादन के साधन एक ही गुट के हाथ में आ गये, तब उसके लिए जनता का पूर्णरूप से निर्दलन करना आसान हो गया । दड का दबाव जनता पर और अधिक हो गया ।

कहावत है, 'ज्यो-ज्यो इलाज किया मर्ज बढ़ता ही गया ।' मनुष्य जैसे-जैसे आजादी की चेष्टा करता गया, वैसे-वैसे उसके गले में शासन का फदा पड़ता गया । कारण यह है कि, यद्यपि मनुष्य ने इस चेष्टा में बड़ी-बड़ी क्रांतियाँ की, भीषण आत्म-बलिदान भी किया, लेकिन उसने एक बुनियादी भूल की । उसने यह नहीं समझा कि उसके सिर पर दड गिरता है, दड चलाने वाला नहीं । इस भूल के कारण उसने यह समझा कि उसको तकलीफ दड चलाने वाले के कारण हो रही है, न कि दड के कारण । इसीलिए उसने हमेशा चलाने वाले पर ही हमला किया और दड को केवल सुरक्षित ही नहीं रखा, बल्कि उसका कलेवर बढ़ाता ही गया । गांधीजी ने मानव-समाज की दृष्टि इन बुनियादी भूल की ओर आकृष्ट की । उन्होंने बताया कि मनुष्य खुद दीपी नहीं होता, पद्धति ही किसी सुख या दुख का कारण होती है । अगर दड के आघात में तकलीफ होती है तो दड को न हटाकर दड चलाने वाले को बदलने से कोई लाभ नहीं होता । अतएव अगर मनुष्य को शोषण-मुक्त होना है तो उसे दुनिया में एक दडहीन यानी शासनहीन समाज कायम करना होगा ।

जनता का स्वराज्य • एक प्रश्न ?

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या दुनिया में ऐसा दडहीन समाज प्रत्यक्ष देख सकेगा ? शायद नहीं, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य यानी शासनहीन समाज एक आदर्श है। आदर्श तो रेखागणित के बिन्दु जैसा होता है। उसकी धारणा की जा सकती है। वह दिखाई नहीं देता है। लेकिन यथार्थ रेखागणित का बिन्दु दिखाई नहीं देना है, तो भी हमें जो कुछ दिखाई देता है, यानी जितनी इमारतें, सड़क, पुल, कल-कारखाने आदि हैं, वे सब-के-सब रेखागणित के बिन्दु के आधार पर ही बने हुए हैं। अगर कोई इंजीनियर इन तमाम प्रत्यक्ष चीजों के निर्माण में उस बिन्दु का आधार छोड़ दे तो उपर्युक्त चीजों में से एक भी खड़ी न हो पायेगी।

अतएव हमको भविष्य के समाज-निर्माण के लिए पूर्ण दड-हीन समाज के आधार पर एक व्यावहारिक रचना करनी होगी। अगर पूर्ण शासन-हीन समाज केवल आदर्श है तो निःसंदेह हम कितना ही आदर्श के नजदीक क्यों न पहुँचे, किसी-न-किसी रूप में तथा हृद में शासन-दड रह ही जायगा। फिर जनता का स्वराज्य कैसे हो ? यह प्रश्न है।

दण्ड-निरपेक्ष समाज

दडहीन समाज के आदर्श पर एक दड-निरपेक्ष समाज बन सकता है, अर्थात् शासन-यंत्र के अवशेष रहते हुए भी मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकता तथा समाज की सामान्य व्यवस्था और उसका संचालन दड-शक्ति के बाहर स्वतन्त्र जनशक्ति के आधार पर संगठित कर सकता है। दड-शक्ति का अस्तित्व मनुष्य के लिए उतने ही भर के लिए होगा जितने भर के लिए रेलगाड़ी में जर्जर होती है, अर्थात् माधारणतः मनुष्य को दड-शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। संयोग अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसकी शरण ले सकेगा।

गांधीजी रामराज्य की बात करते थे। विनोबाजी कहते हैं, राम-राज्य यानी ग्रामराज्य। ऐसे रामराज्य में जन-कल्याण का काम जनता द्वारा यज्ञ-कार्य में समाहित होता था। यज्ञ-पुरोहित यानी जन-नायक

मन्त्रोच्चार मे गण-देवता का आवाहन करता था और सारे जन-गण उस आवाहन के अनुसार उम यज्ञ मे आहुति अर्पण करते थे । एमे ही यज्ञ से यानी जम-शक्ति द्वारा समाज का सारा कल्याणकारी कार्यक्रम चलता था । जत्र कभी यज्ञ-भंग करने के लिए ताडका का आविर्भाव होता था, तभी वे रेलगाडी की जजीर के जैसा दड-शक्ति का इस्तेमाल करते थे ।

वस्तुत दड-निरपेक्ष स्वराज्य कायम हो जाने की स्थिति मे भी कुछ केन्द्र-शक्ति की भी आवश्यकता होगी, स्वावलवी गाम-भाडयो को एक-सूत्र मे बाध रखने के लिए । लेकिन इसका स्थान क्या होगा, यही प्रश्न है ? एक छोटे-मे उदाहरण मे स्थिति स्पष्ट हो जायगी ।

पूर्ण प्रफुल्लित फूलो की माला मे एक सूत्र की आवश्यकता होती है । लेकिन अच्छी माला उन्नीको कहेगे, जिसमे यह सूत्र दिखाई न दे । माला मे जब नूत्र दिखाई देने लगता है तो समझना चाहिए कि वह माला सूख रही है । उन्नी तरह दड-निरपेक्ष स्वराजी समाज मे स्वयपूर्ण ग्राम-डकाइयो को एकनूत्र मे बाधने के लिए गानन की आवश्यकता होगी, लेकिन समाज के साधारण जीवन में वह दिखाई न देगी अर्थात् उसके अस्तित्व का अनुभव न होगा । अगर ऐसा हुआ तो समझना चाहिए कि वह स्वराज्य सूख रहा है ।

अब नवाल यह है कि समाज पर मे दड-शक्ति का निराकरण कैसे हो ? आज दुनिया मे नपूर्ण रूप मे दड-सापेक्ष समाज चल रहा है । जनता पर दड-शक्ति का कब्जा ऐनी कडाई मे बना हुआ है कि वह जरा भी अपने मन मे इधर-उधर नही कर सकती । हमारी क्राति की प्रगति पर विचार करते नमय जनता को इन वज्रमुष्टि से निकालने के कदमो पर पहले विचार करना होगा ।

: ४ :

लोक-शक्ति का निर्माण और कानून

आज की दुनिया किमी-न-किसी शकल की तानाशाही के नीचे दबी है। ऐसा कोई जादू नहीं हो सकेगा जिसे मानव-समाज उममे एकाएक बाहर निकल सके। ससार में आज सारा मानव-समाज सपूर्ण रूप से दडसापेक्ष हो गया है। एकाएक इस दड-शक्ति का उन्मूलन करना सभव नहीं दीखता। अतः शासनहीन समाज के आदर्श के आधार पर दड-निरपेक्ष समाज कायम करने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि इस दड-शक्ति की एकाधिपत्यता घटाई जाय, यानी उसपर जनता की ओर से भी नियंत्रण हो।

वस्तुतः ससार में लोकतंत्र के नाम से आज जो चीजे चल रही हैं, वे वास्तविक लोकतंत्र नहीं हैं। जनता से मत (Vote) लेकर कुछ लोग शासन करने चले जाय इतने मात्र से ही जनतंत्र नहीं होता। यही कारण है कि गांधीजी न स्वराज्य की परिभाषा करते हुए कहा था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अधिकार प्राप्ति-मात्र से ही स्वराज्य नहीं होता है, बल्कि स्वराज्य इस बात में निहित है कि अधिकार के दुरुपयोग पर जनता के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा विद्रोह करने की ताकत हो।

अधिकार का मोह

लोग कहते हैं कि जब जनता समझ-बूझ कर ऐसे लोगों को, जो अपनी जिन्दगी जनहित के काम में ही खपाते हैं, वोट दे तो ऐसे लोगों द्वारा अधिकार प्राप्त होनेपर भी दुरुपयोग का सत्रा कहा है? ऊपर-ऊपर विचार करने में यह बात ठीक लगती है, लेकिन मानस-चरित्र की गहराई में जाने पर अधिकार के दुरुपयोग की सभावना स्पष्ट हो जायगी। आज के अधिकांश समाज-शास्त्री कहते हैं कि सपत्ति अस्थिर और स्वार्थ अजेय है। मनुष्य के कर्जों में एक बार सपत्ति आनेपर वह उसे छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वृद्धि ही करना

चाहता है। अतः कर्तव्य ने ही इस संपत्ति को छुड़ाया जा सकता है। लेकिन साय-माय वे इस बात को मानते हैं कि जो लोग अधिकार पा जायेंगे, वे सहज विवेक वृद्धि ने उम अधिकार को अपने-आप मूखने देंगे। लेकिन मनोविज्ञान के अध्ययन में वे एक मौलिक भूल करते हैं। अगर संपत्ति न छोड़ने की वृत्ति मनुष्य चरित्र में अन्तर्निहित है तो अधिकार न छोड़कर उममें वृद्धि करने की वृत्ति उममें अधिक बलवती है। मानव-समाज के इतिहास की ओर गौर से देखा जाय तो विवेक-वृद्धि ने संपत्ति छोड़ने की मिमाले अगणित हैं। लेकिन अपने आप अधिकार छोड़ने की मिमाल नही के बराबर है। यही कारण है कि भारत के महान् मनोविज्ञान की किताबों में, पुराणों में यह लिखा है कि त्रिलोक में सबमें अधिक तपस्या करनेवाले को ही इन्द्रासन मिलता है। लेकिन इन्द्रासन मिलते ही वह दूसरे की तपस्या भग करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। यह कहानी मानव-समाज से सनातन चरित्र का एक रूपक मात्र है।

अतः यह स्पष्ट है कि जो भी अधिकार में जायेगा, चाहे वह महान् लोक-प्रिय व्यक्ति या दल हो, अपने हाथ में अधिकार को हमेशा कायम करने की चेष्टा करेगा। इस चेष्टा में यह स्वाभाविक है कि वह दूसरे किमी के अधिकार प्राप्ति की चेष्टा को दबा देगा। दबाने की प्रक्रिया हमेशा जायज ही हो, यह कोई जर्तरी नहीं है। इस दमन-वृत्ति के कारण अधिकार के दुरुपयोग की नमन्या हमेशा बनी ही रहेगी। ऐसी हालत में यह आवश्यक है कि जन-शक्ति इस तरह नगठित रहे कि जनता में विद्रोही शक्ति निरन्तर कायम रहे, ताकि मौका पडने पर वे उमें तत्काल इस्तेमाल कर सकें। हो सकता है कि एक लंबे अरने तक इनकी आवश्यकता न हो—फिर भी किमी समय भी आवश्यकता हो सकती है, इस बात का ध्यान रखकर जनता की उम शक्ति की उपामना निरन्तर करने रहना चाहिए। आज़िब रेलगाडी में हमेशा चतरा नहीं रहता, लेकिन खतरे की जर्तरी तो हमेशा ही रखनी पडती है, क्योंकि उमकी आवश्यकता कभी भी हो सकती है।

शिव कहीं नहीं है

अब प्रश्न यह है कि जनता में यह विद्रोही अंश कैसे कायम रहे। पुराण में शिव-शक्ति की बात कही गई है। जहाँ समाज में सगठन और सचालन के लिए इन्द्र की आवश्यकता है वही गणतंत्र की रक्षा के लिए शिव का रहना भी जरूरी है। शिव वह है जो महान तपस्वी होने पर भी इन्द्रासन का इच्छुक नहीं है—जो गण के बीच में गण-रूप में ही रहता है और गण को तकलीफ होने पर ताण्डव करता है। उसी प्रकार अगर समाज की सुव्यवस्था के लिए एक अधिकारी की आवश्यकता है तो स्वराज्य की रक्षा के लिए एक गणनायक की भी आवश्यकता है। आज दुनिया में इसी चीज का अभाव है। दुनिया में जहाँ लोकशाही के नाम से भी कुछ चलता है वहाँ भी स्वतन्त्र गण-नायक का अस्तित्व नहीं है। राज्य चलाने के लिए एक पार्लामेंट बनती है जिसके हाथ में दंड-शक्ति रहती है। देश में दो दल बनते हैं, जिनमें उस शक्ति पर कब्जा करने के लिए आपस की प्रतियोगिता होती है। जो जीतता है वह अधिकार में जाता है, जो हारता है वह पार्लामेंट में विरोधी दल बनता है, लेकिन वह भी दंड-शक्ति का अंग माना जाता है। इसलिए विरोधी दल के नेता को भी सरकारी कोष में वेतन दिया जाता है अर्थात् पार्लामेंट के अधिकारी दल और विरोधी दल दंड-शक्ति के ही दो हिस्से हैं, जैसे एक ही वस्तु की दो दिशाएँ होती हैं एक उलटी और दूसरी सुलटी। जिस तरह लड़ाई में एक सैनिक दल और एक रेडक्रॉस दल होता है। एक का चरित्र मारने का होता है और दूसरे का बचाने तथा सेवा करने का। लेकिन दोनों ही हिंसा शक्ति के दो बाजू हैं, क्योंकि दोनों युद्ध-जनित हैं, उसी तरह ये, पार्लामेंट के दोनो दलों में दो चरित्र होने हुए भी दंडशक्ति के दो बाजू ही हैं।

यही कारण है कि आज सारी दुनिया में तानाशाही का बोझा था है, क्योंकि अंत्रिकार को नियंत्रित करने के लिए स्वतन्त्र लोकशक्ति या सगठन तथा नेतृत्व रूप में स्वतन्त्र गणनायक दंड यानी शिव का अस्तित्व नहीं है। तब मन्त्रान्ता गामी नें कहा था कि आज की दुनिया में स्वराज्य इम्पेड,

अमेरिका, रूस या जर्मनी कही नहीं है, क्योंकि उन्हें कही शिव दिखाई नहीं दिया ।

इसीलिए दड-हीन समाज की धारणा के आधार पर अगर दडनिरपेक्ष समाज कायम करना है तो उम दिशा में पहला कदम यह होना चाहिए कि देश में एक स्वतंत्र तीमरा दल हो जो लोक-सेवा के आधार पर महान तपस्वी होने पर भी दड पर कब्जा करने की प्रतियोगिता में शामिल न हो और निरंतर जनशक्ति के मगठन में लगा रहे । यही कारण है कि विनोबाजी अपने अनुयायियों को उम प्रतियोगिता से पृथक् रहने के लिए आग्रह करते हैं और सर्व-सेवा-मघ भी अपने को उससे अलग रखता है ।

इतना होनेपर भी एक दूसरी बात की भी आवश्यकता है । दुनिया में प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही कोई बात फलवती होती है । केवल पुरुष या केवल प्रकृति अनुत्पादक होती है । अतः अगर देश में शिव की स्थापना हुई यानी स्वतंत्र नेतृत्व कायम हुआ तो भी अगर जनता की परिस्थिति अनुकूल न रही तो उम शक्ति का निर्माण नहीं होगा, जिसके द्वारा वह अधिकार को नियंत्रित कर सके । नायक चाहे जितना तपस्वी हो, अनुकूल परिस्थिति के बिना जनता उसके इशारे पर ताडव नहीं करेगी । अब प्रश्न यह है कि इस परिस्थिति का स्वरूप क्या है ? और आज कौनसी परिस्थिति है, जिनके कारण जनता के अदर विद्रोही शक्ति का अभाव होगा । इसका मुख्य कारण है आर्थिक केन्द्रवाद ।

पूजा का चक्कर

दुनिया में मनुष्य ने श्रम टालने के फेर में बड़े-बड़े कल-कारखानों की सृष्टि की और जिन्दा रहने के नारे साधनों की उत्पत्ति पूजा के आश्रित कर दी । नतीजा यह हुआ कि जनता की जान उसके शरीर के अदर में निकल कर पूजा के अदर पूजाभूत हो गई, कुछ मुट्ठी भर लोगों के कब्जों में चली गई । और यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि पूजा का स्वधर्म है कि वह एक स्थान पर इकट्ठी होकर रहे । इसलिए उमका संचालन थोड़े लोगों द्वारा ही होना नमव है । जनता की जान पूजा-आश्रित हो जाने में ऐसे

गुट के कब्जे में चली गई जिसने अधिकार पर कब्जा कर लिया। जान का कब्जा अधिकारी के हाथ में होने पर जनता के लिए यह समझ नहीं रहा कि वे उसी अधिकारी के विरोध में विद्रोह करें जिसके बिना वह जिंदा नहीं रह सकती है।

जनता को आन की अपेक्षा जान की फिकर

यह सही है कि मनुष्य-समाज स्वतंत्रता-प्रेमी होता है और स्वतंत्रता के लिए काफी तकलीफ उठाने को तैयार होता है। आन के लिए जान को कुर्बान करने की भी मिसालें इतिहास में पाई जाती हैं। लेकिन साधारण जनता के मामले में जब आन और जान के बीच चुनने का मवाल खड़ा होगा तो वह आन छोड़ कर जान की रक्षा करने की ही फिकर ज्यादा करेगी। जो लोग जान देकर भी आन की रक्षा करते हैं, उनको हम शहीद कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं, पर वे विरले हैं। अतः मानव-समाज की जान यदि अधिकारी के हाथ में रहेगी तो जनता अधिकारी के विरोध में जान को खतरे में डालने के बजाय आन को पीछे रखकर उनसे समझौता करने की ही कोशिश करेगी। अतएव अगर जनता की जान यानी जिंदा रहने के लिए मौलिक साधन का उत्पादन पूँजी-आश्रित रहा तो जनता के लिए विद्रोह करने की परिस्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। ऐसी हालत में कितना ही तपस्वी नेतृत्व पाने पर भी मनुष्य अधिकारी पर नियंत्रण नहीं रख सकेगा, यानी वह गृणतंत्र की रक्षा नहीं कर सकेगा, जिसका सहज नतीजा तानाशाही होगी।

श्रम-आश्रित उत्पादन पद्धति की आवश्यकता

यही कारण है कि शोषण-हीन समाज यानी स्वराज्य स्थापना करने के लिये प्रथम आवश्यकता एक महान् आर्थिक क्रान्ति की है। अर्थात् आज जो पूँजी-आश्रित उत्पादन-पद्धति चल रही है उसे समाप्त कर श्रम-आश्रित उत्पादन-पद्धति कायम करने की आवश्यकता है। बहुत-से दूसरे लोग भी 'पूँजीवाद का नाश हो' का नारा लगाते हैं, लेकिन वे पूँजीवाद यानी पूँजी-आश्रित उत्पादन-पद्धति को खत्म करने की चेष्टा न करके पूँजीपति को खत्म

करने की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः पूजीपति को खत्म करने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। पूजीवाद का ही मूलोच्छेद करना होगा। गांधीजी कहते थे कि समाज की परेशानी का कारण व्यक्ति नहीं, पद्धति है। इसलिए पूजी का कौन संचालन करे, इसकी फिकर न कर पूजी-आश्रित आर्थिक पद्धति रहे या न रहे, इसपर भी विचार करना चाहिये। अगर जिन्दगी की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूजी की अनिवार्य आवश्यकता रह जाती है और पूजीपति खत्म होता है तो वह पूजी पूजीपति के स्थान पर किसी दलपति के कब्जे में चली जायगी और जनता की जान पूजीपति वर्ग की मुठ्ठी से निकल कर दलपति की वज्रमुष्ठी के नीचे चली जायगी। अर्थात् एक वर्गीय तानाशाही के स्थान पर एकदलीय तानाशाही कायम होगी।

भूमि पूजी के कब्जे से निकले

उत्पादन का मौलिक साधन भूमि ही है। इसलिए अगर पूजीवाद को खत्म करके श्रमवाद की स्थापना करना है तो उसका पहला कदम भूमि को पूजी के कब्जे से निकाल कर श्रम के ही कब्जे में डालना होगा अर्थात् भूमि का फल उसीको मिलना चाहिए जो उसपर श्रम करे। इसीलिए विनोबाजी कहते हैं कि भूमि-दान-यज्ञ गरीबों को राहत पहुंचाने का एकमात्र सामान्य साधन है और यह न सिर्फ तात्कालिक वेकारी दूर करने का एक जरिया है, बल्कि यह यज्ञ एक महान क्रान्ति का पहला कदम है। इसीलिए वह केवल भूमि-वितरण की बात नहीं करते हैं, बल्कि भूदानयज्ञ और केन्द्रित उद्योग-वहिष्कार आन्दोलन को अभिन्न मानते हैं और अपनी भाषा में दोनों को 'सीता-राम' कहते हैं।

अतः जो कार्यकर्त्ता भूमिदान-यज्ञ को एक सामान्य परोपकारी कार्यक्रम न मानकर शासनहीन तथा शोषण-हीन समाज कायम करने के उद्देश्य में एक क्रान्तिकारी कदम मानते हैं, उन्हें भूमिदान-आन्दोलन के साथ-साथ केन्द्रित उद्योग वहिष्कार आन्दोलन का आग्रह कड़ाई के साथ करना पड़ेगा तथा जनसमाज को श्रमवाद के इस क्रान्तिकारी पहलू को गहराई से समझना पड़ेगा, नहीं तो गणतंत्र कायम करने का यह क्रान्तिकारी

आन्दोलन प्रति-क्रान्तिकारी शक्ति के कब्जे में जाकर ससार में तानाशाही कायम करेगा ।

हमारा उद्देश्य शासनहीन समाज-रचना

इस तरह हमारा कार्यक्रम स्पष्ट होता है । हमारा अंतिम उद्देश्य शासनहीन यानी दडहीन समाज कायम करने का है, जिसका व्यावहारिक रूप दड-निरपेक्ष समाज है । ऐसा समाज कायम करने के लिए हमारा तात्कालिक आन्दोलन आज के पूर्ण दड-सापेक्ष-समाज को जनता के नियंत्रण में लाने का है । इस दिशा में जनता की जान दडशक्ति के बाहर निकालने का सक्रिय कदम उठाना होगा । ऐसा तभी हो सकता है जब जनता की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समाज की आंतरिक व्यवस्था और संचालन के लिए मनुष्य की केन्द्रीय पूँजी अवलंबित उत्पादन-पद्धति को छोड़ कर विकेन्द्रित थ्रम-अवलंबित उत्पादन-पद्धति को अपना कर स्वावलंबी हो ।

हमारे जो साथी उपर्युक्त उद्देश्य को भली-भाँति समझ गये हैं, वे, जल्दी से कानून क्यों नहीं बनता है, इसके लिए परेशान नहीं होंगे । वस्तुतः आज जो कार्यकर्ता तथा करीब-करीब दूसरे सभी लोग यह कहते हैं कि फोरम कानून बन जाय और जमीन का बटवारा हो जाय, इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि लोगों ने भूमिदान-यज्ञ के मूलतत्त्व को नहीं समझा है । शासनहीन समाज कायम करने की क्रान्ति की शुरुआत में ही शासन का भरोसा अगर करना हुआ तो उसका नतीजा वही होगा जो रूस में हुआ । अर्थात् निरंतर शासन के सहारे ही समाज का संगठन, संचालन तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान करना होगा । फिर शासननिरपेक्ष काम कीनमा होगा ।

भूमि की समस्या आज की दुनिया की एक महान समस्या है । एशिया के लिए तो यह प्रथम महत्व की समस्या है । अगर शासन की अपेक्षा तोडनी है, तो हमें सबसे बड़ी समस्या के समाधान में ही शासन-निरपेक्ष होकर काम करना होगा, क्योंकि भूमि समस्या जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न का हठ करने में शासन हम दडशक्ति को ताक पर रख कर केन्द्र जनशक्ति के आग्रह पर ही कामकाज हाँकते हैं, तो शासन की आवश्यकता को खत्म करने की

दिशा में हम एक बहुत बड़ा किला फतह कर लेते हैं। अगर इतनी महान समस्या का समाधान स्वतंत्र जन-शक्ति से ही हो गया तो उस शक्ति के लिए आज जो छोटे-छोटे सरकारी महकमे चल रहे हैं उन्हें अनावश्यक कर देने में देरी होगी।

शान्ताशील व्यक्ति पूछेंगे कि क्या बिना कानून के आप इस समस्या का हल कर सके ? जनशक्ति पर विश्वास करनेवाले व्यक्ति को शका ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर मान भी ले कि तत्काल पूर्ण सफलता कानून के बिना नहीं होगी, तो भी जिस हद तक वह कामयाब होगी उस हद तक द्रष्ट-शक्ति की आवश्यकता खत्म होगी। यानी क्रान्ति की दिशा में प्रगति होगी। कोई भी क्रान्तिकारी पहले से ही यह मान नहीं सकता कि हमारी क्रान्ति असफल होगी। अतएव जो लोग शासन-हीन समाज की क्रान्ति की बात नोचते हैं उन्हें शुरू से ही शासन की आवश्यकता को समाप्त करने की बात नोचनी होगी। और यह होगा तब जब वे निरंतर शासन के बिना ही सामाजिक समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करते रहेंगे। क्रान्ति की बात दो दूर रही, सामान्य युद्ध में भी जिस मुल्क को दखल करना होता है उसकी झूल की चेष्टा प्रथम से ही होती है। और अगर पूरा दखल नहीं भी हुआ तो जितना दखल हुआ उतनी कामयाबी वे मानते हैं। क्रान्ति की भूमिका में यह बात तो और जरूरी है।

भूमि और कानून

बहुतसे मित्र कहते हैं कि विनोवाजी भी तो कानून की बात करते हैं। वे उनी तरह से विनोवाजी के शब्द को उद्धृत करते हैं जिस तरह बहुत से लोग गांधीजी के शब्द उद्धृत करके कहते हैं कि वे भी तो हिंसा को मानते थे। गांधीजी ने कहा था कि अगर मुझे कायरता और हिंसा के बीच किसी को चुनना होगा, तो मैं कायरता से हिंसा को अधिक पसंद करूंगा। उसी तरह विनोवाजी ने कहा है कि अगर बिना कानून बनाये यज्ञ से ही भूमि की समस्या हल हो गई तो मैं नाचूंगा। मगर आखिर कानून का सहारा लेना ही पड़ा तो उसे मैं वर्द्धित कर लूंगा। इसका मतलब हुआ कि जिम तरह

गांधीजी अहिंसा को ही मानते थे, लेकिन अगर उन्हें कायरता और हिंसा के बीच चुनना पड़ता तो हिंसा को चुनते, उसी तरह विनोबाजी दंड-शक्ति के बिना ही भूमि समस्या हल करनेके सिद्धान्तको मानते हैं, लेकिन अगर उनको वर्तमान विपत्ता कायम रखना और दंड-शक्ति के महारे भूमि का विभाजन करने के बीच चुनना पड़ा तो वे वर्तमान परिस्थिति कायम रखने के मुद्दावले में कानून के महारे में भी परिस्थिति बदलना पसंद करेंगे, अर्थात् विनोबाजी उमी अर्थ में कानून के महारे अपना काम करने की बात मानने हैं, जिस अर्थ में गांधीजी हिंसा को मानते थे।

फिर अगर भूमिदान यज्ञ में भूमि का बटवारा हो गया तो क्या मुल्क में भूमि-सबधी कोई कानून रहेगा ही नहीं ऐसी बात नहीं है। जबतक समाज पूर्ण राज्यहीन नहीं होता, तबतक समाज में कानून रहेगा। लेकिन वह कानून भूमि-समस्या का समाधान होनेपर रजिस्ट्री करने के तरीके में विधिवत् करना मात्र होगा, न कि कानून में भूमि बाटना होगा। आखिर अंगरेजों, आयरलैंड या हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता का कानून पार्लियामेंट में ही बना था। तो क्या कोई कहेगा कि पार्लियामेंट के कानून में ही उन मुल्कों को आजादी मिली। शायद ही कोई ऐसा मोचता होगा। हर एक समझदार जानता यह समझता है कि जनता द्वारा स्वतंत्रता-युद्ध के सफल नतीजे में ही उन मुल्कों का आजादी मिली। जैसे स्त्री-पुरुष ने अगर आपस में शादी तब करके रजिस्ट्रार के पास उसकी रजिस्ट्री करा ली, तो कोई यह नहीं कहेगा कि रजिस्ट्रार साहब ने कानूनन यह शादी करा दी। उसी तरह भूमिदान-यज्ञ के सफल होने पर भी उस पर विधान सभा की मुहर पड़ेगी। वह मुहर ठीक उसी तरह पड़ेगी जिस तरह उपर्युक्त मुल्कों की आजादी को वैधानिक बनाने के लिए पार्लियामेंट की मुहर लगी या शादी की रजिस्ट्री हुई।

: ५ :

वर्ग-परिवर्तन की ओर

आजादी छीनने से आत्मा का शोषण होता है और शरीर का शोषण होता है श्रम-उपार्जित सामग्री के छीनने से । शरीर के शोषण की दिशा में आज समाज इतना आगे बढ़ गया है कि श्रमिक परेगान है । वस्तुतः जिस तरह राजनैतिक क्षेत्र में तानाशाही की समस्या आज का मुख्य सवाल है, उसी तरह सामाजिक क्षेत्र में वर्ग-विषमता के सकट ने आज सबसे ऊपर का स्थान ले लिया है । समाज आज दो निश्चित तथा विरोधी वर्ग में विभाजित हो गया है । एक वर्ग उत्पादन करता रहता है और दूसरा व्यवस्था के वहाने उत्पादित सामग्री का उपभोग करता रहता है । साधारण भाषा में कहे तो कहना होगा कि एक मेहनत करके खाता है और दूसरा दलाली करके, और हम अक्सर एक को 'मजदूर' और दूसरे को हुजूर कहते हैं ।

लेकिन वर्ग-विषमता की यह सामाजिक समस्या कोई स्वतंत्र समस्या नहीं है । यह राजनैतिक तथा आर्थिक केन्द्रीयकरण का नतीजा-मात्र है । इस बात को विशेष रूप से समझना चाहिए । आखिर हुजूर लोग मजूरो का शोषण किस तरह करते हैं ? इस पर से वचन में पढी हुई विल्ली और वदर की एक छोटी-सी कहानी याद आती है । दो विल्लियाँ मेहनत करके रोटियाँ लाई थीं और वदर उस रोटी का माकूल बटवारा करने के वहाने उसे खा गया । उसी तरह मजदूर रोटी उत्पादन करता है और हुजूर लोग उसका इन्तजाम करने के वहाने खा जाते हैं । मजदूर केवल पेट पर हाथ रखकर ताकते रहते हैं ।

यही कारण है कि आज मसार में चारों ओर से वर्गहीन समाज कायम करने की माग सुनाई पडती है, लेकिन यह वर्गहीन समाज कायम कैसे हो ? अगर दुनिया में एक ही वर्ग रखना है तो वह मजदूरों का यानी श्रमिकों का ही एक वर्ग हो सकता है, क्योंकि हुजूर वर्ग यानी व्यवस्थापक वर्ग अकेला

अपने पैर पर खड़ा नहीं रह सकता। अतः वर्गहीन समाज कायम करने के लिए आवश्यक है कि डम हुजूर वर्ग का लोप हो। इस वर्ग को विघटित करने का तरीका तभी मालूम हो सकेगा जब हम इसके मगठिन होने के इतिहास को समझ लें।

हुजूर-वर्ग के मगठन का इतिहास

मानव-समाज के प्रथम युग में सभी लोग मजदूर थे—सब उत्पादन करके खाते थे और सब महयोगिता के आधार पर झुड़ में रहते थे। इसी कारण हमारी किताबों में लिखा है कि सत्य-युग में एक ही वर्ग था। बाद को जब समाज में प्रतियोगिता का आविर्भाव हुआ तथा आपसी सवर्ष के नतीजे में हिंसा होने लगी, तो मनुष्य ने राजा की सृष्टि की, यानी राज्य के रूप में एक ऐसी सस्था की सृष्टि की जिसमें कुछ लोग बिना उत्पादन किये व्यवस्था करके अपना गुजारा कर सकते थे। इस तरह राज्य-पद्धति के आविर्कार से हुजूर-वर्ग की सृष्टि हुई। जैसे-जैसे राज्य-प्रथा केन्द्रित और विस्तृत होती गई वैसे-वैसे उसीके सहारे हुजूर-वर्ग का विस्तार हुआ। उसी तरह मनुष्य ने श्रम टालने के लिए पूजा के आधार पर जिस उत्पादन-पद्धति का आविर्कार किया उसी पद्धति के अनुसार उद्योग-धंधों के मचालन तथा उत्पादन सामग्री के वितरण के वहाने एक दूसरी जाति के हुजूरों की सिंगट फौज गठी हो गई। दोनों मिलकर मजदूर पर इतना अधिक बोझ हो गया कि आज मजदूर उसके नीचे दबकर मरना चाहता है।

हुजूर बनाने के कारखाने

मिर्क उनना ही नहीं, मौजूदा शिक्षा-पद्धति की मगधी के कारण शिक्षित समाज के लोगों में किसी प्रकार के उत्पादन का काम न कर सकने के कारण उनमें ने जो योग्य व्यवस्था तथा वितरण-कार्य नहीं करते हैं, वे भी किसी-न-किसी तरीके से मजदूरों के वर्गों पर बंध रहते हैं। वस्तुतः आज के मकूल और मजदूर हुजूर बनाने के कारखाने मात्र बन हुए हैं। अतएव जैसे-जैसे हम व्यवस्था में योग्य निरूपते जाने हैं वैसे-वैसे मजदूरों के वर्गों पर बोझ बढ़ते चले हैं। चाही के नया से पैर मजदूर की मडक पर गोष्ठी करनेवाला न

लोग कहते हैं, कि यह शिक्षा-पद्धति बदलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो कैसे ? अगर किसी देश में चीनी की ही माग हो तो चीनी का कारखाना तोड़कर आटे का कारखाना नहीं कायम किया जायगा । राजनैतिक तथा आर्थिक उत्कट केन्द्रीयकरण के कारण व्यवस्थापक और वितरक की ही माग आज समाज में भरपूर है । जबतक यह माग इसी तरह कायम रहेगी तबतक हुजूर बनाने की कारखाने रूपी-शिक्षा सस्था की तबदीली नहीं हो सकती है । इसलिए सबसे पहले आर्थिक तथा राजनैतिक क्रान्ति और परिणामस्वरूप सामाजिक क्रान्ति करनी होगी, तभी बाकी बातें हो सकती हैं ।

राजनैतिक तथा आर्थिक केन्द्रीयकरण के नतीजे से आज मजदूरों के कंधों पर हुजूरों के बोझ की वृद्धि के कारण केवल मजदूर ही दबकर मर रहा है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सख्याधिक्य होने के कारण हुजूर लोगों को भी मजदूरों के शरीर से इतना रस नहीं मिल रहा है, जिससे वे मोटे-ताजे रह सकें, इसलिए वे भी सूखकर मर रहे हैं । इस प्रकार आज दोनों के सामने सकट खड़ा है यानी सारा ससार ही वर्ग-विषमता की आग से भस्म होना चाहता है । ऐसी हालत में आवश्यकता इस बात की है कि तत्काल और तुरन्त एक महान् क्रान्ति के द्वारा पूर्ण रूप से एकवर्गीय समाज कायम हो, अर्थात् हुजूर-वर्ग के विघटन से मजदूरों का ही एक अद्वैतवादी समाज कायम हो ।

क्रान्ति की दो प्रक्रियाएँ

प्रश्न रह जाता है कि इस क्रान्ति की प्रक्रिया क्या हो ? दो ही तरीके हो सकते हैं, एक वर्ग-सघर्ष का हिंसात्मक तरंग का । दूसरा वर्ग-परिवर्तन की अहिंसात्मक क्रान्ति । एक विनाशकारी तरीका, दूसरा क्रान्तिकारी तरीका । पहले तरीके से मजदूर द्वारा हुजूरों के उन्मूलन की चेष्टा होगी और दूसरे तरीके से हुजूर मजदूर बनकर मजदूरों में विलीन होंगे । पहले तरीके की दूसरे मुल्कों में काफी आजमाइश हो चुकी है और हमने देखा कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, बल्कि एक समस्या से निकलकर दूसरी उससे जटिल समस्या के नीचे समाज पड़ जाता है । रूस में उन्मूलन की चेष्टा हमने देखी । वहा हुजूर-वर्ग खतम नहीं हुआ । उनकी केवल चोटी

ही कट गई। सारा शरीर ज्यो-का-त्यो रह गया। पूजीपतियों का नाश हुआ नहीं, लेकिन वहा इतना जबरदस्त एक व्यवस्थापक राज्य कायम हुआ कि इस व्यवस्था के नाम पर ही हुजूर-वर्ग का इतना अधिक सगठन हुआ कि मजदूर पूर्णरूप में उमके नीचे दब गया। पूजीपति रूपी चोटी रहनेपर जनता कभी-कभी उमे पकड भी सकती थी, लेकिन अब तो उममे भी हाथ धो बैठी और एक भयकर सगठित दल की मुट्ठी के नीचे चली गई।

उन्मूलन की प्रक्रिया हिमा की प्रक्रिया है। इसलिए इस तरीके से केवल ऊपर लिखे मुताबिक तात्कालिक और व्यावहारिक सकट ही आयगा, ऐसी वान नहीं। मानव-समाज में एक स्थायी सकट कायम हो जायगा। आखिर हम वर्ग-विपमता क्यों दूर करना चाहते हैं? इसलिए कि हम हिंसा में मुक्त होकर दुनिया में शांति कायम कर सकें। हिंसा को मानने वाले कहते हैं कि वे भी दुनिया में हिंसा खत्म करके शान्ति कायम करना चाहते हैं परन्तु वे नहीं हैं, काटा निकालने के लिए काटा ही चाहिए, मालिश से वह नहीं निकलेगा। यानी हिंसा में ही हिंसा का अन्त होगा, प्रेम से नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हिंसा में हिंसा का अंत होगा? जो लोग इस प्रकार सोचते हैं वे विज्ञान को भ्रष्ट करते हैं। विज्ञान का कहना है कि हरेक क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है और इस क्रिया-प्रतिक्रिया का घात-प्रतिघात अनन्त काल तक चलता है। अब अगर हिंसा की क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया प्रतिहिंसा ही होगी और हिंसा-प्रतिहिंसा वा घात-प्रतिघात अनन्तकाल तक चलता रहेगा। फिर किस काठ में जाकर हिंसा समाप्त होकर शान्ति की स्थापना होगी।

इसलिए गांधीजी हममें वर्ग-परिवर्तन की अहिंसक शान्ति करने का आवाहन करते रहे हैं।

वे हिंसा-वर्ग को सामाजिक उत्पादन में शामिल होकर उत्पादन वर्ग में परिवर्तित होने के लिए कहते थे और उनका सत्रिय कार्यक्रम देश के मामलों में था। १९१९ में जब वे निकलते ही उन्होंने कहा कि अग्रज तो ना

रहे हैं और शायद हम जैसा समझते हैं, उससे जल्दी ही जायगे। अब हम शोषण-हीन समाज कायम करनेके लिए सक्रिय कदम उठाना है। इसके अमल के लिए उन्होंने कहा कि जो लोग खादी पहनना चाहते हैं, उन्हें दो पैसे प्रति रुपये का सूत कातना ही होगा। उसी तरह उन्होंने कहा कि जो लोग खाना खाना चाहते हैं, उन्हें अपने हाथ से अन्न-उत्पादन करना ही है। इन बातों पर वे यहाँ तक जोर देते थे कि कलकत्ते के लोगों के यह कहनेपर कि उनके पास जमीन कहा, जहाँ वे अन्न उत्पादन कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि गमले में ही मही, लेकिन नियमित रूप से अन्न-उत्पादन की प्रक्रिया हर एक को अपने हाथ में करनी ही है। यह स्पष्ट है कि गांधीजी जैसे व्यावहारिक क्रान्तिकारी व्यक्ति यह नहीं समझते थे कि दो पैसे के सूत कातने-मात्र से या गमले में अन्न-उत्पादन करने से देश के अन्न-वस्त्र की समस्या हल हो जायगी या उतने ही में, हुजूर-वर्ग के लोग मजदूर बन जायगे, लेकिन क्रान्ति तो पहले विचार-क्षेत्र में ही होती है। गांधीजी सामान्य लाक्षणिक उत्पादन से पहले लोगों के दिमाग में क्रान्ति लाना चाहते थे ताकि वे निरन्तर अपने हाथ से उत्पादन करने के महत्व को समझे और थोड़ा-सा उत्पादन करके उत्पादक वर्ग में सम्मिलित होने की क्रान्ति में शामिल हैं, यह बात जाहिर करे यानी गांधीजी के इस आन्दोलन के रजिस्टर में नाम लिखा ले।

इसी प्रकार वर्ग-परिवर्तन की क्रान्ति की दिशा में दूसरे हल्के-हल्के सक्रिय कार्यक्रम रखते थे। वे दावू वर्ग के लोगों को अपने व्यक्तिगत काम के लिए घरेलू नौकर में काम न लेने की बात कहते थे। अपने आदर्श के अनुसार नचालित आश्रमों में पाखाना-सफाई में लेकर खाना बनाने तक सभी काम अपने हाथ में करने की विधि रखकर श्रम-प्रतिष्ठा पर जोर देते थे। अन्त में उन्होंने वर्ग परिवर्तन का एक महान् क्रान्तिकारी तथा व्यावहारिक कार्यक्रम दुनिया के सामने रक्खा, वह था शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए वर्तमान हुजूर बनाने के कारखाने को बंद कर दिया जाय और मारी शिक्षा-योजना शरीर-श्रम द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया के माध्यम में ही बनाई जाय। ऐसा करने से मजदूर वर्ग के लोगों

को शिक्षित करने में उन्हें मजदूरी के कार्य से उखाड़ने की आवश्यकता नहीं होती है और मजदूर रहते हुए वे शिक्षित हो जाते हैं। बाबू लोगो के लडके भी बचपन से ही उत्पादन-कार्य में अभ्यासी होने कारण समर्थ उत्पादक बन जाते हैं। इस तरह नई तालीम के द्वारा देश में शिक्षित तथा वैज्ञानिक मजदूरों का एक वर्गीय समाज कायम हो जाता है।

समग्र ग्राम-सेवा का कार्य

गांधीजी उपर्युक्त मनोविज्ञान तथा शैक्षणिक कार्यक्रम मात्र से ही नतुष्ट नहीं थे। यह सही है कि अहिंसा में इन प्रक्रियाओं का सबसे अधिक महत्व है, लेकिन साथ ही अगर समाज-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया जाय तो प्रतिकूल परिस्थिति में मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षणिक कार्यक्रम भी विफल हो सकता है। इसलिए वे देश को एक महान सामाजिक क्रान्ति के लिए तैयार करना चाहते थे। इस दिशा में उन्होंने मुल्क के सामने समग्र ग्राम-सेवा द्वारा जन-स्वावलंबन का कार्यक्रम रखा। जहाँ वे हुजूरों के विवेक पर अमर कर उन्हें मजूर बनने की प्रेरणा देते थे, वही वे देहाती उत्पादक वर्ग के लोगो में इस बात की चेतना पैदा करना चाहते थे कि वे हुजूरों की उन सेवाओं को इन्कार करने की शक्ति सगठित करें, जिनके वहाने हुजूर लोग उन्मा शोषण करते रहे हैं, अर्थात् बन्दर और बिल्ली की कहानी की भूमिका में अगर चूहा जाय तो जहाँ वे बन्दरों को अपने आप रोटी पैदा करके गुजर कर शोषण छोड़ देने की बात कहते थे, वहाँ बिल्लियों को अपने आप रोटी बाट कर खाने का मदेश मुनाने थे, ताकि उन्हें किसी दूसरे के पाग रोटी बटवाने की सेवा लेने के लिए न जाना पड़े।

कोई-न-कोई जरिया ढूँढ लेगा, यानी वे स्वावलंबी समाज की बात न सोच कर संचालित समाज की ही बात करेगे, क्योंकि ऐसे समाज में संचालक का काम करने के लिए उनकी आवश्यकता होगी, अर्थात् नेतृत्व अगर जिनके हाथ में आज है उन्हीं पर रह गया तो आन्दोलन को घोखा होने की पूर्ण संभावना रहती है। इसलिए गांधीजी ने पहला नारा यह लगाया कि हमें इस समाज क्रान्ति के लिए सात लाख नौजवान चाहिए, जो सात लाख गावों में जाकर अपना वर्ग-परिवर्तन कर उत्पादक श्रम द्वारा अपना गुजारा करें और समग्र ग्राम-सेवा से प्रत्येक देहात को स्वयंपूर्ण बनावें।

गांधीजी ने यह स्पष्ट रूप से देख लिया था कि आज मजदूर वर्ग बेहोश है। अतः उनका नेतृत्व किसी बाहोश व्यक्ति को ही करना होगा। ऐसा होश हुजूर-वर्ग के लोगों में ही है, अतः उन्हींको मजदूर बनकर नेतृत्व तवदीली का उद्देश्य सिद्ध करना होगा। वस्तुतः मजदूर से कहा जाय कि तुम अपना काम अपने आप चलाओ और दूसरे द्वारा अपने को शोषित न होने दो, पर ऐसी बात कहे कौन? क्या हम कहनेवाले उनसे यह बात कहे कि हम तुम्हें रास्ता बताने की सेवा देते हैं, अतः हमारी सेवा तो ले लो और उसके एवज में हमको बिना पैदा करके खाने दो लेकिन दूसरे की ऐसी सेवा लेने से इन्कार करो ताकि वे बिना पैदा करके तुम्हारे श्रम से उत्पादित सामग्री का उपभोग न कर सकें, क्या ऐसा कहना सुसंगत होगा? इस प्रकार विश्लेषण कर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्गहीन समाज की क्रान्ति के नेतृत्व के लिए सबसे पहले देश के हुजूर-वर्ग के नौजवानों को मजदूर बनकर मजदूरों में विलीन होना होगा और शोषण की प्रक्रिया से असहयोग करने का आन्दोलन चलाना होगा, वरना वर्गहीन समाज की बात कोरे आदर्श के रूप में रह जायगी।

इस तरह सात लाख नौजवानों को मजदूर बन कर मजदूरों का प्रत्यक्ष नेतृत्व स्थापित करने के बाद देहाती जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आंतरिक व्यवस्था के लिए स्वावलंबी बनाने का संगठन करने को कहा, जिससे वे समाज में अति विकसित व्यवस्थापको तथा वितरको

के हाथ से मुक्ति पा सके। इस दिशा में उन्होंने चरन्वा मध आदि सस्थाओं के कार्यक्रमों में आमूल परिवर्तन किया जिसमें सभी कार्यक्रम पूर्ण ग्राम-स्वावलंबन की दिशा में चल सके।

मक्षेप में गांधीजी ने परिवर्तन की दिशा में दुनिया को दुबारा मंत्र दिया। शोषक वर्ग को शोषण छोड़कर उत्पादक बनने के लिए उनकी विवेक बुद्धि को जाग्रत किया और शोषित वर्ग को शोषण में असहयोग करने का मगठन करने को कहा, जिसमें शोषक वर्ग को अब शोषण करने की गुंजाइश नहीं रह जायगी, ताकि परिस्थिति की मजदूरी के कारण वे अपने को मजदूर बनाकर वर्ग-परिवर्तन की क्रान्ति की ओर अग्रसर हो सकें।

व्यक्ति नहीं, पद्धति बदलनी है

उपर्युक्त आन्दोलन के सदेश से उन्होंने दुनिया को एक नया मंत्र दिया। उन्होंने क्रान्ति का एक नया क्रान्तिकारी तरीका बताया। जैसा कि हमने पहले ही कहा है, व्यक्ति कुछ नहीं है, पद्धति ही असली चीज है। उसीके कारण मनुष्य मुसी या दुखी होता है। अतः अगर दुख में मुक्त होना चाहते हों तो पद्धति बदलो, न कि व्यक्ति। वस्तुतः केन्द्रीय राज्यवाद तथा पूँजीवाद के कारण व्यवस्था-वितरण का जो कार्य है उसी में हुजूरों की आवश्यकता की नृष्टि की और जबतक समाज में उस कार्य की आवश्यकता रहेगी तबतक यह वर्ग निर्भी-न-क्रिमी नाम में कायम रहेगा। इसलिए गांधीजी विरेन्द्रित तथा स्वावलंबी उत्पादन और व्यवस्था द्वारा उस कार्य को ही समाप्त करना चाहते थे, जिसके कारण आज की वर्ग-विषमता का सफ़्त सत्तर भर में फैल गया है।

श्रम-विभाजन की बात

व्यक्तियों में विभिन्न शक्तियाँ होती हैं और समाज की उन्नति के लिए उन शक्तियों का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। ऐसा कहकर श्रम-विभाजन के वहाने वे कुछ लोगों को मानसिक श्रमवाले और कुछ लोगों को शारीरिक श्रमवाले बनाने की बात करते हैं और कहते हैं कि दोनों ही श्रमिक होने के कारण एक ही वर्ग में शामिल हो सकते हैं। विनोबाजी के शब्दों में वे श्रमिक वर्ग में भी राहु और केतु के रूप में वर्ग करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या 'मानसिक श्रमिक और शारीरिक श्रमिक के रूप में दो वर्ग चलाने पर वर्गहीन' समाज का उद्देश्य सिद्ध होगा ? फिर तो मानसिक श्रम वाले शारीरिक श्रमवालों पर हुकूमत कर उनका शोषण ही करने लगेंगे।

आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग मानसिक श्रमिक और शारीरिक श्रमिक के रूप में दो वर्ग रखना चाहते हैं वे प्राचीन वर्ग-व्यवस्था के खिलाफ हैं। वे अपने को प्रगतिशील कहकर वर्गप्रथा को प्रतिक्रियावादी व्यवस्था कहते हैं। वस्तुतः अगर बौद्धिक श्रमिक तथा शारीरिक श्रमिक यानी ब्राह्मण और शूद्र रूपी दो वर्ग रखना है तो समाज की उन्नति के लिए वर्ण-व्यवस्था ही ज्यादा व्यावहारिक है, क्योंकि अगर दो अलग ही वर्ग रखना है तो पैतृक गुण का लाभ समाज को क्यों न मिले ?

वे पद्धति के नियम और विज्ञान की बात करते हैं। क्या उनके वैज्ञानिक प्राणितत्व में ऐसी बात भी है कि कुछ लोगों का केवल मस्तिष्क बना है और कुछ का शरीर। कुदरत ने मनुष्य को शरीर और मस्तिष्क दोनों दिया है। उसने मानव को बौद्धिक तथा शारीरिक शक्ति दोनों से विभूषित किया है इसलिए कि प्रत्येक मनुष्य दोनों को चलाकर प्रकृति में से ही अपनेको जिन्दा रखने का साधन निकाल ले और सृष्टि की रक्षा करता रहे। अगर मनुष्य इस नियम का उल्लंघन कर अपने को मानसिक श्रमिक और शारीरिक श्रमिक में विभाजित कर ले तो वह प्रकृति का विद्रोह करता है और प्रकृति इस विद्रोह का प्रतिशोध लेकर ही रहेगी। आज हम दुनिया में जो वर्ग-विषमता का ज्वालामुखी देख रहे हैं, वह कोई खास बात नहीं है, वह

प्रकृति द्वारा प्रतिगोध का प्रदर्शन मात्र है। अतएव अगर हम समाज को स्थिर तथा शान देखना चाहते हैं तो हमें वर्ग परिवर्तन की क्रान्ति बुलद कर मानव-समाज में इस द्रोह का अन्त करना ही होगा।

भूदान-यज्ञ और वर्ग-परिवर्तन

सत विनोबा द्वारा प्रवर्तित भूदान-यज्ञ वर्ग-परिवर्तन-क्रान्ति का एक महान तथा व्यावहारिक कदम है। वस्तुतः आज भूमिहीन मजदूर अत्यन्त शोषित वर्ग है और इसका शोषण इसलिए होता है कि उत्पादन का मूलसाधन भूमि पूँजी के कब्जे में है। भूमिपति, जिन्होंने पूँजी लगाकर जमीन प्राप्त की है, श्रमिकों के श्रम से लाभ उठाकर उच्च वर्ग यानी हुजूर-वर्गीय बने हुए है। विनोबाजी, भूमि किमी की सपत्ति नहीं है, यह सिद्धान्त बताकर कहना चाहते हैं कि भूमि की उत्पादित सामग्री उन्हींके उपभोग में आनी चाहिए, जो उस पर श्रम करे। इस सिद्धान्त के अनुसार वे भूमिपतियों को भूमिपर धर्म कर अपनेको मजदूर वर्ग में परिवर्तित करके मजदूरों में विलीन होने को कहते हैं। भूमिदान कहता है कि जिनके पास अधिक भूमि है वे जिनके पर गुद अपने शरीर-श्रम से पैदा कर सकते हैं उन्हीं अपने पास रख कर प्राणी भूमि उनको दे दे, जो उसपर परिश्रम तो करते हैं, लेकिन जिनके पास भूमि नहीं है।

विनोबा की चेतावनी

उपाय निकालेगी। यही कारण है कि आज का जमाना पुकार-पुकार कर वर्गहीन समाज की माग कर रहा है। मैंने कहा है कि वर्गहीन समाज दो ही तरीके से कायम हो सकता है। मजदूर द्वारा हुजूरों का कत्ल या हुजूरों का मजदूर बनकर मजदूरों में विलीन होना। आज विनोबा सहात्मा गांधी के विलीनीकरण के मंत्र से हुजूरवर्ग को दीक्षित करना चाहते हैं। अगर हुजूर घृणा, शान या क्रोध के कारण इस दीक्षा को इन्कार करते हैं तो वे देश और दुनिया और उनके साथ-साथ अपनेको ज्वालामुखी के मुख पर ढकेलते हैं।

वस्तुतः आज भारत के नौजवानों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। आज के युग ने एक महान चुनौती दी है। इस चुनौती की बात विनोबाजी देश भर में घूम कर लोगों के कानों तक पहुंचा रहे हैं। वह बात है कि क्या नौजवान वर्ग विपमता के ज्वालामुखी की सामान्य प्रकृति के हाथ में छोड़कर, उसे प्रज्वलित होने देकर सृष्टिनाश यानी सर्वनाश होने देंगे या प्रकृति पर पुरुष के नियंत्रण से सर्वनाश को टालकर सर्वोदय की स्थापना करेंगे? यह तो स्पष्ट ही है कि वर्ग-विपमता का जो महान सकट आज दुनिया में खड़ा है वह ज्यों-का-त्यों स्थिर नहीं रह सकता। वर्ग सघर्ष या वर्ग-परिवर्तन किसी-न-किसी रूप में कोई-न-कोई आन्दोलन खड़ा होकर ही रहेगा। अगर जवान अपने पुरुषार्थ से इस चुनौती के जवाब में वर्ग-परिवर्तन की महान क्रान्ति कर डम विपमता की आग को सहज में ही बुझा नहीं सकेंगे तो पुरुष के पुरुषार्थ के अभाव में वर्ग सघर्ष की जो आग पहले से ही सुलग चुकी है, प्रकृति देवी को अपना सहारा बनाकर वर्ग विपमता दूर करने की कोशिश करेगी। उससे विपमता की आग बुझने के बजाय और प्रज्वलित होकर ममार को सर्वनाश की ओर ले जायगी।

मुझे आशा ही नहीं, बल्कि विश्वास है कि भारत के नौजवान अपनी काहिली और कायरता के कारण इस चुनौती को यों ही न जाने देंगे, बल्कि सत विनोबा द्वारा प्रवर्तित अहिंसक क्रान्ति में हजारों की तादाद में अपनी आहुति देकर अपनी पीढी की शान और आन की रक्षा करेंगे।

प्रश्नोत्तर

प्रश्न—आपने वर्गविहीन समाज कायम करने के लिए जो दो तरीके बताये हैं, उममें हिंसा के प्रति अन्याय किया है। आपने कहा है—“एक हिंसात्मक तरीका और दूसरा अहिंसात्मक क्रांति।” माना कि आप हिंसा को अवाञ्छनीय मानते हैं, लेकिन वह क्रांति नहीं है, ऐसा कहना ज्यादाती नहीं है क्या ?

उत्तर—आपके प्रश्न से ऐसा मालूम होता है कि आपने क्रांति किसे कहते हैं उसपर गभीर विचार नहीं किया। क्रांति का मतलब विष्वम नहीं, बल्कि परिवर्तन है। एक व्यक्ति क्रांति करना चाहता है, इसका मतलब यह है कि वह लोगो की धारणा तथा मूल्यांकन में परिवर्तन लाना चाहता है और जब वह समझता है कि लोगो में परिवर्तन हो नहीं सकता तब वह गन्ध उगता है, अर्थात् हिंसा अविश्वास का इजहार है। ऐसी अविश्वासी प्रवृत्ति में क्रांति मध सकती है क्या ?

आप इतिहास के पन्नों में देखेंगे कि हिंसात्मक क्रांति के नाम से समाज में जहा कही कुछ हुआ है, वहा और चाहे जो कुछ हुआ हो, क्रांति की मिद्धि नहीं हुई है, अर्थात् परिवर्तित समाज स्थापित नहीं हुआ है। कुछ लोगो ने हिंसा द्वारा दमन करके समाज को एक ढांचे में उालने की कोशिश की और इस परिवर्तन को अनतमाल तक दबाकर कायम रगने की चेष्टा की। तो आप जैसे कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन हुआ ? अगर हिंसा द्वारा समाज में कोई परिवर्तन हुआ दीगता है और उमें हिंसा द्वारा दमाकर ही कायम रचना पडता है ना परिवर्तन हुआ, गमा नहीं कह सकते। क्रांति की मिद्धि ही पदचान परिवर्तित समाज के महज छोटने पर ही हो सकती है। अगर परिवर्तित स्थिति आप आप स्थिर नहीं रह सकती, तो वह क्रांति

नहीं, क्रांति की भ्रांति-मात्र है ।

आजकल चिकित्सा-शास्त्र में डायबेटिज रोग का एक इलाज निकला है । रोगी को आजीवन प्रतिदिन इन्जेक्शन लेना पड़ता है । एक दिन भी इन्जेक्शन न ले तो उसके शरीर की शक्कर उभड़ आती है और इसे डाक्टर लोग इलाज कहते हैं । क्या आप कह सकते हैं कि वह रोगी रोग मुक्त हो गया ? इसी तरह अगर लगातार गोली के निशाने पर समाज का मुह एक दिशा में रखने की जरूरत पड़े तो क्या आप कह सकते हैं कि उसका मुह उधर ही हो गया ?

इसलिए मेरा कहना है कि अगर वास्तविक क्रांति करनी है तो वह अहिंसा से ही सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अहिंसा स्थायी रूप से मनुष्य की धारणा तथा समाज के मूल्यांकन में परिवर्तन करती है ।

प्रश्न—लेकिन आज हिंसा इतनी बढ़ रही है कि उसने गांधीजी को भी कत्ल कर दिया । सारे ससार में एटम बम इत्यादि शस्त्रों के बनाने की होड़ लगी हुई है । ऐसी स्थिति में अहिंसा कैसे चलेगी ?

उत्तर—इसीलिए तो आज अहिंसा चलनेवाली है । क्रांति का जन्म तभी होता है जब ससार में प्रतिक्रियावादी शक्ति पराकाष्ठा पर पहुँच जाती जाती है । दूसरी ओर से क्रांतिकारी शक्ति का जन्म होते ही प्रतिक्रियावादी शक्ति आत्मरक्षा की अंतिम चेष्टा में अपनी शक्ति भर विराट रूप धारण करती है । कस का अत्याचार बढ़ने पर कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण का जन्म लेते ही कस का अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया । लेकिन आपने देखा कि बालक कृष्ण को पालनेवाली यशोदा और गोकुलवासी, कस के अत्याचार में किंकर्तव्यविमूढ़ नहीं हुए और विश्वास के साथ कृष्ण को मक्खन खिला-खिला कर मजबूत किया । पुराण की कहानी में कस-विनाशकारी शक्ति थी और कृष्ण क्रांतिकारी ।

उसी प्रकार आजके युग में हिंसा की विनाशकारी शक्ति को बढ़ते देख गांधीजी ने अहिंसा की क्रांतिकारी शक्ति पैदा की । तभी से हिंसा के विकास की भी तेजी बढ़ी । आप लोग जो अपनेको क्रांतिकारी कहते हैं, उन्हें इस हिंसा

प्रश्नोत्तर

प्रश्न—आपने वर्गविहीन समाज कायम करने के लिए जो दो तरीके बताये हैं, उनमें हिंसा के प्रति अन्याय किया है। आपने कहा है—“एक हिंसात्मक तरीका और दूसरा अहिंसात्मक क्रांति।” माना कि आप हिंसा को अवाञ्छनीय मानते हैं, लेकिन वह क्रान्ति नहीं है, ऐसा कहना ज्यादाती नहीं है क्या ?

उत्तर—आपके प्रश्न में ऐसा मालूम होता है कि आपने क्रांति किसे कहते हैं उसपर गभीर विचार नहीं किया। क्रांति का मतलब विद्रोह नहीं, बल्कि परिवर्तन है। एक व्यक्ति क्रांति करना चाहता है, उसका मतलब यह है कि वह लोगो की धारणा तथा मूल्यांकन में परिवर्तन लाना चाहता है और जब वह समझता है कि लोगो में परिवर्तन हो नहीं सकता तब वह कल्ल करता है, अर्थात् हिंसा अविश्वाम का इजहार है। ऐसी अविश्वासी प्रवृत्ति में क्रांति सब सकती है क्या ?

आप इतिहास के पन्नों में देखेंगे कि हिंसात्मक क्रांति के नाम से नमार में जहा कही कुछ हुआ है, वहा और चाहे जो कुछ हुआ हो, क्रांति की मिद्धि नहीं हुई है, अर्थात् परिवर्तित समाज स्थापित नहीं हुआ है। कुछ लोगो ने हिंसा द्वारा दमन करके समाज को एक ढाचे में डालने की कोशिश की और इन परिवर्तन को अननमाल तब दबाकर कायम रखने की चेष्टा की। तो आप कैसे कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन हुआ ? अगर हिंसा द्वारा समाज में कोई परिवर्तन हुआ दीयता है और उसे हिंसा द्वारा दबाकर ही कायम रखना पडता है तो परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। क्रांति की मिद्धि की पट्टदान परिवर्तित समाज के महज छोटने पर ही हो सकती है। अगर परिवर्तित न्धिति अपने आप स्थिर नहीं रह सकती, तो वह क्रांति

नहीं, क्रांति की भ्रांति-मात्र है ।

आजकल चिकित्सा-शास्त्र में डायबेटिज रोग का एक इलाज निकला है । रोगी को आजीवन प्रतिदिन इन्जेक्शन लेना पड़ता है । एक दिन भी इन्जेक्शन न ले तो उसके शरीर की शक्कर उभड़ आती है और इसे डाक्टर लोग इलाज कहते हैं । क्या आप कह सकते हैं कि वह रोगी रोग मुक्त हो गया ? इसी तरह अगर लगातार गोली के निशाने पर समाज का मुह एक दिशा में रखने की जरूरत पड़े तो क्या आप कह सकते हैं कि उसका मुह उधर ही हो गया ?

इसलिए मेरा कहना है कि अगर वास्तविक क्रांति करनी है तो वह अहिंसा से ही सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अहिंसा स्थायी रूप से मनुष्य की धारणा तथा समाज के मूल्यांकन में परिवर्तन करती है ।

प्रश्न—लेकिन आज हिंसा इतनी बढ़ रही है कि उसने गांधीजी को भी कत्ल कर दिया । सारे ससार में एटम बम इत्यादि शस्त्रों के बनाने की होड़ लगी हुई है । ऐसी स्थिति में अहिंसा कैसे चलेगी ?

उत्तर—इसीलिए तो आज अहिंसा चलनेवाली है । क्रांति का जन्म तभी होता है जब ससार में प्रतिक्रियावादी शक्ति पराकाष्ठा पर पहुँच जाती जाती है । दूसरी ओर से क्रांतिकारी शक्ति का जन्म होते ही प्रतिक्रियावादी शक्ति आत्मरक्षा की अंतिम चेष्टा में अपनी शक्ति भर विराट रूप धारण करती है । कस का अत्याचार बढ़ने पर कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण का जन्म लेते ही कस का अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया । लेकिन आपने देखा कि बालक कृष्ण को पालनेवाली यशोदा और गोकुलवासी, कस के अत्याचार से किंकर्तव्यविमूढ़ नहीं हुए और विश्वास के साथ कृष्ण को मक्खन खिला-खिला कर मजबूत किया । पुराण की कहानी में कस-विनाशकारी शक्ति थी और कृष्ण क्रांतिकारी ।

उसी प्रकार आजके युग में हिंसा की विनाशकारी शक्ति को बढ़ते देख गांधीजी ने अहिंसा की क्रांतिकारी शक्ति पैदा की । तभी से हिंसा के विकास की भी तेजी बढ़ी । आप लोग जो अपनेको क्रांतिकारी कहते हैं, उन्हें इस हिंसा

वा विकास देखकर घबडाना नहीं चाहिए, बल्कि गोकुलवासी की तरह विश्वास के साथ अपनी जिन्दगी और तपस्या में मीचकर डम क्रांतिकारी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आज हिंसा चाहे जितना विराट रूप धारण किये हुए हो, उसकी समाप्ति अवश्यम्भावी है।

प्रश्न—आपने वर्ग-परिवर्तन की बात की है, वर्ग-सघर्ष को कतई स्थान नहीं दिया है। इसमें आपने सृष्टि के एक बुनियादी तत्त्व को ही इन्कार किया है। आखिर वर्ग-सघर्ष भी तो अहिंसक ढंग में किया जा सकता है। गांधीजी और विनोबाजी भी तो हमें सत्याग्रह की बात करते हैं। क्या यह सघर्ष का ही अहिंसक रूप नहीं है ?

उत्तर—मालूम होता है कि आप अभी भी रूढ़ विचार के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नई क्रांति की बात समझने के लिए स्वतंत्र विचार की आवश्यकता है। आखिर उद्देश्य क्या है ? साम्य की प्रतिष्ठा या वर्ग-सघर्ष ? वस्तुतः कठिनाई यह है कि अधिकांश लोग अपने सामने गणेशजी जैसी एक मूर्ति रखकर अहिंसक क्रांति की आराधना करना चाहते हैं—यानी हिंसा के आधार पर जो धारणाएँ और मूल्यांकन रूढ़ हो चुके हैं, उसके मारे कलेवर को ज्यो-का-त्यो कायम रखते हुए उसके सिर से हिंसा काट कर अहिंसा रूप देने मात्र में ही अहिंसक क्रांति की मूर्ति बन जाती है, ऐसा मानते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। अहिंसक क्रांति एक स्वतंत्र तथा मौलिक वस्तु है। आगिर अहिंसा में सघर्ष कहा ? अहिंसा के मूल में तो सहयोग ही है।

वस्तुतः आप लोग जो यह समझ बैठे हैं कि प्रकृति का मूल तत्त्व सघर्ष ही है, उसमें गलती है। ऐसा समझना पश्चिमी एकांगी विचार के असर का नतीजा है। हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि प्रकृति में सघर्ष भी है। लेकिन सघर्ष और सहयोग में सहयोग की ही प्रधानता है। प्रकृति के मारे हिंसे एक दृश्य में बंधे हैं और उनमें मामजस्य तथा मतुलन है। वह वस्तुस्थिति ही सहयोगिता या प्राधान्य साधित करती है। अगर सघर्ष की प्रधानता होती तो मागी सृष्टि बच की विचार गई होती।

यह सही है कि अहिंसा के क्षेत्र में भी विचार-भेद होता है, लेकिन

इस भेद ने विचार-मघर्ष पैदा नहीं होता, बल्कि विचार-मथन होता है। मथन के नतीजे में आचार निर्दिष्ट होता है और सहयोग के आधार पर वह आचार मूर्तिमान होता है।

आपके प्रश्न में दीखता है कि गांधीजी या विनोबाजी के सत्याग्रह की बात पर आपने गहराई में सोचा नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आपको सत्याग्रह और सघर्ष के बारे में स्पष्ट धारणा हो। सत्याग्रह का मतलब विरोध नहीं है। सत्य के लिए आग्रह—यही सत्याग्रह है। हम इस सत्य को मानते हैं कि भूमि उनके पास होनी चाहिए जो उसपर परिश्रम करे। इस सत्य को स्थापित करने के लिए घर-घर भूमि मागना सत्याग्रह है और निर्भर होकर अपने हक पर डटे रहना भी सत्याग्रह है। अगर कोई किसान बेदखल होता है और निर्भय होकर वह उस जमीन पर डटा रहता है तो विरोध वह किनी का नहीं करता है। सिर्फ इतना ही करता है कि कापुरूप जैसा अपने हक को छोड़कर भाग नहीं जाता।

मघर्ष में दोनों पक्ष की ओर से वार होता है। सत्याग्रह में ऐसा नहीं होता। सत्याग्रही अपने सत्य पक्ष पर स्थिर रहता है और दूसरे पक्ष के वार से दबने में इन्कार मात्र करता है। यह मघर्ष नहीं, सत्याग्रह है। जो लोग अहिंसक क्रांति की बात सोचते हैं उन्हें इन तत्त्व को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, अन्यथा वे अहिंसा का नाम लेते रहेंगे, लेकिन पुरानी धारणाओं के कारण अपने काम में दिशा-भ्रष्ट होकर प्रच्छन्न हिंसा की ओर बढ़ेंगे। अन्त-तोगत्वा वे विफलता के गर्त में गिरेंगे और परिस्थिति को प्रतिक्रांतिकारी शक्ति के हाथ में सौंप देंगे।

प्रश्न—आप भी शासनहीन और वर्गहीन समाज की बात करते हैं, फिर आपमें और कम्युनिस्टों में क्या फर्क है ?

उत्तर—कम्युनिस्ट ऐसी बात करने में सिर्फ स्वप्न-द्रष्टा हैं और हम व्यावहारिक स्थिति की बात सोचते हैं। कम्युनिस्ट कहते हैं कि वे शासनहीन समाज कायम करना चाहते हैं, लेकिन वे करते हैं नित्य प्रतिदिन शासन का अधिकतर संगठन 1-वे कहते हैं कि इस प्रकार शासन संगठन

पूर्ण होनेपर आखिर में सूख जायेगा । वैज्ञानिक तत्व के अनुमार शायद यह सही है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि किसीका पूर्ण विकास हो चुकने पर उसका अंत होता है । यह बात तात्त्विक हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक नहीं । ऐसा कहना ठीक उसी तरह है जैसे कोई कहे कि उसे पटना से कलकत्ता जाना है और वह चलता है पश्चिम की ओर । भौगोलिक तत्व के अनुमार शायद वह ठीक ही चल रहा है, क्योंकि पृथ्वी गोल होने के कारण आखिर में कलकत्ता पहुँचेगा ही । लेकिन कोई भी व्यावहारिक मनुष्य ऐसा नहीं करता । वह पूरव की ओर चलता है क्योंकि ऐसा करने में वह प्रत्यक्ष देखता है कि जितना कदम चलता है उतना कदम कलकत्ता के नजदीक पहुँचता है । लेकिन भौगोलिक तत्व के अनुसार सही होनेपर भी पश्चिम की ओर चलने से वह कदम-कदम पर कलकत्ता से दूर ही हटता जाता है । इसी तरह कम्युनिस्ट जैसे-जैसे शासन को सगठित करते जा रहे हैं वैसे-वैसे वे शासनहीनता से दूर होते जा रहे हैं और वे अपनी प्रगति के हर कदम पर जन-स्वतंत्रता को निर्दलित कर रहे हैं ।

इसीलिए हम कहते हैं कि अगर शासन को विघटित करना है तो उसका तरीका भी विघटन का होना चाहिए । हमारी प्रगति जन-स्वावल-वन को सगठित कर शासन की आवश्यकता को घटाते जाने में ही है, ताकि आखिरी कदम पर जन-स्वावलवन पूर्ण होकर शासन-शून्य हो सके । वस्तुतः कम्युनिस्टों की शासन-हीन समाज की बात नकारात्मक है, सृजनात्मक नहीं । इस प्रकार के अव्यावहारिक तथा कोरे तत्वदर्शी को आप लोग अग्रेजी में यूटोपियन (Utopian) कहते हैं । इसलिए विनोबाजी साम्ययोग कहते हैं, साम्यवाद नहीं, क्योंकि वाद एक दर्शन मात्र है और योग का मतलब प्रत्यक्ष साधना है ।

वर्गहीन समाज के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ । हम उत्पादकों का एक अद्वैतवादी समाज बनाना चाहते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शरीर-श्रम द्वारा उत्पादन करेगा । उत्पादन के माध्यम से शिक्षा-मद्वृत्ति चलने के कारण प्रत्येक उत्पादक की बुद्धि विकसित होगी और इस प्रकार की

विकसित वृद्धिवाले उत्पादक आपम में सहकार के आधार पर स्वावलंबी व्यवस्था चलायेगे। इसमें न्यूनाधिक विगिष्ट प्रवृत्तिवालों के विशेष विकास का अवसर अवश्य रहेगा, लेकिन किसीके लिए कोई काम खाम नहीं माना जायेगा।

कम्युनिस्ट उत्कट केन्द्रीकरण के द्वारा अलग में एक विराट व्यवस्था-पक वर्ग की नृष्टि कर रहे हैं। इस तरह वे हेड्स (Heads) और हैंड्स (Hands) के वर्गीकरण ने वर्ग-विपमता मिटाने के वजाय उसे मज-बूत करते जा रहे हैं। रेलों के डिब्बों में जैसे फर्स्टक्लास, मेकेडक्लाम, इटरक्लास और थर्डक्लाम हैं, उन्नी तरह समाज में भी चार वर्ग हैं—सामान्तवर्ग, पूजीपतिवर्ग, व्यवस्थापक वर्ग और शरीर-श्रमिक वर्ग। केवल फर्स्ट और मेकेड क्लाम हटाने से ही काम नहीं चलेगा। इटर क्लाम भी हटा कर समाज में शुद्ध जनता एकमप्रेस चलानी होगी।

प्रश्न—आपने कहा है कि हम लोगों ने अग्रेजों के साथ युद्ध किया है, क्रांति नहीं की। फिर वह राजनैतिक क्रांति किस दिशा में होगी और उसका स्वरूप क्या होगा ?

उत्तर—आजकल दुनिया का राजनैतिक ढांचा उलट गया है। किनी भी पेंड की जड वहा रहती है, जहा से वह पोपण लेता है और उसकी फुनगी आसमान की ओर रहती है। आज का राजनैतिक वृक्ष देहातो में पोपण लेता है, लेकिन उसकी जड है दिल्ली में और फुनगी देहातो में, अर्थात् आधुनिक राजनीति शीर्षमिन कर रही है। कभी-कभी २-४ मिनट तक शीर्षमिन करना तो अच्छा होता है और इसमें शरीर का तेज भी बढ़ता है, लेकिन अगर कोई न्यायी रूप में शीर्षमिन ही करता रहे तो उसके मिर पर खून चट जायेगा। राजनीति में भी अगर एकाध बात की जड दिल्ली में रहे तो ठीक है, उसमें समाज में तेजस्विता भी आ सकती है लेकिन आज की राजनीति चूकि अनवरतरूप में शीर्षमिन ही करने लगी है इसमें उसके मिर पर खून चट गया है। नतीजा यह कि मे ममार के राष्ट्रों में तानाशाही का जमघट हो रहा है और युद्ध की नैयागी की होड लग रही है।

राजनैतिक वृक्ष को उलट कर उसकी जड़ देहातो में करना ही हमारी राजनैतिक क्रांति है। इसके लिए आपको अपने विधान में आमूल परिवर्तन करना होगा। आज सविधान सभा दिल्ली में बैठती है। सर्वोदय विधान बनाने के लिए प्रथमतः यह सभा देहातो में बैठेगी। देहात के लोग अपनी शक्ति के अनुसार ग्रामराज्य की जिम्मेदारी तय करेंगे और शक्ति के बाहर के मदों को ऊपर की जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ाएंगे। जिला सभा उसमें से अपनी शक्ति के अनुसार जिम्मेदारी रखकर बाकी आगे बढ़ायेगी। इस तरह क्रमशः आगे बढ़ते हुए आखिरी वचत अन्तर्राष्ट्रीय सभा तक पहुँच कर अखंडविश्व (One World) की कल्पना मूर्तिमान होगी।

ही सकता है कि देहाती सभाओं के प्रतिनिधि, जो जिलों में मिलेंगे, वाद को देहाती जिम्मेदारियों में किञ्चित् हेरफेर करके उनमें कुछ समानता लावे और उसी तरह उससे ऊपरवाले नीचेवालों का मार्ग-दर्शन करे। लेकिन मूलतः सविधान का ढाँचा इसी तरह से बनाना होगा।

प्रश्न—आपकी बातों से ऐसा दीखता है कि आप पार्लामेण्टी शासन को गणतंत्र के रूप में स्वीकार नहीं करते। आखिर उसमें दोष क्या है ?

उत्तर—मैंने पहले ही कहा है कि पूरी पार्लामेण्ट डड-शक्ति की मूर्ति है और विरोधी दल भी उसीका एक वाजू है। पार्लामेण्टी पद्धति में स्वतन्त्र शिव-शक्ति की कहीं गुजाइश नहीं है। नतीजा यह होता है कि जनता तकलीफ होनेपर भी कोई स्वतन्त्र कदम नहीं उठा सकती। जैसे रोगी तकलीफ होने पर करवट बदलता रहता है उसी तरह परेशान जनता पार्टी बदलती रहती है।

उसके जल्दावा उसमें एक बहुत बड़ा व्यावहारिक दोष है। पार्लामेण्टी पद्धति में जनता की शक्ति और कोप का अपव्यय होता है। एक पार्टी जानती है, कुछ योजना बनाती है, उसके लिए राष्ट्र की शक्ति और संपत्ति खर्च करती है और फिर दूसरी पार्टी आकर उसको रद्द करके दूसरी योजना बनाती है।

इस तरह योजनाओं की कबड्डी खेलकर राष्ट्रीय साधन की कितनी वर्षादी की जाती है, इसका अन्दाज आप लगा सकते हैं। इसके उदाहरण के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। पार्लामेण्टी पद्धति को माननेवालों के लिए ब्रिटिश पार्लामेंट एक उत्कृष्ट मिसाल है। पिछले दिनों इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण के मामले में उसी इंग्लैंड में क्या दशा हुई, यह आप सबको पता ही है।

प्रश्न—विनोबाजी कहते हैं कि भूमि किमीकी संपत्ति नहीं है, वह ईश्वर की है। क्या ईश्वर आकर उसकी व्यवस्था करेगा? आखिर भूमि का समाजीकरण आवश्यक है। सर्वोदय-सिद्धांत के अनुसार इसका स्वरूप क्या होगा?

उत्तर—इसका जवाब तो विनोबाजी ने खद दिया है—भूमि का ग्रामीकरण होगा। लेकिन इन ग्रामीकरण शब्द से भी भ्रम होने की संभावना है। ग्रामीकरण तीन तरह का हो सकता है

१ सारी भूमि ग्राम-पंचायत की हो, पंचायत खेती करे, गाव के लोग उनपर मजदूरी करें। खेती में जो वचत हो वह पंचायत की आय हो और उन आय में पंचायत ग्राम की भलाई और व्यवस्था का काम चलावे।

२ सारी जमीन ग्राम पंचायत की हो और सब लोग उसपर सहकारी खेती करे। परिवारों के चालू खर्च को चलाने के लिए लोग कुछ दैनिक मजदूरी भी लेने रहें, लेकिन वचत श्रम के अनपात में आपस में वाट ले। गाव की व्यवस्था के लिए लोग व्यक्तिगत कर दें।

३ जमीन सब पंचायत की हो। पंचायत परिवारों की आवश्यकता तथा क्षमता के अनुपात में भूमि का वितरण करे और लोग मुख्यत व्यक्तिगत खेती करें। मिर्चाई आदि कुछ कामों के लिए आवश्यकता पड़नेपर आंशिक या पूर्णतया सहकारी पद्धति चलायें। पंचायत कुछ जमीन मार्वा-जनिक भूमि के रूप में रखे, जिसपर खेती श्रमदान-यज्ञ में हो और उसकी उपज में मार्वाजनिक कार्य तथा ग्रामव्यवस्था चले।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, सर्वोदय, सामाजिक व्यवस्था

कायम रखते हुए हरेक व्यक्ति का पूर्ण विकास चाहता है। इस उद्देश्य की सिद्धि में तीसरा तरीका ही उपयोगी सिद्ध होगा।

प्रश्न—भूमिदान-यज्ञ से भूमि का वटवारा हो जायगा, यह तो समझ में आता है, लेकिन आज जो बड़े-बड़े पूजीपतियों के पास संपत्ति पडी है उमका वटवारा कैसे होगा और उमके लिए आप कौन-सा कार्यक्रम और आन्दोलन चलाना चाहते हैं।

उत्तर—इसीके लिए तो विनोवाजी ने संपत्ति-दान की बात शुरू की है। कोई भी व्यावहारिक क्रांतिकारी एक-एक करके कदम उठाता है। विनोवाजी ने पहले भूमिदान-यज्ञ आन्दोलन शुरू किया। जब उन्हें मालूम हो गया कि भूमिदान-यज्ञ का पैर जम गया तो संपत्तिदान की बात की और अब इस पर जोर भी देने लगे हैं। यह सही है कि अभी आमदनी का ही छठा हिस्सा मागा जा रहा है, लेकिन विनोवाजी हमेशा कहते हैं कि उनकी यह माग पहली किस्त की माग है। उन्हीके शब्दों में कहे तो वे संपत्ति के अन्दर एक फन्वर ठोक देना चाहते हैं। क्रमशः आपको मूल पूजा का दान भी मागना होगा।

दूसरी ओर वे भूमिदान-यज्ञ और केन्द्रित उद्योग बहिष्कार को नीताराम की तरह अभिन्न मानते हैं। भूमि-वितरण-आन्दोलन के तरीके में और संपत्ति-वितरण-आन्दोलन के तरीके में फर्क है। अगर किसी राजा में मारी जमीन मिल जाय तो उमे सड़ित कर उत्पादकों में बाटा जा सकता है, लेकिन पूजीपति में अगर मारा-का-सारा कारखाना मिल जाय तो उमके टुकड़े करके बाटा नहीं जा सकता। इसलिए इस दिशा में दोस्त्या आन्दोलन चराना पडेगा। एक ओर में संपत्तिवान तथा पूजीपतियों में संपत्ति और पूजा का दान मागना होगा और दूसरी ओर में केन्द्रित उद्योग के बहिष्कार और सामोद्योग के संगठन का आन्दोलन चलाकर उद्योगों को विकेंद्रित करना होगा। देश के विकेंद्रित उद्योगीकरण के बाद लोगों के पास जो पूजा एवञ्चिन हुई है वह अनुत्पादक होकर ग्नम हो जायगी। संपत्तिदान-यज्ञ में इस प्रकार की पूजा के ग्नम होने की प्रक्रिया में वेग आयेगा।

यह सही है कि कुछ ऐसे उद्योग रह जायगे, जिन्हें केन्द्रित ढंग में ही चलाया जा सकता है। ऐसे उद्योग पूजा-निरपेक्ष नहीं हो सकेंगे। ऐसे उद्योगों को श्रमिकों की नहक़ारी नमिति के हाथ में सौंपना होगा। संपत्ति-दान यज्ञ का आन्दोलन आगे बढ़नेपर आपको पूरा-का-पूरा कारखाना भी मिलेगा। और जैसे पूरा-का-पूरा गाव मिलनेपर उसकी व्यवस्था हम अपने आदर्श के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं उसी तरह पूरा-का-पूरा कारखाना मिलनेपर उसे सामूहिक रूप में श्रमिकों द्वारा चलवाने का प्रयोग भी करेंगे और क्रमशः सारे अनिवार्य केन्द्रित उद्योगों को श्रमिकों के हाथ में सौंप देने का आन्दोलन चलायेंगे। ये सब कार्यक्रम संपत्तिदान-यज्ञ के अन्तर्गत हैं।

पुरानी धारणा के अनुसार आप कह सकते हैं कि ये सरकार के हाथ में क्यों न जाय। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको शासनहीन समाज कायम करना है तो सारा कार्यक्रम उसी दिशा में होना चाहिए। हमको दड-शक्ति को क्षीण करने की बात सोचनी चाहिए, न कि उसे मजबूत करने की। वर्षों से देश के नेता शासन और न्याय-विभाग को अलग करने का आन्दोलन कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों चाहते हैं? इसलिए कि हमारी राय में अगर शासन और न्याय एक ही हाथ में रहेगा तो न्याय-शक्ति को शासन के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जायेगा। इसी तरह अगर हम दमन का नाशन और उत्पादन का नाशन एक ही हाथ में रखेंगे तो उत्पादन को दमन के काम में लाकर दड-शक्ति अपनेको मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। यही कारण है कि हम अनिवार्य केन्द्रित उद्योगों को भी सरकार के हाथ में न रखकर जनता द्वारा चालित स्वतन्त्र और सामूहिक सस्था के हाथ में सौंपना चाहते हैं।

प्रश्न—पश्चिमी औद्योगिक मुल्कों में भी विकेंद्रीकरण की बात की जा रही है, तो उसमें और सर्वोदयी विकेंद्रीकरण में क्या फर्क है?

उत्तर—पश्चिम में जो विकेंद्रीकरण की बात करते हैं उसमें उत्पादन की पद्धति बदलने की बात नहीं है। वे पूजावादी पद्धति को बदल कर श्रमवादी पद्धति नहीं कायम करना चाहते। उनका विकेंद्रीकरण भौगोलिक

है, यानी बवई में सारी कपडे की मिल न होकर जिन इलाको में रई पैदा होती है उन इलाको में जगह-जगह एक-एक मिल रखी जाय ।

एक दूसरे किस्म का विकेंद्रीकरण जापान में चल रहा है । उसमें कुछ-कुछ कुटीर-उद्योग की बात भी है, लेकिन वह पूजी-निरपेक्ष स्वावलवी पद्धति नहीं है । वह केन्द्रित पूजी संचालित दस्तकारी पद्धति है ।

प्रश्न—लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में ग्रामोद्योगी विकेंद्रीकरण कैसे चलेगा ? क्या आप विज्ञान को स्वावलवन की बलिवेदी पर चढाना चाहते हैं ?

उत्तर—यह सवाल प्रायः सभी आधुनिक पढे-लिखे लोगो के दिमाग में आता है । इसका कारण यह है कि लोग विज्ञान का मतलब नहीं समझते । विज्ञान कोई एकागी वस्तु नहीं है, वह तो प्रकृति के सर्वांगीण नियम के आधार पर बना है । किन्तु लोगो ने शायद विज्ञान का मतलब सिर्फ यत्र-शास्त्र समझ लिया है । विज्ञान केवल यत्र-शास्त्र नहीं है । राजनीतिशास्त्र, समाज-शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, शरीर-तत्व आदि सब विज्ञान के विभिन्न अंग हैं । जो चीज विज्ञान के मारे अंगो का सामजस्य नहीं रख सकती वह अवैज्ञानिक है । कोई यत्र-शास्त्र के अनुसार पूर्ण होनेपर भी यदि राजनैतिक, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक सतुलन की रक्षा नहीं कर सकता तो वह अवैज्ञानिक यत्र है और उसका इस्तेमाल विज्ञान के खिलाफ है । इसलिए हम उन यत्रो को अवैज्ञानिक मानकर त्याज्य कहते हैं जिनके प्रचलन में राजनैतिक तानाशाही, आर्थिक बेकारी या अन्यान्य मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक दोषो की मृष्टि होती है । एक छोटी-सी मिमाल लीजिए—वाद्य का वैज्ञानिक उद्देश्य स्वास्थ्य-रक्षा है । अगर किसी किस्म की आटा पीसने या तंत्र परेने की मशीन में निकले हुए आटे या तेल का खाद्य-गुण घट जाता है, तो वह मशीन भंगे ही यत्र के हिमायत में वैज्ञानिक हो, लेकिन खाद्य-उत्पादन के औजार के रूप में अवैज्ञानिक समझी जायेगी । फिर यत्र-शास्त्र एक शास्त्र है, बार्ड मशीन-मात्र नहीं है । एक ही वैज्ञानिक नियम से छोटा या बड़ा यत्र बनता है । अगर मशीन छोटी हो तो लोगो की धारणा में अवैज्ञानिक

निक है और बड़ी हुई तो वैज्ञानिक हो जाती है। ऐसा सोचना ठीक उसी प्रकार है जैसे देहात के लोग, बंगन, कुम्हड़ा आदि के मामले में, यदि चीज छोटी हो तो उसे देशी और बहुत बड़ी हो जाने पर विलायती कहते हैं। आपको समझना चाहिए कि छोटी मशीन के आविष्कार में वैज्ञानिक बुद्धि अधिक लगानी पड़ती है।

दरअसल हम स्वावलंबन की वलिवेदी पर विज्ञान को वलिवदान नहीं करना चाहते, वलिक आज की दुनिया में वैज्ञानिक विकास के नाम पर विज्ञान की जो हत्या चल रही है उसे रोकना चाहते हैं।

प्रश्न—आपने जो बातें कही हैं वे सब ठीक हैं, लेकिन वे सब दूर की बातें हैं। अभी लोग अन्न बिना तडप रहे हैं—विदेश से अनाज मगाना पड रहा है। ऐसी हालत में आपने भूमिदान छेडकर 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन को पीछे छोड दिया है। लोगो के अन्न के बिना मर जाने पर किसे लेकर शासनहीन और शोषणहीन समाज बनेगा ?

उत्तर—ऐसा लगता है कि आपने कृषि का काम नहीं किया है। अधिक अन्न स्टेशनों के पोस्टरो में नहीं पैदा होता, वह तो जमीन पर ही पैदा होगा। जिसने थोड़ी भी खेती की है या कम-से-कम खेती का काम देखा है उसको मालूम है कि जो किसान अपने हाथ से खेती करते हैं उनकी पैदावार उन किसानों से कही अधिक होती है जो मजदूर द्वारा खेती करवाते हैं। वह भूमिहीन मजदूर जो दूसरे के खेत में काम करता है जब अपना खेत जोतेगा तो उसमें स्वभावतः अधिक पैदा होगा। भूमिदान यज्ञ का उद्देश्य जमीन की पैदावार उसीको देना है, जो उसपर श्रम करता है। इससे पैदावार बढ़ेगी या नहीं, यह आप खुद सोच सकते हैं।

प्रश्न—भूमिदान-यज्ञ से भूमिहीनों को जमीन मिल जानेपर जो जमीन भूमिवानों के पास रह जायेगी उसके लिए मजदूर की तगी होगी। तो डमसे उत्पादन में कमी तो होगी ही न ?

उत्तर—आखिर वही मजदूर सारी जमीन आज जोतता है न ? उसमें मे थोड़ीनी अगर मजदूर की मिल्कियत में चली जायेगी तो जो शक्ति अवतक

गाव की सारी जमीन जोतती थी वह दान द्वारा प्राप्त थोड़ी-सी जमीन में खप जायेगी, यह हिमाव्र आपने कैसे मान लिया ? फिर आप ही लोग यह भी कहते हैं कि देश में बेकारी है। इसके अलावा तथ्य यह है कि भूमिदान-यज्ञ में देश में जो मानसिक क्रांति हो रही है और जिसके नतीजे से लोग यह बात समझ रहे हैं कि मंत्रको श्रम करना ही है, वह क्रांति भूमिदानों को भी जमीन पर श्रम करने के लिए प्रेरित करेगी। जो लोग अबतक केवल मजदूर पर भरोसा करते थे वे जब थोड़ा-थोड़ा भी जमीन पर खुद काम करने लगेंगे तो उनके हिस्से की जमीन की भी पैदावार बढ़ेगी। मालिक के साथ काम करते देख मजदूर भी अधिक उत्साह में काम करेगा। तब मजदूर मजदूर बनकर नहीं, महकारी बनकर मदद करेगा।

इन—अबतक आपने सर्वोदय-विचार-क्रांति की बात की, लेकिन दण्डनिरपेक्ष तथा पूजा-निरपेक्ष समाज की रचना किस तरह में सिद्ध होगी ? उसके किसी व्यवस्थित कार्यक्रम के बिना हम कार्यकर्ता क्या करें ?

उत्तर—कार्यक्रम तो आन्दोलन के सिलसिले में परिस्थिति के अनुसार नूतन रहेगा। आज उमका कोई कार्यक्रम नहीं बन सकता। मुख्य आवश्यकता यह है कि कार्यकर्ताओं का लक्ष्य स्थिर हो और दृष्टि स्पष्ट हो, फिर कार्यक्रम निकलता जायेगा। विनोबाजी खुद ही एक के बाद दूसरा कार्यक्रम देश के सामने रख रहे हैं। फिर भी आपके समझने के लिए मैं एक सामान्य दिशा-निर्देश कर देता हूँ। भूमिदान-यज्ञ के कार्य में आपने आन्दोलन का पहला कदम उठा लिया है। साथ-साथ केन्द्रित उद्योग-व्यवहार तथा संपत्ति-दान-यज्ञ का कार्यक्रम भी आपके सामने है। मान लीजिये, आप किसी थाने के कार्यकर्ता हैं। पहले आप विचार-प्रचार के साथ-साथ भूमिदान मांगेंगे। जब देखेंगे कि कुछ जमीन मिल गई है तब आप जमीन पर जाकर उमका अध्ययन करेंगे। उममें कुछ पट्टी होगी, कुछ ऐसी जमीन होगी जिसमें पानी की व्यवस्था करनी है, कुछ ऐसी भी जमीन होगी जो अगटे की है, अर्थात् अधिमाय जमीन पर कुछ-न-कुछ समस्या है। उन समस्याओं के समाधान में आपका गाव के लोग

को सगठित करना होगा। इस सगठन के रूप में आप ग्रामराज्य स्थापना के लिए क्रांतिकारी इकाई की नींव डाल देंगे।

शुरु-शुरु में अच्छा यह होगा कि आप श्रमदान-यज्ञ का कार्यक्रम चलावें। इसमें आप गाव की सब श्रेणियों को शामिल कर सकेंगे। श्रमदान यज्ञ द्वारा पडती जमीन तोड़ना, तालाब खोदना, बाध बाधना आदि कार्यक्रम हाथ में ले सकते हैं। जो लोग श्रमदान में साथ काम करेंगे उनमें विचार-क्रांति फैलेगी। आप भी बातचीत में अपनी सारी योजना बतायेंगे। धीरे-धीरे जो लोग नियम रूप से समय देनेवाले हैं उनकी एक श्रमदान-यज्ञ समिति बन जायेगी और जैसे-जैसे इस समिति का काम ठोस होता जायेगा वैसे-वैसे केन्द्रित उद्योगों के बहिष्कार का सकल्प-पत्र भरवाना, ग्रामोद्योग का सगठन और प्रौढ शिक्षा आदि कार्यक्रम हाथ में लिया जा सकेगा। इस प्रकार श्रमदान यज्ञ से शुरु करके आप स्थानीय नेतृत्व तथा प्रेरणा पैदा करके एक सगठन खड़ा करेंगे। फिर वही सगठन क्रमशः पूजा तथा दड-निरपेक्ष समाज कायम करने की दिशा में निश्चित आन्दोलन चलायेगा। इनका स्वरूप सामान्यतः निम्न प्रकार का होगा —

१ पूजा-निरपेक्ष समाज—सबसे पहले अन्न-वस्त्र-बहिष्कार आन्दोलन के लिए समिति के सदस्य बहिष्कार के सकल्प-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। फिर गाव के लोगों को समझाकर दूसरों से भी ऐसा सकल्प-पत्र भरवायेंगे। उसके लिए जुलूस, सभा आदि का आयोजन भी करना होगा। समय-समय पर गाव के लोगों की चर्चा-मंडली चलायी होगी। जैसे-जैसे जन-मानस तैयार होगा और सगठन-शक्ति बढ़ेगी, केन्द्रित उद्योग से उत्पादित अन्न-वस्त्र की चीजों की विक्री पर पिकेटींग करना होगा। एक वाक्य में ग्रामोद्योग का सगठन तथा केन्द्रित उद्योग-बहिष्कार से गाव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वावलंबी बनाना होगा ताकि पजीवाद के नागपाश से वे बाहर निकल सकें।

२ दड-निरपेक्ष समाज—आर्थिक आन्दोलन में काफी प्रगति होने का मतलब है गाव के सगठन का मजबूत बनना। फिर वह सगठन राज-

नैतिक आन्दोलन का काम भी करेगा। राजनैतिक आन्दोलन का मतलब आप जो ममझते हैं, वह नहीं है अर्थात् गाव का वह सगठन दूमरों के हाथ से दड छीनकर अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि समाज में दड की आवश्यकता के खत्म करने का आन्दोलन करेगा। इसके लिए ग्राम समिति को सरकार द्वारा संचालित महकमों की सूची बनानी पड़ेगी और उसमें से कुछ व्यवस्था छाटकर उसको चलाने की जिम्मेदारी समिति को मारे गाव के सहयोग में अपने ऊपर लेनी होगी। ऐसी समितियों का सगठन आप याने भर में करे। जब ऐसी समितियों का सगठन काफी गावों में हो जाय और वे उत्पादन तथा व्यवस्था चलाने की शक्ति हासिल कर ले तो जैसे आप भूमिपतियों में भूमिदान और मपत्तिवालों में मपत्तिदान मांगते हैं उसी तरह में मत्ताधारी से मत्ता का दान मांगेंगे। ग्राम-समितिया सरकार में कहेंगी कि आपके अमुक-अमुक विभाग की जिम्मेदारी हम सरकार के आधार पर स्यावलदी व्यवस्था से चला लेंगे। आप इसकी जिम्मेदारी हम पर मांग दें और उनके लिए आप अपना इन्तजाम दम डलाके में उठा लें। आपकी इतनी जिम्मेदारी कम होने के कारण, उस मद में जिम अनुपात में खर्च होता है उतना कर उस डलाके में घटा दें। स्वभावतः इस लोक-युग में सरकार उसे मानेगी। लेकिन अगर सरकार की प्रकृति सर्वाधिकारवादी हुई तो वह उसे नहीं मानेगी। वह इन जिम्मेदारियों के वहाने जनता पर निरन्तर हावी रहना चाहेंगी। वैसे हाथ में जनता को यह कहने का हक होगा कि चूंकि अब हम आपकी अमुक सेवाओं की आवश्यकता नहीं रही, इसलिए उस सेवा के लिए हम अबतक जो महनाना देने रहे वह अब नहीं देंगे, यानी वे उस अनुपात में टैक देने में इन्कार करेंगे।

इन प्रकार का आन्दोलन देगव्यापी होनेपर कोई भी सत्ताधारी अपनी मत्ता को खर्दसनी जनता पर नहीं लाद सकता। लेकिन मुझे विश्वास है, ऐसा आन्दोलन खाने लायक सगठन गाव-भाव में बन जाने पर सरकार आन्दोलन तक पहुँचने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसमें पहुँचे ही मुक्त म को खाना-दरगा पैदा होगा उसमें देश के विधान में परिवर्तन हो जायगा।

प्रश्न— इस प्रकार का रचनात्मक काम तो गावों में तीन माल में चल रहा है। चरखा मघ, गामोद्योग मघ आदि मस्याए भी काफी दिनों में काम कर रही हैं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उनका दर्शन तो कहीं नहीं हो रहा है, फिर इस तरह समस्या का हल कैसे होगा ?

उत्तर—अब तक हम जो काम करते आये हैं उसमें क्रांतिकारी दृष्टि नहीं रही है। शुरु में हमने आजादी की लड़ाई के लिए जनता को तैयार करने के उद्देश्य से जन-सपर्क साधने के एक जरिये के रूप में इसे चलाया। फिर गरीबों को कुछ राहत पहुंचाने की दृष्टि से काम किया।

राहत की दृष्टि और क्रांतिकारी दृष्टि का फर्क आपको समझ लेना चाहिए। एक उदाहरण में यह बात स्पष्ट हो जायेगी। अगर आप कहीं मिट्टी का एक टीला बनाते हैं तो किसी जगह गड्ढा करना पड़ता है। फिर गड्ढे में पानी आदि मडने पर उसे पाटने की बात मूल्यती है। लेकिन साथ ही टीले को भी रखना चाहते हैं। ऐसी हालत में टीले में से थोड़ी-थोड़ी मिट्टी निकाल कर अगर गड्ढे पर डाल दें तो गड्ढा भरता नहीं और फिर जल्दी ही बंदवू होने लगती है। गड्ढा तो तभी पट सकता है जब पूरा टीला उसमें डाल दिया जाय।

उसी तरह आप बवई, कलकत्ता आदि बड़े-बड़े शहरों में सपत्ति के जो ऊँचे टीले देख रहे हैं वे देहातो में गड्ढे करके बने हैं। हम कुछ परोपकारी वृत्ति वाले लोग जब देहाती जनो की तकलीफ देखते हैं तो उसे दूर करने की सोचते हैं। इसके लिए हम कलकत्ता, बवई के टीलों से दो-चार हजार या एकाध लाख की सपत्ति माग कर ले आते हैं। फिर, खादी, ग्रामोद्योग आदि कार्यक्रम चलाकर उन्हीं श्रीमानों के हाथ में बेचकर देहाती-जनो में से शोषित सपत्ति का एक अति अल्प टुकड़ा उन्हें वापस दिलाने की कोशिश करते हैं। इसमें दो-चार-दस व्यक्ति को भले ही कुछ राहत मिल जाय, लेकिन नमस्या का हल नहीं होता। समस्या का हल तो पूर्ण बहिष्कार कर देहातो के शोषण का रास्ता बंद करने में ही होगा। यानी अब हमें राहत के काम में नतोप न मानकर क्रांतिकारी दृष्टि में काम करना होगा।

यहा पर फिर साध्य और साधन की बात आती है। क्रांतिकारी का अपना जीवन ही उसके लिए साधन होता है। इसलिए अगर क्रांति करनी है तो आपको अपनी जिन्दगी में भी क्रांति करनी होगी। अबतक हम लोग अपने जीवन में क्रांति न करके त्याग करते रहे। इस प्रकार, त्याग और क्रांति में क्या फर्क है, यह समझ लेना चाहिए। लोक-सेवा के लिए जीवन का स्तर कुछ नीचे उतार लेने में त्याग अवश्य होता है, लेकिन क्रांति नहीं होती। क्रांति तो जीवन का तर्ज बदलने में होती है। इसे और स्पष्ट करूँ। एक अव्यापक (५००) वेतन पर काम कर रहे हैं। वे नौकरी छोड़कर (१००) पर काम करने लगे तो उन्होंने त्याग किया। ऐसा करने में उन्होंने अपने हाथ में कुछ पैदा नहीं किया। वे अनुत्पादक उपभोक्ता ही रहे, केवल गरीबी को स्वीकार किया लेकिन अगर वे (१५०) भी ले और उसमें से (२५) यह मोच कर अपनी मेहनत में पैदा करने लगे कि क्रमशः शरीरश्रम द्वारा उत्पादन करके ही गुजारा करेंगे तो अपने को मजदूर बनाने की दिशा में उन्होंने सक्रिय कदम उठा लिया, अर्थात् उन्होंने अपने जीवन में वर्ग-परिवर्तन की क्रांति शुरू की। इस तरह क्रांति करने में त्याग आ ही जाता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि त्याग में क्रांति ही हो। -

अबतक हम लोग जो काम करते रहे, उसमें हमारी यह दृष्टि नहीं रही। आज विनोबाजी साम्ययोग का सिद्धांत बताने में हमें यह नई दृष्टि दे रहे हैं। अगर आप लोग इसी दृष्टि में काम करेंगे तो मेरे कहने के मुताबिक नतीजा अवश्य निकरेगा।

प्रश्न--आपने पार्लामेंटरी पद्धति को हिंसा का ही रूप माना है, लेकिन वर्तमान जनतंत्र में उसके स्थान पर आप कौनसी पद्धति मुझाने हैं, जो पश्चातीत होकर भी मुख्यवस्था बनाये रख सके और पूर्ण रूप में अहिंसक भी हो ?

उत्तर--तबतक पूर्ण रूप में राज्यसमस्या विद्यमान है और वह केंद्रित भी है, तबतक पार्लामेंटरी पद्धति तो चलेगी, लेकिन मैंने जैसा कहा है, स्वावलंबी समाज में भी राज्य का कुछ अवशेष रह जाता है, अर्थात् आपके प्रश्न के उत्तर में राज्य-समस्या का कुछ-न-कुछ अवशेष रह ही जायगा। उसकी पद्धति

कौनसी होगी, यही प्रश्न है। वह पद्धति पार्लामेंटरी पद्धति न होकर पचायत-पद्धति होगी। जैसाकि मैंने पहले भी बताया है, उस पद्धति के विधान केन्द्र से न बनकर समाज की मूल इकाई, यानी गाव से बनेगे। ग्राम विधान सभा निर्णय करेगी कि सामाजिक जिम्मेदारी के कितने हिस्से वे खुद अपनी पचायत द्वारा चला लेगी। फिर जितना बचेगा, उसे वह जिला विधान सभा को अपने एक प्रतिनिधि के साथ भेजेगी। इस प्रकार नीचे से जिम्मेदारी सम्हालते हुए वचत की जिम्मेदारी ऊपर जायगी और अन्त में जो कुछ थोड़ा बचेगा, वह राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय पचायत के जिम्मे रहेगा। ऐसी व्यवस्था स्वभावतः पार्टीगत न होकर व्यक्तिगत रूप से होगी। इस तरह अवशिष्ट राज्य, अवशिष्ट दंड के रूप में रहेगा। लेकिन वह पार्टी-संचालित पार्लामेंटरी सस्था न होकर पार्टी-हीन पचायत-परम्परा का स्वरूप होगा। जब प्रत्येक ग्राम अपना अलग-अलग प्रतिनिधि ऊपर भेजता जायगा, तब क्रमशः सर्वोच्च पचायत बनेगी, तो उसमें पार्टी-टिकट पर चुनाव की गुजाइश नहीं रहेगी। तो फिर जितने लोग यहाँ पहुँचेंगे, वे सब स्वतन्त्र सज्जन व्यक्ति होंगे—किसी पार्टी के नहीं।



--गोसेवा साहित्य--

१	The Cow in India Vol I & II by Satishchandra Das Gupta	१६)
२	Dead animals to Tanned Leather ,,	॥)
३	गो सेवा (हिंदी) महात्मा गांधी	१॥)
४	गोळाऊ गाईचे मवर्धन (मराठी) य म पारनेरकर	॥)
५	पशु रोग चिकित्सा (मराठी) डा पा व माळी	१॥)
६	चारादाना (हिंदी) परमेश्वरीप्रसाद	१)
७	पशुओ का इलाज ,, ,,	॥)
८	कल्याण गो-अक	४॥)
९	गायो की उन्नति (हिंदी) (डा राजेंद्रप्रसादजी का भाषण)	३)
१०	नकली घी (हिंदी व अंग्रेजी)	१=)
११	गो सेवा सघ (द्वितीय सम्मेलन विवरण १९४६)	१)
१२	कम्पोस्ट अर्थात् मिश्र खाद	१)
१३	सर्वांगी गाय	१)
१४	मायलेज	१)
१५	जमाया तेल	=)
१६	दूध उत्पादन की पचवर्षीय योजना-डा जा आर कोठावाला	१)
१७	गाय ही क्यों ला हरदेवमहाय	१)
१८	गाय या भैम ,, ,,	१)
१९	गो मरुट निवारण ,, ,,	=)
२०	गो-वध वा हेतु ,, ,,	१=)
२१	चमटे के लिए गो-वध कन्हैयालालजी भिडा	॥)
२२	मीठा जहर लाला हरदेवमहाय	३)
२३	देश के दुश्मन ,,	१-)
२४	मिट्टि वनापधि चिकित्सा	१)
२५	मनुष्यन गापादन	५)
२६	धान की खेती जापानी पद्धति	१)


मर्द-सेवा-सघ प्रकाशन विभाग, वर्धा

नई क्रांति-माला

की

पुस्तकें

- १ सर्वोदय का घोषणापत्र
- २ सर्वोदय के सेवकों से
३. मृदान-यज्ञ
४. धर्म चक्र प्रवर्तन
- ५ मानवीय क्रांति
- ६ नई क्रांति
- ७ नई क्रांति के गीत
- ८ हमारी भूमि हमस्या का हल
- ९ दंड निरपेक्ष समाज रचना
- १० सम्पत्तिदान-यज्ञ



सर्वोदय संस्थान, दिल्ली

चार आना

